(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 28 वां दिवस [संख्या 22

शुक्रवार,

दिनांक 29 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वास्थ्य, सहकारिता, खाद्य, राजस्व, वन, स्वायत्त शासन, पशुपालन, राजकीय उपक्रम, नगर-आयोजना, भूजल मण्डल, कृषि, आबकारी, उपनिवेशन, पंचायत, खनिज, नागरिक रसद-विभाग ।)

प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया ।

बीकानेर नगर में गिनानी नाले के गंदे पानी की निकासी की योजना

564. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर नगर में गिनानी नाले के गंदे पानी की निकासी की योजना कब बनी और अब तक इस योजना पर कितना धन व्यय हो चुका है ?

(2) क्या इस योजना का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा होने की आशा है ?

(3) क्या यह सही है कि अब तक भी गिनानी क्षेत्र का गंदा पानी बड़ी मात्रा में सूरसागर में एकत्रित हो जाता है और आस पास के इलाके में बिखरा पड़ा रहता है ?

(4) यदि हां तो क्या सरकार इस समस्या के स्थायी हल का कोई उपाय कर रही है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चंदनमल बैद): (1) बीकानेर नगर स्थित गिनानी नाले के गंदे पानी की निकासी योजना फरवरी 1968 में स्वीकृत की गई थी व इस योजना पर अब तक 26,80,560 रु० खर्च हो चुका है ।

(2) इस योजना का कार्य पूरा हो चुका है ।

(3) जी हां, जब कभी सम्प में लगाए हुए पंप बंद रहते हैं तब गिनानी क्षेत्र का पानी सूरसागर में एकत्रित होता है तथा

(श्री चन्दन मल बैद)
सूरसागर के आस पास स्थित मकानों का गंदा पानी सूरसागर में गिरता है।

(4) जी हां। सरकार ने नगरपालिका को इस पंप के चलाने हेतु योजना को हस्तांतरित करने के लिए बार बार निवेदन किया है ताकि पंपों को लगातार चलाये रखना संभव हो सके।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : जब शुरू शुरू में योजना बनाई गई थी तो उसमें व्यवस्था की गई थी कि पंप से पानी निकाला जाएगा और नगरपालिका पंपिंग करती रहेगी, यह व्यवस्था उस योजना में थी या नहीं ?

श्री चंदनमल बद : योजना पी० एच० ई० डी० ने बनाई और जितनी भी ड्रेनेज की योजनायें हैं, राजस्थान में नगरपालिकायें ही चलाती हैं इसलिए चाहे योजना में लिखा हो या नहीं लेकिन यह मानकर चलते हैं कि उस योजना को नगरपालिका को ही चलाना चाहिए, नगरपालिका का ही दायित्व है उस योजना को चलाना।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह ड्रेनेज की योजना नहीं है, यह एक स्पेशल योजना बनाई गई थी। गिनानी में चारों तरफ पानी पड़ता था और लोगों के मकानों की नींव तक पानी आ जाता है, वहां से नाव के द्वारा लोगों को पार करके सड़क पर लाते थे, स्पेशल व्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए। एक योजना पी० एच० ई० डी० ने 10 लाख रुपये की बनाई उसके बाद यह कहा गया कि 10 लाख में योजना पूरी कम्पलीट नहीं होगी क्योंकि वह निचाई पर है और खुदाई करनी पड़ती है हालांकि उसमें अपव्यय बहुत हुआ, खुदाई करके फिर काम को छोड़ दिया गया और खुदाई के बाद मिट्टी भरी थी और दुबारा खुदाई होती थी इसलिए डबल····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैं जानकारी चाहती हूं कि आपने इस योजना पर अब तक 26,80,560 रुपया खर्च किया है। सदन में राज्य मंत्री श्रीमती सुमित्रा सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि सूरसागर में पानी इकट्ठा नहीं होगा और बाई पास करके नाले में से निकाला जाएगा और सूरसागर सब से बढ़िया जगह है वहां चारों तरफ गंदा पानी आता है, आज हालत वहां यह है कि कोई वहां से निकल नहीं सकता, मच्छर होते हैं, आस पास का जीवन दुश्वार हो गया है, ऐसी हालत में न नगरपालिका की हैसियत है कि वह पंप कर सके, नगरपालिका टेकओवर नहीं कर सकती, आपने 26 लाख रुपए व्यय करके क्यों राज्य का पैसा बर बाद किया जब पानी को नहीं निकाल सकते, नगरपालिका उसको नहीं निकाल सकती। यह आपके विभाग की जिम्मेदारी है, उन्होंने 26 लाख रुपये व्यय किए हैं, वही पानी निकालने की व्यवस्था करें, ऐसा आश्वासन मैं चाहती हूं।

श्री चंद मल बंद : मैंने माननीय सदस्या का भाषण बहुत उदारतापूर्वक सुना जो पी० एच० ई० डी० को करना था कर दिया। सूरसागर से बाई पास निकाल दिया और एक पम्प बना दिया जिसमें गंदा पानी चलता है उसमें सकिंग पाइप्स लगाए। तीन महीने चलाकर पूरा एक्सपेरीमेंट करके नगरपालिका और कलेक्टर को दिखाया गया कि योजना चालू हालत में

(श्री चन्दनमल बैद)
है और जिलाधीश से बार बार कहा गया कि हमने योजना बनाई है, योजना चालू हालत में है, आप टेकओवर करें। अब नगरपालिका उस योजना को नहीं लेना चाहती है और हमारा विभाग ड्रेनेज योजनायें नहीं चलाता है, इसलिए हमारे लिए संभव नहीं है कि हम उस ड्रेनेज योजना को अपने यहां रखें, रोजाना खर्च हमारा विभाग वहन करे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या यह सही है कि नगरपालिका केवल इसलिए योजना नहीं लेना चाहती क्योंकि जिस प्रकार आपके विभाग ने इस योजना का कार्य किया है वह पूर्णतः गलत है और आपने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया इसलिए इस बिगड़ी हुई योजना को नगर-पालिका लेने में झिझकती है ?

श्री चंदनमल बैद : अगर नगर-पालिका हमको लिख दे कि आपकी योजना में ये गलतियां हैं तो हम विचार कर सकते थे लेकिन हमने नगरपालिका को लिखा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसलिए यह कहना चूंकि योजना खराब है, गलत है इसलिए नगरपालिका नहीं ले रही है, ठीक नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी जान-कारी में है कि बीकानेर के अंदर कई एपिडेमिक्स हुई स्माल पोक्स इत्यादि और जो मेडीकल बोर्ड वहां गया था उसने सूर-सागर की दुर्गन्ध और सड़ान्ध का उल्लेख किया ।

श्री चंदनमल बैद : शहर की सफाई का काम नगरपालिका का है । एक योजना बनाने के लिए कहा गया, सरकार ने अपने पास से पैसा लगाकर योजना को पूरी तरह से बना दिया, तीन महीने चलाकर देखा उसके बावजूद नगरपालिका उस योजना को नहीं लेना चाहती है और चाहती है कि शहर में गंदगी होती रहे तो किसकी जिम्मेवारी है ?

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : शुरू में योजना कितने की थी और कितना व्यय हुआ ?

श्री चंदनमल बैद : मैं बता चुका हूं कि कुल 26,80,560 रुपए खर्च हो चुका है, शुरू में योजना 9;11;000रु० की थी लेकिन ज्यों ज्यों भाव बढ़ते गए, यह खर्चा बढ़ गया इसको तीन महीने चलाकर देखा इसमें सकर्स लगा रखे हैं, पंम्प्स लगा रखे हैं, जो पानी सक करके निकालते हैं बाई पास के द्वारा आगे जो आउटलेट्स बनाए हैं उनसे पानी निकल जाता है लेकिन सकर्स से नहीं चला जाता है तो सारा पानी भर जाता है और गंदा पानी सूरसागर में गिरता है । इतना ही नहीं, आस पास के घर वालों ने और नगरपालिका ने भी नाले बना कर सूरसागर में गंदा पानी डालना शुरू किया अगर नगरपालिका खुद ही सूरसागर को गंदा कर रही है तो फिर पी० एच० ई० डी० विभाग को दोष देना ठीक नहीं है ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उस नाले में एक लड़की की मृत्यु हो चुकी, गाय की मृत्यु हो चुकी । मैंने कहा था कि दोषपूर्ण योजना बनाई जा रही है, अगर आप के इंजीनियर्स नहीं मानते हैं तो फिर उनको हटा दीजिए । कहने के बाद भी आज वहां खुला नाला है और पानी इकट्ठा होने से वहां से कोई नहीं निकल सकता । और भी मौतें हो सकती हैं । नगरपालिका पर जिम्मेदारी डालकर आप अपनी जिम्मे-दारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं ।

(4)

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

चाहे पी० एच० ई० डी० ले या नगर-पालिका ले लेकिन बीकानेर की जनता इस समय मुसीबत में है, उसकी कौन व्यवस्था करेगा ?

श्री अध्यक्ष : Next question.

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं इसके बारे में मन्त्री महोदय से । अध्यक्ष महोदय, वहां जो बाई पास बनाया है उसके पास एक छोटा सा नाला है और जो पम्प है उससे वह पानी बह कर उस नाले में पानी बह जाता है । पहले यह योजना का आकार बड़ा था लेकिन अब उससे वन-फोर्थ कर दी गयी है इसलिए पानी पूरा निकलता नहीं है इससे नेचुरली वह पानी बहकर सूरसागर में जाता है । इसमें नगरपालिका का क्या दोष है ? नगरपालिका के पास इतना धन है नहीं कि वह इस योजना को अपने हाथ में ले ले । यह जो बाई पास बनाया गया है पी० एच० ई० डी० द्वारा वही गलत बनाया गया है, गलत ढंग से स्कीम का इम्पलीमेन्टेशन हुआ है उसी की वजह से यह हो रहा है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मन्त्री महोदय इसके लिये उचित कार्यवाही करायें

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि उस बाई पास को पी० एच० ई० डी० के इन्जीनियर्स ने तीन महीने तक काम चलवा कर बताया है और अब यह कह रहे हैं कि वह बाई पास गलत है यह कैसे हो सकता है ? पी० एच० ई० डी० ने खर्चा किया, काम चालू करके दिखाया, अब यह कह रहे हैं कि गलत योजना बनायी है इसमें तो हम क्या करें ? वहां की नगरपालिका को चाहिये कि अब इसमें अगर कोई खराबी नयी हो गयी तो ठीक करावे ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Next question. No more supplementaries. Next question.

गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड आमेर रोड

555. **श्री रामकिशन** (भरत-पुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, आमेर रोड, जयपुर के अध्यक्ष के विरूद्ध दिनांक 22 दिसम्बर, 1973 को सहकारिता राज्य मन्त्री को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो यह ज्ञापन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ?

(2) क्या उक्त ज्ञापन में समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध गबन घोटाले सरकारी भूमि को प्लाट काट कर बेच देने तथा भ्रष्ट तरीकों से धन अर्जित करने के आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो इस ज्ञापन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम-नारायण चौधरी) : (1) जी हां । यह ज्ञापन सोशलिस्ट पार्टी, राजस्थान के संयुक्त मन्त्री श्री बसन्ती लाल अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत किया गया था ।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(2) जी हां । इस मामले में जांच अधिकारी पूर्व से ही नियुक्त था । जांच अधिकारी के स्थानान्तरण होने के कारण दिनांक 24-1-74 से अन्य जांच अधिकारी नियुक्त किया गया जिन्हें दिनांक 28-2-74 तक जांच पूर्ण करने के निर्देश दिये गये । जांच अधिकारी के अनुरोध पर कि जांच 28-2-74 तक पूर्ण होना सम्भव नहीं है जांच की अवधि 30-4-74 तक बढ़ायी गयी है ।

श्री रामकिशन : यह इन्क्वायरी किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह जांच एक कोआपरेटिव विभाग के असिसटेन्ट रजिस्ट्रार मिस्टर भाटिया के द्वारा की जा रही है ।

श्री रामकिशन : क्या यह सही है कि इस गोविन्द सहकारी समिति के अध्यक्ष भी एक असिसटेन्ट रजिस्ट्रार ही हैं ? क्या एक असिसटेन्ट रजिस्ट्रार की जांच एक एसिसटेन्ट रजिस्ट्रार के द्वारा कराना उचित है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां, यह सही है कि पहले यह जांच असिसटेन्ट रजिस्ट्रार द्वारा की जाती थी लेकिन बाद में यह इन्क्वायरी अब एडीशनल रजिस्ट्रार के द्वारा की जा रही है । वह अब इसक जांच अच्छी तरह कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत ।

मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से नियन्त्रित कपड़े का वितरण

566. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदार पुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के उपभोग में आनेवाली नियन्त्रित वस्तुओं का थोक वितरण मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाईटीज के माध्यम से किया जाय ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त नीति के विरूद्ध जोधपुर, ओसियां एवं शेरगढ़ तहसीलों के लिये आवंटित कपड़े का थोक वितरण जोधपुर कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाईटी लिमिटेड को न देकर, जिसके कार्य क्षेत्र में उपरोक्त तहसीलें आती हैं, जोधपुर सहकारी बाजार को क्यों दिया गया ?

(3) क्या यह सत्य है कि एडीशनल रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाईटीज, जयपुर ने अपने पत्र संख्या एफ 1(3) सी०डी०-आर० कोस० 11167, दिनांक 6-2-73 द्वारा जनरल मैनेजर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, जयपुर को आदेश दिया था कि जोधपुर, ओसिया एवं शेरगढ़ तहसील का नियंत्रित कपड़े का थोक कोटा उपरोक्त मार्केटिंग सोसाईटी को जोधपुर सहकारी बाजार की जगह आवंटन करें ?

(4) यदि हां तो उपरोक्त जनरल मैनेजर के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी हां ।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(4) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, जयपुर के संचालक मंडल ने दिनांक 5-3-73 को यह निर्णय लिया कि क्रय विक्रय समिति को नियंत्रत कपड़े का थोक कोटा न दिया जाकर जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड को दिया जावे।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि संचालक मंडल ने क्यों फैसला किया ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने प्रश्न चार के जवाब में बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर के संचालक मंडल ने दिनांक 5-3-73 को यह निर्णय लिया है कि क्रय विक्रय समिति को नियंत्रित कपड़े का थोक कोटा न दिया जाकर जोधपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड को दिया जावे। इसके अतिरिक्त मैं आपकी जानकारी के लिये एक बात और कह देना चाहता हूं कि अभी इनके संचालक मंडल की जब बैठक हो रही थी उसमें एडीशनल रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां भी उपस्थित हो गये थे और एडीशनल रजिस्ट्रार संचालक मंडल के सदस्यों में यह फैसला हो गया कि जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड को ही दिया जाये।

श्री अमृतलाल गहलोत : यह कन्ट्रोल का कपड़ा तहसील हैडक्वार्टर्स पर मार्केटिंग सोसाइटीज के द्वारा ही वितरित किया जाना चाहिये। राज्य एवं केन्द्रीय सरकार की यह नीति है ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के उपयोग में आने वाली नियंत्रित वस्तुओं का थोक वितरण मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से किया जाय। तो इसमें आपने यह केन्द्रीय सरकार की नीति के विरूद्ध कैसे कार्यवाही की ?

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार की नीति है कि होलसेल उपभोक्ता भंडार शहरों और गांवों में जहां पर मार्केटिंग सोसाइटी नहीं होती हैं तो दूसरी.....

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शहर के लिये उपभोक्ता भंडार है और गावों के लिये मार्केटिंग सोसाइटीज, फिर उसके विरूद्ध क्यों किया ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन चूंकि कपड़े की मात्रा कम थी तो उसके लिये ऐसा किया गया। कपड़े की मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह डिसिजन लिया गया था। वैसे यह काम मार्केटिंग सोसाइटीज के द्वारा ही होना चाहिये ग्रामों में। लेकिन मैंने निवेदन किया कि कपड़ा कम था।

श्री अमृतलाल गहलोत : तो यह गावों का कोटा बाहर क्यों दिया जा रहा है ? गावों में ही क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री मीठालाल (लालसोट) : मैं मंत्री महोदय एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक तहसील में एक समिति को दिया जाना चाहिये या एक से अधिक मार्केटिंग सोसाइटी को दिया जाना चाहिये ?

श्री रामनारायण चौधरी : कपड़े की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर कपड़ा ज्यादा उपलब्ध होता है तो पूरा कोटा दिया जाता है। क्योंकि आजकल जनता ज्यादा सतर्क हो गयी है, ज्यादा जागरूक हो गयी है इसलिये इसका फायदा सभी उठाना चाहते हैं।

श्री मीठालाल : मेरा निवेदन है कि कोई तहसील में एक मार्केटिंग सोसाइटी है तो कोई तहसील में दो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं।

श्री दीपंकर (लाडनू): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, जो गांवों को कपड़ा जाना चाहिये वह कपड़ा गांवों को क्यों नहीं जाता है ? आज होता यह है कि शहर में ही वह कपड़ा ऊपर का ऊपर बिना गांव में गये ही बिक जाता है और उसका ब्लेक होता है। इसलिये यह कपड़ा मार्केटिंग सोसाइटीज द्वारा ही बेचा जाना चाहिये।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि एक तहसील में दो दो मार्केटिंग सोसाइटीज और दोनों ही सक्रिय हैं तो दोनों को ही कपड़ा क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री रामनारायण चौधरी : एक तहसील में एक ही मार्केटिंग सोसाइटी होती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मूलचन्द सामरिया।

दौसा उपखण्ड में नियन्त्रित वस्तुओं का वितरण

567. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : एवं श्री रामचन्द्र पटेल (सिकराय): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा उपखण्ड में कितनी नियंत्रित वस्तुओं का वितरण होता है और वह किन किन अधिकारियों की देखरेख में किया जाता है ?

(2) उक्त वस्तुओं में से 1 अप्रेल, 1973 से अब तक कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी वस्तु वितरित की गई ? इसमें से कितनी कितनी मात्रा कस्बे के लिये व कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की गई ?

(3) क्या यह मात्रा आबादी के अनुसार सही है ?

(4) क्या ग्रामीण व कस्बे के क्षेत्रों में जो कैरोसिन आँयल बांटा गया वह संतोषजनक है ? यदि नहीं, तो सरकार आगे क्या विचार रखती है ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी आनी बाकी है। इसलिये इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया।

प्रश्न संख्या 568।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता,

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)।

श्री लूणाराम।

डूंगरगढ़ तहसील में वन लगाने का कार्य

569. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़)** : (1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में वन लगाने तथा चारागाह के सुधार आदि कार्य के लिये सबसे अधिक भूमि श्री डूंगरगढ़ तहसील में उपलब्ध है ? यदि हां, तो वहां के वन विकास अधिकारी के पद को जो पहले था समाप्त करने का क्या कारण है ?

(2) क्या राज्य सरकार कार्य के बाहुल्य को देखते हुए पुनः इस पद का सृजन करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री मूलचन्द मीणा): यह जानकारी वन विभाग के पास नहीं है। वन विभाग को राजस्व विभाग से केवल 1925 हैक्टर भूमि 1970-71 में वन विकास कार्यों के लिये उपलब्ध हुई थी जिसमें चारागाह सुधार तथा टीबा स्थिरीकरण के कार्य कराये गये हैं। रेन्ज अधिकारी का पद डी० पी० ए० पी० योजना के लिये था। अब इस योजना के समाप्त हो जाने के कारण यह पद 31-7-73 से समाप्त कर दिया गया है।

(2) वहां कार्य की अधिकता अभी नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता रहे हैं कि 1925 हैक्टर भूमि चारागाह सुधार के लिये राजस्व विभाग के लिये उपलब्ध हुई तो क्या जब वहां पर अब आप उन चारागाहों के लिये वन विकास अधिकारी रखना उचित नहीं समझते? दूसरी बात है कि यह डी० पी० ए० पी० के कार्यक्रम समाप्त हो जाने की वजह से आप उसकी आवश्यकता नहीं समझते थे तो पहले आपने इसकी आवश्यकता क्यों समझी और अब नहीं समझ रहे हैं। आज भी बीकानेर जिले की दूसरी तहसीलों से डूंगरगढ़ तहसील में बहुत ज्यादा जमीन चारागाहों की उपलब्ध है?

श्री मूलचन्द : जहां तक तहसील का प्रश्न है मेरे पास कम्परेटिव स्टेटमेंट नहीं है। ये जो पद समाप्त हुए हैं वह डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत पद सृजन किये गये थे जब डी० पी० ए० पी० के प्रोग्राम समाप्त हुए तो वह अपने आप ही पद समाप्त हो गये।

श्री लूणाराम : आपके पास सूचना नहीं है लेकिन वहां पर काफी चारागाह हैं और

राजस्व मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, यह डी०एफ०ओ० डी०पी० ए०पी० प्रोग्राम के अन्तर्गत पोस्ट सृजन की गयी थी। चूंकि भारत सरकार ने डी० पी०ए०पी० के प्रोग्राम बन्द कर दिये हैं इसलिये डी० एफ० ओ० के पद समाप्त हो गये हैं। इसके लिये तो मजबूरी है। अब कितनी चारागाह भूमि कहां कहां पर यह रिकार्ड तो राजस्व विभाग के पास रहता है। वन विभाग इसमें क्या कर सकता है?

श्री लूणाराम : तो मैं यह जानकारी करना चाहता हूं आपने डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत वहां पर बड़े बड़े चारागाह बनाये और वहां पर पम्पिंग सैट लगाये हैं। गवर्नमेन्ट ने इसके लिये 50 हजार लगाकर सेट लगाये हैं। समय समय पर उस पर और भी खर्च हुआ। इस प्रकार 70 हजार रुपये के कुए बनाये गये। इस प्रकार वहां पर सरकार का पैसा लगा। अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपये खर्च हो गये हैं और अब वह सभी बेकार हो गया है, कोई भी उनकी निगरानी करने वाला नहीं, कोई देख रेख नहीं हो रही है इसलिये वहां पर डी० एफ० ओ० की पोस्ट कायम की जानी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कार्य की महत्ता को देखते हुए लगी हुई रकम का दुरुपयोग हो रहा है इसलिये इस ओर ध्यान दें।

प्रश्न संख्या 570

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री गिरीज प्रसाद तिवाड़ी।

भरतपुर नगर परिषद् का सीमा क्षेत्र

571. **श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी** (बयाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य सरकार भरतपुर नगर परिषद् के सीमा क्षेत्र को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी : कब से विचाराधीन है ?

श्री रामकिशन (भरतपुर) : यह प्रश्न मुझे भी देना था । मुख्य मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में मैंने पत्र भी लिखा। भरतपुर का विकास हो रहा है, औद्योगीकरण हो रहा है । नगर परिषद् की आमदनी इतनी कम है कि उससे काम उसका चलता नहीं । इन्डस्ट्रियल एरिया है, नगर परिषद् उस क्षेत्र को अपने में शामिल करले, इसके लिये उसकी ओर से कोशिश चल रही है। मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी भी इसको समझ रहे हैं। नगर परिषद् के विकास और उसके निर्माण के लिये उस क्षेत्र का शामिल होना आवश्यक है । दो ढाई साल के बाद उससे काम पड़ेगा ।

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी : नगरपालिका से प्रस्ताव आ चुके हैं। मंत्री महोदय को कई बार लिख चुके हैं, कई याद दिहानियां भी दे चुके हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : सन् 1964 से मामला चल रहा है सीमावर्ती क्षेत्रों को इसके अधीन करने के लिये । एक बार निर्णय भी हुआ था सीमा बढ़ा दी जाय । फिर यह तय हुआ कि नहीं । बांदीकुई नगरपालिका के सम्बन्ध में हाई कोर्ट का निर्णय हुआ था, इसलिये इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही वापिस ले ली गयी । फिर कार्यवाही हो रही है और सीमावर्ती क्षेत्रों के सम्बन्ध में मामले विचाराधीन है ।

श्री राम किशन : कब तक तय कर देंगे ?

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी : क्या यह बात सही नहीं है कि कुछ उद्योगपति इन्ट्रेस्टेड हैं इसलिये यह मामला नहीं तय हो रहा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह बात सही नहीं है । यह रिप्रेजेन्टेशन चल रहा है कि सीमावर्ती एरिया में इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है इस पर विचार कर रहे हैं । दोनों पक्ष और विपक्ष को देख कर इस पर निर्णय किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री रामकिशन : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्री राजबहादुरजी ने भी लिखा है कि इसको सीमावर्ती नहीं माना जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : कागज है उनके पास । ना नहीं कर सकते ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बात सही है कि राजबहादुरजी ने सुझाव दिया है कि भरतपुर के इन्डस्ट्रियल एक्स्पान्शन को ध्यान में रखते हुए इन्डस्ट्रीज की समस्या

Page No 10

(10)

(श्री रामनारायण चौधरी)
पर विचार करते हुए इसका निर्णय किया जाय ।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसका इन्डस्ट्रियल ग्रोथ एवं टाउन की ग्रोथ को देख कर जल्दी ही फैसला कर दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरबड़ ।

परबतसर में वीर तेजाजी का पशुमेला

572. **श्री जेठ मल बरबड़** (परबतसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परबतसर, वीर तेजा पशु मेला एशिया का सब से बड़ा मेला है ? यदि हां, तो इस मेले से गत 3 सालों में प्रति वर्ष कितनी आमदनी हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मेले के विकास हेतु सरकार ने मास्टर प्लान बनाया है ? यदि हां, तो इस योजना के तहत निर्माण कार्य कब शुरू कर पूरा कर दिया जावेगा एवं इसके पूर्ण होने में कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

राज्य मंत्री पशुपालन विभाग (श्री मुंशीलाल महावर) : (1) जी नहीं, सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) प्रस्तावित मास्टर प्लान तैयार कर दिया गया है । बजट के प्रावधान की स्थिति के अनुसार निर्माण कार्य किया जावेगा । पूरे प्लान में लगभग सात लाख की राशि व्यय होने का अनुमान है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने यह बताने की कृपा की, सूची सदन की मेज पर रखी, आमदनी के आंकड़े दिये, उसमें बिक्री कर आदि दूसरी आमदनी शामिल है ? नम्बर एक । दूसरा यह है कि आमदनी घटने के क्या कारण हैं ? तीसरा प्रश्न यह है कि एशिया का नामी मेला है और पशुओं के लिये दरख्त लगाये गये उनको पानी नहीं देने से वे जल गये । इसके लिये क्या तत्काल व्यवस्था कर रहे हैं और आगे के लिये मेंटेन करने के लिये क्या योजना बना रहे हैं ?

पशुपालन मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): अध्यक्ष महोदय, जहां तक आमदनी घटने का सवाल है, तालिका से अवगत होगा कि 1970-71, 1971-72 में आमदनी बढ़ी है, 1972-73, 1973-74 में आमदनी कम हुई है। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं । उसमें मवेशियों का कम आना भी है । आमदनी स्टेटिक रहे यह जरूरी नहीं है । अलग अलग वर्षों में मवेशियों की कितनी आवक होती है यह इस पर निर्भर भी करती है । पेड़ों के नष्ट होने के बारे में आपने कहा, आप इसकी जानकारी दे रहे हैं, मैं स्वयम् भी इसकी जानकारी कर लूंगा । विभाग ने उत्तर दिया है । 7 लाख का मास्टर प्लान में प्रावधान किया गया है खर्च के लिये । वित्तीय साधनों के अनुसार इस मेले को भी उचित अंश मिले इसकी व्यवस्था की जावेगी ।

श्री दीपंकर : परबतसर शहर में इस मेले के कारण जो गंदगी फैलती है तो क्या नगरपालिका को भी कोई अनुदान की व्यवस्था की गयी है ?

श्री शिवचरण माथुर : ये सब प्रश्न तो एक साथ नहीं बता सकता। कितनी आमदनी है उसका सवाल था। मैंने जवाब दे ही दिया है। मास्टर प्लान के स्वीकृत होते ही इस मेले के लिये भी अंशदान मिलेगा। उसके अनुसार खर्च की जावेगी।

श्री जेठमल बरबड़ : आमदनी घटने का कारण यह है कि बरसात में इतना कादा कीचड़ हो जाता है कि कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं होती है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उचित साधन नगरपालिका को देना चाहिये। नगरपालिका पूरी सफाई नहीं कर पाती है क्योंकि आमदनी तो है नहीं। छोटी सी नगरपालिका है, नगरपालिका को हिस्सा देना चाहिये यह मंत्री महोदय से निवेदन है।

तेजाजी का मंदिर है। जो भी पशुपालक, व्यापारी आते हैं वहां वे प्रसाद चढाते हैं। प्रसाद का ठेका होता है। गवर्नमेंट ठेका करके रकम वसूल करती है। मंदिर तो बना हुआ है लेकिन ठेके से रकम सरकार वसूल कर लेती है और उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं करती है। समिति भी बना दी। तेजा अधिकार समिति बार बार निवेदन कर रही है कि प्रसाद के ठेके की रकम जो प्राप्त होती है कम से कम सरकार उसको समिति को दे दे। भगवान के प्रसाद का ठेका होता है उसकी आमदनी भी मेले के लिये लगती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Next

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह माना है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो चीन, इन्डोनेशिया, थाईलैंड में कैसे मेले लगते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : "जी नहीं" कहा है। दूसरा, आपने जो सुझाव दिये हैं उनका मास्टर प्लान में ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

राजस्थान में शीतलहर से क्षति

573. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने गत दिनों राजस्थान में आई शीत लहर से नुक्सान का अन्दाजा लगाया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि शीत लहर से जयपुर जिले की समस्त तहसीलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार तत्काल राहत हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा): (1) शीत लहर से हुई क्षति का सही अनुमान गिरदावरी के समाप्त होने पर ही मालूम होगा।

(2) जी हां। फसल में आठ आने से अधिक नुक्सान होने पर क्षेत्र सहायता विभाग द्वारा अभावग्रस्त घोषित कर दिया जावेगा, वसूलियां स्थगित कर दी जावेगी तथा राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये जावेंगे।

श्री मीठालाल : मुझे केवल दो बातें पूछनी हैं। फसल किसी कारण से भी नष्ट होने पर आप उस एरिया को अभावग्रस्त घोषित करते हैं और इसके बाद राहत कार्य खोलते हैं तो क्या आप इन एरिया में भी इस तरह करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह हाईपोथेटिकल प्रश्न है। अभी तो हमारे

Page No 12

(12)

(श्री परसराम मदेरणा)

पास प्रिलिमिनरी एस्टीमेट ही नहीं आया है। 31 मार्च तक नियम के हिसाब से वे रिलीफ डिपार्टमेंट को भेजेंगे। इसके बाद ही देखा जा सकता है कि क्या करना है। फाइनल रिपोर्ट 30 अप्रेल तक आएगी।

श्री मीठालाल : आप तो जब शीत लहर से नुकसान मानते हैं तो उसे अभावग्रस्त मान कर राहत कार्य इन क्षेत्रों में खोलेंगे या नहीं ?

श्री पी० के० चौधरी : एक बात और जानना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में बारह आना या पूरा रुपया खराबा होता है उसे आप अभावग्रस्त घोषित करते हैं, पर जहां आठ आना खराबा ही है वहां भी अभावग्रस्त एरिया घोषित करेंगे कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : गिरदावरी आई नहीं है, उसके आने पर ही सारी बातें होगी।

श्री मीठालाल : क्या यह सही नहीं है कि जिलाधीश ने अनुमानित गिरदावरी के आंकड़े भेज दिये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिये भी केवल राहत कार्य ही इसमें नहीं हैं। और भी हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर की समस्या, रेवेन्यू सस्पेन्शन, तकावियों को रोकना, केटल का माइग्रेशन करना। तो इस तरह से फेमीन विभाग वहां की स्थिति का पूरा जायजा लेकर देखती है कि वहां किस तरह के रिलीफ की आवश्यकता है। जनरल कण्डीशन वहां क्या है, लोग राहत के कामों पर आने को तैयार हैं या नहीं। यह सब देखकर उपयुक्त राहत कार्य चालू करती है।

श्री मीठालाल : यह सब जानकारी मिलने के बाद आप वहां राहत काम खोलेंगे तो सही ?

श्री परसराम मदेरणा : शीत लहर से फसलों को नुकसान होने का अनुमान लगने के बाद यह मुमानियत नहीं है कि अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण से ही रिलीफ वर्क खोले जाते हों। यहां भी खोले जा सकते हैं।

श्री मीठालाल : क्या सरकार उन सम्भावनाओं का भी पता लगाएगी कि गरमी की सीजन में कौनसी तरकारियां, सब्जियां या फलों आदि की फसल हो सकती है जिनको उगाकर किसान अपने उस घाटे की पूर्ति कर सके। क्या इस तरह की सलाह सरकार उन किसानों को उपलब्ध कराने की स्थिति में है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न अलग है। कृषि मंत्रीजी से सम्बन्ध रखता है। फिर भी जैसा मैंने जाना है कृषि मंत्रीजी से उन्होंने टैक्निकल अधिकारियों को आलरेडी आपके कहने से पूर्व ही इस तरह की हिदायतें दी हैं कि शीत लहर के नुकसान को पूरा करने के लिये एल्टरनेट कौनसी क्राप वे बो सकते हैं क्या कर सकते हैं, जो सब करके वे इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हों।

पलाना लिग्नाइट माइन्स क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन

574. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) व **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मन्त्री, राजकीय उपक्रम विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पलाना लिग्नाइट माइन्स क्षेत्र में कुल कितना लिग्नाइट का भंडार है ?

(श्री गोपाल जोशी व श्री भीमसेन)]

(2) इस खनिज भण्डार का एक्स-प्लोरेशन किस एजेन्सी द्वारा कब किया गया ?

(3) इस खनिज का एक्सप्लोरेशन बीच में क्यों छोड़ दिया गया ?

(4) क्या सरकार इस खनिज का एक्सप्लोरेशन पुनः प्रारम्भ करके अन्तिम नतीजे पर पहुंचना चाहती है ताकि इस भंडार के उपयोग के सम्बन्ध में योजना बनाकर क्रियान्वित की जा सके ?

मंत्री, राजकीय उपक्रम (श्री चन्दनमल बैद) : पलाना लिग्नाइट माइन्स क्षेत्र में श्री घोष, माईनिंग इंजीनियर के अनुसार 21.57 मिलियन टन, रूसी विशेषज्ञों के अनुसार 10.43, ओपन कास्ट लिग्नाइट व पौलिश विशेषज्ञों के अनुसार 2.12 मिलियन टन का भंडार है।

(2) इस खनिज भंडार का एक्सप्लोरेशन, भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के द्वारा वर्ष 1898 से 1952 तक किया गया। तत्पश्चात् यह खान खनिज विभाग के अधीन सन् 1952 से 1960 तक कार्य करती रही। सन् 1960 से 1966 तक पलाना लिग्नाइट बोर्ड एवं सन् 1966 से 1968 तक राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन कार्य करती रही।

(3) इस खनिज का एक्सप्लोरेशन 17-1-1969 से पलाना कोलरी में आग लग जाने के फलस्वरूप छोड़ दिया गया।

(4) जी हां। मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि० की सलाह से योजना तैयार की जा रही है। दिनांक 9-3-73 की बैठक में विभिन्न विभागीय प्रतिनिधियों को मौके का निरीक्षण कर सम्भावित योजना तैयार करने का कार्य सुपुर्द किया गया है।

श्री गोपाल जोशी : जो आंकड़े आपने दिये हैं क्या वे सही हैं ? अगर नहीं हैं तो आप उन्हें ठीक करें।

श्री चन्दनमल बैद : विभिन्न एक्सपर्टों ने जो बताये हैं वे आंकड़े ये हैं। माइन में घुस कर तो किसी ने देखा नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक्सपर्ट भी माइन्स के अन्दर घुसकर नहीं देखते ?

श्री गोपाल जोशी : क्या सरकार की इच्छा ओपन कास्ट माइनिंग करने की है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने रशियन एक्सपर्टों के बारे में कहा और दूसरे एक्सपर्टों के भी आंकड़े दिये हैं। इसके बाद 9 मार्च को यहां बैठक बुलाई थी और वहां बहस करके चार बातों पर निर्णय करने के बारे में एक कमेटी का निर्माण किया है। एक यह कि बन्द कर दी गई माइन्स को खोला जा सकता है, दूसरा यह कि उत्पादन क्षमता क्या होगी, उसका क्या उपयोग लिया जा सकता है, क्या उसके आधार पर पावर प्लान्ट लगाना उचित होगा और उस प्लान्ट की कीमत क्या होगी। इन सारी बातों के बारे में ये एक्सपर्ट मिलकर तय करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। इस कमेटी में श्री नाथानी हैं, खनिज सलाहकार, राजस्थान इण्डस्ट्रियल और मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन, श्री ए० के० भार्गव हैं सरकार के उपक्रम विभाग में हैं, श्री सी. एम. जैन, माइनिंग इन्जीनियर, मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन, दिल्ली हैं, श्री मलहोत्रा हैं,

(श्री चन्दनमल बैद) :

श्री केदारनारायण, निदेशक, मिनरल एक्स-प्लोरेशन कारपोरेशन । ये कुल पांच आदमी हैं इसमें ।

श्री भीमसेन : इस बारे में तो रशियन एक्सपर्टों की रिपोर्ट आपके पास है । इसके अनुसार आप काम क्यों नहीं करते ?

श्री चन्दनमल बैद : पहले तो यह तय करना है कि जो आग उसमें लग गई है उसको खोलना सुरक्षा की दृष्टि से उचित होगा या नहीं।

श्री गोपाल जोशी : यह तो अलग प्रश्न है । आग की यह घटना पहली नहीं है । यह तो लगती रही है । इसमें निश्चित राय एक्सपर्टों की यह है कि इसके आधार पर 100 मेगावाट का प्लान्ट लग सकता है । आप इसमें जल्दी निर्णय पर अमल क्यों नहीं करना चाहते ? एक्सपर्टों की रिपोर्ट तो आपको मिल चुकी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रश्न हैं । मेरे प्रश्न का भी साथ ही उत्तर दे दीजियेगा ।

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी साथ ही जोड़ लिया जाय ।

श्री चन्दनमल बैद : पिछली बार भी प्रश्न आया था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order, sir.

श्री अध्यक्ष : No point of order in question hour.

श्री चन्दनमल बैद : थरमल प्लान्ट लगाने की योजना नहीं लागू की जा सकती । पर अब फ्यूल की कमी को देखते हुए हम सोच रहे हैं कि यह कमेटी जो काफी एक्सपर्ट की है अपनी राय दे कि कितना इसका उपयोग हो सकता है । कितना भण्डार है और किस तरह से उस चीज को काम में ले सकते हैं । इस पर हमने रिपोर्ट मांगी है । ज्योंहि यह रिपोर्ट आवेगी हम भारत सरकार के पास जावेंगे या अपने साधनों से इसे एक्सप्लोर कर सकें तो वैसा करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, सन् 1942 से 1952 तक यानि पूरी एक डिकेड तक उस समय की बीकानेर स्टेट ने इसे रन किया और पावर हाउस भी चलाया । तो क्या उस समय आग नहीं लगी इसमें ? आज ही लगी ? ऐसी बात नहीं है, आग लगना इसका परमानेन्ट रेगुलर फीचर है । 1942 से 1952 तक भी कई बार आग लग चुकी है । यह आपकी जानकारी में है कि नहीं ? दूसरा, कितनी रिपोर्ट्स इस माइन्स के सम्बन्ध में दी जा चुकी है ? तीसरा, क्या रशियन एक्सपर्ट की रिपोर्ट को आपके विभाग ने अध्ययन किया है और क्या वह रिपोर्ट सफिसियेन्ट नहीं है जो आपके विभाग को और कमेटी बनानी पड़ी और चौथा, इस प्रकार की कमेटी कब तक बनाते जायेंगे, फाईनल कब होगी ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरी याददास्त इतनी तेज नहीं है जितने प्रश्न पूछे गये हैं वह याद रख सकूं · · · ·

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : ब्रह्मबूटी खाइये ।

श्री चन्दन मल बैद : आप सप्लाई करेंगे तो वह भी करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस माइन्स में कई बार आग लग चुकी है और कई बार बन्द करना पड़ा

(श्री चन्दनमल बैद)

है । जो नये तरीके का इन्क्लेव बनाया है ओपन कास्ट माइनिंग का उसको वापिस खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। क्योंकि काफी पैसा खर्च किया है । इसलिये एक्सपर्ट की राय लेनी जरूरी है । हमारे जो माइनिंग के डाइरेक्टर हैं वह कहते हैं इस माइन को खोलने में खतरा है । एक मिस्टर जैन हैं जो यहां काम कर चुके हैं, अभी मिनरल कारपोरेशन में हैं, हमने उनकी भी राय जाननी चाही है । हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे खतरा बढ़ जाय । एक्सपर्ट की राय लें और राय लेकर काम करें । सारे प्रश्न का मकसद कोयले का उत्पादन करना है। जब तक खपत नहीं कर लें तब तक कोई महत्व नहीं रखता है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार को लिखा था कि यहां थर्मल प्लान्ट लगाया जाय ताकि कोयला उत्पादन कर सकें लेकिन भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को नहीं माना । कमी होने के कारण अब शायद मान लिया जाय, इसलिये हम चाहते हैं सारे प्रश्न पर फिर से विचार कर लें और फिर भारत सरकार के पास जायं और अपना प्रस्ताव रखें ।

श्री भीमसेन : ओपन कास्ट माईनिंग, थर्मल पावर स्टेशन को एन्क्लेव बेसिस पर रि-ओपन कर सकते हैं । मैं समझता हूं जो माइन्स हैं वह जहां तक ओवर कास्ट हैं, उसके बारे में थर्मल प्लान्ट को प्लानिंग कमीशन से 500 मेगावाट की स्वीकृति मिल चुकी है । मैं समझता हूं रशियन रिपोर्ट है वह काफी विस्तार से है । थर्मल पावर के लिये सारी रिपोर्ट को देखें तो· · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 1957 से इस सदन में कमिटमेंट है कि हम रि-ओपन कास्ट करेंगे, 1952 से ओपन कास्ट माईनिंग कहा गया है और उसके बाद लगातार यह कमिटमेंट किया है । रशियन एक्सपर्ट ने रि-ओपन कास्ट माईनिंग पर स्ट्रेस किया है और उन्होंने कहा हो सकती है और एक्सपेरिमेंट बैक डेट का मौजूद है । भरतपुर का लिग्नाइट इसी माइन्स से चलता रहा है । अब इस क्वेश्चन को डिफिट क्यों करना चाहते हैं ? राजस्थान के जितने भी खनिज के रिसोर्सेज हैं, वह सब राजस्थान के अन्दर हैं और राजस्थान हमें सोर्सेज नहीं दे रहा है । सारा देश इस बात के लिये ब्लेम दे रहा है । लिग्नाइट का मामला है, राक फास्फेट का मामला है, जिप्सम का मामला है और देश का सारा भविष्य इनसे जुड़ा हुआ है, जबकि एक्सपर्ट रिपोर्ट आ चुकी है । कमेटी पर यह मामला छोड़ते हैं ।

श्री गोपाल जोशी : रशियन एक्सपर्ट रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट है । इसलिये इस बात को टाला नहीं जा सकता है । ओपन कास्ट माइनिंग की जा सकती है और उससे जनरेशन किया जा सकता है ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट इस चीज को टालना नहीं चाहती है बल्कि गंभीरतापूर्वक देखना चाहती है । जिस समय रशियन रिपोर्ट आई थी उस समय उसका दृष्टिकोण डिफरेन्ट था । एक समय जिस प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं उस समय की सरकमस्टान्सेज कुछ और होती हैं । आज पावर क्राइसिस बढ़ गया है इसलिये इस समय की सरकमस्टान्सेज कुछ और हैं । हो सकता है उस समय बात नहीं थी । उस समय चार पैसा प्राइस आती थी । उस समय फ्यूअल सरप्लस था, कोल सरप्लस था, आज सारे सरकमस्टान्सेज चेन्ज हो गये हैं । गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स एक्सपर्ट नहीं होते हैं इसलिये

(श्री चन्दनमल बैद)
एक्सपर्ट की ग्रोपीनियन लेनी होगी । हम ग्राज के चेन्जड सरकमस्टान्सेज में करना चाहते हैं । हाइडल पावर के मुकाबले ग्रापका ग्रार० ए० पी० सी० एक जमाने में बहुत मंहगा पड़ता था मगर थर्मल के मुकाबले सस्ता पड़ता है । जैसे जैसे चीज है, वैसे वैसे देखना होगा ।

श्री ग्रध्यक्ष : Next श्री नन्दलाल ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11-3-74)

राज्य में अनधिकृत रूप से ले जाते हुये पकड़ा गया अनाज

103. **श्री नन्द लाल बैरवा** (पाटन) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में ग्रनाज का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद जो जोन राज्य सरकार ने जिले वाइज कायम किये थे उनमें से ग्रनधिकृत रूप से ले जाते हुये कितने ट्रक ग्रनाज के विभाग ने ग्रब तक पकड़े ग्रौर उनमें कितना कितना क्विन्टल क्या क्या ग्रनाज था ? इस सम्बन्ध में उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ग्रनाज का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद राजस्थान के बाहर भी ग्रनाज ले जाते हुये ट्रक पकड़े गये ? यदि हां, तो कितना कितना ग्रौर उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) ग्रब तक ग्रनाज के राष्ट्रीयकरण में पकड़े गये मामलों से कितनी ग्राय राज्य सरकार को हुई ? सूची जिलेवार व माहवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

खाद्य मंत्री (श्री शिव चरण माथुर) :

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट (ग्र) में ग्रंकित कर संलग्न है ।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट (ब) में ग्रंकित कर संलग्न है ।

(3) ग्राय की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रख दी गई है । माहवार एकत्र की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री नन्दलाल बैरवा : ग्रध्यक्ष महोदय, बूंदी · · · (ग्रवरोध) · · · भीलवाड़ा में 31 ट्रक पकड़े गये हैं । कुल राजस्थान में · · ·

श्री शिवचरण माथुर : जी ?

श्री नन्दलाल बैरवा : राजस्थान में कुल कितना क्विन्टल ग्रनाज ग्रब तक पकड़ा है ?

श्री शिवचरण माथुर : सारे जिलों की सूची दे दी है, ग्रलग ग्रलग जिलों की सूची है · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनके पास कौनसा कम्प्यूटर है ? हिसाब लगा दीजियेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : टोटल कितने पकड़े हैं, मालूम पड़ जाय · · ·

श्री शिव चरण माथुर : जी ?

श्री नन्दलाल : क्या क्या कार्यवाही की ।

श्री शिवचरण माथुर : तालिका में ग्रलग ग्रलग केसेज दिये हुये हैं । ग्रलग ग्रलग जिले की सूची दी हुई है · · · ·

श्री रघुनाथ विश्नोई : वैसे बता दीजीये ।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : प्रश्न सं० दो में पूछा गया है कितना कितना ग्रनाज बाहर जाता हुग्रा पकड़ा गया है । टोटल बता दीजिये राजस्थान से बाहर कितना जाता हुग्रा पकड़ा गया है · · ·

श्री शिवचरण माथुर : इन्होंने अलग अलग जिलेवाइज पूछा था। अगर आप एक मिनट दें तो मैं बता सकता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिलेवाइज जब्त किया है, उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : हजारों मन बाहर गया है।

श्री गोपाल जोशी : जो पकड़ा गया है वह बता दें।

श्री शिवचरण माथुर : बाड़मेर गेहूं 85 क्विन्टल, बाजरा 54 क्विन्टल कुल दो ट्रक। बूंदी:- गेहूं 1082 क्विन्टल, बाजरा 3 क्विन्टल, मक्का 163 क्विन्टल, ज्वार 563 क्विन्टल, जौ 125 क्विन्टल कुल 21 ट्रक। भरतपुर- गेहूं 85 क्विन्टल, चना 866 क्विन्टल कुल 9 ट्रक। भीलवाड़ा:- गेहूं 133 क्विन्टल, मक्का 1147 क्विन्टल, ज्वार 203 क्विन्टल, कुल 20 ट्रक। बीकानेर:- 368 क्विन्टल, 1 ट्रक। जोधपुर:- गेहूं 109, बाजरा 201 कुल 5 ट्रक। जालोर:-गेहूं 82 क्विन्टल कुल 2 ट्रक 6 ऊंट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर में ?

श्री शिवचरण माथुर : कुछ नहीं है, जानकारी के अनुसार।

नागौर में गेहूं 240 क्विन्टल कुल ट्रक 9, पाली में कुछ नहीं, सीकर में कुछ नहीं, सवाई-माधोपुर में कुछ नहीं, टोंक में कुछ नहीं, उदयपुर में गेहूं 71 क्विन्टल....

एक माननीय सदस्य : कोटा में ?

श्री शिवचरण माथुर : कोटा में कुछ नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय मंत्रीजी को जानकारी दिलाऊं। मैं नोटिस में लाया था 11 ट्रक बहरोड़ क्षेत्र से नारनोल चना ले जाते हुये पकड़े गये हैं। मेरे पास ट्रक नं० हैं, रिपोर्ट दर्ज हुई है। विजयगढ़ थाने में वे ट्रक कई दिन तक खड़े रहे हैं। उनको सीज किया जाना था लेकिन चूंकि प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्बन्ध था, बचकर भाग निकले। मुझे जानकारी मिली थी, आश्वासन दिया गया था।

तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन ट्रकों को पकड़ा गया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई यह बात सही है या गलत है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि ऐसे लोगों के हथकड़ियां लगाकर घुमायेंगे तो क्या ऐसे लोगों को फिर घुमाया या नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार अलवर में कोई नहीं पकड़ा गया। अगर आप जानकारी दे रहे हैं तो इस बारे में और जानकारी कर लूंगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : किसी को हथकड़ी डालकर घुमाया या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सदन में जानकारी दी गयी है। इस सदन में इस प्रश्न को रेज किया गया है। ट्रकों के नम्बर हैं, पार्टीज के नाम हैं और मैंने वार वार इस बात को यहां उठाया है। एक अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी है जो कि लगातार तस्करी कर रहे हैं। इसी तरह से कुन्दनलाल प्यारेलाल तस्करी कर रहे हैं उनको पकड़ा गया है। ट्रकों के नम्बर जो पकड़े गये उनका नम्बर इस तरह है: RJA 4019, RJA 3919,

Page No 18

(18)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

RJA 3901, RJA 4547, PNT 9693, RRL 5989, H RM 6187, RSL 8442, RRL 3387, RJA 4038 और RRL 7595। यह 11 ट्रक जो कि बकायदा पकड़े गये हैं इनके मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनके साथ एक जीप थी और दो एम्बेसेडर कारें थीं और क्योंकि यह प्रभावशाली लोग हैं इसलिए उनके मामलों को रफा दफा कर दिया गया है। मुझे सन्देह था अध्यक्ष महोदय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: चावल पकड़े गये। एक टैक्सेशन कमिश्नर हैं उन्होंने पकड़े थे, उनका क्या हुआ ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बारबार कहा जाता है कि नाम बताये जायें। जब हमने अलवर में पब्लिक मीटिंग में और दूसरी मीटिंग में जहां भी मिले इस विधान सभा में यह प्रश्न उठाया। इन पार्टीज के नाम दिये, ट्रकों के नम्बर दिये और उसके बाद आप कह रहे हैं कि पकड़े ही नहीं गये, पकड़े गये हैं। आपने इन्क्वायरी किस तरह से की है यह बात अलग है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पकड़े गये हैं। इनको क्यों छोड़ दिया गया है यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : सूचना के आधार पर आप जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री शिवचरण माथुर : आप बता रहे यह कौन से समय के हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले साल के।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री बदल गये।

श्री शिवचरण माथुर : मंत्री बदल गए लेकिन सरकार नहीं बदली है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपके पास जो भी फैक्ट्स हैं वह दे दें। मैं अभी ही इमीडियेटली इसकी इन्क्वायरी करा कर जो भी प्रापर एक्शन होगा लूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बूंदी से भीलवाड़ा के बीच की सीमा पर चैकपोस्ट है, दिसम्बर में 60 क्वि० गेहूं ले जाते हुए एक ट्रक पकड़ा गया क्या यह भी सही है ?

श्री रामगोपाल : कोटा के बारे में भी आपने कहा "जी नहीं"। मैं सूचना देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जाते हुए एक ट्रक पकड़ा गया है और चार दिन तक ट्रक को पकड़े रहे और लाइसेन्स उसका कैंसिल किया गया है और उसकी आप को जानकारी नहीं है और कोटा के बारे में आपने अपने जवाब में 'जी नहीं' कहा है।

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक इस प्रकार के केसेज का सवाल है वहां एक्शन हुआ है और यहां पर उसका रिप्लाई के समय इनकारपोरेट नहीं किया है। हो सकता है कलेक्टर्स ने सूचना नहीं दी हो। दो प्रकार के केसेज हो सकते हैं। एक तो एक्शन लिये गये और यहां इत्तला सही नहीं आई है—उसको सही किया जा सकता है। लेकिन दूसरे ऐसे केसेज जो पकड़े गये और उनको ऊपर ही ऊपर रफा दफा कर दिया गया। इसमें और उसमें फर्क है। इसलिए जो अलवर में जैसा बताया गया, मैं यही निवेदन करूंगा कि आप उसकी डिटेल दें। उसको हम निश्चित रूप से परस्यू करेंगे और एक्शन लेंगे। भीलवाड़ा के बारे में जैसा माननीय सदस्य ने कहा है वह इसमें आ चुका है, ऐसा माननीय मंत्री

Page No 19

(१९)

(श्री हरिदेव जोशी)

महोदय कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की किसी की भी जानकारी में इस प्रकार के केसेज हैं जिनको पुलिस ने या चैक पोस्ट पर पकड़ा गया है और जिनको इसमें नहीं लिया गया है या ऊपर ही ऊपर रफा दफा कर दिया गया है, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट उसमें गहराई में जायेगी और हम पकड़ने की कोशिश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-74)

राज्य में आयरन व स्टील का कोटा

139. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य को आयरन एण्ड स्टील का कितने प्रकार का कोटा प्राप्त होता है और 1973-74 में विभिन्न प्रकार का कितना कोटा प्राप्त हुआ ?

(2) क्या उपरोक्त स्टील का साधारण उपभोक्ता एवं किसान को मिलने का कहीं प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उद्योगपति जिन्हें उपरोक्त आयरन एण्ड स्टील आवंटित किया जाता है अपनी स्वेच्छानुसार भाव पर निर्मित वस्तु बेच सकते हैं ?

नागरिक रसद मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) राज्य को निम्न आयरन एण्ड स्टील का कोटा प्राप्त होता है :—

1. स्टेनलैस स्टील

2. री-रोलिंग मेटेरियल

3. फोरजिंग मेटेरियल

4. एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट, उद्योग व अन्य उद्योगों के काम आने वाला लोहे का कच्चा माल । 1973-74 में प्राप्त कोटे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं, उद्योग विभाग के द्वारा उन लघु उद्योगों को ही स्टील दिया जाता है जो उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं ।

(3) जी हां ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी गई है उसमें सिर्फ उद्योग विभाग को ही लोहे का कोटा मिलता है क्या यह सही है कि और भी कोई माल आता है ।

श्री शिवचरण माथुर : उद्योग विभाग ने जो सूची भेजी है उसके अनुसार 1-4-73 से 26-2-74 तक 9658.1 मैट्रिक टन लोहा यहां प्राप्त हुआ । दरअसल में कुल मिला कर ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी की तरफ से जो कुल उत्पादन देश में होता है उसका 9 परसेन्ट छोटे उद्योगों के लिये यह कमेटी तय करती है और उस 9 परसेन्ट का 2॥ परसेन्ट राजस्थान को मिला जिसकी मात्रा मैंने आपसे निवेदन की । इस कोटे पर स्टेट का कोई कन्ट्रोल नहीं है और रेट्स पर ही है । जो भी मात्रा उद्योग विभाग ने दी है वह मैंने बता दी है ।

श्री अमृतलाल गहलोत : क्या इस ग्राम कोटे में से किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है ?

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं ।

जो एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स बनाने के लिए लाइसेन्स दिये जाते हैं उनको ही, उनके आवेदन के अनुसार, ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी तय करती है और छोटे उद्योगों को डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज करता है । जो उद्योग एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स के लिए पंजीकृत होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह इम्पलीमेन्ट्स बना रहे हैं ।

श्री अमृतलाल गहलोत : अगर किसान अपना कोई छप्पर बनाना चाहता है तो फिर वह कहां से खरीदे ?

एक माननीय सदस्य : ब्लेक से खरीदे ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना जो आई है कि किस प्रकार से वितरित करते हैं । छोटे उद्योगों को ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी, जिसका हैड आफिस कलकत्ता में है, वह जितना भी उत्पादन स्टील का होता है देश में उसका 9 परसेन्ट छोटे उद्योगों के लिए अलग अलग सिफारिशों पर स्टेट को देती है और उसमें से 9 परसेन्ट का ढाई परसेन्ट हमें मिला और उसमें मैंने यह भी जानकारी दी कि जो कोटा दिया जाता है वह किन किन को दिया जाता है । उद्योग विभाग ने बताया कि एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स बनाने वाली छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज को भी देते हैं । यह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के जरिये वितरित किया जाता है और मैं मानता हूं कि किसानों की आवश्यकता के अनुसार अगर चद्दरों का सवाल है तो वह दिया जाता है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप नियंत्रित मूल्य पर कोटा देते हैं तो नियंत्रित मूल्य पर उनका बनाया हुआ सामान क्यों नहीं बिकवाते ?

श्री शिवचरण माथुर : मूल्यों पर स्टेट गवर्नमेन्ट का नियंत्रण नहीं है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जब नियंत्रित मूल्य पर कोटा दिया जाता है तो फिर नियंत्रित मूल्य पर वापिस बिकवाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते ? आप 1500 रुपये में देते हैं उससे जो चीज मेनुफेक्चर होती है तो उसको नियंत्रित मूल्य पर क्यों नहीं बिकवाते ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो भी लोहा आता है उसको ब्लैक में बेच कर कमाई करते हैं और कुछ नहीं करते ।

श्री अमृतलाल गहलोत : इस देश में साठ करोड़ की आबादी है और इस प्रान्त की आबादी ढाई करोड़ है और जितना लोहा देश में पैदा होता है उसके हिसाब से दस हजार टन ही क्यों मिलता है, दो लाख टन मिलना चाहिए । राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर दबाव डाले कि आबादी के अनुपात से लोहा इस प्रान्त को मिलना चाहिए ।

श्री शिवचरण माथुर : यह बात सही है कि जो लोहा हमें मिलता है वह कम मिलता है । लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि कोई कण्ट्रोल नहीं है ....

श्री श्रीराम गोटेवाला कण्ट्रोल का सवाल नहीं है .....

श्री शिवचरण माथुर : आप सुनिए । जितना भी देश में लोहा पैदा होता है उसमें से इन्सेंटिव के तौर पर कुल मिला कर नौ

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रतिशत लोहे का आवंटन सेंटर से होता है और इसको स्टील जोइन्ट प्लाण्ट कमेटी बांटती है। यह ठीक बात है कि हमें कम मात्रा में आवंटन होता है जिससे राज्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है लेकिन वह आवश्यकता की पूर्ति बाहर से मिलने वाले लोहे से, आम तौर पर जो नब्बे प्रतिशत है, उसमें से की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(कई मा० सदस्य एक साथ बोलने लगे – अश्रव्य)

श्री शिवचरण माथुर : छोटी मात्रा में····

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट – 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले में शीत लहर से फसलों को क्षति

568. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को जानकारी है कि अलवर जिले में शीत लहर से इस साल खड़ी फसल को बहुत नुकसान हुआ ? यदि हां, तो किस किस तहसील में किस किस पैदावार को कितना कितना नुकसान हुआ है और सरकार जनता को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां। क्षति का सही अनुमान गिरदावरी के समाप्त होने पर ज्ञात हो सकेगा तथा फसल में आठ आने से अधिक नुकसान होने पर सहायता विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान विनिर्दिष्ट खाद्यान्न आदेश, 1972

570. **श्री मनोहर लाल गुप्ता** (कामां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान विनिर्दिष्ट खाद्यान्न (स्टाक की बिक्री एवं संचालन पर नियंत्रण) आदेश 1972 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा अब तक किस किस प्रकार के आदेश, अधिसूचनायें कब कब प्रसारित किये गये ? कृपया प्रत्येक आदेश एवं अधिसूचना के प्रसारित करने का कारण बताते हुए तालिका सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

वांछित आदेशों की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट–1 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नोखा तहसील में क्रेश प्रोग्राम

398. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नोखा तहसील बीकानेर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ विद्यालयों में कार्य हुआ है ? यदि हां, तो उसका चुकारा किस कार्यालय में हुआ ? यदि चुकारा न हुआ है तो कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

(2) क्या यह सही है कि क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाये गये कार्यों में कुछ

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

विद्यालयों के कार्य का चुकारा न होने के कारण काम अधूरा रह गया है ? यदि हां, तो क्या उन अधूरे कार्यों को राज्य सरकार पूरा कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । उन कार्यों का हिसाब प्राप्त न होने के कारण चुकारा अभी तक नहीं हुआ है । हिसाब प्राप्त किया जा रहा है । प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जावेगा ।

(2) क्रेस प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाये गये कार्यों में पांच विद्यालयों में कार्य चुकारा न होने के कारण अधूरे रह गये हैं, जिन्हें पूर्ण करवाये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

बून्दी जिले में अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

399. **श्री नन्द लाल बैरवा** (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले की कौन–कौन सी तहसीलों में 1969 से 1973 तक कितनी भूमि आवन्टित की गई है ? इसमें कितनी भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवन्टित की गई ? गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि जिन भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवन्टित की गई उन्हें मौके पर कब्जा दे दिया गया ? यदि हां, तो कहां–कहां और क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

गंगानगर जिले में सीलिंग कानून के तहत आई भूमि

400. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले में पुराने सीलिंग कानून के तहत कितनी भूमि आने की संभावना थी तथा कितनी भूमि वास्तव में आई ?

(2) गंगानगर जिले की विभिन्न तहसीलों में कितने नोटिस पुराने सीलिंग कानून के तहत दिये गये, कितनों के केसेज चले कितनों के केसेज तय हो गये और कितनों के केसेज तय नहीं हुए तथा कितनी भूमि सीलिंग में आई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें । उपरोक्त सीलिंग के केसेज किस किस अधिकारी ने कितने कितने कहां कहां तय किये ? अधिकारियों के नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) सीलिंग के नये कानून के तहत गंगानगर जिले की कितनी भूमि आने की संभावना है ? कृपया तहसीलवार आंकडे दें । इस सम्बन्ध में कुल कितने नये नोटिस जारी किये गये हैं ? पुराने कितने केसेज तय किये गये हैं तथा नये कितने केसेज बनाये गये हैं और कितनी भूमि नये कानून के अन्तर्गत आई है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

Page No 23

(23)

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) पुराने सीलिंग कानून के तहत गंगानगर जिले में 2,88,152 एकड़ भूमि अधिग्रहण होने की सम्भावना थी। परन्तु 14,523.98 एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

(2) गंगानगर जिले की विभिन्न तहसीलों में पुराने सीलिंग कानून के तहत 12,319 खातेदारों को नोटिस दिये गये, कुल 13,089 केसेज चले जिनमें 12,369 केसेज तय हुए निर्णीत केसेज में 14,523.98 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये।

तहसीलवार सूची संलग्न परिशिष्ट (क) में अंकित है।

(3) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गंगानगर जिले में 1,08,997 एकड़ भूमि अधिग्रहण होने की सम्भावना है। तहसीलवार आंकड़े संलग्न परिशिष्ट (ख) में अंकित हैं।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत कुल 7133 खातेदारों को नोटिस दिये गये। पुराने सीलिंग कानून के तहत विचाराधीन कोई मामला उक्त नये कानून के तहत तय नहीं किया गया है। नये 8687 केसेज बने हैं परन्तु अभी तक कोई भूमि अधिग्रहण करने के आदेश नहीं दिये गये हैं। तहसीलवार सूची संलग्न परिशिष्ट (ख) में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान में सीलिंग कानून के तहत आई भूमि

401. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पुराने सीलिंग कानून के तहत कितनी भूमि आने की संभावना थी तथा वास्तव में कितनी भूमि आई, कुल कितने केसेज चलाये गये और कितने तय कर कितनी कितनी भूमि निकाली गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नये सीलिंग कानून के तहत राजस्थान में कितनी कितनी भूमि आई तथा कितने पुराने चल रहे केसेज नये कानून के तहत तय कर दिये गये हैं तथा उससे कितनी भूमि मुक्त हुई है? तथा कितने नये नोटिस जारी किये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

राजस्थान में जेल सुधार कार्यक्रम

402. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में जेल की कितनी श्रेणियां हैं ?

(2) राजस्थान राज्य के निर्माण से लेकर अब तक क्या क्या जेल सुधार किये गये ? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार के विचाराधीन कोई जेल सुधार का कार्यक्रम है ? यदि हां,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

तो उसकी रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में निम्नलिखित श्रेणियों की कारागृह हैं :—

1. केन्द्रीय कारागृह
2. जिला कारागृह 'ए' श्रेणी
3. जिला कारागृह, 'बी' श्रेणी
4. जिला कारागृह, 'सी' श्रेणी
5. विशेष श्रेणी उप कारागृह
6. उप कारागृह

(2) सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(3) राज्य सरकार ने जेल सुधार के सम्बन्ध में हुई प्रगति का अध्ययन कर जेल प्रशासन एवं बन्दी कल्याण कार्यक्रम में सुधार के लिये सुझाव के लिये एक अध्ययन समिति की नियुक्ति की है जो शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करने वाली है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

पंचायत समिति नोखा की प्रशासन एवं वित्त कर स्थायी समिति का कार्य

403. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की पंचायत समिति, नोखा की प्रशासन वित्त कर स्थायी समिति का कार्य काल समाप्त होने के बाद भी भंग नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इस स्थायी समिति ने किस तारीख से कार्य करना शुरू किया और कब इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था ? इसे भंग नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्थायी समिति के अवैधानिक अस्तित्व के संबंध में जिलाधीश, बीकानेर एवं राज्य सरकार के समक्ष समय समय पर एतराज भी प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर की पंचायत समिति, नोखा की प्रशासन एवं वित्त स्थाई समिति का कार्यकाल समाप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1959 की धारा 20 उप धारा 10 के तहत स्थाई-समितियों के कार्यकाल की अवधि उतनी ही होती है जितनी पंचायत समिति के कार्यकाल की अवधि है ।

(2) श्री रिक्ता राम एवं अन्य 13 व्यक्तियों द्वारा उक्त स्थाई समिति की दिनांक 18-4-70 से 26-3-71 की अवधि में बुलाई गई बैठकों में की गई कार्यवाहियों एवं निर्णय के विरुद्ध स्थाई समिति के गठन एवं अधिकारों को चुनौती देते हुए पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 85 के तहत चार निगरानियां प्रस्तुत की गयीं जो अस्वीकृत की जा चुकी हैं । इन आदेशों के विरुद्ध इन व्यक्तियों द्वारा अब राज्य सरकार को नजरसानी पेश की हुई है, जो विचाराधीन है ।

हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटियों का रजिस्ट्रेशन

404. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितनी हाऊसिंग को-आपरेटिव सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन किया गया ? और कितनी सोसाइटियों को हाउसिंग लोन दिया गया ? सोसाइटियों के नाम व धनराशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि हाउसिंग सोसाइटी अधिकतर अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों ने बनाई हैं ? यदि हां, तो कितनी ? नाम व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में 1138 गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया है । 117 भवन निर्माण सहकारी समितियों को ऋण दिया गया समितियों के नाम व उनको दी गई धनराशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । 754 सहकारी समितियां हैं । जिलेवार समितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 15-3-74)

पुराने फाइनल बिल्स के भुगतान हेतु पड़ी हुई बकाया राशि

177. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) ; क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में ठेकेदारों के ठेके के काम समाप्त होने के दिन के पश्चात् एक वर्ष से अधिक पुराने फाइनल कितने बिल्स अब तक भुगतान करने बकाया हैं ? पूर्ण सूची मय ठेकेदार व काम के नाम, काम समाप्त होने का दिनांक और बकाया धनराशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ?

(2) उपरोक्त कामों की कितनी सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि जमा पड़ी है जो काम समाप्त होने के छः माह बाद भुगतान की जा सकती है परन्तु फाइनल बिल पेमेन्ट न होने के कारण, अब तक भुगतान नहीं की गई ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या कारण है कि ठेकेदारों को अभी तक उपरोक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया और उसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-74)

बाली तहसील में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल को हानि

220. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाली तहसील में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल इस वर्ष नष्ट हो गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि बाली तहसील में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा खरीफ की फसल की गिरदावरी में सम्पूर्ण खराबा इन्दराज किया गया है ?

(श्री सज्जनसिंह)

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष वाली तहसील में किसानों को लेवी वसूली के नोटिस दिये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि बाढ़ में फसल नष्ट होने के कारण किसानों के पास मोटा अनाज उपलब्ध नहीं होने पर भी उनसे बाजार भाव और लेवी की देय रकम का अन्तर रोकड़ पैसों में वसूल किया जा रहा है ? और मोटे अनाज बाजार से खरीद कर लेवी की वसूली बताई जा रही है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनाक 19-3-74)

ऋणों को वसूली

235. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचोर के बीज ऋण एवं अन्य ऋणों की वसूली का मतालबा बनाकर तहसील में पटवारियों द्वारा वसूली के लिये भेजा गया है ? अगर हां, तो कब व कितनी रकम का तथा वसूली कितने वर्षों की है?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मतालबे के अनुसार व मुकाबले मूल ऋण ब्याज की रकम ज्यादा है ? अगर हां, तो कितनी व क्यों, अगर नहीं, तो कितनी कम है ? मूल ऋण रकम एवं व्याज साधारण व दण्डनीय व्याज रकम का ग्राम पंचायतवार नक्शा पिछले सालों की वसूली आदि का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पंचायत समिति के वसूली हेतु मतालबे के अनुसार ब्याज सहित किस्तों के मांग-पत्र मतालबा तहसील में भेजने के पूर्व काश्तकारों को नहीं दिये गये थे ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो मांग-पत्र देने की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(4) ऋण वसूली में दण्डनीय व्याज वसूली करने के क्या क्या आधार हैं ? क्या इन आधारों के अनुसार ही उपरोक्त ऋणों की वसूली में दण्डनीय ब्याज वसूल किया जा रहा है ?

(5) क्या यह सत्य है कि अकाल वर्षों की वजह से उक्त पंचायत समिति के ऋणों की वसूली राज्य सरकार द्वारा स्थगित की गई थी ? अगर हां, तो कब कब एवं कितने सालों की ? क्या स्थगित ऋण वसूलियों के समय का भी ब्याज काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो स्थगित वसूली की अवधि का कितना व्याज कम किया गया है ?

(6) क्या यह सत्य है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा पुराने ऋण की वसूली के लिये ज्यादा से ज्यादा दो किस्तों में वसूली मय व्याज के काश्तकारों से करने के आदेश प्रसारित किये थे ? अगर हां तो, कब ? क्या राज्य सरकार वर्तमान बकाया वसूली के लिये भी यही नीति रखना चाहेगी ? अगर हां, तो क्या इस बारे में आदेश प्रसारित कर दिये गए हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-74)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, गोवटी

236. **श्री गोरधन सिंह** (सीकर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री गोरधन सिंह)
करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ़ (सीकर) की ग्राम सेवा सहकारी समिति में कई फर्जी सदस्य हैं। अगर हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति में 50 हजार रुपये के गबन की शिकायत गोवटी पंचायत के सरपंच ने की थी ? अगर हां, तो क्या उक्त समिति की जांच की गई है ? अगर हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) गृह निर्माण सहकारी समिति राजस्थान द्वारा तहसील दांतारामगढ़ के किन किन ग्रामों में हरिजन बन्धुओं को लोन व अनुदान कब कब किस किस को दिया गया है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति दूदवा तहसील दांतारामगढ़ के खिलाफ अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? अगर हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, कांकरा के खिलाफ चुनाव नहीं करवाने की शिकायत सहायक रजिस्ट्रार सीकर के पास हुई थी ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति के अध्यक्ष की मौत हो चुकी है या गायब है ? अगर हां, तो आज तक उक्त सहकारी समिति का कार्य कौन कर रहा है तथा किस नियम के तहत ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। अवैध सदस्यों को सदस्यता से पृथक करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं

(2) जी हां। इस संबंध में जांच जारी है।

(3) दांतारामगढ़ तहसील की मढा मदनी एवं पलसाना ग्राम की गृह निर्माण सहकारी समितियों के हरिजन बन्धुओं को क्रमशः 8800 एवं 20400 का ऋण गृह निर्माण सहकारी समिति राजस्थान द्वारा दिया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। जांच की जा रही है।

(5) जी हां। जांच के पश्चात् अवैध प्रबन्धकारिणी को भंग करने की कार्यवाही चालू की जा चुकी है।

(6) जी हां। भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सुजान सिंह का देहान्त हो चुका है। वर्तमान में श्री रोड सिंह समिति के अध्यक्ष का कार्य कर रहे हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम संख्या 34(3) के अन्तर्गत 7-1-73 को हुई।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री मोहम्मद गफ्फार अली, केसरी मल, गिरधारी लाल भार्गव, गुमान

(श्री अध्यक्ष)

मल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, निरंजन नाथ आचार्य, रामकिशन, केदार नाथ और मीठालाल सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में विगत 24 घन्टों में जहरीली शराब पीने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु के विषय में।

(2) श्री गुमान मल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजगढ़ पंचायत समिति के प्रधान द्वारा गत 10 दिनों से की जा रही भूख हड़ताल के विषय में।

(3) सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, केशरी मल, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर के भूतपूर्व महाराजा श्री तेजसिंह के पुत्र प्रतापसिंह द्वारा अलवर कलेक्ट्रेट पर जबरन कब्जा करने के प्रयत्न के विषय में।

(4) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानु कुमार शास्त्री, अजीत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर में गत 24 मार्च को जनसंघ द्वारा रेलवे किराया वृद्धि विरोधी आन्दोलन के समय पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के विषय में।

(5) श्री केशरी मल, सदस्य विधान सभा की ओर से ब्यावर के चार हजार ऊनी मजदूरों द्वारा 28 मार्च से की गई हड़ताल के विषय में।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(6) सर्व श्री गुमान मल लोढ़ा, भानु कुमार शास्त्री, रामकिशन, केदारनाथ, रामानन्द अग्रवाल, केशरी मल और मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से गेहूं के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण की नीति में परिवर्तन करने तथा गेहूं के भाव 125 रुपये प्रति क्विन्टल करने की घोषणा के विषय में स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य आज विनियोग विधेयक पर हो रही चर्चा के समय इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

(7) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा की ओर से हरिजन कार्यकर्ता मामराज के घर में घुस कर पुलिस द्वारा उसकी पुत्र वधु के साथ बलात्कार करने के विषय में। इस प्रश्न पर सदन में चर्चा हो चुकी है और प्रस्ताव से घटना की तिथि का पता नहीं चलता।

(8) श्री गुमानमल लोढ़ा और श्री भानु कुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान रेल्वे मैन यूनियन के नेता श्री जय प्रकाश नारायण गुप्ता का शव उत्तर प्रदेश में पाया जाने के विषय में।

(9) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानु कुमार शास्त्री और अजीत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर में ऐयर लाइन्स का आना बन्द हो जाने के विषय में।

ये दोनों प्रस्ताव राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं।

(10) सर्व श्री गुरु दयाल सिंह संधु, योगेन्द्र नाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगनहर में 1 अप्रेल, 1974 से पानी बन्द होने के विषय में। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और चर्चा भी हो चुकी है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में पिछले 24 घण्टों में इस जयपुर शहर में जहरीली शराब पीने के कारण आठ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। माननीय अध्यक्षजी, रेगरों की कोठी पर पिछले तीन माह से शराब बन्दी का आन्दोलन चलाया जा रहा है, और इस सदन के कई माननीय सदस्य वहां पर उस सारे चलते हुए आन्दोलन को देखकर आये हैं। सदन में भी कई बार इस सम्बन्ध में विचार रखे गये हैं पर यह दुखद घटना इस प्रकार से घटी, किन कारणों से घटी, इस सारी बातों पर आज सदन में प्रकाश डालना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मेरा निवेदन है कि आठ व्यक्ति मर गये हैं...

श्री अध्यक्ष : आप एडजोर्नमेंट मोशन के दायरे में ही फरमायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वही निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन कर रहा हूं वहां आठ व्यक्ति मर गये हैं और एक व्यक्ति अन्धा हो गया और अन्धा व्यक्ति जो है उसका उपचार भी भली प्रकार से नहीं हुआ। जब वह हॉस्पिटल में गया तो उसकी आंख में आई ड्रोप डाल कर कह दिया कि घर ले जाओ, प्रातःकाल देखेंगे। इस प्रकार के उपचार की व्यवस्था आपके हॉस्पिटल की है। आज भी, इस समय भी, हॉस्पिटल में कई व्यक्ति बैठे हैं, किसी के ग्लूकोज चढ रहा है, किसी के कुछ हो रहा है लेकिन उनकी भी भली प्रकार से उपचार की व्यवस्था नहीं है। इन मृत व्यक्तियों में इस नगर परिषद् के, जो नगर परिषद् बरखास्त हुई है, उसके एक माननीय भूतपूर्व पार्षद श्री नरेन्द्रकुमारजी मौर्य हैं जिनकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। उनके परिवार वालों को लाश अभी तक नहीं दी गई है। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार का ध्यान इस ओर बार बार दिलाने के बावजूद कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आबकारी अधिकारी श्री मुन्नालालजी आर्य हैं उनकी जानकारी में होते हुए कि वहां हीरालालजी खटीक, जो कि रेगरों की बस्ती में नाजायज शराब का धन्धा चला रहे हैं, और भी नाजायज शराब की दुकानें चल रही हैं, उनकी यह जानकारी में होते हुए भी इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार श्री मुन्नालालजी आर्य ने किया है। यह उनका कार्य प्रशंसनीय नहीं है बल्कि उनका कार्यकलाप क्षम्य नहीं है। सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उनको किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इसके साथ साथ कल जब यह दुर्घटना हुई तो वहां पर कोई भी आबकारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मुझे सूचना मिली तो मैं वहां मौके पर गया, पुलिस के एस० पी० मौके पर थे, कलेक्टर मौजूद थे, श्री बृजमोहनजी थानेदार मौजूद थे, रामगंज थाने के थानेदार भार्गव साहब मौजूद थे लेकिन आबकारी अधिकारी या उस विभाग के कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचे। रात्रि को 2 बजे तक नहीं आए। यह जानकारी मिली कि आबकारी अधीकारी तो किसी पार्टी विशेष में घूमने के लिए गए हुए हैं, पता नहीं कब आयेंगे।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि इस प्रकार से नाजायज शराब वहां बिक रही है। दो प्रकार की शराब बिकती है, एक नाजायज शराब और दूसरी सरकारी शराब। सरकारी शराब से तो आय होती है लेकिन नाजायज शराब से न तो गारन्टी की मनी मिलती है, न सेल्स टेक्स सरकार को मिलता है और न एक्साइज ड्यूटी मिलती है। नाजायज शराब जो जयपुर शहर में बिकती है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर अधिकारियों के सामने, आबकारी अधिकारियों की मिली भगत के आधार पर बिकती है और इस प्रकार राज्य सरकार को जो बहुत बड़ी आर्थिक रेवेन्यू मिलनी चाहिये वह रेवेन्यू भी नहीं मिल पाती है। मैं निवेदन करूंगा यहां पर कि आज······

श्री अध्यक्ष: थोड़े में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: थोड़े में ही अर्ज कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। एक खबर अखबारों में छपी है कि पुरानी बस्ती में छापा मारा गया और नाजायज शराब पकड़ी है। यह एक साथ खबर प्रकाशित हुई है। इससे यह तो स्पष्ट है कि जयपुर शहर में नाजायज शराब बहुत बड़ी तादाद में बनती है और बिकती है। केवल वाहवाही लूटने के लिए, कल जबकि एक जगह आठ दस व्यक्ति मर गए, एक व्यक्ति अन्धा हो गया, बाकी लोग हॉस्पीटल में गंभीर हालत में पड़े हुए हैं, उसके बाद अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए पुरानी बस्ती में जाकर इस प्रकार की एक नाजायज शराब की दुकान पर छापा मारा गया और छापा मारने की जो बात छपी है वह और कुछ नहीं बल्कि अपने कारनामों को छुपा कर वाहवाही लूटने के लिए है। मेरा निवेदन है कि यह आबकारी अधिकारियों ने जयपुर शहर की जो नाजायज भट्ठियां हैं और उनकी शराब जो नाजायज तौर पर होटलों और दूसरी दुकानों पर बिकती हैं उनसे लोगों का ध्यान डाईवर्ट करने के लिए उन्होंने यह हालत पैदा की है। मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर में जो डी-नेचर्ड स्प्रिट का होलसेल······

श्री अध्यक्ष: यह डिस्कशन का विषय नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: वही मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरा निवेदन है, अध्यक्षजी, कि यह स्प्रिट का मामला है और डी-नेचर्ड स्प्रिट का लाइसेंस का, होल सेल लाइसेंस भी एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जयपुर शहर के लिए, जिसके पास सरकारी शराब की दुकान का ठेका है। वह लालकोठी में भीगीराम नाम का व्यक्ति है। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार भीगीराम नामक व्यक्ति, जिसके यहां पर डी-नेचर्ड स्प्रिट की शराब बनती है, उसके स्टाक को अभी जाकर चैक करे, पुलिस जाकर रेड मार कर उसके स्टाक को पकड़े, आबकारी अधिकारी वहां पर जाकर उसके स्टाक को चैक करे।······

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मैं आधा मिनिट में समाप्त करता हूं, अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार से जो शराब के ठेके दिए जा रहे हैं जयपुर शहर में, उनकी जिस प्रकार से नीलामी हुई है, मैं समझता हूं कि उनको माननीय मंत्रीजी की कृपा से या अन्य मंत्रियों की कृपा से इस प्रकार स्प्रिट

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

बनाने का ठेका दिया है, उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी इसमें है। जयपुर शहर में यह घोटाला चल रहा है और वह शराब का ठेका नीलाम कर दिया। उस ठेके को नीलाम कर दिया। एक और ठेका दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कृपा पात्र व्यक्तियों को, इस प्रकार के व्यक्तियों को जैसा कि लालकोठी का उदाहरण आपके सामने है। उसका उसमें निश्चित रूप से हाथ है। मुन्नालाल आर्य आराम से बैठे हैं जयपुर में। उनका ट्रान्सफर नहीं किया जाता है और दूसरी ओर शिक्षकों का ट्रान्सफर आप कर देते हैं। इनकी जमीन जायदाद महापुरा में है। इसकी जांच की जाये ••

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री दिनेशराय डांगी : On a point of order, Sir.

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : श्री मुन्नालाल आर्य की सम्पत्ति की जांच की जाये ••

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलें। डिफेमेटरी स्टेटमेन्ट देने का प्रावधान नहीं है। आप इस विषय से सम्बन्धित हो वही बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो लोग मरे हैं, उनका चित्र मेरी आंखों के सामने है। ऐसे व्यक्ति को तुरन्त हटाया जाये और उनकी सम्पत्ति की जांच की जानी चाहिये। जिस प्रकार लालबहादुर शास्त्री ने रेलवे की एक दुखद घटना पर त्यागपत्र दे दिया था वैसे ही राजस्थान के आबकारी मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिये। उनके संरक्षण के कारण इस प्रकार की घटना हुई है। उनकी नाक के नीचे यह घटना हुई है इसलिए त्यागपत्र देकर इस सदन में एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : On a point of order, Sir. अध्यक्ष महोदय, जहरीली शराब पीने के कारण ये जो 8 व्यक्ति मरे हैं। ये उस समय मरे हैं जबकि राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ है। उस समय ये 8 आदमी मरे अवैध शराब से और राज्य सरकार के एक विभाग की अकर्मण्यता से तो माननीय अध्यक्ष आपने जो यह व्यवस्था दी है कि जानकारी दी जावे, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस पक्ष की ओर से कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं आता तब भी चूंकि विधान सभा का सेशन चल रहा है इसलिए राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि राजस्थान विधान सभा की नाक की साया के नीचे, इस केपिटल के अन्दर और सचिवालय की साया के नीचे 8/9 आदमी मरे हैं, बाकी रुग्ण होकर अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसी विकृत स्थिति के अन्दर सारा राजस्थान सन्तप्त है तो बिना स्थगन प्रस्ताव की प्रतीक्षा किये राज्य सरकार को सदन को विश्वास में लेना चाहिये और स्टेटमेन्ट ही नहीं सारी स्थिति पर पूरी व्याख्या विस्तृत रूप से की जानी चाहिये और जिस विभाग ने, जिन अधिकारियों ने अकर्मण्यता दिखाई है, इसके सन्दर्भ में तत्काल उनको सस्पेन्ड करें और सारी स्थिति का स्पष्टीकरण राज्य सरकार की ओर से किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य मौन रहना चाहें इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में उस पर भी राज्य सरकार क्या मौन रह सकेगी? इस सारे

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रश्न पर व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है ताकि राजस्थान की जनता इस विकृति के सम्बन्ध में जानकारी ले सके।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैंने भी कल एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था और यह एक गंभीर सवाल है। मेरे क्षेत्र के 7/8 परिवार आज शोक के अन्दर डूबे हुए हैं। मैं यह समझता हूं कि अपने कारनामों को देखने के लिए आबकारी मंत्री जी वहां पर तशरीफ ले जाएं और वे इस काण्ड को देख कर आवें। उनको डर हो कि उनके खिलाफ वहां पर लोगों में जोश हो, इसलिए वे नहीं जाएंगे। मैं उन अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेवार नहीं मानता वे तो जिम्मेवार वैसे ही हैं, परन्तु मंत्रिमंडल के मंत्री की जिम्मेदारी मैं इसमें अधिक मानता हूं। ऐसी गतिविधियां शहर में होती हैं। अवैध दुकानें शहर में खुलेआम चलती हैं। इसकी इत्तिला देते हैं, होटल की इत्तिला देते हैं परन्तु पुलिस इस ओर निष्क्रिय है और आबकारी डिपार्टमेन्ट भी निष्क्रिय है। सब से बड़ी अफसोस की बात है कि इस परटीकूलर मामले की एक शिकायत की गई। आबकारी के लोगों ने गिरफ्तार भी किया मय अवैध शराब के लेकिन उसमें एक वैध बोतल का नमूना ले लिया गया और बाकी का कट्टा उस शराब के बेचने वाले को वापिस दे दिया। यह आपके आबकारी विभाग के अधिकारियों ने किया है। इसके बाद वहां के लोगों ने बराबर पुलिस को तवोज्जह दिलायी परन्तु पुलिस के अधिकारियों ने कहा यह हमारा काम नहीं है। इसके बाद जब आबकारी विभाग के अधिकारियों को कहा गया तो उन्होंने कहा हमारी जिम्मेवारी नहीं है। यह सब से बड़ी अफसोस की बात है कि तीन दिन से मौतें हो रही हैं और पोस्टमार्टम करके तीन लाशें दी गईं और बाकी की लाशें वैसे ही जला दी गई हैं। गांव में भी एक आदमी, जयपुर से 10-12 मील की दूरी पर जो यहां से शराब पीकर गया था मर गया। हमारे यहां एक पार्षद की डेथ भी हो गयी है। ये 9 व्यक्ति जो मरे हैं उनको भी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। मेरी यह मांग है कि मंत्रीजी को इस इशू पर इस्तीफा दे देना चाहिये। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे इस मामले पर इस्तीफा दे देंगे, इस मामले की वे अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेंगे तो दूसरी बार वे चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं जैसे कि लालबहादुर शास्त्री जी प्रधान मंत्री हो गये। अपनी जिम्मेवारी से बचेंगे या बचने की कोशिश करेंगे तो यह गलत होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जोशीजी को हटाने की बहुत अच्छी तरकीब बतायी है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हटाने की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह जो कांड हुआ, जो लोग मरे हैं, वे जो खौफ में पड़े हैं, उनकी सहायता, हमदर्दी की जाये, फाइनेन्शियल हैल्प की जाये और उनको कन्डोल करने के लिए मन्त्री जी को जाना चाहिये। मुख्य मन्त्री

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जी को भी उनके परिवार वालों के पास जाना चाहिये। ये लोग शिड्यूल कास्ट और शिड्यल ट्राइब्स के लोग हैं जो कि आपकी ताकत है और जो आपको जीताकर लाए हैं। यहां आप सफाई दे सकते हैं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां यह फीलिंग है–यह दुकान बन्द नहीं होती तो सैकड़ों आदमी मर गये होते। जो मौतें हुई हैं वे ठेकेदार की सप्लाई से हुई हैं। और यह शराब अवैध रूप से बनायी जाती है और यह व्यापार कस्टम के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर के चलाया जा रहा है और इसी कारण से इस तरह की वारदातें हो रही हैं। यह वाकया भी इसी तरह से हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : भरतपुर में, उच्चैन गांव में भी इसी प्रकार से मौतें हुई हैं। शराब पीने से लोग मरे हैं। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस वाकये को दबा दिया गया है। मेरी यह अर्ज करना है कि यह गम्भीर सवाल है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिये। इसकी जिम्मेवारी मंत्री मण्डल के सदस्य, संबंधित मंत्री महोदय, पर भी है जिनको कि यह महकमा दिया गया है, क्योंकि वे ऐसी चीजों को दबाने में नाकाम रहे हैं। होटलों पर रिश्वतखोरी होती है। पकड़ने के लिए लिख कर देते हैं, सांगानेर दरवाजे के बाहर एक क्लब चल रहा है, वहां पर खुले आम अवैध रूप से शराब बेची जाती है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। हम वेलफेयर स्टेट कायम करना चाहते हैं, समाजवाद लाने का दावा करते हैं परन्तु लोगों का क्या हाल है, किस तरह से गली कूचे में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है जो जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिये। अफसोस है कि ये लोग शराब नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए शराब की दुकान बन्द की है यह कहना जख्म पर नमक छिड़कना है। जो परिवार है इनको कन्ट्रोल करना चाहिये था। ये अवैध दुकानें आपकी नाक के नीचे चल रही हैं जिनका आप नहीं रोक सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक इन्क्वायरी कमेटी बिठावें। जिन्होंने हीरालाल को गिरफ्तार कर के छोड़ दिया उनको तुरन्त निलम्बित किया जाये और इस मामले की इन्क्वायरी करवाई जाये। यह संगीन मामला है। 9 आदमियों की मौतें हुई हैं। दूसरों की हालत गंभीर है। हमें नहीं मालूम उसका क्या नतीजा निकलने वाला है।

मैं यह समझता हूं कि इस पर फौरन स्पष्टीकरण राज्य सरकार को इसी वक्त देना चाहिए, और जो टालने की चीज है कि दो रोज में जवाब आयेगा या 3 रोज में जवाब आयेगा इसको कभी भी अपोजिशन के लोग बरदाश्त नहीं कर सकते हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, अभी आचार्य जी ने पाइन्ट आफ आर्डर के तहत एक प्रश्न उठाया है, और मेरा भी यही निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर विराजमान है और मंत्रीजी भी विराजमान हैं। ऐसी गम्भीर घटना की जांच लाजिमी इन्स्टीट्यूट होनी चाहिए। ऑफिसर को सस्पेन्ड किया जाय यह मैं नहीं कहता।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

यह प्रिकन्डीशन होगी, लेकिन जो मौजूदा ऑफिसर हैं उनका ट्रान्सफर फौरन कर दिया जाय और एक स्पेशल आफिसर तैनात कर दिया जाय और जांच इन्स्टीट्यूट हो जाय।

बाकी, मान्यवर, यह चीज है कि इसके पीछे क्या बैकग्राउन्ड है ? इल्लिसिट लिकर के कारण यह ऐसी घटनाएं आम तौर पर हर इलाके में हुई हैं। स्पेशल जांच ऑफिसर नियुक्त करके जांच कराने का आज ही फ्लौर पर आश्वाशन दें और जांच की रिपोर्ट एक-दो दिन में दे दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसी के बारे में।

श्री अध्यक्ष : एक एक पार्टी के एक-एक बोल लिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बड़ी दु:खद घटना है जिसमें 8 लोगों की मृत्य हुई है, उनकी जानें गई हैं और यहां के अधिकारियों को पता भी नहीं है कि यहां पर अवैध शराब बिकती है ? सारी जानकारी होने के बाद भी अधिकारी सोते रहे। लोग मर जायं अस्पताल में जाकर और 8-8 लोगों की जानें चली गई हैं और विरोधी दल के लोग यह मांग करते हैं कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी उन अधिकारियों को यहां से हटाकर जांच कमीशन नियुक्त करें, यह भी क्या नावाजिब है, गैरवाजिब है ? बार-बार इस प्रकार की मांग करने पर भी आज परिणाम यह हुआ कि आठ लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु इसलिए हुई है कि जिन अधिकारियों की गलती से अवैध शराब बनती है वह उनसे मिले हुए हैं, और उसका परिणाम यह हुआ कि 8 मृत्यु हो गई। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जीवन के प्रति बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में एक जांच कमीशन नियुक्त करें, और अयोग्य अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ स्थानान्तरण की कार्यवाही कर दें और प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं हैं उनको हटा दिया जाय। उनको इस पद पर रखने की क्या जरूरत है ? उनको आप जिलाधिकारी भी बना दें तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे विभाग को उनके हाथ में देकर आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उनको आपने जिले का आबकारी अधिकारी रखा है जिसको वे सम्भाल नहीं सकते तो उनको गौशाला में रख दें···

श्री अध्यक्ष : मैं जनरल डिबेट की इजाजत नहीं दे सकता। थोड़ी देर के लिए कुछ रिलेक्स कर सकता हूं लेकिन जनरल डिबेट घन्टे 2 घन्टों के लिए नहीं हो सकती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आबकारी मंत्रीजी घोषणा करें कि वे क्या प्रिवेन्टिव स्टेप्स ले रहे हैं। 7-8 आदमी मर गये हैं और उसके बाद कुछ और लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो आपने इस बारे में क्या प्रिवेन्टिव स्टेप्स लिये हैं और क्या प्रिवेन्टिव स्टेप्स लेने जा रहे हैं। इसके बारे में सदन में घोषणा करके माननीय सदस्यों को कान्फीडेन्स में लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह मानना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पड़ेगा कि यह असाधारण घटना है और इसको साधारण एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में न लें। इससे सारी राजस्थान की जनता में आक्रोश होगा। इसलिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी या अन्य पुलिस मन्त्री या जो चाहें वह इस बारे में जांच कमीशन बिठा दें और प्रिवेन्टिव स्टेप्स उसको रोकने के लिए और इस प्रकार के फरदर रिकरेन्स न हो इसके बारे में क्या स्टेप्स लियें हैं, उसकी घोषणा करें और जांच की घोषणा यहां पर आज ही कर दी जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो शब्द कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन-प्रस्ताव इस मामले में है कुछ दिनों पहले प्रश्नों के दौरान मैंने कहा था कि इस प्रकार की अवैध दुकानें हैं और अवैध शसब बराबर बेची जा रही है माननीय मंत्रीजी ने यह बात गलत बताई थी। उसी समय कुछ कदम उठाते तो यह घटना नहीं होती। आपको खुद को जानकारी करना चाहिए, लेकिन माननीय मंत्री महोदय इस विभाग के साथ इस तरह से संलग्न हैं। इस विभाग का सारा काम गलत तरीके से हो रहा है और भ्रष्टाचार इस विभाग में पूर्ण रूप से फैला हुआ है उसको सभी जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले उज्जैन में भी इस प्रकार की घटना घटी और आज जयपुर में घटना घट चुकी है, और माननीय मंत्रीजी इस मामले में इतने गम्भीर नहीं हैं जितने और मंत्री-मण्डल के सदस्य हैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी तुरन्त घोषणा करें कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जायेगी और जो जांच के बीच में रोड़े अटका सकते हैं उन अधिकारियों का तुरन्त स्थानान्तरण करें और इसी समय तत्काल जांच की घोषणा करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपने एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलना चाहता हूं.....

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसका जवाब आना चाहिए। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कुछ कहा जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं केवल दो शब्द कहना चाहूंगा। इस बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय आचार्य जी ने प्रश्न उठाया था कि बड़ी गम्भीर घटना हो जाय जो कि आम जनता से ताल्लुक रखती है उसके लिए केवल हमीं एडजोर्नमेंट के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करें, यह हमारी जिम्मेवारी हो, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट खुद उसको महसूस करके तमाम हालात के बारे में स्टेटमेंट देकर सदन को अपने विश्वास में लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं और मंत्रीजी भी मौजूद हैं तो वह कम से कम कहें आकर ताकी तथ्यों की जानकारी इस सदन को हो। वह स्टेटमेंट दे सकते हैं और कुछ समय लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। इसमें ह्यूमन लाइफ गई है इसका सभी को दुःख है। इस मामले में क्या तथ्य हैं ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि जैसा कि हमने अखबारों में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पढ़ा है उसी तरह से आपने अखबारों में पढ़ा होगा तो फिर आपको जानकारी करके इस सदन में खुद स्टेटमेंट देना चाहिए। यह कन्वेंशन डालें तो अच्छा है। अब जो स्थिति है उसके बारे मे माननीय मुख्य मन्त्री जी या मन्त्री जी जैसा मुनासिब समझें, वह दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दरअसल यह अत्यन्त ही दुखद विषय है इस प्रकार की घटना हुई। और सदन की जानकारी के लिए मैं निवेदन करूं कि मौतें 8 नहीं बल्कि 10 हुई हैं, और एक आदमी बहुत ही सीरियस है और उसकी भी मृत्यु हो सकती है।

अभी जो प्राइमरी जानकारी मिली है उसके अनुसार यह मौतें गलत ढंग की शराब पीने के कारण से हुई हैं। विशेष अहतियात जो लोग बीमार हैं उनके बारे में लिया जा रहा है। अभी राज्य सरकार के पास में पूरे तथ्य जितने आने चाहिएं जिससे कि इस सदन में स्टेटमेंट दे सकें, उस प्रकार के नहीं हैं एक बैकग्राउण्ड में सदन के समक्ष रख दूं। रेगरों की कोठी, जयपुर शहर के अन्दर एक आदर्श उपस्थित करने वाला स्थान है, ऐसा राज्य सरकार को पिछले कई महीने से बराबर कहा जा रहा है। रेगरों की कोठी के एरिया में सरकार शराब की एक दुकान चला रही थी। नशाबन्दी समिति ने वहां पर एक जनमत जाग्रत किया और जनमत जाग्रत करके यह कहा कि यहां के सब लोगों ने यह अहद कर लिया है कि हम शराब नहीं पिएगें इसलिए लोग यह मांग करते हैं कि यहां से वह शराब की दुकान उठा दी जाय। राज्य सरकार के समक्ष मसला यह था कि उस दुकान के लिए कान्टेक्ट दिया जा चुका था इसलिए बीच में से अगर उसको बन्द करने की घोषणा करते हैं तो कान्ट्रेक्टर को कम्पेन्सेशन देना पड़ता था इसलिए राज्य सरकार ने फारमल तौर पर उस दुकान को बन्द करने की घोषणा नहीं की, किन्तु नशाबन्दी समिति के कार्यकर्ता नशाबन्दी के सम्बन्ध में बराबर उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, और यह कह रहे थे कि यह तो राजस्थान में एक आदर्श स्थानों में से एक है कि जहां पर हम सब लोगों ने काम किया है, और मुझ से भी वहां की पंचायत ने यह कहा कि मैं वहां आकर देखूं कि कितना जनमत जाग्रत हो गया है और किस प्रकार से लोगबाग शराब के विरूद्ध हैं। एक तरफ हमारे अधिकारी हम से बराबर यह कहते थे कि इस आन्दोलन के पीछे नाजायज शराब बनाने वालों का हाथ है। नशाबन्दी समिति वालों की बात तो मैं नहीं कहता, मगर दुकान बन्द हो जाय इसमें नाजायज शराब बनाने वाले इन्ट्रेस्टेड हैं ताकि उनकी नाजायज शराब बिके। यह बात अधिकारी बराबर हमें रिपोर्ट करते रहे, और उन्होंने हमें बराबर यह सावधान किया है कि यहां पर जो कहा जा रहा है कि हृदय परिवर्तन हो गया है और शराब नहीं पीने की शपथ ले चुके हैं, यह सब बोगस है, और इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

मेरे सामने तो, अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा धर्मसंकट उपस्थित हो गया था। वह धर्मसंकट यह था कि राजस्थान में क्रमिक रूप से शराबबन्दी कैसे की जाय इस मसले को हमने प्राइम मिनिस्टर को सौंप दिया, और प्राइम मिनिस्टर ने इसके उपर एन्क्वायरी करने के लिए एक कमेटी बिठाई, और उस

(श्री हरिदेव जोशी)

कमेटी ने मेरी गवाही लेना चाहा, और उसके लिए यहां पर आई। उसके सामने मुझे उपस्थित होना था तो मुझ से यह कहा गया कि जहां पर दो-तिहाई बहुमत अगर कह दे कि शराब बन्द हो जाना चाहिए और हमारे इलाके में नहीं बिकना चाहिए वहां से शराब की दुकान, सरकारी दुकान को उठा देना चाहिए।

तो मुझे यह कहा गया कि जहा जनता का दो–तिहाई बहुमत यह कह दे कि हमारे यहां शराब नहीं बिकनी चाहिए, वहां से सरकार को दुकान उठा देनी चाहिए। मैं इस ससोपेश में था कि राजस्थान सरकार को इस बारे में क्या कार्यवाही करनी चाहिए। निश्चित ही ये मौतें एक दुखद घटना है। इससे एक चीज स्पष्ट होती कि जो भी सुविचार रखने वाले लोग हैं वह यह कहते हैं कि शराब बन्द होनी चाहिए। लेकिन जो शराब पीने वाले लोग उसके आदी हो जाते हैं, वह इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल करते ही हैं। और जब उन्हे नहीं मिलती है तो उसको प्राप्त करने के लिए अनुचित ढंग का रास्ता अख्तयार करते हैं। जहां तक इस सम्बन्ध में राज्य सरकार, विभाग, अथवा कोई व्यक्ति दोषी है तो आज अभी यह कहना बहुत मुश्किल है। आज अभी जो एशेन्शियल कार्य हमारा करने का विचार है, वह यह है कि जो लोग इससे पीड़ित हो गये हैं, उनको किस प्रकार से बचाया जाये। अभी मावली से आने-वाले माननीय सदस्य, गंगानगर से आनेवाले माननीय सदस्य, और अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस प्रकार की घटना हो जाये तो सदन को सूचना देनी चाहिए। मैं नहीं जानता, अभी तक ऐसा कोई प्रिसीडेन्ट रहा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर आपको ऐसी रूलिंग हो जायेगी तो गवर्नमेंट को ऐसी सूचना देने में कोई एतराज नहीं होगा। आज सदन शुरू ही हुआ है। क्वेश्चन आवर। उसके बाद एडज़ार्नमेन्ट मोशन पर व्यवस्था दी गई। गवर्नमेन्ट को अपनी बात रखने का कोई अवसर ही नहीं आया है। जहां तक गवर्नमेन्ट को इस बाबत अपनी बात कहने का सवाल है, मैं यह उपयुत समझूंगा, माननीय वित्तमंत्री जी जो आबकारी विभाग के मंत्री भी हैं, एप्रोप्रियेशन बिल का जवाब दें, उस समय अधिक विस्तृत रूप में इस घटना के बारे में, जो उन्हें जानकारी मिल गई हो, वह सदन को जानकारी दे दें। तब तक इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मिल जायेगी। अभी इस समय कार्यवाही चल रही है। यह बात नहीं है कि अधिकारी नहीं गये हैं। कलेक्टर पहुंच गये हैं। एस० पी० पहुंच गये हैं। क्या हो रहा है यह अभी में नहीं कह सकता हूं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं कही जानी चाहिए। जो कुछ मुझे रखना चाहिए, मैं निवेदन कर दूं मुझे कोई एतराज नहीं है। आप वित्तमंत्री जी के जवाब को स्टेटमेन्ट के रूप में लें या अलग स्टेटमेन्ट के रूप में चाहते हैं तो, जो कुछ जानकारी है, उसे सदन के सामने रखने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हम सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। जो फेक्ट हैं, उनको छुपाने के प्रति तत्पर नहीं हो सकते हैं। अगर कहीं कोई कमजोरी है, नीयत में गलती रही है तो उसको स्वीकार करने में सरकार आगा पीछा नहीं करेगी। मैं निवेदन करूंगा कि शाम के समय इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दे दी जायेगी।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ने कहा है कि मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारी लोग समय समय पर उनकी जानकारी में लाते रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वित्तमंत्री जो तो अपना जवाब देंगे ही और विस्तृत जानकारी दे देंगे। अधिकारी उनको पहले इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचनायें देते रहे है। परन्तु यह कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। तो मेरा यह निवेदन है कि उन अधिकारी पर क्या कार्यवाही की है ? क्यों कि राज्य में अन्य स्थानों पर भी ये घटनायें घट रही हैं। लोग मरे हैं लेकिन उनको दबा दिया गया हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, इसकी जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष : दूसरा विषय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इन स्थगन प्रस्तावों पर आपने जो जानकारी के लिए कहा है, इसमें अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : समय ज्यादा हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजगढ़ पंचायत समिति के प्रधान भूख हड़ताल पर काफी लम्बे समय से चल रहे हैं। वहां के जो विकास अधिकारी हैं। उनके बारे में अध्यक्ष महोदय, तीन चार बार शिकायत की गई है। गम्भीर आरोप उन के थे। तो उनका ट्रांस-फर कर दिया गया। लेकिन अब फिर उनको वहीं वापिस भेज दिया गया है। सारी पंचायतों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पास करके भेजा है, वह विकास अधिकारी भ्रष्ट हैं। उसके खिलाफ शिकायत हो चुकी है। कुछ शिकायतें पेंडिंग हैं। इसके खिलाफ वह प्रधान भूख हड़ताल पर हैं। इस मामले को लेकर राजगढ़ में बड़ा आन्दोलन होने की सम्भावना है उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा है। आपने जानकारी के लिए कहा है। इसके साथ साथ में निवेदन करूंगा वहाँ पर बी०डी०ओ० को चार्ज लेने से रोक दिया जावे। प्रधान और जो वहां के चुने हुये सरपंच हैं, उनसे सलाह करके, विचार विमर्श किये करके इस समस्या का हल करने का प्रयास किया जाये। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि चुने हुये लोग अपने ही साथियों के साथ इस प्रकार की परम्परा निभायें। राज्य सरकार ने एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार निर्णय ले लिया उसके बाद फिर राज्य सरकार ने वापिस ले लिया। यह स्थिति बनाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजगढ़ पंचायत समिति के प्रधान की भूख हड़ताल के बारे में कार्यवाही की जाय। इस बारे में बी० डी० ओ० को चार्ज नहीं लेने के आदेश दिये जांय।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अन्य स्थगन प्रस्ताव है जिसे आपने यह कह कर अस्वीकार कर दिया है कि यह राज्य सरकार से सम्बन्ध नहीं रखता है। यह बात सही है कि यातायात अवरुद्ध है। यह एयरलाइन्स केन्द्र का विषय है इसलिए राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दूसरे स्थगन प्रस्ताव के द्वारा यह निवेदन किया था कि जोधपुर, भीलड़ी, जालौर, बिलाड़ा, जोधपुर से जानेवाली ये सारी गाड़ियां बन्द हो चुकी हैं। राज्य सरकार के पास बस व्यवस्था नहीं है। वह रिलीफ देने के लिए कोई कार्यवाही करती नहीं है। जोधपुर की एयरलाइन्स जो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जयपुर होते हुये जाती थी, वह भी बन्द कर दी गई है।

राज्य सरकार का यह कर्तव्य है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में यातायात व्यवस्था उचित रूप से रहे और राजस्थान हिन्दुस्तान के नक्शे के ऊपर, ऐग्रर मेप के ऊपर बराबर रिप्रेजेंट होता रहे। आज यह बात यहां की जाती है, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर और अधिक विभाग खोले जायं, वहां पर उद्योगों की प्रगति हो, लेकिन जो असेंशियल एमेनिटी है, एअर लाइन, वह एअर लाइन्स बन्द हो जाने के कारण जोधपुर से जयपुर का एअर मार्ग अवरुद्ध हो गया है, दिल्ली से जोधपुर का एअर मार्ग अवरूद्ध हो गया है। हिन्दुस्तान से जो व्यक्ति जोधपुर आते थे, जो बड़े बड़े इन्टेलेक्चुअल्स जोधपुर आते थे, बड़े बड़े एडवोकेट्स जोधपुर आते थे, बड़े बड़े टेक्नोलोजिस्ट जोधपुर आते थे, गवर्नमेंट के बड़े बड़े आफिसर्स जोधपुर आते थे, वह एअर लाइन्स की सर्विस डिस्कन्टीन्यू होने कारण नहीं आ पाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार का कर्तव्य है केन्द्रीय सरकार के ऊपर इसके लिए दवाव डाले, केन्द्रीय सरकार के सामने राज्य सरकार अपना केस रिप्रेजेंट करे। राज्य सरकार यह कह कर इस मामले को नहीं टाल सकती है कि यह केन्द्र का विषय है, हम कुछ नहीं कर सकते. अध्यक्ष महोदय केन्द्रीय सरकार के ऊपर, राज्य सरकार का यह कर्तव्य है, दवाव डाले। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि राज्य सरकार ऐग्रर लाइन्स की सर्विस को जोधपुर में पुनः चालू करवाने के लिए कार्यवाही करे······

श्री केदार नाथ: इनसे अपना काम ही नहीं सम्भलता, आप केन्द्र की बात कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा: एक और स्थगन प्रस्ताव है, जिसको मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वह है, अध्यक्ष महोदय, 24 मार्च को घटी घटना के बारे में। 24 मार्च को, रेल के अन्दर जो किराया बढ़ाया गया है, उसके विरुद्ध हमने आन्दोलन किया था और आन्दोलन के समय यह स्पष्ट कर दिया गया था, यह आन्दोलन गरीब जनता के ऊपर महंगाई के इस जमाने में रेल किराये में की गई बढ़ोत्तरी के खिलाफ है। अपेक्षा तो यह थी, राज्य सरकार की ओर से भी, और अन्य प्रशासन की ओर से ऐसी स्थिति पैदा की जायगी जिसमें आन्दोलन जन जागरण के लिए शांतिपूर्वक तरीके से हो सके, उसमें कोई किसी प्रकार की एक्सेचेंज नहीं हों, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में जो कुछ भी 24 मार्च को घटना घटी, दुर्घटना घटी वह एक पूर्व नियोजित षडयंत्र का फल था। It was preplanned conspiracy. वह किस प्रकार की घटना थी यह एक मिनट में मैं निवेदन कर दूं, वहां पर गिरफ्तारी के बाद में, राजेन्द्र गहलोत और अन्य जोधपुर नगर के युवा वर्ग, जन संघ के कार्यकर्त्ता, विद्यार्थी कार्यकर्त्ता जब गिरफ्तार हो गये, उसके पहले मुझे गिरफ्तार कर वहां से चार पांच मील दूर अन्य स्थान के ऊपर दूसरे लोगों के साथ में ले जाया गया, और पीछे युवा कार्यकर्त्ता रह गये थे, जिन्होंने रेल का चक्का जाम करके सरकार के सामने, मंहगाई के खिलाफ, रेल कि[illegible] में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसके खिलाफ [illegible]

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बुलन्द करने का प्रयास किया था । अध्यक्ष महोदय, पहले उनके ऊपर लाठियों से वार किया गया, और उसके बाद में उनको एक ट्रक, जो वहां पर खड़ा था, उसमें उठा उठा कर ऐसे डाला गया जैसे जानवरों को या माल के सामान को डाला जाता है । इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में ट्रक के अन्दर, जब कि वह युवा कार्यकर्ता निहत्थे थे, चारों तरफ पुलिस का घेरा था, पुलिस के सिपाही थे, जहां पर कि किसी प्रकार का आन्दोलन हो नहीं रहा था, वह इस भावना से कि दुबारा कहीं आन्दोलन में न आवें, इनको शिक्षा दी जाय, लैसन दिया जाय, दबाया जाय, अध्यक्ष महोदय, इस योजनाबद्ध तरीके से ट्रक के अन्दर उन पर लाठी चार्ज किया गया । आपको जान कर आश्चर्य होगा, आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर किराया बढ़ोत्तरी के खिलाफ आन्दोलन करने वाले युवा लोगों के ऊपर लाठी चार्ज ट्रक में किया गया, उनके सिर फोड़ । मैंने जेल में जाकर उनकी स्थिति देखी है, नौ लोगों के जिस्म पर जख्म हो गये, ट्रक में खून बहने लगा, उनके कपड़े खून से भर गये । उन व्यक्तियों द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गई थी, अकारण ही उन पर लाठी चार्ज किया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज के युग में युवकों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था····

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म में कहें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उनका खून बहाया जाय, उसके बाद में यह अपेक्षा की जाय, अध्यक्ष महोदय, शांतिपूर्वक तरीके से आन्दोलन किया जाय, तो मैं समझता हूं, यह हमारी गलती है । आवश्यकता तो इस बात की थी कि सरकार की ओर से और पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार की एक्सेसेज नहीं की जाती । अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को जोधपुर के युवकों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, पहले पहल ट्रक के अन्दर उनका खून बहाया गया, एक एक आदमी के पांच-पांच चोटें आईं, उनका शफाखाने में इलाज नहीं किया गया, चोटों का निरीक्षण करने के बाद भी उनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया गया । मैं निवेदन करूं, उसके बाद इससे भी पुलिस विभाग की भूख और तृषा शांत नहीं हुई । यह लाठी चार्ज 9 बजे किया गया, और 1 बजे फिर पुलिस बहुत बड़ी तादाद में रेलवे स्टेशन से बाहर आ गई, एक बजे जो जत्था आया, उस जत्थे को पोस्ट ऑफिस में ले गई और सुगनचन्द्र जो कार्यकर्ता था, उसको पोइन्ट आउट करके बारह तेरह लोगों ने एक साथ हमला करके उसके जिस्म के ऊपर पन्द्रह बीस लाठी की चोटें पहुंचाईं, सारा जिस्म उसका घायल हो गया और यह समझ कर कि यह बेकार हो गया, उसको छोड़ कर चले गये । इसके साथ में और व्यक्ति थे······

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म में कहें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उनको मारा और बच्चे चारों तरफ खड़े थे और जो रेल किराये में बढ़ोतरी के खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे, उनके ऊपर बराबर लाठी प्रहार किये गये । मैं चाहता हूं कि उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, और उनको सजा दी जानी चाहिए और इस मामले की पूरी जांच

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की जानी चाहिए क्योंकि यह घटनायें एक बार नहीं होती हैं, यह घटनायें बार बार होती हैं, हर आन्दोलन के वक्त होती हैं, आन्दोलन के समय लाठी चार्ज करें, आन्दोलन के समय लोगों का खून बहायें, और उन लोगों को, जिनके हाथ में पावर है, जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो मौत के सौदागर हैं, उनको बचाने का प्रयास करें। जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी प्रहार किया गया है, यह वही कार्यकर्ता थे, जिस समय बैंकटलाल को निकाल दिया गया था और लोग उसको जूतों की माला पहनाना चाहते थे, इन कार्यकर्ताओं ने उस पुलिस के आदमी ने बैंकटलाल को बचाया था, जिसने इन्सान को इन्सान नहीं समझा और जिसने इन्सान को गधे और घोड़े की लीद कई बार खिलायी, उस बैंकटलाल को किसी के द्वारा थप्पड़ तक नहीं लगाने दिया, उसको बचाया उन कार्यकर्ताओं ने उसे जूतों की माला नहीं पहनाने दी, उसको बचाया। यही कार्यकर्ता जब रेल किराये में बढोतरी के खिलाफ अन्दोलन करें तो उन पर लाठी बरसायी जाती है, क्या यह न्यायसंगत है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस एन्टी-सोशल आदमी को बचाने का प्रयास किया गया, उसी बेंकटलाल को जेल के अन्दर बारह दिन के प्रोटेक्शन में रखा गया है। मैंने जांच की तो मालूम हुआ कि राज्य सरकार ने बारह दिन का आर्डर निकाला है......

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : और उसको छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इन कार्यकर्ताओं को जेल में रखा गया है। इतना ही नहीं जोधपुर के अन्दर आन्दोलनकारियों के साथ जिस प्रकार पुलिस के लोगों ने सलूक किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों का प्रयोग मैं इस सदन में नहीं कर सकता। विशेषतौर पर हमारे यहां जो सदस्य बैठे हुए हैं, उनके सामने गन्दे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूं कि तीन घटनायें घटीं, सुबह 8-9 बजे राजेन्द्र गहलोत पर और उसके साथियों पर ट्रक में लाठी चार्ज किया गया, 1 बजे रेल्वे स्टेशन के बाहर निहत्थी जनता के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, सुगनचन्द्र के ऊपर हमला किया गया। मैं बताना चाहता हूं यह देखिये (खून से सना कुर्ता दिखाया) मैं यह सदन में लेकर आया हूं। इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का खून बहाया गया। आप अन्दाज लगाइये, सिर के ऊपर से खून निकला है ? यह खून क्यों निकला है, बैंकटलाल को जूतों की माला पहनाने वाले लोगों को इन्होंने रोका था, उसको बचाया था, और जब रेल किराये में बढ़ोत्तरी के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए गये तो उन पर लाठी चार्ज किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सात दिन के अन्दर हमारे माननीय पुलिस मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री और पुलिस के अधिकारियों ने इन कातिलों के खिलाफ, जिन्होंने निहत्थे सत्याग्रहियों पर लाठी प्रहार करके खून बहाया, कोई कार्यवाही नहीं की तो मैं बाध्य होकर अपनी आवाज को बुलन्द करने के लिए, उठाने के लिए इस सदन के अन्दर धरना दूंगा और इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने आन्दोलनकारियों पर अत्याचार किया है, जुल्म किया है, उनके खिलाफ भी कारगर कार्य-

(श्री गुमानमल लोढा)

वाही करने के लिए दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे। दुःख की बात है कि यहां कोई बात कहते हैं, कोई बात करते हैं तो मंत्री महोदय यह समझते हैं कि यह नाटक का पार्ट है, एक परिच्छेद है, नाटक यहां हो जायगा, समाप्त परिच्छेद हो जायगा उसके बाद में कार्यक्रम शुरू हो जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय इस बात को समझ लें, सुन लें आखिर हम खून बहाते हैं बार-बार, कभी रोटी के मामले को लेकर, कभी राशन की मांग को लेकर, कभी मंहगाई के खिलाफ लेकिन वह भी दिन आ सकता है कि जब खून बहाने वाले व्यक्ति अपना खून बहाने के पहले उस कातिल, उस जुल्मी, उस व्यक्ति के जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है के खून के प्यासे भी बन सकते हैं। हम नहीं चाहते, वह स्थिति पैदा हो, लेकिन मरता क्या नहीं करता। हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपना कर्तव्य समझते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर कांड की जांच होनी चाहिए। पुलिस के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है, दुर्व्यवहार, मैं वहां पर था, जिस प्रकार की भाषा का पुलिस ने प्रयोग किया, मां बहिनों को गाली दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो यहां कह नहीं सकता। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय, जनता के कार्यकर्ताओं के साथ जो आन्दोलन करने पर जेल जाते हैं, अपनी मर्जी से। अध्यक्ष महोदय, यह रूल आफ लॉ नहीं है, यह रूल आफ जंगल है। They are brutes. इन्सान का खून पीने का प्रयास किया गया है, उनके सिर फोड़ दिये गये हैं। क्यों खून बहाया गया, क्यों जुर्म किया गया ? क्या वह कातिल थे क्या उन्होंने एडल्ट्रेशन का काम किया था ? एडल्ट्रर्स को गिरफ्तार करने से बचाया जाए और सत्याग्रहियों के खिलाफ यह कार्यवाही की जाय, यह मापदंड यदि सरकार का है तो हमें भी सोचना पड़ेगा। मैं भावावेश में आकर नहीं वरन् संयम के साथ सदन में कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय और सरकार व मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि आप समस्याओं को हमारे सामने लायें, हम उनको सुलझायेंगे तो मैं इन बातों को सदन के प्रांगण में रखता हूं और पुलिस ने षड्यंत्र करके वहां पर जानबूझकर लाठी चार्ज किया, मारपीट की उन दोषी व्यक्तियों को आप सजा दें वरना 7 दिन के बाद में इस सदन में मैं इस अन्याय के विरुद्ध धरना दूंगा और जनसंघ के अन्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक व उचित कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

आपने इस बारे में सरकार से जानकारी चाही है लेकिन साथ में यदि उचित कार्यवाही करके 3-4 दिन में मंत्री महोदय संतोषजनक वक्तव्य दें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त होगा अन्यथा हमें कार्यवाही करने के लिए, जैसा मैंने निवेदन किया, बाध्य होना पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढा : मेरा एक और स्थगन प्रस्ताव था। जय प्रकाश नारायण गुप्ता····

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह तो द्रौपदी का चीर होता जा रहा है।

श्री गुमान मल लोढा : आप नाराज हों तो मैं न बोलूं। वह ट्रेड यूनियन लीडर थे गंगापुर रेलवे यूनियन के। उनका शव मिला है·······

श्री अध्यक्ष : अखबारी खबर है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारे पास वायरलेस तो है नहीं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर होता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस ट्रेड यूनियन लीडर की मृत्यु की जो खबर आई है उसके बाद डिटेल्स दिए गए है कि कहां शव पाया गया। वह राजस्थान का व्यक्ति है, कार्यकर्ता है, मजदूर नेता है, यदि मंत्री महोदय सदन में उस बारे में जानकारी करके हमको अवगत करायेंगे तो ऐसी घटनाओं का विधान सभा सत्र में आथेंटिक वर्शन मिल जाता है, हमारा जो वर्शन है, वह निवेदन कर दिया। जयप्रकाश नारायण का किस प्रकार से मर्डर किया गया, कौनसे एलीमैंट्स इसके पीछे थे, कोई व्यक्तिगत एनमिटी थी या पोलिटिकल मोटिव था, इन सब बातों को लेना चाहिए ।

तीसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव है खाद्यान्न का जिसके लिए आपने कहा कि विनियोग विधेयक पर भाषण के समय उन मुद्दों को रखा जाए ।

श्री अध्यक्ष : और समय आपको मिलेगा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : विनियोग विधेयक के समय उन बातों को हम रखें लेकिन इस प्रश्न का न तो कोई वित्तमंत्री से संबंध है। वह तो खाद्य मंत्री से संबंधित है —

श्री राम किशन : यह सबका प्रश्न है, एक व्यवस्था की जा सकती है कि हमारे बोलने के बजाय राज्य सरकार बताए कि वह क्या व्यवस्था कर रही है और अलग से वक्तव्य आना चाहिए क्योंकि वित्तमंत्री इसका जवाब नहीं दे पायेंगे ...

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे कह दिया कि आप आकर मुझसे बात करें ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : ठीक है ।

श्री केशरीमल (ब्यावर): मेरा स्थगन प्रस्ताव था कि ब्यावर में ऊन का धंधा है और उस धंधे में करीब 3-4 हजार आदमी काम करते हैं उसमें ज्यादातर औरतें काम करती हैं, मर्द बहुत कम हैं और जो मजदूर काम करने वाले हैं वे ज्यादातर पिछड़ी जाति के हैं । यह धंधा इतना खराब है कि इसमें काम करने वाला हर मजदूर टी० बी० या दमे का शिकार होगा क्योंकि उसकी नाक और मुंह में ऊन साफ करने के दौरान मिट्टी आती है, उसकी वजह से बहुत बीमारियां बढ़ती हैं । इस धंधे में काम करने वाले मजदूरों को 100 रुपया प्रति माह वेतन दे रहे हैं लेकिन वहां के मालिक 100 भी नहीं देना चाहते और एक रुपया रोज देने के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी है । इसका सिस्टम यह है कि वहां के मजदूरों को ठेके पर लगाया जाता है और 3 दिन निकलने के बाद एक दिन को हाजिरी की जाती है, इस तरह 4 रुपए रोज उस मजदूर का बनता है जबकि वास्तव में उसको 1।। रोजाना दिया जाता है और इस प्रकार उसका वेतन 40 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होता । तनख्वाह इतनी कम और काम से बीमारियां बढ़ें, उनके बच्चे भी बीमार हो जायं वहां न्यूनतम वेतन लागू करने में श्रम विभाग निष्क्रिय रहा है। बार बार ये घटनायें आती हैं, राज्य सरकार कोई दखल नहीं करे यह सरकार की कमजोरी है । उन मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है और वे चाहते हैं कि उनको न्यूनतम वेतन मिले उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं कही है लेकिन

(श्री केशरीमल)

वे चाहते हैं कि उनके काम का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे न्यूनतम वेतन जो उनको मिलना चाहिए वह मिले। सरकार क्या कर रही है ? श्रम विभाग को प्रयास करना चाहिए, उन मजदूरों को पूरा पैसा दिलाया जाए, हड़ताल को समाप्त कराने के लिए बीच में हस्तक्षेप करें। श्रम विभाग इस मामले को हाथ में लेने को तैयार नहीं, बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। इससे असंतोष फैलने की संभावना है।

श्री गुर दयालसिंह संधु (करणपुर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव वैसे तो नामंजूर हो गया है। यह बड़ा ही जरूरी प्रस्ताव था। गंग नहर पिछले दिनों से बंद चली आती थी और 1 अप्रेल से 3 सप्ताह के लिए फिर बंद की जाएगी, जिन फसलों को पहले पानी नहीं मिला है और बहुत सी फसलें पहले नष्ट हो चुकी हैं और बची हुई फसलों को अभी पानी नहीं मिल पाया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अगर सरकार ने गंगानगर की ओर ध्यान नहीं दिया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मुझे याद है 1970 का एजीटेशन कल भी गंगानगर में वहां के किसानों ने प्रदर्शन किया था और यह अभी छोटी बात है। जिस तरह से हम गंगानगर के लोग तंग हैं एक बात कह देना चाहता हूं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी तो 1970 जैसे हालात पैदा होंगे और सरकार उसके लिए जिम्मेवार होगी, हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि गंग कैनाल अप्रेल से जो बंद किए जाने वाला है, वह बंद नहीं किया जाना चाहिए।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आज तार आया है कि नई मंडियों में पीने का पानी कई दिनों से बिल्कुल समाप्त हो गया है और बिजयनगर मंडी से तार आया है कि वहां पीने का पानी बिल्कुल नहीं है इसलिए सारी मंडी में हड़ताल है। मैंने 15-20 दिन पहले सिंचाई मंत्री से कहा था कि गंग कैनाल की स्थिति नहीं सुधारी गई फसल तो करीब करीब तबाह हो ही चुकी, कोई फसल बाकी नहीं है, 5-10 प्रतिशत फसल गंगानगर में रह गई हो तो दूसरी बात है। अब जीवन संकट में पड़ चुका है, छः मासी नहरों में पीने का पानी नहीं है, और जैसलमेर जैसी स्थिति गंगानगर के गंगनहर क्षेत्र में बनती जा रही है। मैंने मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी कि मौके पर जायें, वहां पर बैठें और जो गंगनहर गिर गई है, उसे खुदवाएं। दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव जो था उसके बारे में बाद में निवेदन करूंगा, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि मेरे उस घटना के लिए एडजोर्नमेन्ट मोशन देने के बाद भी दूसरी और घटनायें लगातार उसी के साथ घट रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के अन्दर मामला उठाया एक ऐसे व्यक्ति की पुत्र वधू के बारे में जो कि कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता रह चुका है, पी० सी० सी० का मेम्बर रह चुका है, थानेदार तेजपालसिंह व वहां के एसिसटेन्ट सब-इन्सपेक्टर, चार पांच कांस्टेबिल्स को लेकर उसके घर पर गया और उसकी लड़के की बहू को जबरदस्ती उठा कर थाने में ले गये और इसके साथ साथ उसके पति को भी ले गये और वहां पर उसके पति को मारा गया तथा उस हरिजन अबला के साथ बलात्कार किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सतर्कता आयोग को भी मामला दिया गया है जिसके सदस्य हमारे माननीय सदस्य श्री केदारनाथ जी हैं। इसके बावजूद यह सिलसिला जारी है। इसके सम्बन्ध में मैंने कटमोशन दिया था जब भी कहा था कि वह थानेदार उन्मत्त होकर उस हरिजन अबला के साथ रात भर पड़ा रहता है, जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है। अब तो यह स्थिति हो गयी है कि वह उस कार्यकर्ता की बेटे की बहू को वहां रात को जबरदस्ती बुलाता है तथा उस कांग्रेसी कार्यकर्ता को तथा उसके लड़के को थाने में बुलाकर पीटता है।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें, काफी समय हो चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला मैंने 20 तारीख को सदन में स्थगन प्रस्ताव में रखा उसके बाद की घटना कह रहा हूं : उस हरिजन अबला के जेठ को बुलाया और उसे थप्पड़ों से मारा तथा यह कहा कि तुम मेरे खिलाफ एसेम्बली में सवाल उठाते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति विधान सभा में मामला उठाता है तो उसके लिये कार्यवाही तो होती नहीं है बल्कि यह घटना और होती है। कोई अपनी समस्या भी नहीं रखे, यह कहां का न्याय है ? अध्यक्ष महोदय, पहले तो वह थानेदार रात को उस हरिजन महिला के घर जाता था पर अब उसे जबरदस्ती थाने में बुलाता है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है। मैं इसके विषय में गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी तुरन्त प्राप्त करके इस विषय में हाउस में एक स्टेटमेन्ट दें। अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति पी० सी० सी० का सदस्य भी रह चुका है, पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता है। पहले स्टेटों के जमाने में तो उसने राजाओं के डण्डे खाये, अब पुलिस के डण्डे खा रहा है। आखिर आप सोचें उस स्वतन्त्रता सैनानी और उसकी पुत्र वधू के साथ इस प्रकार का बलात्कार किया जाता है, यह कहां तक उचित है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हांडाजी ने जो प्रश्न उठाया है उसकी जानकारी प्राप्त करके शीघ्र ही उसके लिये राज्य सरकार द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि अलवर में एक बड़ी अजीब दुःखद घटना हो रही है। आज स्थिति ऐसी हो रही है सरकार आज सड़कों पर खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है। अध्यक्ष महोदय, अलवर में जहां कलेक्टर का ऑफिस है, सेशन्स जज का ऑफिस है और दूसरे आफिसेज हैं, अलवर के सिटी पैलेस में हैं, अलवर के सिटी पैलेस का मरदाना है, वहां पर आज से नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमेशा से ही वहां पर दफ्तर बने हुए हैं। 1947 में जब राजाओं का राज गया तभी वहां पर ऑफिसेज कायम किये गये। जब मत्स्य बना तो वहां मत्स्य का सेक्रेटेरियेट उसी मरदाना में था। राजा लोग वहां से सात मील दूर अपने बंगले में रहते थे। अध्यक्ष महोदय, अलवर के भूतपूर्व महाराजा के लड़के प्रतापसिंह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जबरदस्ती उस मरदाना महल में कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन पिछले समय में वह तीन बार कोशिश कर चुका है। वह अपने आदमियों के साथ इस तरह से उस पर कब्जा करने भेजता है जैसे कि कोई चढ़ाई करने जा रहा हो, किला फतह करने जा रहा हो। अभी थोड़े माह पहले तारीख 23-12-73 को रविवार के दिन अपने नौकरों के साथ पूरे लवाजमे के साथ अपनी कार में वेपन कैरियर लेकर, उसमें कुछ हथियार बन्द आदमी भी बैठे थे, आये। उस दिन अजमेर के रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर आये हुए थे। पुलिस की गार्ड ने उन्हें बाहर रोकने की कोशिश की पर वह लोग रुके नहीं और जबरदस्ती वहां से कुछ छज्जियां और जालियां जो कि संगमरमर की बनी हुई हैं, तोड़ डाली और गाड़ियों में भरकर ले गये। दूसरे दिन सन्डे नहीं था, पूरे आफिसेज काम कर रहे थे। कुछ अधिकारी बाहर थे, लेकिन वहां का लोकल स्टाफ वहां पर उन्होंने रोका तो कुछ कार्यवाही नहीं हो सकी। इसके बाद दूसरे दिन सुबह वह 9 बजे और आये और बाकी सामान भरकर ले गये। अलवर के जिलाधीश ने पुलिस कोटवाली में रिपोर्ट लिखवायी, रिपोर्ट मुकदमा नम्बर 388 दफा 447।379 दर्ज हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये वहां की पब्लिक ने पर्चे बांटे। दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने भी उसमें हिस्सा लिया, माननीय बद्रीप्रसादजी भी उसमें हाजिर थे, उनकी भी नॉलेज में यह बात है इस किस्म की कार्यवाही के लिये उस प्रतापसिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिये। आज भी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह माल आज भी फूलबाग में मौजूद है। लेकिन पुलिस आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं खुद कोतवाली में गया लेकिन पुलिस उस मामले में कोई जांच नहीं कर रही है। जब पूछा तो कहा कि हम इसके बारे में जांच कर रहे हैं। असल में कोई जांच पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में एक घटना और हुई····

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा हो चुका है

श्री रामानन्द अग्रवाल : थोड़े में मुख्य मुख्य बातें निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : दूसरा मौका आपको और मिलेगा उस वक्त कह देना।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत थोड़े मेन फीचर्स ही कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 14 फरवरी को उस राजकुमार ने कई घोड़े और बैल गाड़ियां, करीब 150 सब मिलाकर वहां पर बाकायदा फौज की तरह उन्हें हथियार बन्द करके भेजा। वह लोग महल पर कब्जा करने गये। जो लोग अदालतों में काम कर रहे थे वह लोग अदालतों में घुस गये दरवाजे बन्द कर लिये। जिस तरह कोई फौज लड़ने आई हो उस तरह वहां आ गये। अन्दर दफ्तर में काम हो रहा था और बाहर हाथी चिंगाड़ रहे थे। अब आप ही बतायें कि इस तरह कैसे काम हो सकता है? वहां बाहर जनता इकट्ठी हो गयी इधर उनकी पलटन आ गयी वहां पर। अध्यक्ष महोदय आज जब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि राजाओं के प्रिविलेजेज खतम हो गये, अब इनके कोई राईट्स नहीं हैं तो भी वह लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वह 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक वहां पर जमा रहे। सभी अधिकारी मौजूद थे उन्होंने दरवाजे बन्द करके अपने आपको सेफ किया। उन लोगों ने वहां पर अपना पुराना राजाओं का झन्डा गाड़ दिया। इसके बाद भी, अध्यक्ष महोदय, अभी 26 तारीख को जब गणगोर थी तब उन लोगों ने कहा कि हमारी गणगोर यहां आयेगी जबकि मरदाना महल से आज तक गणगोर नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय, वह जान बूझ कर वहां पर लायी गयी। स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि जनता परेशान हो गई है। सरकारी अधिकारी जो ओफिसेज में हैं वह परेशान हो गये हैं अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटना बारबार हो रही है, प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। अब उनकी पोजीशन क्या है प्रिवीपर्सेज उनके खतम हो गये। प्रिविलेजेज उनके खतम हो गये इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिये कि वह एक आर्डिनरी व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार करना चाहिये, यह मरदाना महल पुराने जमाने से ही सरकारी आफिसेज के काम आता है और अब तो यह है कि सरकार ने उसको तीन लाख 20 हजार किराया भी दिया है। जिस तरह आज विधान सभा नोमीनल किराये पर दी हुई है और उसके कोई दूसरे कमरे को किराये पर नहीं दे सकते उसी प्रकार उसको भी किराये पर नहीं दे सकते। वह कहता है कि मेरे हिस्से वह प्रोपर्टी आगयी है इसलिये मैं उसको लूंगा अध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो सकता है और इसके अलावा स्वयं महाराजा भी अभी तक जिन्दा हैं। इन्होंने जो किराया क्लेम किया है, उस किराये में तमाम बिल्डिंग्स, तमाम जमीन, जाली तथा दीगर चीजें सरकार के कब्जे में दिखायी है ••

श्री अध्यक्ष : कृपया सूक्ष्म रूप से कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस बेसिस पर किराये का क्लेम किया। यदि इनकी प्रोपर्टी भी हो तो किसी को किराये पर दे दी उस पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता और जा नहीं सकता। इसके बावजूद भी इन्होंने यह किया है। बड़ी सीरियस बात है। प्रतापसिंह के अकेले की हिम्मत नहीं कि जो यह कार्यवाही कर सके। इसमें पूरी तरह से पूरा पुलिस विभाग नीचे से लेकर ऊपर तक उनका साथ दे रहा है आश्चर्य की बात तो वहां होती है, अध्यक्ष महोदय, कि कलेक्टर रिपोर्ट दर्ज कराये और सरकार और पुलिस विभाग कोग्नीजेन्स न ले। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन सब की जांच हो सकती है। महाराज कुमार होम कमिश्नर से लगातार कान्टेक्ट में थे। कितने टेलीफोन महाराजकुमार के किये और कितने टेलीफोन होम कमिश्नर ने महाराज कुमार को किये। यह झंडा लहराना होम कमिश्नर की नालेज से हो रहा था। मुझे अफसोस है कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी अलवर में जांय, महाराज कुमार इस प्रकार झंडा लहराने की कोशिश करे और उनको ओफिसर्स मुजरा देने के लिये जायं, महाराज कुमार के पैरों में बैठें कि मैं आपकी खाक हूं, इस तरीके का बरताव जहां हो, तो हौसला उनका क्यों नहीं बढ़ेगा ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह बात भी जाननी होगी माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उनका खुद का महकमा भी है, पहले भी सदन में इस प्रकार के इश्यूज आये हैं. जंगलात को काट लिया, कानून के खिलाफ काट लिया किन्तु उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी। मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिर ये राजा खत्म हो गये, पुलिस उन राजाओं महाराजाओं के हुक्म चाहती है, उनसे निर्देश चाहती है या हरिदेवजी जोशी, जो इस राज्य के मुख्य मंत्री हैं, उनके आदेशों का पालन करती है? यह छिपी हुई उनके प्रति लोयल्टी है।

जिन लोगों से लड़कर आजादी प्राप्त की, लड़कर जिनसे स्वतन्त्रता और सार्वभौमिकता प्राप्त की, जीती हुई चीजों को चैलेन्ज किया जाय, सामन्ती ताकतें अपनी सत्ता को लाने की कोशिश करें झंडा लहराने की कोशिश करें इस चीज को बरदाश्त नहीं किया जा सकता। मूक दर्शक की तरह से सरकार देखती रहे इस तमाशे को और पुलिस डिपार्टमेन्ट भी पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। नहीं तो महाराज कुमार प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया जाता, चोरी का जितना सामान था उसको बरामद किया जाता और सजा दी जाती। यहां सेक्रेटेरियेट में बैठे राज्य चलाने वाले लोग, होम कमिश्नर, आई० जी० पी० जैसे लोग साथ देते हैं, इन लोगों की लॉयल्टीज पर ये सब चीजें डाउट पैदा करेंगे। इन आई० जी० पी० और होम कमिश्नर की लोयल्टीज पुराने सामन्तवादियों के साथ रही होंगी, पुरानी सत्ता के साथ रही होंगी, उनके नौकरी में रहे होंगे, उनकी सत्ता में रहे होंगे किन्तु इन्होंने इस कोन्स्टीटयूशन के प्रति शपथ खायी है, इसके प्रति वे जिम्मेदार हैं। राजा महाराजा, राजकुमार जाति और बिरादरी के हो सकते हैं लेकिन उनकी लॉयल्टी उनके साथ इस बिना पर नहीं हो सकती। यह गवर्नमेन्ट को स्वयम् को चैलेन्ज कर रहे हैं। ये भंजदेव को पैदा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत डिटेल्स में जा चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय इसके सीरियस रिपरकशन्स जनता में पैदा हो सकते हैं और स्थिति को यह सरकार मूक दर्शक के रूप में बैठ कर तनावपूर्ण बना रही है। यह अगर नहीं सुनेंगे तो हम जनता को इकट्ठा करेंगे, जनता इकट्ठा हो कर लड़ सकती है, होम कमिश्नर राजा को झंडा लहराने को कह देवे। पहले भी जनता ने आई० जी० पीज०, होम कमिश्नर्स मिलिटरी सब का मुकाबला किया था और उनको हटाया गया। ये मिनियेचर लोग इधर बैठ गये हों, और सेक्रेटेरियेट में बैठ गये हों वे वापिस सत्ता कायम करें इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेन्ट को इस पर बयान देना चाहिये।

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन।

श्री भीमा राम।

(विराम)

विधायी कार्य।

(श्री भीमा राम के बोलने के लिये खड़े होने पर)

समय पर जब नाम पुकारा गया तब बोलना चाहिये था । चलिये ।

श्री भीमा राम (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम सुवादिया, तहसील जायल, जिला नागौर में गोचर भूमि का आंवटन रद्द करने से सम्बन्धित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार एवं विनियमन) विधेयक, 1974 पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

श्री परसराम मदेरणा (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

क्या सदन की अनुमति है कि माननीय मंत्री महोदय को राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश 1973 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1973) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक 1974 पर वादविवाद

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विनियोग विधेयक, 1974 पर अग्रेतर वादविवाद ।

श्री पी० के० चौधरी । .

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, कल मेरा भाषण अधूरा रह गया था। दो मिनिट ही बोल सका था । दो चार मिनिट और दिये जांय ताकि मैं अपनी बात पूरी करे सकूं ।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहिये ।

श्री मीठालाल (लालसोट) : खड़े हो कर बोलिये ।

श्री दीपंकर : खड़े होकर ही बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, हाउस में जो बढ़ी हुई संख्या है हमारे सदस्यों की है उसका कारण यही है कि जनता की समस्याओं और जंजालों के प्रति जागरूक रह कर उनका निराकरण के लिये कुछ किया जाय । इसके लिये बजट में कई प्रावधान किये गये हैं । सामाजिक सेवाओं में जो असमानतायें हैं उनको मिटाने का प्रयास किया है । सरकार को दोष देने वाला विरोधी दल, उसकी और से जनता

(श्री दीपंकर)

के फायदे के लिये कोई बात पेश नहीं की जाती है और जो भी वह पेश करते हैं, उनका यही अभीप्राय रहता है कि सरकार को बदनाम किया जाय जिससे जनता का सही फायदा न हो। कोओपरेटिव सोसाइटीज के जरिये समाजवाद राजस्थान में गांवों तक फैला हुआ है। बीज, खाद, ऋण का

(1.17 बजे म०प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

लाभ मिलता है और इस प्रकार बहुत सी जगह कोआपरेटीव सोसाईटीज के माध्यम से इस मूवमेन्ट के जरिये से अच्छे काम हुए हैं। इसमें शक नहीं है। इसको फेल करने के लिये समाज विरोधी लोगों ने समाजवाद को बदनाम करने की कोशिश की, अपने निजी स्वार्थ साधने के लिये इस डिपार्टमेन्ट को बदनाम किया है और नीति का भी, बिगाड़ किया है। सही माने में नीति को समझना चाहिये और इस नीति की क्रियान्विति के सम्बन्ध में जो भी लोग इस मूवमेन्ट मे घुस कर अड़चन डाल रहे हैं उनका ध्यान रखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में आप जो करने जा रहे हैं वह तो ठीक है पर इस बारे में सामाजिक स्तर पर जो सहयोग दिया गया है उसे भी नहीं भुलाया जाना चाहिये। राजस्थान में ऐसी सैकड़ों हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी अथवा कॉलेज की बिल्डिंगें हैं जिनमें एक पैसा भी सरकार का नहीं लगा है। लोगों ने उदारता से दान देकर शिक्षा प्रसार के पवित्र कार्य को दृष्टी में रखकर धार्मिक दृष्टी से अच्छा काम समझ कर, ये बिल्डिंगें बनाई हैं। पर ये भवन भी आज देखरेख और मरम्मत के अभाव में जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। इनकी देखभाल का जिम्मा, इनकी मरम्मत का जिम्मा, पी० डब्ल्यु० डी० को ले लेना चाहिये। आज दानदाता इनकी मरम्मत कराने की स्थिति में अपने को नहीं पाते। इस दृष्टी से इनको सरकार को अधिग्रहण कर लेना चाहिये। और मरम्मत आदि के लिये पी० डब्लु० डी० को सौंप देना चाहिये। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि इस तरह की एक विशाल बिल्डिंग डीडवाना में है। कॉलेज भवन है वह।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी).

अब सरकारी कर्मचारियों ने जो अपना महंगाई भत्ते के प्रश्न को लेकर आन्दोलन चलाया।

श्री उपाध्यक्ष : Come to the relevant topic.

श्री दीपंकर : मैं महंगाई पर नहीं बोल रहा हूं। महंगाई भत्ते के नाम पर सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकारी खजाने पर दिन दिन बोझा बढ़ता जा रहा है इसके लिये मेरा सुझाव है कि जहां जहां सरकारी कार्यालय है सारे राजस्थान भर में वहां वहां सरकारी कर्मचारियों की, ही केवल सहकारी उपभोक्ता भण्डार संस्थाएँ खोलनी चाहिये। उन भण्डारों से जनता के किसी वर्ग को कोई सामान नहीं मिले केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये वह रहे। इससे कुछ कन्सेशनल रेट पर सस्ती दर पर चीजें मिल जावेंगी और इस तरह से महंगाई भत्ते की रात दिन आने वाली समस्या का मुकाबला किया जा सकेगा।

(श्री दीपंकर)

सरकार वैसे भी कई धन्धों में लाखों रुपया इनवेस्ट करती है उसी तरह इन उपभोक्ता भण्डारों में भी पैसा लगावे। और इसमें काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनमें काम करने की छूट और समय भी दें। नहीं तो लाखों करोड़ों रुपया महंगाई के नाम पर लगातार इन पर खर्च करते रहने से विकास का काम जनता के हित का काम नहीं हो सकेगा। जन विकास की हमारी सारी आशाएं धूमिल हो जावेंगी सारा पैसा इनको देने में ही चला जावेगा।

फिर एक बात और है। सरकार अपनी योजनाओं को लागू इन अधिकारियों के मार्फत ही ठीक तरह से करा सकती है। इसके लिये सरकारी अधिकारी का एक मापदण्ड भी स्थिर किया जाना आवश्यक है। अगर सरकारी अधिकारी मन से विकास के काम में नहीं लगता है तो उसे वहां से स्थानान्तरित कर दिया जावे। तब सरकार योजनाओं को सही माने में लागू कर सकेगी और उनका लाभ जनता को दे सकेगी।

अब कृषि जोतों का सवाल है। हमने आरोप लगाये कि इस में भेदभाव होता है। सीलिंग को ठीक तरह से लागू नहीं करा सकी यह सरकार। हमारा लक्ष्य समाजवाद का है, इसके लिये जरूरी है कि सरकारी अधिकारी को भी इसमें छांट कर जो सरकार की नीति में मन से सहयोग देने वाला हो उसे यह काम सौंपें। और बाकी सभी प्रगतिशील नीति में विश्वास रखने वाले लोगों को इस काम में रकार को सहयोग देना चाहिये

इस माने में समाजवाद की नीति में विश्वास रखने वाले सभी दल हमें रास्ता बता सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् हमें रास्ता बता सकती है। हमारे समाज में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान होकर सही माने में प्रगतिशील विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते हुए मैं केवल एक मुद्दे पर ही बोलूंगा : वह मुद्दा है रीजनल इम्बेलेन्स का।

दो दिन बाद से पांचवीं योजना प्रारम्भ होने वाली है। मैं नहीं जानता कि सरकार की तरफ से जो प्लान तैयार किया गया है उसमें रीजनल एम्बेलेन्स न होने पाये इसका भी ध्यान रखा गया है या नहीं। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पिछले दो-तीन प्लानों के समय से यह देखा गया है कि जो उसका प्लान डवलपमेन्ट का ध्येय था सभी क्षेत्रों को बराबर बढ़ाने का, वह पूरा नहीं हो पाया। उससे रीजनल इम्बेलेन्स बढ़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड प्लान में कहा जरूर गया कि डवलपमेन्ट सब जगह समान हो, पर जो आंकड़े मैं प्रस्तुत करूंगा उससे साबित हो जावेगा कि ऐसा किया नहीं गया।

(श्री पी० के० चौधरी)

पिछली योजनाओं में, तीसरी और चौथी में, फण्डस का डीलोकेशन जिस तरफ से किया गया क्या उसी तरह से आने वाले पांच छः दिनों में आप पांचवीं योजना के लिये करने तो नहीं जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी प्लान में राजस्थान में 102 करोड़ का खर्च हुआ। इसमें से जयपुर संभाग में जिसकी आबादी राजस्थान की चालीस प्रतिशत है, जो एलोकेशन फण्ड्स का किया गया वह मैं बताता हूं। जो खर्चा किया गया वह इस प्रकार है:–

अजमेर	646 लाख
अलवर	263 लाख
भरतपुर	339 लाख
जयपुर	927 लाख
झुंझुनू	213 लाख
सवाई माधोपुर	283 लाख
सीकर	187 लाख
टोंक	206 लाख

इस तरफ से 30 करोड़ 62 लाख रुपया सैकण्ड प्लान में जयपुर संभाग में खर्च किया गया जब कि जयपुर संभाग में राजस्थान की कुल पापूलेशन की चालीस प्रतिशत से अधिक जनता आती है। तीस करोड़ यानी तीस पर्सेन्ट खर्चा किया गया जब कि चालीस प्रतिशत तो आबादी के लिहाज से कम से कम किया जाना चाहिये था।

इस बार उम्मीद करता हूं कि कम से कम जयपुर संभाग का एलोकेशन पापूलेशन के आधार पर किया जायेगा।

तीसरी प्लान में एलोकेशन किया गया इस प्रकार है :–

अजमेर	212 लाख
अलवर	360 लाख
भरतपुर	511 लाख
जयपुर	1240 लाख
झुंझुनू	234 लाख
सवाई माधोपुर	250 लाख
सीकर	240 लाख
टोंक	188 लाख

कुल 35 करोड़ 24 लाख के करीब यह हुआ जो कि टोटल का 12 पर्सेन्ट ही बनता है कि जब कि जयपुर की इन 8 जिलों की आबादी राजस्थान की चालीस पर्सेन्ट बनती है।

1966-67 की जो एन्युअल प्लान थी उसमें 48 करोड़ खर्च हुआ। अब इन आठ जिलों में इसमें से जो खर्चा हुआ वह मैं बताता हूं।

अजमेर	76 लाख
अलवर	89 लाख
भरतपुर	144 लाख
जयपुर	218 लाख
झुन्झनूं	40 लाख
सवाई माधोपुर	54 लाख
सीकर	51 लाख
टोंक	32 लाख

कुल सात करोड़ चालीस लाख रुपया हुआ, जो कि सारे राजस्थान का 15 पर्सेन्ट प्लान एलोकेशन का होता है, जब कि इनकी पापूलेशन 40 प्रतिशत है।

(श्री पी० के० चौधरी)

जब कि यहां की आबादी 40 प्रतिशत है। इस प्रकार 1967-68 के एन्युअल प्लान में 39.87 करोड़ है जिसमें अजमेर को 79, लाख, अलवर को 76 लाख भरतपुर को 77 लाख, जयपुर को 1.78 लाख, झुन्झुनूं 37 लाख, सवाई मधोपुर 38 लाख सीकर को 38 लाख, टोंक को 27 लाख। कुल 5.51 करोड़। मतलब 14 प्रतिशत खर्चा हुआ। इस प्रकार जो फिगर निकला है फोर्थ प्लान का फाइव ईयर का 203 करोड़ में से जयपुर डिविजन में 42 करोड़ 82 लाख खर्च हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के डेवलपमेंट में एक तरफ का ध्यान रखा है बेलेन्स्ड डेवलपमेंट सारे इलाके पर होना चाहिये, किसी एक का डेवलपमेंट न हो। लेकिन कोई पर्टीक्यूलर इलाका डवलप हो और जहां 40 प्रतिशत जनता रहती है उसका जितना हिस्सा है वह भी नहीं मिले, उससे भी कम, लगातार प्लान्स में देख रहे हैं 14-15 प्रतिशत खर्च करते हैं।

हमने उपाध्यक्ष महोदय, बजट के जनरल डिसक्सन में इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि जयपुर डिविजन में हमारी आबादी के अनुपात में जो हम रेवेन्यू देते हैं उसके हिसाब से उसको कन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है वित मंत्री. महोदय ने कहा इसका जवाब एप्रोप्रियेशन बिल पर देंगे। यानि करेन्ट ईयर का एन्युअल बजट है प्लान बजट है नेक्स्ट ईयर का······

श्री परसराम मदेरणा तीन प्लान पीरियड·· ·· · ··

श्री पी० के० चौधरी : अब सुन लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : तीन प्लान्स में कौनसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ ?

श्री पी० के० चौधरी : मैंने सुना दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने तो डिविजन की बात कह दी·····

श्री पी० के० चौधरी : डिस्ट्रिक्ट की भी बात सुना दी है।

श्री राम किशन : वैसे आपको तो पता है कहां खर्चा हुआ है।

श्री पी० के० चौधरी : बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में आपके विभाग से मालूम कर लीजिये। मैंने तो बता दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नया प्रश्न है, इसका नोटिस चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स के संभाग से····

श्री पी० के० चौधरी : आप जब जवाब देंगे, तब बता देना। बजट के जनरल डिसक्शन में इस बात का ध्यान आकर्षित किया था। नैक्स्ट ईयर का जो बजट था, केपिटल आऊटले था उसको बताया, 79-80 करोड़ का जो बजट है उसमें से 103 बजट आऊट ले का बताया था। जयपुर संभाग के लिये 1 05 खर्चा होता है। डवलपमेंट है उस समय। वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि हम एप्रोप्रियेशन बिल पर बतायेंगे। सदन को मिसगाइड किया था, जो मैं चेलेन्ज करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है इस संभाग का प्रश्न मैंने उठाया था, वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था कुछ खर्च ज्यादा नहीं होते हैं उन्होंने 15 तारीख को जवाब दिया

(श्री पी० के० चौधरी)

था। इस संभाग की जो लोकेलिटी इलेक्ट्रिफाई की गई है वह सारे राजस्थान का 74 पर्सेन्ट और हर कुआ का 74 पर्सेन्ट। यह भाषण था। जो बिजली बोर्ड का प्रतिवेदन है, उसके आंकड़े प्राप्त किये हैं और उसके आधार पर कहना चाहता हूं।

बिजली बोर्ड के आंकड़े फरवरी 1973 तक अजमेर 169, अलवर 291, भरतपुर 203, जयपुर 656, झुन्झुनू 227, सवाई माधोपुर 157, सीकर 170, टोंक 178। फरवरी 1973 तक 2021 जयपुर संभाग में आते थे 4884 में से, और जो कुएे आते हैं अजमेर में 20, अलवर में 11706, भरतपुर में 2691, जयपुर में 18155, झुंझनू 7760 सवाईमाधोपुर 6748, सीकर 6410 और टोंक में 1069 जो 74 प्रतिशत नहीं होता है। 60 प्रतिशत होता है और लोकेलिटी जो इलेक्ट्रिफाई की वह 60 पर्सेन्ट नहीं होती है 43 पाइन्ट समथिंग होती है। सदन को मिसगाइड करने की कोशिश की है। वे बतायेंगे वे मुझसे यह कहते थे। आप फरवरी, 1973 का फीगर दे रहे हैं। 74 प्रतिशत लोकेलिटी होता है तो आपका बजट के आधार पर एण्ड ऑफ फोर्थ प्लान 5750 गांव 74 प्रतिशत से 4383 गांव आते हैं, क्या मंत्री महोदय नाम बता दें पिछले एक साल 1973 में जयपुर संभाग में 1366 गांव कौन से इलेक्ट्रिफाई किये हैं या जो बयान किया है, वह गलत किया है। सदन को मिसगाइड किया है। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं जो 60 पर्सेन्ट कुआ होता है 74 पर्सेन्ट जयपुर संभाग के लिये बता दें नहीं को सदन को इस प्रकार से मिसगाइड न करें। इस प्रकार से मिसगाइड करने का प्रयत्न न करें। दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, मैंने बजट भाषण में इस बात को कहा है माननीय मंत्री महोदय बैलेन्सड बजट की बात कह रहे हैं। प्लान बजट 5 करोड़ 82 लाख, उसका विद्युत करने को कहा था। हमारा जो 36 करोड़ है, जो प्लान है उसको हमने 1500 करोड़ सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन से करा दिया, एक चाह्वाण साहब की चिट्ठी बताई लेकिन मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूर नहीं किया है। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा है 12 साल में इंसटालमेंट होगा वह 15 साल में इन्स्टालमेंट होगा। 12 करोड़ रखा है उससे जाकर 5 करोड़ 87 लाख करेंगे। पांच साल असेप्ट करने के बाद जो इन्स्टालमेंट है वह 7 करोड़ 20 लाख आती है। वेज एन्ड मीन्स 7 करोड़ 20 लाख होता है न कि 5 करोड़, 82 लाख होता है। आपका एक्सेस रहता है 4 करोड़ 80 लाख उसमें एक करोड़ का घाटा पड़ता है····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बात को, बेलेन्सड डवलपमेंट की बात को, लेकिन हमको फैक्ट्स को बढ़ा कर के बता दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में दो मिनिट, फिफ्थ प्लान का सदन में डिसकशन होना चाहिए था, वह डिसकशन नहीं हुआ है। इस प्लान का जो अलोकेशन हुआ है वह भी इस बात का द्योतक है कि जयपुर संभाग की उपेक्षा की गई है, उपाध्यक्ष महोदय, जो ड्राफ्ट प्लान हमको मिला है 335 करोड़ का प्लान है, इसमें जयपुर संभाग का कोई लेना देना

(श्री पी० के० चौधरी)

नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल एरिया आपके किताब में दिया हुआ है उसमें 81.74 करोड़ चम्बल कमान्ड एरिया 10 करोड़, डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम 35 करोड़, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट 25 करोड़, इरिगेशन प्रोजेक्ट 15 करोड़ 67 लाख, माही 8 करोड़ 81, लाख, अदर इरिगेशन वर्क्स 35 करोड़ 47 लाख, कोलोनाइजेशन 1.80 करोड़, डेजर्ट डवलपमेंट एजेन्सी 1 करोड़, डवलपमेंट आफ बेकवर्ड एरिया 6 करोड़, पास्चर डवलपमेंट 5.50 करोड़, फारेस्ट डवलपमेंट 1 करोड़, एनीमल हस्बेन्डरी 11 करोड़ 25 लाख, फारेस्ट्री 2 करोड़ 55 लाख, मिनरल डवलपमेंट 16 करोड़ 65 लाख, यह 16 करोड़ जाता है दूसरे डिविजन में। रूरल वाटर सप्लाई पर 44 करोड़ का प्लान है और उसमें से सिर्फ 4 करोड़ रुपया जयपुर सम्भाग का है। इस प्रकार से 635 करोड़ के बजट का जो 299.44 करोड़ रुपया है उसमें से एक पाई का हिस्सा नहीं मिलता है। बाकी जो बच जाता है 300 करोड़ आपका फिफ्थ प्लान का उसमें से आता है 14 या 15 परसेंन्ट हिस्सा जयपुर सम्भाग का। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी स्टेट के डवलपमेन्ट का मकसद यह नहीं है कि किसी पर्टीकुलर एरिया का डवलपमेन्ट किया जाये और दूसरे का नहीं किया जाये। प्लानिंग कमिशन कहता है :

"Balanced development of different parts of the country, extension of the benefits of economic progress to the less developed regions and widespread diffusion of industry are among the major items of planned development."

प्लान्ड डवलपमेन्ट का मकसद यह है कि हर क्षेत्र को डवलप करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। यह नहीं हो कि किसी पर्टीकुलर एरिया को ही डवलप करें–

"The essential objective should be to secure the fullest possible utilisation of the resources of each region so that it can contribute its part to the national part and take its due share from the benefits accruing from national development."

अन्त में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, प्लानिंग कमिशन का कोटेशन है:

"Excessive emphasis on the problems of particular region and attempt to plan for this development without relative needs and requirements of the national economy have to be guarded against....."

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ढंग से प्लान बना रहे हैं और हमारे जयपुर सम्भाग की 40 पर्सेन्ट पापुलेशन है, आप उसके डवलपमेंट का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं। कम से कम हमको फुल्ली डवलप करने का मौका मिलना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस बात के लिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि हो सकता है जयपुर सम्भाग

(श्री पी० के० चौधरी)

के एम० एल० ए० यहां ग्राये हैं उनको पता नहीं हो। जयपुर सम्भाग की जनता को एतराज है कि उनकी उपेक्षा की जाती है और हम बात कहते हैं तो फैक्ट्स को डिस्टार्ट करके गुमराह करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर सम्भाग की प्राब्लम्स की तरफ पूरा ध्यान नहीं देंगे तो चाहे आज सदन के अन्दर फैसला नहीं हो तो सदन के बाहर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 5,05, 64, 12,000 रुपयों का विनियोग विधेयक पेश किया है, उसके संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। इस सदन में जो मांगें प्रस्तुत की गयीं, बहस के समय कुल 47 मांगों में से 24 मांगों पर विचार हुआ और इस सदन में 23 मांगें ऐसी रह गयीं जिनका हमने मुंह बन्द करके समर्थन किया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, जो यह 23 मांगें हैं और जिनके लिए हमने मुंह बन्द करके समर्थन किया है उसकी सदन को ठीक ठीक जानकारी मिले और उसका हमारे राज्य के विकास पर क्या असर पड़ने वाला है उसके संबंध मे मैं निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट पर हुई आम बहस का जवाब दिया था उस समय राजस्थान के विकास की एक विलक्षण तस्वीर पेश की थी और विलक्षण इस मायने में कि कहां शुरू हुआ और कहां राजस्थान पहुंच गया, ऐसी उन्होंने गिनती दी और सदन में ऐसी भावना पैदा की और इस तरह की हवा बनाई कि शायद राजस्थान दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित राज्य है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये विकास के उन्हें हम स्वीकार करते हैं। इतना विकास तो हुआ ही है, इसको मना कौन करता है लेकिन सवाल यह नहीं है कि विकास कितना होता है। हमारी पुरानी स्थिति में सुधार हुआ है, यह हम स्वीकार करते है लेकिन देखना यह होगा कि दूसरों के मुकाबले में हम कहां खड़े हुए हैं। तो नम्बर एक बात तो माननीय मंत्री महोदय के दिमाग में यह रहनी चाहिए और दूसरी बात दिमाग में यह रहनी चाहिए कि जिस दिन से राजस्थान बना है राजस्थान का बजट 14 करोड़ का था। राजस्थान की कुल आमदनी 14 करोड़ थी और अब आपका विनियोग विधेयक जब 5 अरब के ऊपर पहुंच गया है तो आप जरा कल्पना कीजिए कि क्या इतना भी विकास नहीं होगा? तो क्या आप यह आशा करके चलते थे कि सारे ही पैसे को खा जाये। कुछ न कुछ तो काम होना ही चाहिए। इसलिये ऐसे विचार प्रकट करने से पहले जो साधारण सम्भावनायें थीं उनका जिक्र करना चाहिए और केवल उत्साह में तालियां पिटवाने के लिए ऐसी बातें करते हैं तो मैं आपको सत्य कहता हूं कि और राज्यों के मुकाबले हमारा राजस्थान राज्य पिछड़ा जायेगा। आपके आंकड़ों से केन्द्रीय सरकार यह सोचेगी कि राजस्थान का पूर्ण रूप से विकास हो गया है और राजस्थान में सारी चीजें पूरी हो गयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारा राज्य भिखारी है। हमें हर तरह की मदद की जरूरत है। हम बजट में घाटे की पूर्ति के

(श्री रामकिशन)

लिए कर्ज लेते हैं, हम अकाल के लिए कर्ज लेते हैं, सारी योजनाओं के लिए कर्ज लेते हैं, पुलिस के क्वाटर्स बनाने के लिए कर्ज लेते हैं। जो कर्ज की लिस्ट है उसमें हम देखेंगे कि अन्य राज्यों ने भी कर्ज लिये हैं। जब कर्ज की बात आई तो मंत्री महोदय ने कह दिया कि अन्य राज्यों ने भी कर्ज ले रखा है तो इसमें बुराई क्या है। दूसरे राज्यों ने कितना कर्ज लिया उसके आंकड़े भी यहां गिना दिये। मैं मानता हूं कर्ज लेना बुरा नहीं है। कोई भी विकासशील देश बिना कर्ज के नहीं चल सकता, यह तो सही है लेकिन जरा देखिये कि हमने किस बात के लिए कर्ज लिया है, तमिलनाड ने किस बात के लिए कर्ज लिया है। हरियाणा ने किस बात के लिए कर्ज लिया है और राजस्थान ने किस बात के लिए कर्ज लिया है। अगर हम इसको देखें तो सारे कर्ज की सूची में, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं इसलिए दोहराऊंगा नहीं, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों ने जहां योजना मद में कर्ज लिया है वहां हमने गैर योजना कार्यों के लिए कर्ज लिया है। हरियाणा और पंजाब ने विकास के लिए कर्ज लिया है। फर्क यह है कि हमने कर्ज लिया है खाने पीने के लिए और उन्होंने कर्ज लिया है सम्पत्ति बनाने के लिए।

आप एक बात देखें कि हमारे राज्य पर 8 अरब के आसपास कर्ज है और 31 मार्च, 1975 जब होगा तो उसका आपने अन्दाजा लगाया है कि हमारा कर्ज 9 अरब से ऊपर पहुंच जायेगा। अब हम कर्ज भी लेते हैं, हमारा सामान्य बजट भी बढ़ रहा है, योजना में जितने टैक्स रिसोर्सेज के लिए कोशिश की उतने रिसोर्सेज भी पैदा हो रहे हैं लेकिन एक चीज पर नजर नहीं डाली गई कि हम जितना खर्च कर रहे हैं उसके असेट्स क्या हैं। और आप उसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि आपका कर्ज बढ़ रहा है और असेट्स घट रहे हैं। टैक्स का भार बढ़ता चला जा रहा है।

मैंने टैक्सेज के संबंध में बिक्री कर की रेट्स बताई कि राजस्थान में बिक्री कर की दरें सबसे ज्यादा हैं। मैंने औद्योगिक राज्यों के मुकाबले में कहा है खेती वाले राज्यों के मुकाबले नहीं। खेती वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार आदि हमसे पीछे हैं। तो हमारा टैक्स तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन साथ ही साथ हम पर कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है और गैर योजना के लिए कर्ज लिया जा रहा है। एक बात तो यह ध्यान में रखनी है।

दूसरी बात, कर्ज का नतीजा हमको पता लगना चाहिए कि कितनी सम्पत्ति है तो आप देखेंगे कि हमारी सम्पत्ति की हालत क्या है? आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं। 1971-72 तक जो फाइनेन्स अकाउन्ट्स में राशि दिखाई गई है यह बताना चाहता हूं कि हमारे असेट्स क्या हैं और हमारी लाइबिलिटी क्या है। हमारी 1971-72 में जो लाइबिलिटी है वह 7 अरब 63 करोड़ 30 हजार के करीब है और असेट्स 6 अरब 32 करोड़ 63 लाख के आसपास हैं। तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ती चली जा रही है और हमारे असेट्स कम होते चले जा रहे हैं। इसका अब आप जवाब दें तो मेहरबानी करके बतायें कि यह पैसा

(श्री रामकिशन)

कहां चला गया । इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हमने विकास के काम के लिए कर्ज नहीं लिया और हमने खाने-पीने के लिए कर्ज लिया है, एशोआराम के लिए कर्ज लिया है । कर्ज लेना बुरा नहीं है लेकिन किस बात के लिए लिया है यह देखना पड़ेगा । जैसे गांव का किसान कुआ बनाने के लिये कर्ज लेता है, अगर जमीन का सुधार करने के लिए कर्ज लेता है तो उसे हम समझदार और प्रगतिशील किसान कहेंगे और अगर वह दावत करने के लिए या मौज आराम के लिए कर्ज लेगा तो उसको हम मूर्ख कहेंगे। इन कामों के लिए कर्ज लेना मूर्खता है। वही स्थिति आज हमारी देखें तो हम जो कर्जा ले रहे हैं वह गैर योजनाओं के व्यय के लिए कर्जा ले रहे हैं, इस बात को वित्त मंत्रीजी अपने दिमाग में साफ कर लें। दूसरी बात अन्य राज्यों का कर्जा हमसे ज्यादा है लेकिन आप यह भी देखें कि प्रति व्यक्ति कर्जा राजस्थान का सबसे ज्यादा है । अन्य राज्यों का कर्जा ज्यादा है. तमिलनाड का कर्जा हमसे ज्यादा है, आंध्रप्रदेश का कर्जा हम से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश का कर्जा हम से ज्यादा है लेकिन प्रति व्यक्ति कर्जा सबसे ज्यादा हमारा है । इसलिए इन तीन-चार तरह की समस्याओं को आपको देखना होगा कि प्रति व्यक्ति कर्जा हमारा ज्यादा है, आमदनी हमारी कम हो रही है, हमारे विकास की गति धीमी है और इसके साथ असेटस हमारे बन नहीं रहे हैं । हम फालतू कामों के लिए, बजट का घाटा पूरा करने के लिए कर्जा ले रहे हैं लेकिन हम काम के लिए कर्जा नहीं ले रहे हैं, यह हमको देखना पड़ेगा और इस पर आपको विचार करना पड़ेगा ।

माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जवाब देते वक्त यह कह दिया कि हमारी अ-कर रेवेन्यू, नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है । जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आपको ग्राण्ट मिल रही है उसको आपने नान-टैक्स रेवेन्यू में शामिल कर दिया है और उसको आप नान-टैक्स रेवेन्यू मान रहे हैं, आपने इसको वेरीफाई कर लिया होगा और आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, लेकिन आप सारी स्थिति को देखें कि आपका विनियोजन कितना हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है । सरकारी उद्योगों पर जो आपका पैसा लगा हुआ है उसका आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है आप इस बात को भी देखें । कहां कहां पर आपकी पूंजी लग रही है और उसका रिटर्न क्या राज्य सरकार को मिल रहा है, इस पर आप सोचें । आपको ब्याज क्या मिल रहा है और आप कितना ब्याज दे रहे हैं । आपने बजट के समय बोलते हुए कहा था कि मैं तो बनिया हूं । मैं भी मानता हूं कि वित्त मंत्री को बनिया जरूर होना चाहिए, उसकी समझ बनिये की जरूर होनी चाहिए और उसका नजरिया बनिये का जरूर होना चाहिए । मैं कहता हूं कि वित्त मंत्री को अच्छा वित्त मंत्री होने के लिए उसकी समझ बढ़िया किस्म के बनिये की होनी चाहिए । अब जरा आप ध्यान से देखिए आप ब्याज कितना दे रहे हैं और आप वापस ब्याज कितना ले रहे है। इधर आपके असेटस घट रहे हैं और आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल पांच साल का हिसाब आपको बताता हूं । 1968-69 में आपको

(श्री रामकिशन)
ब्याज जो देना पड़ा है वह देना पड़ा है 22 करोड़ 8 लाख का और आपको ब्याज कितना प्राप्त हुआ है ? आपने पैसा कहां लगाया है और उसका ब्याज आपको क्या मिला है, यह देखिए। आपको ब्याज मिला है 10 करोड़ 40 लाख। 1969-70 में आपको ब्याज देना पड़ा है, चाहे केन्द्रीय सरकार को देना पड़ा हो या और किसी आधार पर जो कर्जा आपने लिया है किसी एजेंसी के जरिये से, उसके लिए ब्याज देना पड़ा है 26 करोड़ 3 लाख और आपको वसूल हुआ है 12 करोड़ 23 लाख। 1970-71 में आपको ब्याज देना पड़ा है 32 करोड़ 89 लाख और ब्याज जो वसूल हुआ है आपका वह है 13 करोड़ 98 लाख 1971–72 में ब्याज देना पड़ा है 36 करोड़ 23 लाख और वसूल हुआ है 21 करोड़ 24 लाख। इसी तरह से 1971-72 में ब्याज देना पड़ा है आपको 35 करोड़ 3 हजार और वसूल हुआ है 21 करोड़ 24 हजार। 1973-74 में आपको ब्याज देना पड़ा है 48 करोड़ 91 लाख और वसूल हुआ है, जो राज्य कोष में रुपया आया है ब्याज का, वह है 16 करोड़ 16 लाख। 1974-75 में आपने अनुमान लगाया है कि 52 करोड़ का कर्ज के ब्याज का बोझ आप पर रहेगा। आप जरा देखिये कि न आप बनिये हैं, न आप बामण हैं और न आप में ऐसी क्षमता ही है। अब आप अपनी वसूलियों को लीजिए। आप देखिये कि इस मामले में भी आप कहां खड़े हैं। जो आपने ब्याज लिया और दिया है उसके बाद में आपकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। आपने जो उधार दिया था वह उधार वापस वसूल करते जा रहे हैं। जो आपने कर्जा दे रखा है वह वसूल होता चला जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी अब ऐसी स्थिति भी नहीं है कि भविष्य में ब्याज भी अर्जित कर सकें, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे डिविडेंड भी ले सकें। 1968-69 में जो आपने वसूली की, कर्जा जो आपने दिया था उसको वसूल किया वह था 9 करोड़ 60 लाख। 1969-70 में 9 करोड़ 15 लाख 1970-71 में 9 करोड़ 26 लाख, 1971-72 में 7 करोड़ 72 लाख और 1972-73 में 5 करोड़ 70 लाख आपने वसूल किया। इसका मतलब यह है कि जहां कहीं आपने पूंजी लगा रखी है वह पूंजी वापस आती चली जा रही है। ब्याज बढ़ता चला जा रहा है, आपकी लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही है और इसके मुकाबले में आपके असेट्स घटते चले जा रहे हैं। आपको अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, जिस जगह जा रहा है यहां से वापस भी मिलने की उम्मीद है कि नहीं ?

इसके अलावा असल दिक्कत क्या है ? यह हमारा जो बजट का तरीका है, मैं न तो फाइनेंस एक्सपर्ट हूं, न कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता हूं, न मैं इस बात का दावा ही करता हूं, मुझे इसका ज्ञान भी नहीं है, बहुत कम है, कम से कम आपसे और इस सदन के अन्य माननीय सदस्यों से बहुत कम ज्ञान है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा और आप जरा ध्यान से देखिए कि राज्य सरकार का खर्चा किस प्रकार चल रहा है। मैं आपको केपिटल अकाउण्ट की बात बताता हूं, रेवेन्यू अकाउण्ट की बात की, रेवेन्यू अकाउन्टकी पोजीशन यह है, जो आपकी स्थिति है।

(विराम)

श्री नानालाल : कल बता देना ।

श्री राम किशन : कल भी नहीं बताऊं अगर आपको जरूरत नहीं हो ।

(विराम)

कागज मेरे रह गए लगते हैं । खैर, उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन है, कागज रह गए हैं मेरे जो मैंने तैयार किए थे । आपका सारा जो राजस्व व्यय है उस राजस्व व्यय में केन्द्रीय प्लान का खर्चा और राज्य के प्लान का खर्चा निकालें तो उसके बाद किस काम पर आपका पैसा खर्च होता है । आपका जो व्यय आता है इतने बड़े बजट में वह कोई 2 अरब 83 करोड़ आता है । राजस्व व्यय में आपका खर्चा करीब 2 अरब 83 करोड़ का है । राजस्व व्यय में जो आपका विनियोजन है, जो योजनागत व्यय है, स्टेट की योजना और केन्द्र की योजना के व्यय को निकाल दें तो उसके बाद योजनाओं में क्या खर्चा रह जाता है । कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ती जाती है और उसमें सारा पैसा चला जाता है, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा, जब कोई भी काम कराना होगा तो उसके लिए कोई न कोई एजेंसी तो चाहिए ही, लेकिन आपका अनुपात देखिए। इतनी योजनाओं को चलाना है और पिछली योजनाओं का कैरीओवर हुआ है, आगे साल में वह बढ़ता गया है उस सारे खर्च को देखेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का खर्चा इस दृष्टि से सबसे ज्यादा है । मैं आपसे चाहूंगा कि आगे जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, उनके वेतन भत्ते आदि पर जो कुछ खर्चा हो रहा है वह तो ठीक है लेकिन भविष्य में आप रोजगार देने का माध्यम केवल सरकारी सेवाओं को नहीं बनायें । अगर सरकारी सेवाओं को माध्यम बनाया गया तो मैं ऐसा समझ कर चलता हूं कि आगामी दस-पन्द्रह साल के बाद आपके पास एक नया पैसा नहीं रहेगा जिसको आप निर्माण कार्यों पर लगा सकें । जो आपके अनुत्पादक खर्चे हैं वे बढ़ रहे हैं लेकिन उत्पादन कार्यों के अन्दर आप पिछड़ रहे हैं । आपके पास उत्पादक कार्यों के लिए बचत नहीं है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस दृष्टि से विचार करें ।

एक निवेदन मैं और विशेष तौर से आपसे करना चाहूंगा । हमने आपके यहां के सारे स्वरूप को देखा । मैंने चौधरी साहब, जो फागी से या दूदू से आते हैं, पी. के. चौधरी साहब हरबार दूसरी जगह से आते रहते हैं, अब वे फुलेरा से आये हैं। वे अभी रीजनल इम्बेलेंस की बात कह रहे थे । रीजनल इम्बेलेंस की बात नई नहीं है । इस सदन में मैंने भी और अन्य माननीय सदस्यों ने भी सवाल उठाया था और आज फिर एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के लोगों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है । अगर उदयपुर में पैसा खर्च होता है तो इसमें हमें कोई नाराजगी नहीं है । लेकिन एक अच्छे वित्त मन्त्री के नाते, और एक अच्छी योजना बनाने वाले व्यक्ति की हैसियत से इस बात को देखना पड़ेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो वह इस प्रकार का हो कि उससे रिटर्न जल्दी आ जाय, क्योंकि अगर हम इस नीति से नहीं चल सके तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे । हमने यह

(श्री रामेश्वर)

वायदा किया था हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे देश को, हमारे प्रदेश की इकोनोमी सेल्फ जनरेटिंग हो जायगी, अपने आप रिटर्न देने लगेगी हमारी योजनाएं। आज पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आ गया है, हालांकि अभी भी वह कोई मान्यता प्राप्त प्रारूप नहीं है, पांचवी पंचवर्षीय योजना फाइनल नहीं हुई है लेकिन इस प्रारूप में आपने खुद ने माना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे राज्य की प्रोग्रेस रेट क्या है, हमारे देश की और हमारे राज्य की प्रगति रेट क्या रही है इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी पूंजी का नियोजन ऐसी दिशा में हो गया जिसके कारण जो नतीजे हमें मिलने चाहिए वे नहीं मिल रहे हैं। जिस इलाके में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था जहां से हमको रिटर्न मिलने लग जाता उन इलाकों में सही इन्वेस्टमेंट वैसा नहीं हुआ है। जब हम रीजनल इम्बेलेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोई सुजानगढ़ से द्वेष है। इसका अर्थ यह कभी भी नहीं है कि हम बाड़मेर या चूरू से आने वाले माननीय सदस्यों से द्वेष रखते हैं। हमारे मन में केवल एक कल्पना है कि राजस्थान का निर्माण होना चाहिए अपने साधनों से। केन्द्रीय सरकार से अब आपको ज्यादा सहायता मिलने वाली नहीं है क्योंकि विदेशों से जो केन्द्रीय सरकार को आर्थिक मदद मिलती थी वह अब उतनी नहीं मिलने वाली है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट लोक सभा में परसों डिस्कस हुई है जो लीकेज हो गई, उससे अन्दाजा हो गया कि अब पश्चिमी मुल्क भी हिन्दुस्तान की बड़ी सहायता करने की स्थिति में नहीं है। जब हमें विदेशी सहायता नहीं मिले तो केन्द्रीय सरकार भी सहायता में कटौती करेगी और हमें ज्यादा पैसा नहीं दे पायेगी और हमें अपने आप, अपने साधनों से ही अपने राज्य का विकास करना होगा, इस बात के लिए अपने दिमाग को अभी से साफ कर लेना चाहिए। मैं एक निवेदन करूंगा रीजनल इम्बेलेंस के बारे में वह फिलहाल इससे सम्बंधित नहीं है। यह रीजनल इम्बेलेन्स केवल इस राजस्थान की समस्या नहीं है। यह समस्या सारी दुनिया की है। सारी दुनिया की समस्या है। अगर हम राजस्थान में से इम्बेलेन्स को खत्म करना चाहते हैं, देश के इम्बेलेन्स को खतम करना चाहते हैं तो आपको जिलों पर एक नजर डालनी पड़ेगी। आप देखेंगे योजना के तहत राज्यों में कितना पैसा एक व्यक्ति पर खर्च हुआ है, और दूसरे राज्यों में कितना खर्च हुआ है। चूंकि यहां पर इम्बेलेन्स बना हुआ है इसलिए अन्य राज्यों से नहीं लड़ सकते। इसलिए हम केन्द्र से नहीं लड़ सकते और केन्द्र दुनियां के देशों से नहीं लड़ सकता। यह विश्व व्यापी समस्या है। इम्बेलेन्स को खत्म करने के लिए सब से पहले हमें जिलों को सुधारना होगा। इसके बाद राज्य होंगे और राज्यों के बाद दुनियां के देश का नम्बर आयेगा। आज हमारी हालत क्या है। आज हमारी योजनाओं के तहत महाराष्ट्र में एक आदमी के पीछे 155.77 पैसा खर्च किया जाता है। हरियाणा में एक आदमी के पीछे 146.43 पैसा खर्च किया जाता है, पंजाब में एक आदमी के पीछे 143.57 पैसा खर्च किया जाता है और कर्नाटक में 142.42 पैसा खर्च होता है और राजस्थान में

Page No 62

(62)

(श्री रामकिशन)

एक आदमी के पीछे व्यय होता है 118/- रुपये। यह जो इम्बेलेन्स है वही जिलों का इम्बेलेन्स है। इस इम्बेलेन्स के कारण हम केन्द्रीय सरकार के सामने नहीं बोल सकते और इसी कारण केन्द्रीय सरकार दुनियां के देशों के साथ नहीं लड़ सकती। सारी दुनियां से इस सदन का कोई मतलब नहीं है, परन्तु फिर भी कह देना चाहता हूं। जितनी भी गोरी दुनिया है, इसमें रूस और अमेरिका भी शामिल है, आबादी के उत्पादन की दृष्टि से उनका सारे संसार पर साम्राज्य है। उनसे लड़ने की स्थिति में तब ही हो सकते हैं जब कि हम जिलों के इम्बेलेन्स को खत्म करेंगे। राज्यों के इम्बेलेन्स को खत्म करेंगे और देश में एक समानता की स्थिति को लाएंगे। जो विकसित देश हैं वैसे ही आज मैं विश्व बैंक की रिपोर्ट देख रहा था, उनकी हालत क्या है? जितना दुनिया में उत्पादन होता है, गोरे मुल्क उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैन्ड, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, ये सारे संसार के उत्पादन का 85.05 पैदा करते हैं और उनकी आबादी है 31.07, एक व्यक्ति साल भर में उत्पादन करता है 1645, डालर को। की तो यह स्थिति है। दूसरी ओर जो दूसरी दुनिया काली दुनिया, उसमें आबादी का वजन तो अधिक है और उत्पादन होता है 14.06 और एक व्यक्ति साल भर में कमाता है 130 डालर केवल मात्र। यह सवाल दुनिया में उठता रहता है। दुनियां के सामने यह सवाल आता है। वहां की सरकार कहती है पहले अपने राज्यों को देखिये और राज्यों को अपने जिलों को देखना चाहिये। चौधरी साहब ने जो बात कही है उसको गंभीरता से लेना चाहिये। दुर्भावना से कतई इसका मेल नहीं है। हमारे जो जिले हैं, पूर्वी जिले, इनकी भयंकर रूप से उपेक्षा की गई है। आखिर में भरतपुर का भी जिक्र आया। वहां पर अलवर और भरतपुर से ज्यादा खर्च हो रहा है। यह खर्च इसलिए बढ़ गया है कि वहां पर बाढ़ आती है और इसमें भ्रष्टाचार की वजह से हर साल बांध टूट जाते हैं और इस कारण पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर बढ़ जाता है। वहां कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं हो रही है। कोई पैदा नहीं हो रही है। कोई इनवेस्टमेन्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस स्थिति को देखें और संभालें।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। पिछले बजट के समय भी निवेदन किया था कि उद्योगों का राज्य में डिविडेन्ड क्या है, हिस्सा क्या है? पिछले साल उद्योगों से राज्य को कुल 31 लाख रुपया मिला और इस साल आपको 26 लाख मिलेगा। मैं इस ओर खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी हालत खराब है कोई बोर्ड बना हो कई बोर्ड और कारपोरेशन गवर्नमेंट के हैं उनकी तरफ भी आपकी नजर होनी चाहिये। क्या वे राज्य की सम्पति को बढ़ा रहे हैं? क्या वे कुछ कमाते हैं? जो पैसा इनके अन्दर लगा है, जो इनवेस्टमेन्ट इनके अन्दर किया है, क्या वे आय को बढ़ा रहे हैं? यदि मुनाफा कमाते हैं तो उससे राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी। अब नजर डालें जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं, कारपोरेशन हैं उनकी हालत कितनी खराब है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक व्यापारी की दृष्टि से आप इन पर नजर

(श्री रामकिशन)

चाहिये। पहले गंगानगर सुगर मिल को लीजिये। इसमें 1966-67 में कुल पूंजी जो लगाई गई है वह 49 लाख 8 हजार के आस पास थी और मुनाफा हुआ 20 हजार के आस पास। हमारी यह पूंजी 1967-68 में बढ़ गई और मुनाफा घट कर 18 हजार रह गया। 1969-70 में पूंजी की लागत 58 लाख सारी हो गई और मुनाफा घट कर रह गया 8 लाख 81 हजार के आस पास 1970-71 में पूंजी की लागत 78 लाख 56 हजार हो गयी और मुनाफा रह गया 8 लाख 25 हजार के आस पास। इसके बाद पूंजी हो गयी, 1 करोड़ 45 लाख 34 हजार और मुनाफा हुआ 11 लाख 73 हजार। हमारी पूंजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हमारा मुनाफा वैसे वैसे घटता जा रहा है। ठीक यही स्थिति हाई टैक धौलपुर की है। इसमें तो घाटा ही घाटा है। मैं समझता हूं इसके घाटे के कारणों का यहां पर जिक्र नहीं किया जाये। अब जो राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन है। उसकी स्थिति को देखिये कितनी पूंजी लगी हुई है। उसका धंधा क्या है? धंधे में नुकसान हुआ तो क्यों होता है? ये सब बातें देखनी चाहिये। अगर नुकसान कर रहा है तो ऐसे धंधे को नहीं करना चाहिये। अब इसमें पूंजी की लागत को देखें। 1967–68 में 40 लाख 71 हजार की पूंजी लगाई गई है और मुनाफा कमाते हैं केवल 67 हजार रुपया। आप जरा सोचिये। क्या आपकी नजर इनकी ओर नहीं जाती है? आपकी पैनी नजर इन सारी संस्थाओं पर होनी चाहिये। राज्य की वित्त संस्थाओं को यह देखना चाहिये और राज्य सरकार इस ओर क्या कार्यवाही कर रही है, यह भी देखते रहना चाहिये इसके कारणों पर आपको जाना चाहिये राज्य के वित्त मंत्री की नजर अपनी संस्थाओं पर होनी चाहिये।

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य धीरे बोलें तो ठीक रहेगा। माननीय रामानन्द जी डिस्टर्ब हो रहे हैं।

श्री रामकिशन : माननीय रामानन्द जी अलवर से आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी तरह में दूसरी ओर नहीं देख रहा हूं।

श्री रामकिशन : अलवर से आये हैं इसलिए सो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की बात को छोड़ होटल कार्पोरेशन की स्थिति बताता हूं। 1967-68 में इसमें पूजी लगी हुई थी 41 लाख 25 हजार और नुकसान। एक लाख 31 हजार का इस पर हुआ है। होटल जैसे व्यवसाय पर नुकसान होता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। इसी प्रकार से एक साल तो नुकसान होता है किन्तु दूसरे साल भी यह नुकसान बढ़ गया है। पूंजी हो जाती है 42 लाख 25 हजार और नुकसान घट कर 96 हजार रह जाता है। दूसरे साल भी पूंजी बढ़ी है 43 लाख 22 हजार और नुकसान रह गया केवल 30 हजार, 1970-71 में पूंजी लगती है 42 लाख 73 हजार और मुनाफा होता है 1 लाख, 1971-72 में पूंजी है 43 लाख 34 हजार रुपया और मुनाफा है केवल 39 हजार रुपया। मैं राज्य सरकार से पूछना

(श्री रामकिशन)

चाहता हूं कि क्या आपने इन सारी कम्पनियों का हिसाब लिया है। मैं राज्य के वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इन सब बातों को देख कर आप क्या करते हैं ? क्या इन सब पर आपने विचार किया है ? आप राज्य का शासन चला रहे हैं, जनता ने आपको वोट दिया है, वोट देकर आपको राज्य चलाने का अधिकार दिया है, परन्तु यह अधिकार नहीं दिया है कि आप राजस्थान को बर्बाद कर दो-कम से कम आप यह तो महसूस करें। राज्य की जो गतिविधियां है उनकी ओर भी आप नजर डालें।

यह आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, आज वहां पर काफी पूंजी लगी हुई है। आज तक सदन में इस पर बहस नहीं हुई, सदन में बहस होने वाली भी नहीं। आप जरा अन्दाजा लगाइये इस बोर्ड में जो पूंजी आपने लगा रखी है, आखिर वह बोर्ड इस पूंजी की लागत के बाद आपको क्या रेवेन्यू देता है ? उलटा नुकसान हो रहा है। 1968-69 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुल पूंजी की लागत 96 करोड़ 28 हजार रुपया और नुकसान दिया है इस साल में 7 करोड़ 7 लाख का 1968-69 में। 1969-70 में पूंजी हो गई 1 अरब 53 करोड़ 60 लाख और नुकसान हुआ 31 लाख 33 हजार रुपयों का। 1970-71 में 1 अरब 81 करोड़ 30 लाख 32 हजार की पूंजी हो गई और मुनाफा हुआ 31 लाख 86 हजार रुपये का। 1971-72 में यह पूंजी 2 अरब 1 करोड़ 1 लाख 57 हजार हो गई और नुकसान हुआ 1 करोड़ 30 लाख का। मैं पूछना चाहता हूं इतना नुकसान हो रहा है, आपकी नजर कहां है ? बोर्ड वाले कहते हैं, इसका कारण यह है कि एक्सटेन्शन लाइन डाल रहे हैं, इसलिए खर्च बढ़ गया है और रिटर्न नहीं हुआ। जब भी पूछोगे यही जवाब आएगा। आखिर इतनी बड़ी एक्सटेंशन लाइन डालने की जरूरत क्या है ? भरतपुर, अलवर, जयपुर में बिजली की लाइन क्यों नहीं डाल रहे हैं ? आप बिजली की लाइन डालेंगे लूणकरनसर में क्योंकि भीमसेन जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको चुनाव जीतना है। इसलिए एक लट्ठा वहां लगा देते हैं।

श्री भीमसेन : मुझको क्यों बीच में ले रहे हैं ?

श्री रामकिशन : ऐसा नहीं है। आप मेरे मित्र हैं। दूसरों का नाम लेता तो उत्तेजित हो जाते। मैं यह कहना चाहता हूं......

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप का इनसे खास सम्बन्ध है ?

श्री रामकिशन : आप से भी विशिष्ट है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, आप एक्स्ट्रा लाइन क्यों डालते हैं ? ऐसी जगहों पर भी आप लाइन डालते हैं, जहां पानी की कोई सम्भावना नहीं है। पानी हो या नहीं लेकिन बिजली इसलिए लगानी है क्योंकि चुनाव लड़ाना है। मैं भरतपुर की बात कह रहा हूं। माननीय सदस्य मेरे बहुत ही नजदीक है। उन्हें मालूम है, बिजली तो लग गई है लेकिन कनेक्शन कितने मिले हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। पूरी बात कहिये।

श्री रामकिशन : कामां, डीग में बिजली लग गई है लेकिन कनेक्शन कितने लगे हैं। यह कहने का मतलब यह है कि बोर्ड में नुकसान हुआ है वह, इसलिये हुआ है कि आपने बिजली को चुनाव की राजनीति से जोड़ दिया है। पैसा लगाना चाहिए कहीं पर और लगाया जाता है कहीं पर। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उस पर हमने काफी चर्चा की है। वह बजट बहुत ही निराशाजनक है। हमने जिन जिन डिमाण्ड्स पर बहस कर ली है, उससे कोई तस्वीर बनने वाली नहीं है। मुखबन्द करके भी मांगें पास करा ली हैं, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। मेरा तो अब भी यह कहना है कि हम राज्य में कुछ करने वाले हैं या नहीं हैं। मैं जब बोल रहा था तो मैंने जब यह कहा कि हमारा जीवन स्तर बढ़ गया है, तो मन्त्री महोदय ने वह बात पकड़ ली। कहा, ठीक बोल रहे हो। तो मेरा यह कहना है कि हमारे राज्य का जीवन स्तर बढ़ा है। लेकिन किसका बढ़ा है! राज्य के मन्त्रियों का जीवन-स्तर बढ़ा है। एम० एल० ए० का जीवन-स्तर बढ़ा है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का जीवन-स्तर बढ़ा है। बड़े बड़े व्यापारियों का जीवन-स्तर बढ़ा है। 40 लाख हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले में बढ़ा है। लेकिन अब वह संख्या 85 लाख हो गई है। इसका मतलब है कि 2% जीवन स्तर बढ़ा है। जब मैं पानी की बात कर रहा था, भीमसेनजी हैं, बीकानेर में थे। तो एक बार नहाते थे। जब राज्य मन्त्री हो गये तो दो बार नहाने लगे। उनका जीवन-स्तर बढ़ गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी का जीवन-स्तर बढ़ गया। इन सारे नियोजनों में जो पैसा लगाया जा रहा है, उन विकास की उपलब्धियों को समाज के हिस्सों में कैसे बांटेंगे। आज तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा सदन भी कलब जैसा हो गया है। बहस कर ली लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। हम बड़ी सड़कों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रख दिये हैं। मैं कभी क्षेत्रीय दृष्टि से बोलता नहीं हूं। आज हमारे गाँवों का विकास बढ़ रहा है। रास्ते आज हमारे यहां हैं नहीं। इन पंचायतों के पास कोई शक्ति नहीं है। राज्य सरकार के पास शक्ति है। गांवों में आज कोई भी सामान्य आदमी रास्ता रोक ले, उसका कोई भी प्रबन्ध नहीं है। राज्य सरकार को सड़कें इस प्रकार बनानी हैं कि जिससे आर्थिक उत्थान हो। हमने बुड्ढों की पेन्शन के लिए कानून बनाया। सोशलिस्ट पार्टी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। हम लोग जेल गये। यह हुई तो खुशी हुई। राज्य सरकार को इस बारे में अब यह करना चाहिए कि ग्राम सेवक और पटवारियों का यह फर्ज हो कि जितने भी अपंग और असहाय व्यक्ति हैं, उनकी सूची बनायें। और इसी प्रकार से उनको वजीफा दिलायें। इस प्रकार की कोई चीज हो जाय तो यह व्यवस्था हो सकती है। यह नहीं हो कि उनके प्रार्थना पत्र देने पर ही उनके बारे में विचार किया जावे। पटवारियों और ग्राम सेवकों की यह ड्यूटी हो जाये कि वे अपने क्षेत्र के अपंग और अपाहिजों की सूची बनायें। दूसरा सवाल है कि हमारे यहां विधवाएं अभी विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। आज वह नहीं करती हैं क्योंकि हमारी सामाजिक परम्पराएं इस प्रकार की

(श्री रामकिशन)

की हैं कि उनको अभी संकोच हो सकता है। लेकिन गांवों में और शहरों में इस प्रकार की विधवायें मिलती हैं जो 20-30 साल की हैं उनके लिए प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि उनके कोई सम्बन्धी नहीं हैं, सहारा नहीं है। वह कोई काम भी नहीं कर सकती हैं। रियासतों में पहले ऐसा होता था। आप भरतपुर की वाटर वर्क्स की योजना रोक दें। लेकिन विधवाओं के गुजारे के लिए अवश्य कोई न कोई प्रावधान करें। विधवाओं को पेन्शन दें। हमारे पास बहुत से विधवायें रोती हुई आती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

विधवायें दुःखी रहें, इससे हमारा समाज कलंकित होता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में इस समय एक निरर्थक जनतन्त्र चल रहा है। आज उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की हालत यह हो गई कि यहां न तो समाजवाद आने वाला है, न पूंजीवाद आने वाला है। और न लोकतन्त्र रहने वाला है। अगर लोकतन्त्र नहीं रहता है तो आज क्या हालत हो गई है। आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में चप्पल फेंकी गई। बिहार की विधान सभा चल नहीं रही है। यह सभी हल्लागुल्ला हो रहा है। अगर इस देश में लोकतन्त्र नहीं रहता है तो मेरा यह निश्चित विश्वास है कि इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है उस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज लोकतन्त्र है तो छुआछूत मिट रही है। आज हमारे यहां छूआछूत खत्म हो रही है। यह लोकतन्त्र की देन है। नये ढंग का जातिवाद बढ़ रहा है पर छुआछूत मिट रही है। हमारे पिताजी कभी हरिजनों के मोहल्ले में नहीं जाते थे। पर आज अपने बेटे के लिए वोट मांगने के लिऐ नाक रगड़ते हुए जाते हैं। कल विधान सभा में एक किताब के लिए श्री शास्त्री जी कह रहे थे। मेरा कहना है कि जैसे जैसे इण्डस्ट्रियल सिविलाइजेशन और इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट होगा तो आप यह निश्चित मान कर चलिये कि जब पुरुष और स्त्री साथ साथ काम करेंगे तो अवैध सन्तानें होंगी। क्या हमारा समाज कल्याण विभाग कुंवारी मांओं के लिए व्यवस्था नहीं कर सकता है? समाज कल्याण विभाग को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिये। अवैध सन्तानों में जर्मनी का बाण्ड था जिसने यूरोप के इतिहास में अपना नाम कर दिया। अवैध सन्तानों में करण था महाभारत में जिसका नाम है। यह दोनों ही महापुरुष हो गये हैं। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को ध्यान देना चाहिए। इससे सोसइटी डवलप होगी। उनकी भी कुछ इच्छाएं होंगी। हमें इन आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, जो कांग्रेस पार्टी की महिला सदस्याएं हैं, उनसे विशेष निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि देश में यदि लोकतन्त्र टूटता है तो सबसे ज्यादा महिलाओं का नुकसान होगा, क्योंकि यह लोकतन्त्र की खूबी है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर बिठाया है और बराबर ही नहीं किन्तु किसी किसी मामले में तो ऊंचा पहुंचा दिया है। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। श्री सुमित्रा देवीजी मंत्रीजी थीं....

श्री माणक चन्द सोगानी : श्री नहीं, श्रीमती सुमित्रा देवी।

श्री रामकिशन : श्रीमती नहीं, श्री सुमित्रा देवी । श्रीमती कहने पर तो पुरुष की दासता आ जाती है ।

वह राज्य मंत्री थीं, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैंने एक दिन टेलिफोन कियां, उनको नहीं उनके पति को टेलिफोन किया तो वहां से चपरासी महोदय ने मुझ से पूछा कि छोटे साहब से या बड़े साहब से बात करनी है। मैंने कल्पना की नाहर सिंहजी ही बड़े साहब होंगे तो उनसे बात हो जायगी । फोन पर सुमित्रा देवीजी बोलीं तो मैंने उनसे कहा, कि आपकी आवाज कैसे बदल गई ? मैं तो बड़े साहब से बात करना चाहता हूं । तो इस लोकतन्त्र ने आपको छोटे साहब से बड़ा साहब बना दिया । बराबर ही नहीं लाये है बल्कि बड़ा साहब बना दिया है । अगर यह लोकतन्त्र टूट जाता है तो हरिजनों, मुसलमानों और महिलाओं का ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि राज्य का उपमंत्री भी वहां के चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है।

श्री रामकिशन : मैं कब मना कर रहा हूं । मैं खुद कह रहा हूं । मैं मना नहीं कर रहा हूं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह व्यवस्था का सवाल तय हो जाय कि क्या कोई पत्नी मंत्री अपने पति से बड़ी सकती है या छोटी हो सकती है ? इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं । आपने (श्रीमती सुमित्राजी) ने यह कहा कि मंत्री चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, लेकिन पति बड़ा होता है या छोटा होता है, यह तय हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दू संस्कृति में महिलाएं पुरुषों से बड़ी मानी जाती हैं ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत बड़ा शास्त्रीय सवाल खड़ा कर दिया है गलत व्यवस्था देकर । गार्गी और मैत्रेयी को छोड़कर चरणों की दासी या शोभा बढ़ाने वाली रही हैं इस देश में । यह सभी दर्शन शास्त्रों में है। यह लोकतंत्रीय व्यवस्था है कि सुमित्राजी इतना ऊंचा चली गई, इस तरह से बढ़ गई वरना वह कभी नहीं हो सकती थीं।

मैं यह चाहूंगा राज्य सरकार से कि जाति-बिरादरी को तोड़ने के लिए जो हरिजनों के साथ में विवाह करे उसको प्रोत्साहन देना चाहिए और दूसरी तरह की व्यवस्थाएं करें । जब तक हम देश में आर्थिक क्रान्ति के साथ सामाजिक क्रान्ति नहीं कर पायेंगे, तब तक देश का निर्माण नहीं हो सकेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी, जो मैंने मुद्दे उठाये हैं— लाईबिटी और एसेट्स के, ब्याज कम और ब्याज ज्यादा, मुनाफे और घाटे के उन सब का पूर्ण तैयारी के साथ में जवाब देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर ।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों को उनके द्वारा प्रस्तुत और इस सदन द्वारा पास की गई मांगों के सम्बन्ध में खर्च करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे । इस तरह के खर्चों में वित्तीय अनुशासनहीनता और

(श्रीमती मदन कौर)

अनियमितताएं होती हैं, और वित्तीय अनुशासनहीनताओं के फलस्वरूप पैसे के दुरुपयोग, गबन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यह विधान सभा सारे वर्ष के लिए विभिन्न विभागों के बजट पास करती है, और यह आशा करती है कि यह खर्च पूरे वर्ष व्यवस्थित ढंग से प्रान्त की जनता की तरक्की और विकास के लिए किया जायगा, लेकिन वास्तव में होता यह है कि साल के 10–11 महीने तक यह व्यय नहीं किया जाता और खास तौर से विकास के कार्यों में होने वाला व्यय तो केवल फरवरी और मार्च के महीने में ही किया जाता है। हम किसी भी व्यवस्था से अन्दाज लगा सकते हैं कि जिस खर्च को 12 महीने में किया जाना होता है उस खर्च को अगर हम जल्दी जल्दी फरवरी और मार्च के महीने में इस समय से खर्च करें कि कहीं पैसा लैप्स हो जायगा

(2.25 म.प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

और अगले साल इस मद में और पैसा नहीं मिलेगा। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह के खर्च के ऊपर अंकुश लगाया जाय, क्योंकि मार्च में ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, यहां तक कि अब तो 31 मार्च का दिन तो केवल बिल पास करने और भुगतान करने में ही व्यतीत होता है, और कहीं तो ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जहां पैसे का भुगतान तो मार्च में किया जाता है, और उस पैसे के अनुरूप जो काम या माल की खरीद की जाती है वह अप्रेल के महीने में होती है। यह निश्चित रूप से कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। मैं वित्त मंत्रीजी से खास तौर से निवेदन करूंगी कि इस प्रक्रिया पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाय। अगर एक दो साल विभिन्न मदों में बड़ी भारी रकम लैप्स होती है तो उसको होने दिया जाय, लेकिन इसके दूरगामी अच्छे परिणाम होंगे।

इसके अलावा, सभापति महोदय, सरकारी विभाग से माल की सप्लाई के लिए टेन्डर आमन्त्रित करते हैं, लेकिन इन टेन्डरों का विज्ञापन कभी समय पर नहीं हो पाता। बहुत बार तो ऐसा देखने में आता है कि टेन्डर स्वीकार करने की तारीख तक भी यह विज्ञापन नहीं निकलता, और अगर एक दो दिन पहले निकल भी जाय तो जो सप्लायर्स होते हैं वह टेन्डर की शर्तों को देखकर अपनी कीमतें सरकार के समक्ष रख भी नहीं पाते, और आम तौर से सरकार के सभी विभागों में यह देखा जाता है कि वही 2-4 ठेकेदार दफ्तरों में घूमते रहते हैं। वे ही टेन्डर देते रहते हैं और उन्हीं के टेन्डर मंजूर कर लिये जाते हैं, और माल दे दिया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार को माल की क्वालिटी से कोई प्रयोजन नहीं है। अगर कोई प्रयोजन है तो इतना ही है कि अमुक ठेकेदार से यह माल खरीदना है। मैं वित्त मंत्रीजी को सुझाव देना चाहती हूं कि प्रत्येक जिले में खरीददारी के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाय और 50 हजार से ऊपर की जो भी खरीददारी हो वह उस कमेटी के माध्यम से की जानी चाहिए।

इसी के साथ, सभापति महोदय, मैं राज्य की सामान्य वित्तीय लेखा प्रणाली की

(श्रीमती मदन कौर)

ग्रोर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । यह नियम और प्रणाली कई वर्ष पहले बनाई गई थी ग्रौर उसी कीर को ग्र.ज तक हम पीटते ा रहे हैं । यह वित्तीय लेखा-प्रणाली निश्चित रूप से हमारी आज को परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। मैंने इसो सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान पहले भी ग्राकर्षित किया था, मैं ग्राज फिर यही कहना चाहती हूं कि आज की हमारी लेखा–प्रणाली ग्रौर वित्तीय नियम ग्रौर प्रणाली भ्रष्टाचार को, पैसे के दुरुपयोग को तो रोक ही नहीं सकते, बल्कि कहना तो यह चाहिए कि इन्हीं नियमों, प्रणाली की आड़ में ग्राज भ्रष्टाचार पनप रहा है ग्रगर कागजों की खानापूर्ति पूरी कर ली जाय तो बड़े से बड़ा गबन भी माफ है। हमारी लेखा-प्रणाली में काम को प्रधानता दी जानी चाहिए, क्योंकि जा त तब तक कागजों ग्रौर ग्रांकड़ों में होती है तब तक काम वास्तविक रूप में सरकार के सामने नहीं आ सकता है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि हमारी ग्राडिट प्रणाली में भौतिक लक्ष्य को महत्व दिया जाना चाहिए। बार बार इस सदन में और इस सदन के बाहर भी इस तरह के आरोप लगाये जाते हैं कि ग्रमुक सड़क तो बनी ही नहीं है, ग्रमुक भवन बना ही नहीं है, या बना उससे पहले ही मरम्मत शुरू हो गई है–लेकिन लाखों रुपये उस पर खर्च कर दिये गये हैं। ग्रौर यह सत्य है । मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए मेरे क्षेत्र के एक विकास कार्य का उदाहरण सदन के सामने रखना चाहूंगी। कोई पांच-छः वर्ष पूर्व एक ग्रामीण जल प्रदाय योजना की स्वीकृति मेरे क्षेत्र में हुई थी–उन्डू नल कूप से कसुवला, हीरा की ढाणी, खोखसर, गिड़ा, सोहड़ा, नीबां की ढाणी, परेऊ, कुंपलिया ग्रौर सिमरखिया की योजना स्वीकृत की गई थी। ग्राज छः वर्ष बाद वह नल कूप योजना पूरी कर ली गई है । उसके ऊपर कोई 35-36 लाख रुपया खर्च कर दिया गया है । उस सारे खर्च की ग्रॉडिट भी हो गई, कहीं किसी का दोष नहीं पाया गया । पर मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, इन सारे गांवों में नल बिछाये गये, हौज भी बना लिये गये, ग्रौर जलदाय विभाग के कर्मचारियों ग्रौर ग्राफिसरों के ठहरने के लिए डाक बंगले भी तैयार हो गये, लेकिन जो ग्रल्टीमेट ऐम था इस विकास कार्य को स्वीकृत करने में, जो भौतिक लक्ष्य प्राप्त करना था कि इन गांवों की ग्राबादी को स्वच्छ ग्रौर मीठा पानी उपलब्ध हो, वह ग्राज तक उपलब्ध नहीं है। केवल दो गांवों को पानी नियमित रूप से मिलता है । इसका मतलब यह है कि फाइनेंसियल टार्जेट इन गांवों में पूरा कर लिया, नियमों की पूरी पालना कर ली, लेकिन भौतिक लक्ष्य इस विकास कार्य से पूरे करने थे, उनकी केवल 20 प्रतिशत पूर्ति हुई है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, ग्राप मौजूदा ग्रॉडिट प्रणाली, लेखा प्रणाली को बदलिये ग्रौर बदल कर इन भौतिक लक्ष्यों को प्रधानता दीजिये । इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार को सुझाव भी देना चाहती हूं, गत वर्ष प्रत्येक विभाग के साथ एक विधायकों की सलाहकार समिति का गठन किया गया । हालांकि जो काम उसको ग्राज तक सौंपा गया है, उसमें भी कोई तरक्की नहीं हुई है, लेकिन मैं राज्य सरकार से फिर यह कहना चाहती हूं कि उस समिति को मजबूत बनाइये, ग्रौर उस

(श्रीमती मदन कौर)

समिति को उत्तरदायित्व सौंपा जाय कि जो बड़े बड़े विकास कार्य हैं, विवादास्पद कार्य हैं, उनकी जांच के लिए इस समिति को भेजा जाय और आवश्यक समझें तो कोई तकनीकी अधिकारी, जो रिटायर्ड हों या दूसरे हों, को इस काम के अन्दर सहयोग देने के लिए कमेटी के साथ भेजा जाय। अन्यथा आप फाइनेंसियल टार्जे पूरे करते जायेंगे, कर्ज लेते जायेंगे, राज्य कोष से पैसा खर्च करते जायेंगे, लेकिन उसका थोड़ा भाग ही राज्य की जनता को मिल सकेगा।

इसीके साथ, सभापति जी, मैं राज्य के बजट बनाने के तरीके के ऊपर भी कुछ विचार रखना चाहूंगी। हर साल यह सदन बजट पास करता है और बड़ी बड़ी बजट पुस्तिकायें इस सदन के माननीय सदस्यों को दी जाती हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं, इन बजट की पुस्तिकाओं से बहुत थोड़े लोगों को यह समझ में आता है कि इस पूरे साल में राज्य सरकार किस विभाग के माध्यम से क्या काम किस किस जगह करना चाहती है। यह बजट की पुस्तिकायें आपके वित्त विभाग और आपके फाइनेंसियल एक्सपर्ट्स के लिए तो बाइबल हो सकती हैं लेकिन इस राज्य के जन-प्रतिनिधियों और नागरिकों के लिए तो यह उलझन की चीज है। मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगी कि यह बड़ी बड़ी बजट की पुस्तिकायें तो तैयार कर लें, अपने वित्त एक्सपर्ट्स के लिए कर लें, वित्त विभाग की गाइडेंस के लिए कर लें, लेकिन जन साधारण के लिए और इस सदन के माननीन सदस्यों के लिए एक सरल और स्पष्ट बजट हर विभाग के लिए तैयार करें।

2.36 म. प.

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

श्री रामकिशन : यह बता दें तो पता लग जाय। इस गोरख धन्धे से पता कैसे लगे।

श्रीमती मदन कौर : आज उलझा कर रखते हैं इसलिए कि सरकारी विभाग के द्वारा, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जो गोलमाल किये जांय, उनकी सही जानकारी जन प्रतिनिधियों को और जनता को न मिल सके। मैं समझती हूं कि ऐसा उलझनपूर्ण प्रयोजन सरकार का है। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि प्रत्येक विभाग का बजट प्रस्तुत किया जाय और इसमें इस बात को स्पष्ट बताया जाय कि आने वाले वर्ष में अमुक विभाग अमुक अमुक विकास के कार्य अमुक अमुक स्थानों पर करेगा। उस पर इतना व्यय होगा और इस व्यय का काम इस साल में किया जायगा। यदि इन कामों में कहीं कमी होती है तो निश्चित रूप से साधारण नागरिकों को और जन प्रतिनिधियों को यह पता लगेगा कि यह काम पूरा हुआ अथवा नहीं, कितने पैसे का अपव्यय हुआ है, कितना पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इस सब की जानकारी साधारण व्यक्ति को भी मिल सकेगी।

सभापति जी, हर साल बजट के समय और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय यह सरकार यह बात सदन के सामने रखती है कि हमारी अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है, फलां जगह सूखा पड़ गया, अमुक जगह बाढ़ आ गई, और उससे कृषि उत्पादन में कमी आ गई है। यह सारी

(श्रीमती मदन कौर)

बातें हमारे सामने आती हैं। परन्तु कृषि उत्पादन पर हमारे सारे प्रान्त की अर्थ व्यवस्था निर्भर है, और इस सरकार के अधिकारी इस बात की चिन्ता न करें कि कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी की जाय, या घटते हुए कृषि उत्पादन को सुधारा जाय। गत वर्ष जुलाई-अगस्त में हमारे प्रान्त के कई जिलों में, जहां आम तौर से सूखा पड़ता है, बाढ़ आयी, हजारों बीघा में फसल गल गई, और उसके साथ हजारों कुए नष्ट हुए, जमीन भी बरबाद हुई। फिर भी हमने उम्मीद लगाई थी, क्योंकि पानी आया है, सरकार कृषि उत्पादन में सभी तरीकों से लोगों की मदद करेगी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है. इस राज्य की सारी अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है, फिर भी इस सरकार की मशीनरी ने काश्तकारों को किसी प्रकार की मदद नहीं दी। कुए खोदना चाहते हैं, तो उनको कंट्रोल रेट पर सीमेन्ट उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, बीज नहीं मिला, जो थोड़ा बहुत मिला उसमें 40 प्रतिशत बीज ऐसा था, जो उगा नहीं, खाद मिलने का प्रश्न पैदा नहीं होता, क्रूड ऑइल नहीं मिला, डीजल नहीं मिला। बिजली की स्थिति है उसको भी आपके सामने रखना चाहूंगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार गांवों में पिछले चार साल से बिजली के खम्भे लगे हुए हैं, तार खींचे हुए हैं, लेकिन, सभापति जी, आपको आश्चर्य होगा सुन कर, एक भी एग्रीकल्चर कनेक्शन आज तक किसी लाइन पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहां के काश्तकारों ने बराबर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर यहां तक कि इस सरकार के प्रतिनिधियों को भी पत्र दिये हैं, प्रयत्न किये हैं, जो भी रकम हमसे जमा कराई जाय, वह करा ली जाय, लेकिन हमें बिजली का फायदा लेने दिया जाय। लेकिन आज तक एक भी एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं दिया गया है और निकट भविष्य में इन गांवों के लोगों को बिजली का कनेक्शन मिल जायगा, कम से कम मुझे तो आशा नजर नहीं आती।

कृषि के बाद मैं सदन के सामने कर वसूली की कुछ बात रखना चाहूंगी। सरकार अपने खर्च के लिए, अपनी आमदनी के लिये कुछ कर लगाती है। राजस्थान में कर काफी लगे हुए हैं, और अधिक की गुंजाइश कम ही नजर आती है, लेकिन जहां कर की वसूली का सवाल आता है, वहां हमें नीचे देखना पड़ता है। जो कर लगाये गये हैं, उनकी वसूली में बड़ी उदासीनता है और ढिलमिल नीति अपनाई जाती है। खास तौर से जो कर वसूल करने वाले कर्मचारी हैं या कर की चोरी को रोकने वाले विभाग हैं, वह भी ज्यादा चोरी करते हैं और करवाते हैं। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को देख लीजिये, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट को देख लीजिये, एक्साइज डिपार्टमेंट को देख लीजिये, तमाम इन्सपेक्टर और दूसरे अधिकारी किसी तरह से भी कैश और काइन्ड में इन लोगों से कुछ लेकर राज्य को बहुत बड़ी धनराशि से वंचित करते हैं। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं, वही वित्त विभाग अच्छा है जो अपने द्वारा लगाये गये करों की पूरी तरह से वसूली करे, कैसे ही वसूली करे, दूसरे जो कर्मठ कर्मचारी हैं, ईमानदार हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनकी पदोन्नति की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि

(श्रीमती मदन कौर)

करों की चोरी करने वाले और असामाजिक तत्व समर्थ बनते जा रहे हैं और ईमानदार व परिश्रमी आदमी महंगाई से पिसते जा रहे हैं। यह स्थिति निश्चित रूप से निराशाजनक है और उसके परिणाम भी बुरे निकल सकते हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं, करों की वसूली करवा सकते हैं, उनकी मदद भी सरकार को लेनी चाहिए।

आज हम विनियोग विधेयक के माध्यम से एक बहुत बड़ा हथियार राज्य सरकार के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। अगर लगाए गए करों की पूरी वसूली हो, खनिज विभाग के जो विभिन्न ठेकेदार और लेसीज में पैसा लेना होता है, वह सारा पैसा यदि समय पर वसूल कर लिया जाय तो निश्चित रूप से वित्त विभाग हमारे राज्य को मजबूत आधार दे सकता है और अगर इसी पैसे को सूझबूझ और जागरूकता से खर्च किया जाए तो प्रदेश का बहुत बड़ा विकास हो सकता है।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): सभापति जी, कल से सदन में एप्रोप्रिएशन बिल को लेकर चर्चा चल रही है। यह तो हम सभी को भली-भांति विदित है कि पब्लिक एक्सचेकर का पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उनके खून पसीने का पैसा है और वह हम जन प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षित रूप से खर्च किया जाना चाहिए, विकास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन खर्चा करने का अधिकार राज्यपाल महोदय को देकर हम एक तरह से राज्य सरकार को देते हैं और खर्चा करने वाली एजेंसी जन सेवक हैं जो सेवक के नाम से तो जाने जाते हैं, पब्लिक सर्वेन्ट्स के नाम से, वे अपनी बचत भी करते हैं लेकिन वे जन सेवक हैं या जन मालिक हैं इसका निर्णय वे स्वयं करें। हम आए दिन देखते हैं कि इस राज्य की जनता जो इस शासन की मालिक है, वे बेचारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं लेकिन क्या मजाल कि उस जनता के सेवक का माथा ठनके या थोड़ा सर खम हो जाए मालिक के आगे। स्थिति सारी विपरीत व वीभत्स दिखाई देती है। हम इस बिल को पास करके राज्य सरकार को अधिकार दे देंगे लेकिन प्रश्न यह है कि इसके माध्यम से खर्च किया जाने वाला पब्लिक एक्सचेकर का धन, उसका एप्रोप्रिएशन हो, उसका मिसएप्रोपिएशन न हो। लेकिन अधिकांश में स्थितियां यह होती हैं कि राजकोष का एक बहुत बड़ा धन हर वर्ष मिसएप्रोप्रिएशन में चला जाता है। उसके कई कारण हैं हमने उन कारणों की गहराई से छानबीन करने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन यदि हम सोचें तो उसके कई कारण हैं। हम जब कारणों की छानबीन करते हैं तो यह कह कर संतुष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजी शासन से यह बुराइयां हमें विरासत में मिली हैं।

मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं कि जो हमारे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा धार्मिक केन्द्र है और मैं जानता हूं कि वहां पर सरकारी वाहन रात दिन आते रहते हैं। कोई सरकारी कार्य से आते हों ऐसा मुझे नहीं लगता, कोई सज्जन चला

(श्री मनोहर कोठारी)

आया जिस जन सेवक की हम बात करते हैं वह खुद या उसका रिश्तेदार चला आया.......

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम नहीं है ।

(गणपूरक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात)

श्री मनोहर कोठारी : तो मैं निवेदन कर रहा था कि आए दिन अधिकारीगण जीपों का दुरुपयोग करते हैं और बिना कारण, बिना राजकीय कार्य के, इधर-उधर घूमते रहते हैं । एक तरफ हमारे पास धन का अभाव है, दूसरी तरफ पेट्रोल की भारी किल्लत है । उसके बावजूद बेरहमी से वाहनों का दुरुपयोग होता है । कुछ दिन पहले राज्यपाल महोदय के सचिव नाथद्वारा आ गए । राज्यपाल महोदय की गाड़ी जिस पर हमारे राज्य का एम्बलम लगा हुआ हो, वह आ जाए तो भी बात समझ में आ जाए लेकिन उसके आगे और पीछे एक पुलिस वाहन और एस० डी० ओ० की जीप चल रही थी । इस सब का क्या औचित्य हो सकता है ? कोई देखने वाला नहीं है । उदयपुर के नौजवानों ने इस आशय का एक बार ऐसा प्रयोग किया कि मेलों के अवसरों पर जब सरकारी वाहन लेकर कोई आए तो उनको और उनके परिवारों को गाड़ी से उतार देते थे और उन्होंने कहा कि हम वाहनों का दुरुपयोग होने नहीं देंगे लेकिन सवाल यह है कि इन सब चीजों को लेकर कोई जागरूक नजर नहीं आता । पंचायत राज की स्थिति यदि हम देखते हैं तो कई पंचायत समितियों में जीपें पड़ी हैं, ड्राइवर भी है लेकिन पेट्रोल के लिए 100 रुपए प्रति माह का बजट बना हुआ है । अब 100 रुपये प्रति माह के बजट पर आप अन्दाज लगायें, वह जीप कितने मील चल सकती है, उसका आगे क्या उपयोग हो सकता है । महीने भर की ड्राइवर की तनख्वाह वह उससे कितनी ज्यादा भारी पड़ती है, इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है ।

कई मल्टीपर्पज हायर सैकेण्डरी स्कूल्स बनाए गये राजस्थान में प्रयोग के तौर पर । वहां पर वर्कशाप्स स्थापित किए हुए हैं, कई मशीनें रखी गईं लेकिन जब हमने प्रयोग का सिलसिला शुरू किया तो सारे राजस्थान में प्रयोग शुरू कर दिया । परिणाम यह है कि मल्टीपर्पज हायर सैकेण्डरी स्कूल के नाम पर मल्टीपर्पज हटा दिया गया । सारी मशीनें रस्ट हो रही हैं, डम्प हो रही हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं । राज्य सरकार यदि मल्टीपर्पज शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकती तो कम से कम इन मशीनों को कहीं और अन्यतर ले जा कर उनका उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें लाखों रुपये सरकार के व्यय किए हुए हैं । लेकिन इस संबंध में कोई चिन्ता नहीं करता और सबसे बड़ी बात यह है कि मिसएप्रोप्रिएसन के कई कारण हैं साल भर तक लोग पांव पर पांव धरे हुए रहते हैं और मार्च महीने में ही नहीं बल्कि उसके अंतिम सप्ताह में दौड़-धूप करके लाखों-करोड़ों रुपए का नियोजन किया जाता है, चीजें खरीदी जाती हैं । सबसे बड़ा बुराई का कारण यह है, इस तरह का मिसएप्रोप्रिएशन । लेकिन सरकार इस ओर जागरूक नहीं है । वर्ष भर, वह पैसा पड़ा रहता है और वर्ष के अन्तिम महीने में इसका उपयोग किया

Page No 74

(74)

(श्री मनोहर कोठारी)

जाता है । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकारी अधिकारी लोग उसका उपयोग पहले क्यों नहीं करते हैं । और जब 31 मार्च आता है तो उस धन का जल्दी से जल्दी वर्किंग करते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये राज्य सरकार ध्यान दे । सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा राजस्व लीकेज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की है। सही बात तो यह है सभापति महोदय, आज जितना पैसा आप टैक्स से वसूल कर रहे हैं वह बहुत कम मात्रा में वसूल हो रहा है । यदि इस टैक्स को पूरी तरह से वसूल किया जावे तो हम इससे इतना पैसा प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि राजस्थान का विकास आसानी से हो सकता है । सभापति महोदय यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान में राजस्व की वसूली ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। उदाहरणार्थ आज हमारे राजस्थान में आर०पी०जी०टी० टेक्स जो बसों के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसका तो मुझे खुद को अनुभव है कि एक ही समय में जो गाड़ियां चलती ह और एक ही स्थान पर जाती ह उनमें भी टैक्स में भारी अन्तर आता हैं। कुछ गाड़ियां तो उसके लिये हजार हजार रुपया रोड टेक्स देती है जो कि ईमानदार हैं । इसके विपरीत कुछ ऐसे बस ओपरेटर्स हैं जो कि आर०पी०जी०टी० के आफिस में गये बिना ही उसी के लिए 500-600 या कई बार तो चार सौ रुपया देकर छूट जाते है । अगर इसक लिए राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री ऐसे उदाहरण देखना चाहें तो मन्त्री जी को बता सकता हूं । इसके लिये मैं वित्त मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा यह ऐसी जानकारी मुहैया करें और पता लगायें कि कौन कौन से ऐसे बस आपरेटर्स हैं जो कि टैक्स की चोरी करते हैं । आज इतना अन्तर क्यों है ? इसका कारण यह भी है सभापति महोदय कि टैक्स के लिए आपने जो अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं वह आर०ए०एस० अधिकारी हैं कि जिन्हें टैक्स के तौर तरीके का अनुभव नहीं है । इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि एक टैक्स के लिए अलग विभाग की स्थापना की जानी चाहिए । इनकी अलग केडर की स्थापना की जानी चाहिये और उस केडर में ऐसे व्यक्तियों को लेना चाहिए जिनको कि टेक्स के सबंध में जानकारी हो। ऐसे व्यक्ति को एपोइन्ट किया जाना चाहिए और फिर बाद में उन्हें इसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग भी दी जानी जाहिए जिससे कि वह ठीक तरह से कर का निर्धारण कर सकें । नही तो सभापति महोदय, यह हो रहा है कि यह आर०ए०एस० आफिसर जो हैं वह जो क्लर्क पैसे कर निर्धारण करके लाता है उस पर दस्तखत कर देते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन और सुझाव है कि टैक्स को उगाने के लिए आप एक नया केडर राजस्थान में बनायें ताकि राज्य सरकार को टैक्स पूरा मिल सके । अब थोड़ा मैं भू-प्रबन्ध के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आजकल भू-प्रबन्ध का कार्य चल रहा है । होता यह जा रहा है कि भू-प्रबन्ध अधिकारी तो एक जगह बैठे रहते हैं और उनके नीचे के कर्मचारी काम करते हैं और मैं आपसे स्पष्ट निवेदन करदूं कि बावजूद इसके कि वह जानते हैं किसी की भूमि की किस्म चेन्ज करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है, उसके

(श्री मनोहर कोठारी)

बिना आप भूमि की किस्म चेन्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे यहां नाथ द्वारा में इन भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने बहुत सारी जमीन जो कि कृषि भूमि थी, उसको आबादी में बदल दिया। इससे वहां पर, जहां कि चारागाह थे या कृषि भूमि थी, उस पर कई लोगों ने अपने प्लाट बनवा लिये हैं उन्होंने कन्स्ट्रक्शन करवा लिया है। यह बिलकुल गलत किया गया है। इसके लिये राज्य सरकार को कार्यवाही करने की जरूरत है।

अब मैं थोड़ा भू-राजस्व के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज भी हमारे यहां पर पुराना जो भू-राजस्व स्टेट्स के जमाने में लगता था वह चला आ रहा है। मैं यह नहीं कहता कि आप भू-राजस्व को हटादें लेकिन दस या 15 एकड़ जमीन जिसके पास हो उससे भू-राजस्व नहीं लिया जाना चाहिये। क्योंकि वैसे भी वह थोड़ा ही है, और दूसरे दस दस-पन्द्रह एकड़ भूमि रखने वाले काश्तकार छोटे काश्तकार होते हैं। आज चालीस वर्षों से भू-राजस्व दे रहे थे वही चल रहा है उसके लिये अगर आप भू-राजस्व लेना बन्द करदें तो उचित रहेगा। इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बड़ी बड़ी भूमियों के मालिक हैं जिनके कीमती फार्म्स हैं उनसे आप ज्यादा टैक्स लें तो ठीक रहेगा। वह लोग भू-राजस्व जो देते हैं उन पर सरचार्ज और लगायें तो कोई बात नहीं लेकिन छोटे काश्तकारों को तो आप भू-राजस्व के लिये माफी दे दें। बड़े काश्तकारों से आपको ज्यादा भू-राजस्व लेने से सरकार को भी फायदा होगा। छोटे काश्तकारों को राहत मिलेगी। भू-राजस्व बन्द करने का नहीं कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि बड़े बड़े काश्तकारों से, बड़े बड़े फार्मों के मालिकों से आप ज्यादा भू-राजस्व लें।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि आप अपने वैसे बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया और जो घाटा हो रहा है उसका हम हमारे उदयपुर डिवीजन में झामर कोटड़ा से राक फास-फट से जो लाभ होगा उससे कवर कर लेंगे। सभापति महोदय, अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तथा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि राजस्थान की 40 प्रतिशत जनता जयपुर डिवीजन में रहती है, इसलिये हमारे यहां पर विकास कार्य ज्यादा होना चाहिये। सभापति महोदय, जयपुर तो हमेशा से ही, जब से मुगलिया सल्तनत यहां पर कायम हुई, तब से फायदा उठा रही है। लेकिन हमारा मेवाड़ हमेशा से ही राजनैतिक कारणों से पिछड़ा हुआ है। इसलिये वहां पर विकास का कार्य होना जरूरी है। आज भारतवर्ष का बच्चा-बच्चा जानता है कि मेवाड़ मुगलों के जमाने से ही पिछड़ा हुआ है उसका कारण यह है कि मेवाड़ के महाराणा ने घास की रोटी खाना मन्जूर किया लेकिन मुगलों की गुलामी मन्जूर नहीं की। इसके अलावा वहां का पहाड़ी इलाका है इस-लिये काफी पिछड़ा क्षेत्र है। इस प्रकार की अगर आप भावना रखते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारे राजस्थान का सही तरीके से विकास नहीं होगा। और एक नई भावना पैदा हो जायेगी जिससे राजस्थान की एकता को खतरा होगा।

(श्री मनोहर कोठारी)

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ आप रेगिस्तान की समस्या बताते हैं उसकी दूसरी तरफ हमारे यहां पर पहाड़ों की समस्या है। उसके लिये आप स्कीमें बनवाइये और जो इलाका राजस्थान का हमेशा से पिछड़ा है, जहां पर ज्यादा तादाद में आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी समस्याओं का आप निराकरण करें तो सही मायने में राजस्थान का विकास होगा।

इसके अलावा मैं थोड़ा मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा आज राजस्थान सरकार अगर यह चाहे कि थोड़े से लोगों को मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज के लीज या लाइसेंसेज दे देते हैं तो उससे पूरा विकास होना मुश्किल है। आपको सभी को यह तो मालूम ही है कि राजस्थान में खनिज का अपार भन्डार है। और उसके लिये विकास किया जाय तो काफी राजस्थान सरकार को और राजस्थान की जनता को लाभ मिल सकता है। सिर्फ थोड़े से कारखाने लगा देने से काम नहीं चलेगा। आपको इसके लिये विशेष योजनायें बनानी पड़ेंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ दो मिनट में ही समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, थोड़ा मैं राजस्व की बचत के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं इस सदन में कई बार यह निवेदन कर चुका हूं कि हमारे यहां पर एक प्रशासनिक आयोग का गठन किया जाना चाहिये। इससे हमें पता लगेगा कि एक जिले में कितनी तहसीलें होनी चाहिये। कई जगह तो ऐसा है कि एक जिले में तीन तहसीलें ही हैं। कहीं चार तहसीलों का जिला है, कहीं पांच छः तहसीलों का जिला है तो कहीं 18 तहसीलों का जिला है। उदयपुर 18 तहसीलों का जिला है। जिले की हालत यह है कि जिला स्तर का दर्जा मिलने के साथ जिले स्तर की सब सुविधायें हर जिले में करनी पड़ती हैं। परिणाम यह होता है कि हमारे प्रदेश का अधिकांश व्यय हम अधिकारियों और कार्यालयों पर ही खर्च करते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि प्रशासनिक आयोग का गठन किया जाय जो जिलों का पुनः नव निर्माण करे। इससे एक तरफ जनता को सुविधायें मिलेंगी और दूसरी तरफ सामन्ती विचार जिनके मन में घर कर गये हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। यह बहुत बड़ी सेवा करेंगे आप प्रदेश की। देवगढ़ का इलाका देवगढ़ तहसील में, आमेट का इलाका आमेट तहसील के रूप में बदल दिया गया। जागीरी क्षेत्र थे। तहसीलों के रूप में परिवर्तित हो गये। देवगढ़ से 1 मील दूर कामली घाट। वह भीम तहसील में। उसके थोड़ी दूर आगे निकल कर देवेर का इलाका भीम तहसील में पड़ता है। भीम तहसील ब्यावर के पास जुड़ती है इससे लोगों को भी कष्ट होता है। आप इन सब तहसीलों का रिओर्गेनाइजेशन कीजिये। सब डिविजनल हैडक्वार्टर्स का रिओर्गेनाइजेशन कीजिये। कलेक्टर जिलाधीशों का और जिलों का रिओर्गेनाइजेशन कीजिये जिससे समान स्तर पर लोगों को सुविधायें उपलब्ध हो जायं, बहुत दूर किसी को आना जाना नहीं पड़े।

पुलिस विभाग को ही ले लीजिये। उदयपुर में एक एस०पी०, एक एडीशनल एस० पी०, सर्कल इन्स्पेक्टर, थानों के

Page No 77

(77)

(श्री मनोहर कोठारी)

इन्चार्ज । नाथद्वारा में सी. आई. का दफ्तर है । रिओर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आयी है । नाथद्वारा से सरकल इन्स्पेक्टर का दफ्तर हटा दिया जाय और उसका सम्बन्ध भी उदयपुर से जोड़ दिया जाय । एडीशनल एस० पी० का ज्युरिस्डिक्शन क्या, यह पता नहीं चलता । उदयपुर में ही सब दफ्तर इकट्ठे करते जा रहे हैं । इसलिए आप एडीश्नल एस० पी० का दफ्तर नाथद्वारा में कर दीजिये । भीम तक के इलाकों को, दूर दूर तक के इलाके के लोगों को सुविधा मिले । यह तब ही सम्भव हो सकेगा जब कि आप रिओर्गेनाइजेशन के लिये प्रशासनिक आयोग का गठन करें । शहरों में लोग रहना पसन्द करते हैं । सरकार को इससे आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान होता है । हर अधिकारी चाहता है कि बड़े शहर में रहे । हाउस अलाउन्स की सुविधा जुड़ी होने से उसके प्रति आकर्षण रहता है । हर जगह आप कार्यालय बदल दीजिये । हाउस अलाउन्स की मुसीबत से भी बच जावेंगे और आपको इससे करोड़ों रुपयों का लाभ होगा । हम यह करना नहीं चाहते हैं इसलिए ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं ।

चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में भी इसी तरह का निवेदन करना चाहता हूं । जिलों पर मेडिकल कॉलेज, जनरल हॉस्पीटल्स से लेकर जिले के मेडिकल अफसरों के कार्यालय भी मिलते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज, जनरल हॉस्पीटल्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्राइवेट प्रेक्टीशनर्स भी मिल जाते हैं; साधन सुविधाएं हैं, लेकिन जहां पर साधन सुविधायें नहीं है जो बड़े बड़े कस्बे हैं कम से कम उन जगहों पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज का कार्यालय कर दिया जाय तो आपको इससे असुविधा नहीं होगी और जनता को बहुत सुविधा हो जावेगी । वहां पर वे लोग रहेंगे इससे जनता को काफी लाभ प्रदान कर सकते हैं ।

आर०एस०ई०बी० की बात ले लीजिये । बिजली विभाग में प्रति कन्ज्युमर 15 रुपया प्रतिवर्ष इन्सपेक्शन फी ली जाती है । सभापति महोदय, फीस और टेक्स में फर्क है । फीस के साथ ओब्लीगेशन है । राज्य सरकार जब ही ले सकती है जब ओब्लीगेशन फुलफिल करें । टेक्स के लिए यह जरूर नहीं है । फी के रूप में 15 रुपया चार्ज किया जाता है । लेकिन इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर की कभी कोई शक्ल नहीं देखता । वर्षों हो गये हमने कभी देखा नहीं कि वह बिजली की लाइन चेक कर गया हो । इन्सपेक्शन नहीं करता है तो फीस किस बात की, ओब्लीगेशन फुलफिल नहीं करता है तो फीस किस बात की ? पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के मामले में हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया है । हमारे यहां के प्रसिद्ध तीर्थ श्री ऋषभदेवजी के मामले में हाई कोर्ट ने, कहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत नहीं ली जा सकती है । क्योंकि सरकार कोई ओब्लीगेशन फुलफिल नहीं करती और फीस लेने का प्रावधान वहां से हटा दिया गया । इलेक्ट्रीकल इन्सपेक्टर की फीस इन्सपेक्शन के नाम से ली जाती है लेकिन इन्सपेक्शन कभी होता नहीं । मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में थोड़ा सोचें ।

हमारी नगरपालिकाओं की जो स्थिति है वह बड़ी भयंकर है । नगरपालिकायें इसलिए हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों को स्वशासन मिले और लोगों के विकास का रास्ता खुले ।

(श्री मनोहर कोठारी)

स्थिति यह है कि बड़ी नगरपालिकायें हैं नगर परिषदें हैं उनकी बात मैं नहीं कहता, किन्तु अधिकांश नगरपालिकाओं की हालत यह है कि जितनी ओक्ट्रोय वसूल करती हैं, हमारे नाथद्वारा में एक यात्री कर और वसूल होता है, एक यात्री कर तो लिया ही जाता है और एक एडीशनल और लेते हैं। किन्तु खर्चा करने के बाद भी नौकरों की तनख्वाह पूरी नहीं होती और जमीनें आस पास में बेच कर तनख्वाह देने के लिए उठा दी गयी हैं। इन नगरपालिकाओं की आज क्या हालत है? हल्दी घाटी जैसे स्थान के बारे में, जो कि एक संसार प्रसिद्ध स्थान है, उसके डवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा गया, जब यात्री कोई बाहर से आता है, कोई सलानी आता है वह हल्दी घाटी जाकर सिर पटक कर लौट आता है, राजस्थान की स्थिति पर तरस खाता है और घर चला जाता है। ये जो महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे धार्मिक दृष्टि से हों, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से हो महत्वपूर्ण स्थान हों, उनके विकास के लिए राज्य सरकार को सोचना चाहिये। बाकी हमारी सरकार यह समझती है कि यह प्रशासन तो परमराती रेल की भैंसागाड़ी की तरह चलता रहेगा तो आपकी मर्जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि आजादी के 26 वर्ष के बाद भी इस दिशा में नहीं बढ़ेंगे तो सही माने में राजस्थान की जनता का हित नहीं कर पायेंगे, सेवा नहीं कर पायेंगे, इन्हीं विचारों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामानन्द ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, यह विनियोग विधेयक हमारे सामने वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। पिछली 11 तारीख को बजट प्रस्तुत हुआ था उसके बाद लगातार इन 13 दिनों में इस सदन में हमने बजट पर जनरल बहस की और विभिन्न मांगों के सिलसिले में कुछ विभागों पर थोड़ी विस्तृत चर्चा भी की है।

एक बात जो उभर कर सामने आई है जिसकी ओर मैंने माननीय वित्तमन्त्री जी का ध्यान जब उन्होंने बजट की जनरल बहस का उत्तर दिया था उस समय आकर्षित किया था, वह है कि चार पंचवर्षीय योजनाओं का निष्कर्ष जो प्लानिंग कमीशन ने स्वयं ने निकाला है जिसमें यह है कि यद्यपि हमारा विकास हुआ है लेकिन इस विकास में दिशा हमारी इस किस्म की रही है कि जिससे रीजनल इम्बेलेन्सेज बढ़े हैं और दूसरी तरफ विभिन्न वर्गों में डिस्पेरिटी भी बढ़ी है। हम इस तरह का समाज देश में बनाना चाहते हैं, जिसमें न केवल पैदावार और अन्य उत्पादन ही बढ़े बल्कि उसका वितरण भी इस ढंग से हो कि जो समाज में गरीब तबका है उसको उसमें अधिक हिस्सा मिले ताकि बड़े के और छोटे के बीच में आज काफी बड़ी खाई है वह पट सके।

पिछले 25 वर्षों का जो हमारा विभिन्न विकास की योजनाओं का अनुभव रहा वह इस रूप में रहा कि इस तरह की डिसपेरिटीज और इम्बेलेन्सेज बढ़े हैं। इसलिये इस पांचवी योजना, जिसका यह पहला वर्ष है और जिसके आधार पर लाये गये इस बजट को और इस एप्रोप्रियेशन बिल को हम पास करने चले हैं, पुरानी धारा को हम मोड़ दें और इन डिस्पेरिटीज और इम्बेलेन्सेज को खतम कर दें। हम अपनी आर्थिक नीतियों को भी इसी के अनुरूप मोड़ दें।

(श्री. रामानन्द अग्रवाल)

इस दृष्टि से मैंने वित्त मन्त्री जी से उस रोज भी यह कहा था कि जो आपने बजट में कहा है और जिस तरह का एलोकेशन आप करने जा रहे हैं और जिस तरह से इन एलोकेशन्स का एप्रोप्रियेशन आप करना चाहते हैं इससे यह संकेत नहीं मिलता कि आप अपनी आर्थिक नीतियों को उस दिशा की तरफ मोड़ने जा रहे हैं जिससे कि आगे इस डिस्पेरिटीज में और इम्बेलेन्सेज में टूट आवे।

आज इस विधेयक पर बोलते हुए भी मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि आप इस नीति को ऐसी दिशा दें कि जिससे ये इम्बेलेन्सेज और डिस्पेरिटीज एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच की मिट सके। मुझे तो आपके इस एप्रोप्रियेशन से लगता है कि इसका मिटाना तो दूर रहा बल्कि यह इन दोनों प्रवृत्तियों को और बढ़ावा देने जा रहे हैं। आप इन प्रवृत्तियों को और बढ़ाएंगे। रीजनल इम्बेलेन्सेज भी बढ़ेंगे और वर्ग डिस्पेरिटीज भी, बढ़ेंगी।

टैक्स नये नहीं लगाने की बात कहकर वित्त मन्त्री जी ने सस्ती वाहवाही लूटने का प्रयास किया है, वही इस बात का संकेत है कि आप रिट्रोगेट दिशा में चलने वाले हैं। उल्टी दिशा आपने पकड़ ली है।

सभापति महोदय, अगर हम आज के रुपये की कीमत की तरफ देखें तो 25 परसेन्ट खर्चा और बढ़ गया है। 25 परसेन्ट प्राइसेज आल इण्डिया लेवल पर बढ़े हैं और सम्भवतः वह रेशो राजस्थान में 31 परसेन्ट तक है। इसलिये स्वाभाविक है कि जो टैक्स आप वसूल करेंगे, जैसे सेल्स टैक्स वगैरह है, उस सीमा तक कीमतें बढ़ने का लाभ इससे मिलेगा लेकिन इसके विपरीत जो खर्च के आंकड़े हैं उनमें जो एलोकेशन पिछले के मुकाबले में अगर 30 परसेन्ट कीमतें घटाकर ले लिया जावे तो वह खरचा कम पड़ेगा और इस तरह से प्रोजेक्ट टारगेट हम बहुत कम पूरे कर पावेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हम आज जो विनियोग विधेयक पास करने जा रहे हैं यह दरअसल हम राजस्थान के विकास को एक तरह से तालाबन्दी कर रहे हैं। जो पांचवीं योजना को बड़ी विकास योजना के रूप में ले जाना चाहते हैं जिसमें हमने पिछली चार योजनाओं से भी दुगुनी रकम 633 करोड़ रखी है अगर उस में से एक साल की रकम निकालें तो वह 127 करोड़ रुपया से भी अधिक होगी। लेकिन अभी हम इस वर्ष में केवल 65 करोड़ रुपया ही विकास कार्यों पर खर्च कर पाये हैं। इसका साफ मतलब यह है कि हम वहां के वहां खड़े हैं। इन कामों को जो हाथ में लिये हुए हैं इन्हीं को करीब करीब नान प्लान नहीं कह कर टेक्निकल रूप में प्लान कर दिया है। इस तरह से हम वहां के वहां खड़े रहना चाहते हैं।

सभापति महोदय, सरकार के टैक्सों के आंकड़े भी देखें। डाइरेक्ट टैक्सेशन की दिशा घटी है। इस पीरियड में। 1973-74 में जहां डाइरेक्ट टैक्सेज 27.79 परसेन्ट था तो वे इस नये बजट में कवल 25.17 रह गया। तो डाइरेक्ट टैक्सेज की भी कमी हो रही है और इनडाइरेक्ट टैक्सेज जिसका बोझा सीधा सामान्य जनता पर पड़ता है वह पांचवीं योजना के इस पहले ही वर्ष में बढ़ाने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पैसा इकट्ठा करने में हम इनडाइरेक्ट टैक्सेशन पर अधिक निर्भर हैं और खर्चा करने का तरीका भी साधन सम्पन्न वर्ग के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लिये अधिक करने का है इस सारे बजट पर जो भी बहस की है इससे भी यही प्रदर्शित हो रहा है ।

सभापति महोदय, संसद ने पिछले दिनों हमारे संविधान की धारा 31 में संशोधन किया जिसका मकसद यह था कि स्टेट गवर्नमेन्ट या केन्द्रीय सरकार साधन सम्पन्न लोगों की प्रोपरटीज को टेक ओवर कर सके । और उसमें मुआवजे का प्रश्न अदालतों के अन्दर जाकर जस्टीशिएबिल नहीं हो, जिसकी वजह से देश में प्रगतिशील कानून, लेजिसलेशन बनाकर और ये प्रापर्टी का अक्वीजिशन करने में जो बाधायें थीं वित्तीय दिक्कतें आती थीं, नहीं कर सकते हैं, इसलिये आर्टिकल 31 में अमेन्डमेंट करके यह किया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने डिक्लेरेशन यह दें कि इस कानून का मकसद बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनकी मदद करने के लिये या समाज में जो कमजोर तबका है, उनकी मदद करने के लिये यह लेजिस्लेशन बना रहे हैं और यह प्रोटेक्टिव होगा । आर्टिकल 31 के उस अमेन्डमेंट को और कितना कम्पनसेशन देना, कितना कम्पनसेशन दिया जा रहा है वह अदालतों में जाकर चुनौति नहीं दी जा सकती है ।

हम यह उम्मीद करते थे कि राजस्थान सरकार इस अमेन्डमेंट का फायदा उठाकर और आगे बढ़ेगी और राजस्थान के अन्दर कुछ रिसोर्सेज को, कुछ साधनों को इस कानूनी व्यवस्था के अन्दर उपलब्ध करने की कोशिश करेगी । केरल में जहां पर कम्यूनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है वहां पर जितने प्राइवेट सोर्सेज हैं, उन तमाम प्राइवेट सोर्सेज को सरकार ने कानून बना कर बिना कम्पनसेशन दिये अक्वायर कर लिये । उसको चेलेन्ज किया था हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को वैध करार दिया और इस तरीके से कोई भी लेजिस्लेशन इस प्रकार की प्रापर्टी को अक्वायर करने के लिये बनाये जा सकते हैं और कम्पनसेशन देना आवश्यक नहीं है, क्या दिया जाय यह जस्टीशिएबिल नहीं है । मैं समझता हूं राजस्थान सरकार चाहती तो इस दिशा में कदम उठाती और जो 8 अरब का कर्जा राजस्थान सरकार पर है, वह खतम हो जाता । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया और भी माननीय सदस्य जिक्र करते रहते हैं और साधनों की इतनी बड़ी दिक्कत है । इन्वेस्टमेंट करने में, चाहे बिजली घर हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे माइन्स हो चाहे दूसरे इन्डस्ट्रीज हों – पब्लिक सेक्टर में खोलना चाहियें या सोशल सर्विस में हम ज्यादा खर्च करना चाहें । मैंने पहले भी, सभापति महोदय, इस बात को सदन में रखा है, जो साधन सम्पन्न तबके के हैं हमारे राजस्थान में उन तमाम को इस प्रकार की प्रापर्टी है, असेट्स हैं जिसका जनता के लिये उपयोग किया जा सकता है, उन साधनों को लिया जाना चाहिये और उनके लिये मैंने भूतपूर्व राजाओं का, जागीरदारों का और बड़े पूंजीपतियों का, जिनका स्टेट गवर्नमेंट को सब्जेक्ट्स बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है, उस दिशा में कदम बढ़ाने की मांग की थी । मैं अब भी यह कहना चाहता हूं राजस्थान को रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिये यह आज हमारे लिये कोई गर्व की बात नहीं कि हमने टैक्स नहीं लगाया । यह टैक्स न लगाना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। सवाल रिसोर्सेज है, क्योंकि हम राजस्थान में इतने पिछड़े हुये हैं रिसोर्सेज फाइन्ड आउट करना है। गरीब लोगों पर पहले से टैक्सेज हैं। उनको रीलिफ दें वह प्रशंसनीय होगा लेकिन राजस्थान के लिये रिसोर्सेज उपलब्ध करें और जिन तबकों से जिन्होंने फायदा उठाया है, उनसे सोर्सेज इकट्ठे करना राजस्थान के हित में है, डवलपमेंट के हित में है। उनको अनटच्ड छोड़ देना गर्व की बात नहीं है। रूलिंग पार्टी को इन तबकों को टच नहीं करने की अपनी पालीटिकल फिलासफी है।

गांवों में धनी लोग रहते हैं, चाहे शहरों में रहते हैं, चाहे उद्योगपति हैं, चाहे जमीन के मालिक हैं, चाहे सामन्ती हैं, चाहे भूतपूर्व राजा महाराजा हैं, उन लोगों को टैक्स नहीं करना चाहते हैं। जबकि बार बार मैं समझता हूं राज्य कमेटी जिसको बुलाया गया था, केन्द्रीय सरकार की तरफ से नये रिसोर्सेज फाइन्ड आउट करने के लिये, उसने अपनी सिफारिश की कि आज जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जमीन वाले हैं, उन सेक्टर्स पर और नये टैक्सेज लगाये जा सकते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े आज इस सेक्टर में उद्योगपति घुस रहे हैं, इस सेक्टर में सर्विसेज वाले घुस रहे हैं, इस सेक्टर में खेती का शौक पैदा हो रहा है, कितने ही तरीके से लग रहे हैं। यह सिफारिश की थी कि लेकिन वे सिफारिशें केवल कागजों में रह गयीं और हमारी राजस्थान सरकार ने कोई इम्पलीमेन्टेशन करने की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, इन तबकों की तरफ राज्य सरकार का रुख न केवल अनटच करने का है बल्कि मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और अनुभव यह बताता है कि इन तबकों को खुले तौर पर राज्य सरकार के वित्तीय साधनों की चोरी करके राज्य सरकार की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना कर अपने स्तेमाल करने की खुली छूट राजस्थान सरकार की तरफ ने दी है और दी जा रही है। गलत तरीके द्वारा अदालतों में कोशिश करके, पैरवी करके, उनको डिग्री करके राजस्थान सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, डेलीबरेटली उन लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस सदन में, सभापति महोदय, कितने ही मामले विभिन्न ऐसे लोगों के सामने आये हैं। इस सदन में कोटा महाराजा के द्वारा जमीन बेचने के मामले, एक सोसायटी बनाकर बेचने के मामले आये हैं। बूंदी महाराजा की जंगलात की जमीन बेचने के मामले इस सदन में आये हैं, पुरानी स्टेट अलवर के कुछ मामले पिछले सदन में रखे थे। कुछ इस तरह के वित्तीय मामले, जहां राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है या राज्य सरकार की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाकर लाभ उठा रहे हैं, ऐसे नोटिस में आये हैं।

सभापति महोदय, अलवर के महाराजा कुमार प्रताप सिंहजी का जिक्र आता रहता है। वे घोड़े खरीदने और बेचने का व्यापार करते हैं। मैं वित्त मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इन महाराजकुमार से कितना सैल्स टैक्स इकट्ठा किया है – इनके घोड़ों की बिक्री पर जबकि जहां तक मेरी जानकारी है, सैल्स टैक्स के अनुसार जो इन्टर स्टेट सैल्स है, स्टेट के बाहर होने वाली, उन पर परचेज के नाम से टैक्स वसूल करते हैं। जैसे राजस्थान से सरसों वगैरह एक्सपोर्ट

Page No 82

(82)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होती है बंगाल को तो वे बंगाल को जाने वाली सरसों पर परचेज टैक्स के रूप में वसूल करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इन घोड़ों की बिक्री पर कितना टैक्स वसूल किया आज तक। सभापति महोदय, मुझे यह जानकर खेद हुआ है कि आज तक राजस्थान सरकार ने एक पैसा भी बिक्री कर का इन महाराजकुमार से वसूल नहीं किया है और घोड़े बम्बई ले जाते हैं या कहां ले जाते हैं, एक एक घोड़ा बीस-बीस और तीस तीस हजार में बिकता है और यह घोड़े रेस के लिए होते हैं। और यह उनकी बिक्री करते हैं तो उसमें अण्डरटेकिंग भी देनी पड़ती है बाहर ले जाते हैं तब। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने उनके अकाउन्ट्स देखे हैं कि कितने की सेल हुई हैं और इसके हिसाब से क्या उनको कोई नोटिस दिया गया है? कोई बकाया निकाली गयी है क्या? पिछले कितने ही सालों से लगातार यह सेल हो रही है और इससे लाखों रुपयों का नुकसान राजस्थान के एक्सचेकर को हुआ है।

सभापति महोदय, मैंने पिछले सदन में भी एक प्रश्न उठाया था कि हमारे यहां एक सगनोती रिजर्व फॉरेस्ट है। हिज हाईनेस अलवर की जो प्राईवेट प्रॉपर्टी की लिस्ट है उसके अनुसार इस सगनोती जंगल में उनको शिकार राइट्स थे और अपने इस्तेमाल के लिए फायरवुड, जिसकी उसमें मात्रा नहीं लिखी हुई है, उनको लेने का अधिकार था। वह सारा बहुत ही डेन्स फारेस्ट है और उसमें सन् 1955-56 के करीब वहां के फारेस्ट डिपार्टमेन्ट और सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट के कोल्यूजन से 1600 बीघा जमीन जो कि डेन्स फारेस्ट के नीचे ढकी हुई है और रिजर्व फारेस्ट है, जिसमें किसी का मवेशी भी चरने नहीं जा सकते, उसको जंगलात विभाग और सेटलमेंट विभाग से मिलकर अपने खातेदारी में दर्ज करा लिया। खातेदारी में दर्ज करा कर उस जमीन को अभी पिछली गर्मियों में जब मैं दौरे पर गया तो मालूम हुआ कि वह लोगों को बेच रहे हैं, जुबानी सेल कर रहे हैं। लोगों से एडवान्स पैसे लेकर जुबानी दे रहे हैं। अब पता लगा है कि एन्टीडेटेड करीब 78 पट्टे दो साल पहले के किसानों के नाम करा दिये हैं। मैं खुद वहां गया और वहां के अधिकारियों को सूचना दी। जंगल लगातार काटे जा रहे थे, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं उस रिजर्व फारेस्ट के अन्दर। मैंने मुख्य मंत्रीजी को कहा, यहां पर सदन के अन्दर एडजोर्नमेन्ट मोशन मैंने मूव किया लेकिन उसके बावजूद वह फारेस्ट काटा जा रहा है। वहां ट्रैक्टर्स चल रहें हैं, प्राईवेट लोगों को पट्टे दे दिये और इस तरीके से लाखों रुपया इकट्ठा कर लिया उस जंगल का जो कि स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जिसका महाराजा की प्राईवेट प्रॉपर्टी होने से कोई ताल्लुक नहीं है। सभापति महोदय, टेनेन्सी एक्ट के तहत अगर उनकी प्राईवेट प्रॉपर्टी भी है और अगर उनकी खातेदारी भी मान ली जाये, तो भी टेनेन्सी एक्ट के तहत कोई भी खातेदार जिसके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है वह बिना इजाजत के, बिना कलेक्टर या रेवेन्यू अथोरिटीज के लाइसेन्स के अपनी लकड़ी नहीं काट सकता है वहां से, लेकिन इन महाराजकुमार ने कोई इजाजत नहीं ली, कोई लाइसेन्स नहीं लिया और बगैर लाइसेन्स के तमाम जंगल को कटवाकर लकड़ी बेच दी।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक सगनोती की कोठी है, हिस्टोरिकल कोठी है और 3 लाख से भी ज्यादा की उसकी वैल्यू होगी। मैंने सुबह भी जिक्र किया वहां की जाली तोड़ने का, उस सारी कोठी को बरबाद कर डाला। नीचे के दो खन थे और 3 खन ऊपर के थे– पाचों खनों को तहस-नहस करके उसमें से गरडर्स चौके आदि सब चीजें निकाल डालीं। इसी तरीके से अलवर में किला है। उस किले पर कोठी थी जय निवास उसको तहस-नहस कर डाला। राजगढ़ के किले में कोठी थी उसको तहस-नहस कर डाला उसका मतलब यह है कि वैल्थ टैक्स से बचा जाये। वकीलों ने सलाह दी होगी कि इस पर वैल्थ टैक्स लगेगा इसलिए बरबाद कर डालो और इस तरीके से बरबाद कर डाला। और 1600 बीघा जमीन सगनोती जंगल की आज इस तरीके से बेच दी है और सरकार कान में उंगली डाले बैठी है। कोई भी सामान्य आदमी करता तो गिरफ्तार होकर जेल में जाता। मुकदमा चलाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं समझता कि न तो उनको प्रिविलेज है, न और कोई बात है और आज इन लगों के खिलाफ सामान्य नागरिकों के तरीके से कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, वहां पर ईंटाराना रूंद है उसमें एक कोठी है और उसके साथ करीब 750 बीघे का जंगल था वहां हमारे शहर के मवेशी चरा करते थे। यह रूंद और कोठी हिज हाईनेस ने 1944 में अपने छोटे लड़के यशवंतसिंह को जागीर के रूप में दे दी थी और 1952 में जागीर एबालिश होने के बाद करीब 1956 में यह जागीर रिज्यूम हो गयी। रिज्यूम होने के बावजूद, सभापति महोदय, किसी तरीके से भी फेब मुकदमा लड़े, सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं हुई और जागीर कमिश्नर के जरिये रिज्यूम होने के बावजूद उसको पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में उन्हीं महाराजकुमार के पास छोड़ दिया गया। फिर बिस्वेदारी एबालीशन हुआ और खातेदार बन गए। 1959 में बिस्वेदारी एबालीशन एक्ट आ गया उसके तहत लिया जाना चाहिए था, 1960 में सीलिंग एक्ट आ गया अगर खातेदार भी थे तो भी सीलिंग के तहत लिया जाना चाहिए था लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इस रूंद को रिज्यूम करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कायदे के अनुसार इस तरह की रूंद सरकार में वेस्ट हो जानी चाहिए थी और महाराजकुमार के पास होने का सवाल नहीं था लेकिन वह उनकी प्राईवेट प्रापर्टी मान ली गयी। गवर्नमेंट आफ इण्डिया को मिलट्री केन्टोनमेन्ट के लिए उस जगह की जरूरत थी, उसका एक्वीजीशन कर लिया गया और, सभापति महोदय, अब उसका करीब 7 लाख रुपया किराया यशवंतसिंह छोटे महाराजकुमार क्लेम करते हैं। अब उसको गवर्नमेंट आफ इन्डिया एक्वायर करना चाहती है। एक्वायर करने के लिए क्लेम कम्पन्सेशन महाराजकुमार ने 25-30 लाख बनाया है। महाराजकुमार का क्या लेना देना है इस प्रापर्टी से? राज्य सरकार के तीन कानून बने जागीर एबालीशन, बिस्वेदारी एबालीशन और टेनेन्सी एक्ट का सीलिंग का कानून। इनके तहत यह जमीन रिज्यूम हो जानी चाहिए थी और जो भी यह जमीन है इसका क्लेम स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए था। किराया अगर गवर्नमेंट आफ इन्डिया से लेना है तो राजस्थान गवर्नमेंट को लेना है, कम्पन्सेशन अगर गवर्नमेंट आफ इन्डिया से लेना है तो राजस्थान गवर्नमेंट को लेना है। लेकिन

Page No 84

(84)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारी राजस्थान सरकार कान में ऊंगली दबाये बैठी है, चुपचाप बैठी है और सात आठ लाख रुपये किराया और कम्पन्सेशन जो जागीरदार थे, छोटे महाराजकुमार यशवंत-सिंहजी उनको तरफ से क्लेम किया जा रहा है और इस तरीके से राज्य सरकार को इसका नुकसान पहुंच रहा है।

यही नहीं, सभापति महोदय, हमारे यहां जो फूलबाग है उसमें जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की लिस्ट के अन्दर उसको स्टेट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। स्टेट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और उस स्टेट प्रॉपर्टी को प्रतापसिंह जी ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना लिया है जिसके लिए गवर्नमेंट में कोई किसी तरह का रिकार्ड में आर्डर नहीं मिलता है। यह जमीन उनकी खुद की हो पर वह गवर्नमेंट लैंड है, उसका कोई कन्वर्शन नहीं कराया गया। उसके अन्दर यह नॉन-एग्रीकल्चर यूज में कर ली गई जो कि टिनेंसी एक्ट के खिलाफ है और उसका अगर कन्वर्सन सीलिंग लॉ में किया तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको असेस किया है करीब 46 लाख का। उसका एक पैसा भी आज तक वसूल नहीं किया गया है और सामान्य लोगों की जमीन के ऊपर कब्जा है, अन-ओथोराइज्ड कब्जा है, इल्लीगल है, उस पर कन्ट्रक्शन इल्लीगल है, उसका कन्वर्शन इल्लीगल है और उसका सारा क्लेम बनता है वह करीब 46 लाख का बनता है। तो इस तरह से ईटाराना, फूलबाग और सगनोदी जंगल जो कि इनकी प्राईवेट प्रॉपर्टी नहीं हैं, स्टेट प्रॉपर्टी को उन्होंने एन्क्रोच किया है और एन्क्रोचमेंट करके करोड़ों रुपयों का नुकसान स्टेट गवर्नमेंट को दिया है और वहां स्टेट गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, है बाकी जो उनकी परसनल प्रॉपर्टी है वह अलग है। उसका मामला अलग है। उसमें कोई एक राजा का सवाल नहीं है, सब राजाओं का सवाल है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से राज्य सरकार टैक्सेशन के मामले में, राज्य सरकार इन प्रॉपर्टीज के मामले में जो खुद राज्य सरकार की है या होनी चाहिये उसके प्रति दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति बरत कर इन लोगों के जो वेस्टेट इंटरेस्ट हैं उनको नाजायज फायदा लगातार पहुंचा रही है। इस मामले में शायद वित्त मंत्रीजी के लिये यह सम्भव नहीं होगा कि उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके वह आज इसका उत्तर दे सकें। मैं यह चाहूंगा कि एक स्पेशल आफिसर हाई कोर्ट जज की हैसियत का मुकर्रर किया जाना चाहिये जो कि इस अलवर स्टेट के रूलर्स और उसके लड़कों के जरिये किस तरह से स्टेट की प्रॉपर्टी को ग्रेब किया गया है, किस तरीके से स्टेट के फाइनेंसेज नहीं दिए गए हैं, टैक्सेज को नहीं दिया गया है। किस तरह तरीके से यह अन-ऑथोराइज्ड ओकुपेशन किया गया है, इनकी पूरी तरह से इंक्वायरी करें। पूरी तरह से इसमें जांच की जाय। इसमें यह भी जांच की जाय कि किस तरीके से किन ऑफिशियल्स की कोलूजन से, किन ऑफिसर्स की मिलीभगत के जरिये यह सारा सब कुछ गुलगपाड़ा किया गया है और फिर इस सदन के सामने मामला आये और सरकार इस मामले में उसको लेकर और स्टेट का जो इन्टरेस्ट है उनकी सुरक्षा करे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्पेशल केस अलवर का तो मैंने आपके सामने पेश किया है। आज इस वक्त फाइनेंस के मामले में हम इतने फाइनेंशियल संकट में हैं एक एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पैसे की तलाश है हमें राजस्थान के निर्माण के लिये, तब यह जरूरी है कि जितने भी साधन जुटा सकें वह जुटायें। तो यह जितनी भी रूलर्स को यह जो प्रॉपर्टीज दी गई, उनकी प्राईवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई, उनका जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है, जो अलवर का मामला सामने आया; इसी तरह से दूसरी जगहों की भी बात हो सकती है। इसलिये एक स्टेट लेवल कमीशन मुकर्रर किया जाना चाहिये जो डी-नोवो इन तमाम रूलर्स, इन प्राईवेट प्रॉपर्टीज, उसके जस्टीफिकेशन, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है उसको देखें। इसमें जो स्टेट प्रॉपर्टीज है और जो प्राईवेट प्रॉपर्टी है, और जगह पर भी प्राईवेट प्रॉपर्टी है तो उसके लिये स्पेशल लेजिस्लेशन बना कर आर्टिकल 31 के तहत उसको स्पेशल डिक्लेयर करके स्टेट गवर्नमेंट इन तमाम को टेकओवर करे। क्योंकि अगर रूलर्स इस तरह से लाखों की प्रॉपर्टी को, महलों को बर्बाद करें महज इसके लिये कि उनको शहतरी निकालने हैं या संगमरमर निकलना है तो मैं समझता हूं नेशनल इन्टरेस्ट में भी इन सबका पजेशन लिया जाना चाहिये। सरकार वहां पर स्कूल बना सकती है, लाइब्रेरी बना सकती है, ऑफिसेज बना सकती है और दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकती है बजाय इसके कि इन रूलर्स को यह इजाजत हो कि वे इन प्रॉपर्टीज का सारा का सारा सत्यानास कर दें। इसलिये इनको स्टेट गवर्नमेंट टेकओवर करे और इनको स्टेट टेकओवर करले नया लेजिस्लेशन बना कर।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि····

श्री सभापति : जरा सूक्ष्म में करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने 1963 में एस्टेट होल्डर्स लैंड एक्वीजिशन एक्ट बनाया था और वह हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में इसकी कुछ धाराओं को अवैध करार दे दिया गया। अब शायद स्टेट गवर्नमेंट ने उसके लिये डिवीजन बैंच में अपील की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अब जब आर्टिकल 31 में अमेंडमेंट हो गया है और क्रूशियल क्वेश्चन जो कम्पन्सेशन का है उस एक्ट में कम्पन्सेशन, सीलिंग एक्ट के मुकाबले में शायद कुछ थोड़ा रखा गया है, लेकिन अब बजाय उस अपील का इन्तजार करने के राज्य सरकार उस एक्ट को वापस लेते हुए आर्टिकल 31 का लाभ उठाते हुए एक डी-नोवो नया लेजिस्लेशन बनाए जिसमें केरल की तरह विदाउट कम्पन्सेशन इन प्रॉपर्टीज को, यह तमाम लैंड उनके पास है, उसको एक्वायर करे और उस पर जो टीनेंट बैठे हैं उनको राइट्स दे और बाकी जो लैंड है उसको दूसरों को डिस्ट्रिब्यूट किया जाय। मैं समझता हूं कि इसी तरह से आर्टिकल 31 का उपयोग दूसरे जो सीलिंग एक्ट हैं उसके अन्दर भी हमने किया है, दूसरा जो अरबन सीलिंग के बारे में हमने पेश किया था उनमें भी किया जा सकता है और उस रूप में उनका संशोधन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर इस सदन में कितने ही मामले इस किस्म के सामने लाये गये जिसमें कि यह वितरण का सवाल, लोगों को आवश्यक चीजें मिलने का सवाल है वह लाये, किन्हीं लोगों के लिए लॉ बनाया लेकिन कोई लोग उसका लाभ तस्करों के जरिये, ब्लैक-मार्केटियर्स के जरिये उठा

(श्री राधानन्द अग्रवाल)

लेते हैं। एक प्रश्न था अनाज के सम्बन्ध में। सभापति महोदय, मुझे खेद है कि सरकार और उनकी मशीनरी कहीं पर भी इस तरह की लूटखोस को प्लग न कर सकी। इस तरह की असामाजिक घटनाएं होतीं रहें और सरकार के नोटिस में नहीं आएं, वह इतनी गंभीर बात नहीं है, लेकिन सरकार के नोटिस में आ जाय वह बात, और नोटिस में आने के बावजूद बजाय उस पर कोई असरदार कार्यवाही करने के, उस मामले को रफा दफा कर दिया जावे या उस मामले को लम्बा डाल कर और उसको खराब करने की कोशिश की जाय, तो मैं समझता हूं कि फिर उसकी जिम्मेदारी उन ग्रोथोरिटीज की नहीं रह कर वह सीधी मंत्रिमण्डल पर आती है। मंत्रिमण्डल खुद अगर अपनी मशीनरी को टाईट करना चाहे जब उनके नोटिस में मामले आएं कर सकते हैं, अगर ऐसे भी करने में आनाकानी हो तो मैं समझता हूं कि खुद मंत्रिमण्डल नहीं करना चाहता है।

मैं आपके मार्फत इस सदन के नोटिस में एक मामला फर्टीलाईजर्स, जो हम पंचायत समितियों को किसानों में वितरण करने के लिए देते हैं, का लाना चाहूंगा। एक बहुत गम्भीर मामला मेरे नोटिस में आया, मुझे आश्चर्य हुआ इसको जानकर। यह मेड़ता पंचायत समिति का मामला है। चार वर्ष तक, सभापति महोदय, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, और 1972-72, इस प्रकार पांच वर्ष तक एक मार्केटिंग सोसायटी है उस मार्केटिंग सोसायटी के नाम से क्रय विक्रय संघ, जो जयपुर में है, से वहां के एक कर्मचारी और एक सरकारी कर्मचारी और एक नेता के साथ उस मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी के नाम से पांच वर्ष तक करीब चार सौ टन खाद उन्होंने उठाया। सोसायटी के पास कभी एक कट्टा पहुंचा नहीं, उन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया, उन्होंने कभी कोई खाद बांटा नहीं लेकिन सभापति महोदय, वहां पर चान्दमल राठी पहले वहां का मैनेजर था, वह मैनेजर वहां से हटा दिया गया, ट्रांसफर हो गया उसका और सी० ओ० बन गया किसी बैंक में। वह चान्दमल राठी और दूसरा राम सहाय मैनेजर था उसके झूठे दस्तखत करते रहा और वहां से खाद उठाते रहे, पेमेन्ट कराते रहे और इस तरीके से 394 टन खाद उन्होंने 5 वर्षों के अन्दर उठाये। मामला तब खुला जब पिछले साल सन् 1973 में, दिनांक 1-1-73 को वहां के जो प्रधान थे उन्होंने मांग की कि हमारे यहां यूरिया खाद आना चाहिये। यहां वालों ने कहा कि आपको 50 टन एलाट कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां नहीं पहुंची है। संघ ने कहा कि आपके आदमी यहां पर आकर उठा कर ले गये है। परन्तु वहां पर कोई खाद नही पहुंची। हमारे पास कब आयी, एक भी बोरी खाद की नहीं आयी। यह जो चिट्ठी है, उसको पढ़ कर सुनाता हूं। " अध्यक्ष, क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०, मेड़ता सिटी आपको इस पत्र द्वारा यह अवगत कराना चाहते हैं कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि० ने आपकी समिति को गत वर्षों में निम्नलिखित खाद भेजी है :—

1969-70	सी०ए०एन०	48 टन
	यूरिया	40 टन
1970-71	सी०ए०एन०	132 टन
1971-72	यूरिया	30 टन
1972-73	सी०ए०एन०	24 टन
	यूरिया	70 टन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

माह दिसम्बर में श्री चांदमलजी राठी आये श्री रामलालजी एम० एल० ए० के साथ और दोनों संघ कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने समिति के लिए 100 टन कुल यूरिया खाद की मांग की उसमें से पूल में से 50 टन यूरिया उनको दिलाया। आपकी समिति के नाम से जो खाद भेजा गया है वह आपको प्राप्त हुआ है या नहीं इसकी पूर्ण जानकारी संघ को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का कष्ट करें "।

तो प्रधान ने लिखा है, शिकायत की है कि वहां कोई इस प्रकार से खाद नहीं पहुंची है। इसका जवाब उस कोआपरेटिव सोसाइटी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को भी चिट्ठी लिखी है। आनंदसिंह, अध्यक्ष, मेड़ता मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि० जो इस सोसायटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने लिखा है :—

" उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं आनंदसिंह, मेड़ता मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष हूं। इस सोसाइटी के नाम पर चन्द व्यक्तियों द्वारा अनियमित रूप से बालाबाला फर्जी कार्यवाही कर खाद उठा कर उसको काला बाजार में बेच कर घोटाला किया गया है, उसके बारे में कुछ तथ्य आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। रा० क्रय विक्रय संघ, जयपुर के जनरल मैनेजर के पत्र दिनांक 17-1-73 के मिलने पर मुझे जानकारी मिली कि इस सोसाइटी के नाम से गत वर्षों में रासायनिक खाद चांदमल राठी द्वारा समय समय पर उठाया गया है "।

आगे वही है जो पहले मैंने पढ़ा है। यह कुल 394 टन खाद है। उक्त पत्र में बताया गया है कि दिसम्बर 1972 में श्री चांदमल राठी व श्री रामलाल विधायक मेड़ता ने क्रय-विक्रय संघ में उपस्थित होकर 100 टन यूरिया की मांग की जिस पर उन्हें 50 टन यूरिया पुल से दिलवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री चांदमल राठी दिनांक 6-3-69 से 11-6-71 तक इस सोसाइटी के व्यवस्थापक रहे हैं। उसके बाद में उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया। इसके बावजूद भी श्री राठी सोसाइटी के व्यवस्थापक न रहते हुए भी उसने रामनिवास नामक व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर कर बालाबाला समिति के नाम से क्रय-विक्रय संघ से खाद उठा कर चन्द व्यक्तियों से मिल कर ऊपर का ऊपर ही गोलमाल कर दिया, यानि खाद की कालाबाजारी कर हजारों का घोटाला किया। इसके अलावा अभी हाल ही में माह फरवरी में 480 थेले खाद सी० ए० एन० इसी सोसायटी के नाम से उठा बताया जाता है। यह खाद भी कहां वितरण हुआ, जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय, इस प्रकार इस सोसाइटी के नाम से हजारों टन खाद उठाया गया और वह इस सोसाइटी के पास नहीं पहुंचा। यह चांदमल राठी पहले मैनेजर था और आज मैनेजर नहीं है और वहां खुद चांदमल राठी ने मनेजर के रूप में दस्तखत किये हैं जब कि वह मैनेजर नहीं था। यह बात डिपार्टमेन्ट के नोटिस में आ गयी लेकिन सभापति महोदय, आज तक श्री चांदमल राठी बाकायदा डिपार्टमेन्ट में इस तरीके से काम कर रहे हैं। उनका कोई बाल बांका नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुआ है और इस सोसाइटी में आज एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो गया है। वहां जो पुराने लोग थे वे इसका रिकॉर्ड नहीं देते हैं। यह एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को और पुलिस की रिपोर्ट है परन्तु इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। मामला वहीं ठप्प पड़ा है। इस सदन के माननीय सदस्य का भी इसके अन्दर उल्लेख है। यह कहां तक सही है और कहां तक सही नहीं है लेकिन इसमें जो आरोप पत्र है, जो एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को लिखा गया है, प्रधान पंचायत समिति, मेड़ता की तरफ से उसमें भी साफ तौर पर लिखा है –

" चांदमल राठी 11-6-71 के बाद व्यवस्थापक न रहते हुए भी उसने स्थानीय विधायक श्री राम लाल से मिल कर एक षडयंत्र रचा और राम निवास नामक व्यक्ति के फ़र्जी हस्ताक्षर व रबर स्टाम्प, सोसाइटी, लेटर पेड का नाजायज दुरुपयोग कर धोखा धड़ी से क्रय विक्रय संघ राजस्थान, जयपुर से खाद हासिल कर उसे काला बाजार में बेचना शुरू कर दिया"।

यह लिखित में प्रधान की तरफ से एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को भेजा गया है। यह लिखित में लेटर क्रय विक्रय संघ का है। इस प्रकार इस में एक गवर्नमेन्ट ऑफिसर इन्वाल्व्ड है और एक माननीय सदस्य। इस विधान सभा के सदस्य इसमें इन्वाल्व्ड हैं जिनके ऊपर यह आरोप है। मेरा यह निवेदन करना है, सभापतिजी, 50 टन यूरिया के अन्दर कितना ब्लैक का रुपया होगा। 50 रुपया, 70 रुपया बोरी के हिसाब से भी लगावें तो 20 हजार रुपया 50 टन के ऊपर काला बाजार का होता है। यह लाखों रुपयों का घोटाला है। वह चीज जो आम जनता को मिलना चाहिये थी, आम किसानों के पास जानी चाहिये थी, हम यह समझ रहे थे कि कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये लोगों को वितरित हो रही है, उसका ऊपर ऊपर ही घोटाला हो रहा है। सभापति महोदय, इस कोआपरेटिव सोसाइटी का कोई पैसा जमा नहीं है। इस सबका पेमेन्ट हुआ है। यह सब पैसा ये लोग जमा कराते रहे। अन्त में यह मामला खुल गया। लाखों रुपया जमा था और इस सोसाइटी के पास पैसा नहीं था। यह भी बताया गया है कि सोसाइटी के नाम से जो पैसा क्रय विक्रय सहकारी संघ में जमा था, वह राम लाल एम० एल० ए० ने वहां से विथड्रा किया है। सोसाइटी ने भी लिखा है यह पैसा सोसाइटी का नहीं है। यह पैसा आप श्री राम लाल को दे दें। तो इसलिए सभापति महोदय, यह एक गंभीर मामला है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: On a point of order, sir." सभापतिजी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इसमें एक माननीय सदस्य इन्वोल्व्ड हैं, माननीय सदस्य श्री रामलाल यह मामला यहां पर यकायक ही आ गया है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता रहती है। माननीय वित्त मंत्री महोदय तो इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपसे यह आग्रह है कि माननीय सदस्य रामलाल जहां कहीं भी हों, उनको कहें और उन्हें स्पष्टीकरण का मौका दें।

एक माननीय सदस्य : सभापतिजी, माननीय सदस्य को चाहिए था कि जो

(एक माननीय सदस्य)
मामला वे यहां पर उठा रहे हैं, उसकी पहले उन्हें सूचना देनी चाहिये थी····

श्री सभापति : जो व्यवस्था है उसके मुताबिक पहले से आसन को यह सूचित कर देना चाहिये था परन्तु चूंकि एट रेन्डम ही यह नाम यहां पर आ गया है और किसी ने आपत्ति नहीं उठायी, फिर भी इस व्यवस्था के प्रश्न पर जो कि माननीय आचार्यजी ने उठाया है, मैं पार्टी के चीफ व्हिप से निवेदन करूंगा कि अगर संभव हो तो वे माननीय सदस्य रामलाल को सूचित कर दें। उनको स्पष्टीकरण करने का मौका दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सभापति, मैं किसी माननीय सदस्य के किसी बारे में नहीं कहना चाहता। मैंने खुद ने कोशिश की माननीय रामलालजी कौन हैं और मैं लिखकर लाया था कि उनको सूचना दे दूं। वह आये नहीं, मिले नहीं। यह जो तथ्य, यह जो चिट्ठी लिखी है उसके रेफरेन्स में वह पढ़कर सुनाया है। अपनी तरफ से अलग से जानकारी के आधार पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने क्रय-विक्रय संघ की एक चिट्ठी और कोआपरेटिव सोसाइटी की एक चिट्ठी पढ़ी है। उसमें रेफरेन्स आया है और मेरी अलग से कोई जानकारी नहीं। इसलिए माननीय सदस्य को अवश्य स्पष्टीकरण का मौका दिया जाना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं है। वह जब भी आयें उनको मौका दिया जाय।

श्री सभापति : अब शीघ्र ही समाप्त करें। पूरा समय हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके के मामले में किसी पार्टी का सवाल नहीं है कोई भी सदस्य गलती कर सकता है, और जो गलती करे, चाहे वह व्यापारी करे या कोई भी गलती करे, तो मैं यह समझता हूं कि सारे सदन की दृष्टि में होना चाहिए कि गलती कोई भी करे उसको सजा हो। इस तरह का दृष्टिकोण अपनाना है। उसमें पर्टीक्यूलर आदमी या पर्टीक्यूलर पार्टी के बारे में कुछ कहने का मकसद नहीं है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से इस मामले में पूरे तरीके से इसकी एन्क्वायरी अभी तक नहीं हुई है। इसकी एन्क्वायरी फौरन होनी चाहिए। अन्त में एक दो छोटी छोटी बातें और कह दूं····

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तो पहले मैंने निवेदन किया था राज्य कर्मचारी पेन्शनर्स के सम्बन्ध में कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने उसमें बढ़ोतरी की है उस बढ़ोतरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है। फिर जब राज्य सरकार ने अपने एक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लाईज को मंहगाई के फलस्वरूप उतनी ही उनकी वेतन वृद्धि या मंहगाई-वृद्धि देना स्वीकार किया है तो उसी बुनियाद पर जो पेन्शनर्स हैं उन पेन्शनर्स को वृद्धि देना बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं समझता हूं कि काफी दिन हो गये इस मामले को, और राज्य सरकार ने विचार किया होगा। अभी तक बारबार कहने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से इसका कोई उत्तर नहीं आया। मैं यह चाहूंगा कि राज्य सरकार की तरफ से वित्त मंत्रीजी आज जब इस पर बोलें तो इसके बारे में उत्तर दें।

दूसरा प्रश्न मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मुझे जानकारी मिली है कि एल०डी०सी०

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के रिक्रूट करने के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने कोई नया रूल बनाया है कि अब उनको भी एक पर्टीक्यूलर डेट के बाद जो लोग आलरेडी रिक्रूटेड हैं यानी 1968 कहा या कौन उन सब को पी० एस० सी० के थ्रू एप्रूवल होगा उन्हीं लोगों को स्थाई किया जायगा अभी तक पी० एस० सी० का एप्रूवल केवल गजेटेड आफिसर्स या गजेटेड पोस्ट तक सीमित था, और यह जो पोस्टें क्लास थ्री की हैं यह पी० एस० सी० में जाने की नहीं है। एल० डी० सीज० का जो एसोसियेशन है उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया है उनका यह कहना है कि हम लोग जो बाकायदा रिक्रूट कर लिये गये हैं और जो प्रमोशन्स के चान्सेज हमारे अपने आप में बने हैं तो उन पर फोर्स डालने का यह तरीका है जिससे वह असन्तुष्ट हैं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन कर कि क्या कदम गवर्नमेंट की तरफ से उठाये गये हैं, और क्या इसका जस्टिफिकेशन है, क्या उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट का कहना है।

अन्त में पेन्शन जो बूढ़ों और डिसएबल्ड लोगों को दी जाती है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उनके रूलस के अन्दर इस सदन में पहले भी कई बार आया है, संशोधन की आवश्यकता है। उनमें इस तरह का सिम्प्लीफिकेशन होना चाहिए कि यह लोग जो डिसएबल्ड हैं, जिनका और कोई सहारा नहीं होता है तभी तो वे एलिजिबल होते हैं, सहारा नहीं है इसलिए परसू नहीं कर सकते, तो उनके लिए यह रूल्स बहुत साधारण बनने चाहिए, और एक टाइम लिमिट भी होना चाहिए कि एक महीने या दो महीने में उनको आटोमेटिकली यह मान लिया जायगा और उनकी पेन्शन हो जायगी। लेकिन अभी ऐसा होता नहीं है, और बहुत से लोगों को मारा मारा फिरना पड़ता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में विचार करके इसको ठीक करे।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : सभापति महोदय, मैं····

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पिछली दफा भी मैंने सदन में इस बात को उठाया था कि 1971-72 की कण्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की रिपोर्ट है वह हमको अभी तक नहीं मिली है, और वह हमेशा हमको मिलना चाहिए पहले जिससे बजट को एप्रिशियेट करने में फायदा होता है, और आज हम एप्रोप्रियेशन बिल पास करने जा रहे हैं तो कम से कम वित्त मंत्री महोदय यह बतायें कि 1971-72 की आडिटर जनरल की रिपोर्ट हमें कब तक पेश करेंगे, क्या हमको प्राप्त होगी, और फाइनेन्स एकाउन्ट्स 1971-72 के हैं वह भी नहीं सरकुलेट किये गये हैं और आज बजट का अन्तिम दिन है। वह हमको मिला नहीं है। 10 दिन हो गए बजट पर बहस करते हुए इसके बाद भी सरकार की तरफ से नहीं है तो हम यह जानना चाहेंगे कि वह कब मिलेगी ?

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं अर्ज कर दूं, सभापति महोदय, अगर नाम बोलने की लिस्ट में हों तो····

श्री सभापति : जब आपका नाम बोला गया था तब आप सदन में उपस्थित नहीं थे। अब माननीय सदस्य के बोलने के बाद में आपको अवसर मिलेगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : सभापति महोदय, मैं बहुत ही कम समय लूंगा ताकि सदन के अन्य माननीय सदस्य बोल सकें। मैं कला-संस्कृति पर बोलना चाहता हूं जिसका एलोकेशन 48-59 लाख है। कला में, सभापति महोदय, साहित्य, संगीत और कला तीनों समाहित हैं। अभी तक यहां पर मंत्रियों की त्रिमूर्ति विराजमान थी। मैं समझता हूं कि माननीय मूलचन्दजी को संगीत में दक्ष मान लें, उसके साथ ही जुझारसिंहजी जो बैठे हुए हैं, उनको कला में मान लें, और माननीय वित्त मंत्रीजी जो विशिष्ट हैं और सभी कलाओं में पूर्ण हैं उनको मैं साहित्य में प्रवीण मान लेता हूं। साहित्य, संगीत, कला विहीन विषय पर मैं बोलने तो जा रहा हूं, सभापति महोदय, लेकिन मैं सोचता हूं कि यदि कोई नहीं सुने इसस रकार में तो इस सदन की दीवारें तो सुनेंगी ताकि इस वर्तमान की आवाज भविष्य सुन सके। मैं एक श्लोक अर्ज कर रहा हूं— साहित्य संगीत कला विहीन तो मैं कह गया इस पंक्ति का विशेष नहीं करना चाहिए। राज्य मंत्री मूलचन्दजी और संगीत ? जुझार-सिंहजी और कला? और माननीय वित्त मंत्रीजी और साहित्य ? इन सभी का इनसे क्या संबंध ? यह सब विरोधाभास हैं। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था— साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाण्हीनः। पूंछ और सींग नहीं है ऐसे यह पशु हैं यह मैं नहीं कहता। "तृणंन्नखादन्नपि जीवमानः तदभागधेय परमंपशुनाम्।" यह घास नहीं खाते हैं। उसका सद्भाग्य है पशु का। अगर घास खाते तो पशुओं में झगड़ा पैदा हो जाता इसलिए मैं इस प्रश्न पर बोलना तो चाहता हूं, लेकिन मैं उत्तर नहीं चाहता। इसलिए नहीं चाहता कि उत्तर की क्षमता इस राज्य सरकार में जहां तक कला संस्कृति का प्रश्न है वह नहीं हो सकती। वित्त मंत्रीजी एलोकेशन के प्रश्न पर, 48-59 लाख के प्रश्न पर सजग हैं कि हमने कला-संस्कृति को दिये हैं। और अब मैं इसके ब्रेकअप को ले लेता हूं। कला एकादमी 2.11 लाख, कला संस्कृति प्रोत्साहन में 6.75 लाख। बड़ा व्यापक होता है। न मालूम प्रोत्साहन कहां जाता है और कहां नहीं जाता। पुरा-तत्व 7.62 लाख, म्यूजियम 1.02 लाख, सार्वजनिक पुस्तकालय 8 लाख, कला विद्या-लय 1.99 लाख, वगैरह वगैरह करते हुए 48.59 लाख का यह एलोकेशन बजट में है। इस स्थिति में मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह आर्थिक कार्यक्रम के साथ सांस्कृतिक कार्य-क्रम जुड़ा हुआ है। यह एक दूसरे के पूरक हैं। ये राष्ट्र के रथ में दोनों पहिये हैं और राष्ट्र का रथ अगर आर्थिक कार्यक्रम लेकर के चलता है तो उसके साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक होता है। यह पूरक हैं। एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। इसलिए मैं यह पूछना चाहता था और पूछने का यह मेरा कर्त्तव्य बन जाता है यद्यपि उत्तर नहीं सुनना चाहता। 48.59 लाख का यह खर्चा है। इसकी उपलब्धियों की मेरे खयाल से सदन को भी जानकारी नहीं हुई है। यदि मैं कहूं कि साहित्य एकादमी की क्या तरक्की है, क्या उन्नति है, क्या प्रगति है, और साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा एलोकेशन है फण्ड्स का इस सदन को क्या साहित्य अकादमी ने प्रगति की जानकारी दी है। संगीत अकादमी ने क्या प्रगति की इस सदन को उसकी भी जानकारी नहीं है। ललित कला अकादमी ने क्या प्रगति की है इस सदन को जानकारी नहीं है। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मच्छियों का विभाग प्रगति कर रहा है तो इसकी जानकारी तो वह देता है, सूअरों का विभाग कोई प्रगति

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य)

करता है तो जानकारी वह सदन को देता है। लेकिन जो विषय राष्ट्र का जीवन है, जो प्राण है, यह कला संस्कृति जिस पर हम 48.59 लाख रुपये खर्च करते हैं उसके बारे में सदन को जानकारी नहीं मिलती और मंत्रि-मंडल को ही जानकारी है। और मंत्रिमंडल को जानकारी नहीं है इसलिए मैं आप से चाहूंगा कि कम से कम जानकारी सदन को अवश्य दें। सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है देश का कि जब देश परतन्त्र था तो देश में साहित्य सृजन होता था, वह राष्ट्रीयता की धारा बहाता था। जब राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो कलाएं परतंत्र हो गई आश्चर्य है कि सामन्तशाही और राजाशाही के समय तो जैसे कलाएं स्वतंत्र थीं। इस जमाने में जब कि हम स्वतन्त्र हैं तो साहित्य परतन्त्र है। आज कोई विचार स्वतन्त्र नहीं होता है। साहित्यकार स्वतन्त्रता से साहित्य सृजन नहीं करता है। जब कलाकार स्वतन्त्र नहीं होता है तो कलाएं उन्नत नहीं होती हैं।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य भी कई कलाओं के कलाकार हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : भगवान कृष्ण 16 कलाओं के थे जिनमें से दो चार मैं भी लेकर चल रहा हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि साहित्य अकादमी रचनाओं को महत्व न देकर रचनाकारों को महत्व देती है। इस स्थिति में रचनाकारों को प्रोत्साहन दिया जाता है रचनाओं को नहीं। साहित्य अकादमी की जब से स्थापना हुई है, तब से लेकर आज तक, वह साहित्य अकादमी के भण्डारों को जाकर देखें तो उन्हें पता लगेगा कि राजस्थान का साहित्यकार वहां के कमरों में बन्द है। राजस्थान के साहित्यकारों की रचनाएं वहीं पर पड़ी हुई सड़ रही हैं। राजस्थान के साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए जो उनकी पुस्तकें छपी हैं, उनकी बिक्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान सरकार ने उसकी बिक्री के लिए कोई प्रोत्साहन दिया हो, ऐसा नहीं लगता है। साहित्य अकादमी को प्रोत्साहन, ललित कला अकादमी को प्रोत्साहन, संगीत नाटक अकादमी को इसलिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, ताकि विशुद्ध साहित्य और कलाकार उभर सके। उसमें से कलाकार पैदा हो सकें, जो अच्छे साहित्य और कला का सृजन कर सकें। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। यह जो अलग अलग आपने एकादमियों को जागीरें दे रखी हैं इसके बजाय साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, इन तीनों अकादमियों का एक संगम बनाएं। इसको आप लेजिस्लेशन के अन्तर्गत पूरी आटोनोमी दे दें। इस पर से सरकारी नियन्त्रण हटाएं। आपके राजनैतिक ठेकेदार इसको अपने नियन्त्रण में नहीं लें ऐसे प्रयत्न करें। अगर आप इन तीनों अकादमियों को स्वतन्त्र कर दें लेजिस्लेशन के अन्तर्गत आॅटोनामी दे सकें तो मेरा खयाल है इससे साहित्य और कला का पूरा हित होगा और साहित्यकार और कलाकार राजस्थान को सही दिशा ज्ञान दिला सकेगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, सभापति महोदय, स्व-तन्त्रता और साहित्य का अभिन्न सम्बन्ध है। जब तक साहित्य का सम्मान सत्ता के साथ है तब तक सत्ता के सम्मान के सामने साहित्य गौण हो रहेगा। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं सभापति महोदय, यद्यपि

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

और भी साहित्यकारों की स्थिति खराब है लेकिन मैं बशीर अहमद मयूख का नाम लेना चाहता हूं। कोटा के कवि बशीर अहमद मयूख जिन्होंने वेदों को पद्य के स्वरों में ढाला है।

(4.15 म० प०)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

आपने पदों में ढाला है। ऐसा कवि मेरा ख्याल है. हिन्दुस्तान में दूसरा नहीं है जिसका काव्य इमोशनल इन्टोग्रेशन का काव्य हो। आज उसकी क्या स्थिति है बशीर अहमद मयूख जो वेदों को और जैन आगम अपने पदों में ढाल रहा है, उसके लिए उन्हें सजा मिल रही है। उस बशीर अहमद मयूख की गरीबी और विवशता की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं किसी एक का नाम नहीं लेता हूं ऐसे कवि और साहित्यकार हैं, जिनकी रचनायें अद्वितीय हैं। जो रचनाकार नाम से प्रसिद्ध नहीं लेकिन जिनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जो उभर सकते हैं, अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाये। कृति के नाते व्यक्ति के नाते नहीं साहित्य के मंच पर उनको सम्मान मिल सकता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वित्त मन्त्रीजी जो शिक्षा मन्त्री भी रहे हैं, जिनका कार्यकाल सफल और असफल दोनों प्रकार का रहा है। आप इन तीनों अकादमियों को अपने लेजिस्लेशन में ऑटोनोमस स्टेट्स दे सकें तो मैं समझता हूं कि आप बहुत बड़ी कला की सेवा कर सकेंगे।

दूसरा सभापति महोदय, हाउसिंग प्राब्लम इस राजस्थान में है। यह सही है कि हाउसिंग कारपोरेशन ने छोटे मोटे मकान नगर के बाहर रहने के लिए बना दिये। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। शहर के बाहर आबादी, आबादी नहीं है। शहर के अन्दर की आबादी–आबादी है। जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। सभापति महोदय, मुझे एक मौका मिला, रेगरों के मुहल्ले में जाने का। जयपुर को पिंक सिटी आफ इण्डिया कहते हैं। अगर जयपुर का वास्तविक चित्र आप देखना चाहें तो रेगरों के मुहल्ले में चले जायें। तो हाउसिंग प्राब्लम का नक्शा भी आपके सामने आजायेगा। मेरा खयाल है, सभापति महोदय, आपने स्वयं देखा होगा। रेगरों का मुहल्ला आपने देखा होगा। वह कितना गन्दा है। उसे देखकर लगता है कि कितना गन्दा शहर यह जयपुर है। उतना गंदा दूसरा शहर राजस्थान में नहीं है जिस मुहल्ले में धूप नहीं। सूर्य के दर्शन नहीं। मैं मांग करता हूं हाउसिंग सोसाइटीज और हाउसिंग कोरपोरेशन से और आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, इन गन्दी बस्तियों की तरफ। मैं चाहता हूं कि सरकार 15-16 साल की गंदी बस्तियों को हटाने का कार्यक्रम बनाए। जहां जहां इस प्रकार की गन्दी बस्तियां हैं, उनको हटाये। दलित वर्ग और पिछड़े हुये लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इस हाउसिंग प्राब्लम को हल किया जाय। इसलिए केवल मात्र पच्चीस हजार, तीस हजार मकानात शहरों के बाहर बना देने से शहरों की समस्या का निराकरण नहीं होता। जब तक शहरों के दलित, पिछड़े वर्ग को आप ऊपर न उठायें, उनको घर ठीक उपलब्ध न करें तब तक स्थिति ठीक नहीं हो सकती

(श्री निरञ्जनाथ आचार्य)

इसलिए मेरी मांग है, हाउसिंग कोर्पोरेशन के सम्बन्ध में, पिछड़े हुए लोग, जो गन्दी गलियों में रहते हैं, उनको गन्दी गलियों से बाहर निकालने का प्रयत्न करें।

तीसरे प्रश्न, टूरिज्म के प्रश्न पर मैं कहना चाहता हूं, दो करोड़ कम से कम स्टेट ने एलोकेट किये हैं टूरिज्म के लिए। यह एक व्यवसाय है, यदि हम इस व्यवसाय को उन्नत कर सकें तो मेरा विश्वास है, फारिन एक्सचेंज हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। मैंने देखा है, पंचवर्षीय योजना के एलोकेशन में, मुझे लगा कि टूरिज्म के प्रश्न पर एक डिपार्टमेंट तो है, टूरिज्म के प्रश्न पर कुछ बसेज तो हैं, और टूरिज्म के प्रश्न पर कुछ एडवर्टाईजमेंट तो हैं, लेकिन फारिन कन्ट्री में टूरिज्म के लिये, राजस्थान का कोई मार्केट नहीं है। मैं इसलिए आपकी तवज्जाह दिलाना चाहता हूं, यदि आप फैसेलिटी टूरिस्ट को ज्यादा दे सकें, कम्फर्टेबल लॉजिंग की दे सकें, डेडीकेटेड वर्कर्स आप दे सकें जो उन्हें समझा सकें। राजस्थान के ऐतिहासिक और रम्य स्थानों पर तो टूरिज्म का भविष्य राजस्थान में उज्ज्वल हो सकता है। मैं इसके साथ कहना चाहता हूं उदयपुर के प्रश्न पर कि राज समन्द को ओवर लुक किया है, जय समन्द को टूरिस्ट की लिंक में नहीं रखा है, रणकपुर, मुझे लगता है, टूरिज्म की लिंक में नहीं है। ऐसे कई स्थान हैं, जय समन्द से लगा कर राज समन्द तक, मुझे खयाल है कि टूरिस्ट को उनकी ओर अट्रेक्ट किया जाय, तो टूरिस्ट ज्यादा अट्रेक्ट हो सकता है। जैसलमेर के लिए कहना चाहता हूं, जैसलमेर एक बार कोई पर्यटक जाता है और जैसलमेर से आता है तो जैसलमेर को फेअरी लैंड कहता है। जैसलमेर की झोंपड़ी से लगा कर इमारत तक स्थापत्य कला का, कला कृति का नमूना है। जैसलमेर वह नगर है, जहां घरों को चुराया जाता है। इस चोरी के नक्शे को देखना है तो बम्बई में जाकर देखिये, कई स्थानों पर जैसलमेर के घर बने हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं जैसलमेर एक सुन्दर स्थान है, सुन्दर नगर है, जैसलमेर अतीत के सौन्दर्य की कलाकृति है। आप इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, आप सुरक्षा करने के लिए लेजिस्लेशन लायें ताकि घर चुराये न जायं। दूसरे आप जैसलमेर की बात देखें टूरिस्ट पाइन्ट आफ व्यू से आज कई ऐसी पार्टी हैं जो अपने हवाई जहाज से पर्यटकों को जैसलमेर ले जाना चाहती हैं। अगर आप फैसेलिटी दे सकें, तो मेरे विचार में फारिन टूरिस्ट का अट्रेक्शन जैसलमेर बनेगा। ऐसे और भी कई स्थान हैं। मैं एक संकेत और देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, टूरिस्ट के प्रश्न में चीटिंग हमारे राष्ट्र में बहुत ज्यादा है। यदि आप उदयपुर में जायें, तो पुरानी पेन्टिंग की दुकानें हैं, पुराने वीपन्स की दुकानें हैं, एन्टिक्स जितने हैं वह फेब्रीकेटेड हैं, वह फेब्रीकेटेड पुराने के नाम पर फारिनर्स को बेचे जाते हैं। वहां ऐसी कई दुकानें लगी हुई हैं, पुराने कागज पर पुरानी पेंटिंग बना कर बेची जाती हैं। यह टूरिस्ट का डिसेप्शन है। पंडित जवाहर लाल जी ने कहा था, टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं, उनके साथ हमारा राष्ट्र और हमारा राजस्थान इस तरह का व्यवहार करें यह अशोभनीय है। एक दफा डिसेप्शन में आया हुआ टूरिस्ट हजार बार हजार तरह से हमारे देश के विरुद्ध इसका प्रचार करेगा।

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

तीन मुद्दों पर मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्य, जिनमें से केवल एक है यहां पर, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हाउसिंग प्राब्लम और टूरिज्म पर ज्यादा ध्यान दें, और कला संस्कृति का प्रश्न तो उठता नहीं है इस मंत्रि-मण्डल के लिए। इसलिए इसको अन्धकार में रखते हुए कुछ न कुछ ध्यान आप जरूर दीजिये।

श्री सभापति : श्री गुमान मल लोढ़ा।

श्री गुमान मल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, कला और सौन्दर्य के संदर्भ में बजट का लेखा जोखा बहुत ही विचित्र सा लगता है, और वह भी जब कि वित्त मंत्री महोदय को नृत्यकार बनाया जाय····

श्री निरंजन नाथ आचार्य : किसमें ताकत है ऐसा करने की।

श्री गुमान मल लोढ़ा : माननीय आचार्य जी कर सकते हैं। वैसे वे कलाकार तो हैं, उन्होंने अभी कला का परिचय दिया, उद्घाटन करके चल चित्र का, जो आज हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत ही धूम धाम के साथ में दिखाया जा रहा है। वैसे "बोबी" का उद्घाटन हो या अन्य चित्र का, वह विशेष चर्चा का विषय है नहीं। कला की बात आयी है तो बोबी की बात उसमें आ जाय तो आश्चर्य नहीं है कि हमारे वित्त मंत्री जी उसका उद्घाटन करें···

श्री चन्दनमल बैद: वित्त मंत्री ने नहीं किया था. मुख्यमंत्री ने किया था।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मुख्य मंत्री ने किया था, वित्त मंत्री ने नहीं किया था, कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी है।

श्री चन्दन मल बैद : कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी है, मैं भी हाजिर था। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप भी जरूर देखिये।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : कई पागल हो रहे हैं लड़के-बच्चे, आप कम से कम इनको तो बख्शे।

श्री चन्दन मल बैद : आप अपनी पत्नी को साथ ले जाकर देख लें।

श्री गुमान मल लोढ़ा : आपने शौक फर्मा लिया बोबी का, मुबारक हो आपको।

सभापति महोदय, आज इस संदर्भ में सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में यह कहा है, हम दौड़ रहे हैं, चारों तरफ दौड़ चल रही है, और राजस्थान उस दौड़ में कहीं पीछे हो -- यह कहीं लगता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने 1952 से लेकर 1972 तक, 1974 तक के आंकड़े पेश किये कि 1952 से 1974 तक की दौड़ में हम कहां पहुंचे। सभापति महोदय, उन्होंने बड़ी कृपा की, 1952 से उन्होंने बताया। शायद पाषाण युग से चलते, जब मानव प्रकृति की गोद में रहता था, कपड़े पहनता, नहीं था और जंगलों में जड़ी बूटी खाकर अपनी उदर पूर्ति करता था और उसके बाद में अशोक

(4.21 म० प०)

(श्री राम सिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के जमाने में आते और फिर धीरे धीरे सन् 1974 में हमारी क्या उपलब्ध हुई हैं, उससे यदि तुलना करते तो उनकी उपलब्धि और भी हमें सुहावनी लगती। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि एक ओर मानव चान्द पर जा रहा है और दूसरी ओर राजस्थान क मानव/राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति··

श्री यशवन्त सिंह नाहर : पशु बन रहा है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : पानी के लिए परेशान हो रहा है। आज तुलना हम पाषाण युग से करें, या सन् 1952 से करें – यह उपयुक्त नहीं है। आवश्यक तो यह है कि आज के युग में दौड़ चल रही है, उसमें हम कहां पर हैं ? हमने क्या प्रगति की है ? कहां हम बढ़े हैं ? और कहां बढ़ना चाहते हैं ? – इसका लेखा जोखा करें। उपाध्यक्ष महोदय, प्रगति की हमारी कांग्रेस सरकार तुलना करती है, उसका नमूना आपने देखा होगा आज और कल, जो घोषणायें हुई एक साल पहले, सारे देश के खाद्यान्न के ढांचें की, राष्ट्रीयकरण के नाम के ऊपर, सारे देश के अन्दर जनता को सस्ता धान मिलेगा, किसानों को पूरा पैसा मिलेगा, और देश के अन्दर सेल्फ सफिसियेंसी आ चुकी है, बिचौलियों को खत्म कर देंगे, शोषण खत्म हो जायगा, सब सुखी हो जायेंगे – ऐसी सुखद, सुन्दर, कल्पना और नारे के साथ में घोषणायें करके और सारे देश को यह कहा गया कि बस एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, जो प्रगतिवादी है, क्रांतिकारी है, जन कल्याण कारी है, और सारे देश के अन्दर, इसके कारण से, एक सुख और शांति की लहर दौड़ जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा, कितनी लम्बी छलांग भरी और कहां पहुंचे। एक साल तक लगातार हमने चेतावनी दी थी, हमारे अधिवेशन में, दिल्ली की कार्यसमिति की बैठक में, लखनऊ में बार बार कहा था आप राष्ट्रीयकरण के नारे के ऊपर जब तक, देश में सेल्फ सफिसियेंसी नहीं हो, जब तक आपके पास बफर स्टाक नहीं हो, जब तक वितरण प्रणाली को पूरी न बना लें, इसमें हाथ न डालिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे यहां पर नारों और घोषणाओं के द्वारा राज्य करने का प्रयास किया जाता है और नतीजा यह निकला कि हमने जो एक साल पहले कहा था, जो प्रस्ताव जनसंघ ने पारित किया था यथार्थवाद पर, उसको भारत की प्रधान मंत्री और उनके साथियों को स्वीकार करना पड़ा कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने जो कुछ देश के साथ किया उसमें वास्तव में हम सफल नहीं हो सके और इस कारण से कल और आज आपने देखा होगा कि जो घोषणायें की गई हैं उनके द्वारा धान के राष्ट्रीयकरण को स्क्रेप कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि राष्ट्रीयकरण का कदम आज के समय में उपयुक्त नहीं है। तो यह कितनी लंबी छलांग, लंबी दौड़ कहां से कहां लगाई कहां से कहां पहुंच गया देश, जहां एक साल पहले था वहीं पहुंच गया। सारी जनता का ध्यान आकर्षित कर दिया गया, देश में जो स्थिति बनी, चाहे गुजरात चाहे बिहार, चाहे उत्तर प्रदेश, वह स्थिति इसलिए बनी कि हमने केवल नारों का विश्वास करके यथार्थवाद की नीतियों का पालन करने का प्रयास किया, विशिष्ट देश के अंदर ऐसी पद्धति है उसके दबाव के अंदर, कम्युनिस्ट लोबी के दबाव में आकर घोषणायें करके,

(श्री गुमानमल लोढा)
जबर्दस्ती देश में करोड़ों लोगों को भूख मारने के लिए हमने वह प्रयास किया।

आज अनाज के राष्ट्रीयकरण को स्क्रेप करने की घोषणा की गई है केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा, यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमने जो कुछ कहा था वह सही था। सरकार ने इस घोषणा के साथ साथ जो 125 रु० क्विंटल गेहूं की घोषणा की है वह आज भी अनुपयुक्त है और गेहूं के भाव गिरते जा रहे हैं,बाजार में गेहूं आ रहा था और ऐसा लगता है कि इससे कम भाव में गेहूं उपलब्ध हो जाएगा। उस समय जो सरकारी प्रणाली है वितरण को, उसमें 125 रुपयें प्रति क्विंटल गेहूं बेचने का कोई औचित्य नहीं है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर घोषणा करे कि जो हमारा इस समय भाव है राशन की प्रणाली में, उनको नहीं बढ़ाया जाएगा नहीं तो इस कारण से जनता में आक्रोश बढ़ेगा।

आज जब हम इस सारी व्यवस्था पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में यथार्थवाद को स्वीकार नहीं करते तब तक यह प्रगति नहीं होगी। केवल धान के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर नहीं सारी समस्याओं पर यह बात आती है। यहां कहा गया कि हम दूसरे राज्यों से आगे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह सत्य स्वीकार किया जा चुका है, हमारे द्वारा बनाए गए आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि राजस्थान अन्य प्रदेशों की दौड़ में बहुत पीछे है। पहले साक्षरता की बात को लीजिए, राजस्थान में 18.79 प्रतिशत है जबकि सारे भारत का आंकड़ा है 29.34 प्रतिशत, चंडीगढ़ 61 प्रतिशत, केरल 60 प्रतिशत, दिल्ली 56 प्रतिशत और गोवा 44 प्रतिशत। असम जैसा पिछड़ा प्रदेश भी 28 प्रतिशत पर है, उड़ीसा 26 प्रतिशत, केवल राजस्थान ही सबसे पीछे गया गुजरात 18 प्रतिशत पर खड़ा है। अब हमारी यह स्थिति क्यों बनी ? वह इसलिए कि राजस्थान में सबसे अधिक अप्रगतिवादी मंत्री हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। केवल साक्षरता के मामले को ही नहीं, दूसरी बातों को भी लीजिए। राजस्थान में वास्तव में जहां कहीं भी जाते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, कोरम नहीं है।

(कोरम घंटी)

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था प्रगति के आंकड़ों के बारे में। मंत्री महोदय ने कहा है कि राजस्थान कई दिशाओं के अंदर अन्य प्रदेशों से आगे हैं....

श्री चंदनमल बैद : यह बात आप 15 मिनिट पहले कह चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 15 मिनिट पहले तो मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया था आप शायद बॉबी को देख रहे थे, आपके सामने चल चित्र आ रहे थे तो मैं निवेदन कर रहा था कि बिजली के मामले को लीजिए असम व नागालैंड को छोड़ कर सारे देश में सबसे कम हम प्रति व्यक्ति सप्लाई करते हैं और बिजली की कमी के कारण, विकास न होने से प्रगति का रुकना भी स्वाभाविक है। बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग केरल और पंजाब जैसे स्थान के लिए तो 181,

(श्री गुमानमल लोढा)

महाराष्ट्र 143, हरियाणा 114, गुजरात 44, आंध्र प्रदेश 45, पश्चिम बंगाल 160 और यदि हम सारे देश को देखें तो 76 जबकि हमारे यहां केवल 30 । अधिक आंकड़े देना मैं इसलिए आवश्यक नहीं समझता कि हमने स्वयं स्वीकार किया है, वित्त आयोग के सामने कि राजस्थान सबसे पिछड़ा प्रदेश है । सड़कों के बारे में हमने स्वीकार किया है कि 100 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में राजस्थान में केवल 5 कि० मि० सड़क उपलब्ध है जबकि इसकी तुलना में केरल में 50, महाराष्ट्र में 11, मैसोर में 20, पंजाब में 16, तामिल नाडू में 33, आंध्र प्रदेश में 12, गुजरात में 14 और सारे भारत में 10 । अब आप अंदाज लगायें यहां पर घोषणा तो कर दी गई कि हम आने वाले 5 वर्ष में दो हजार की जनसंख्या वाले ग्रामों में सड़क पहुंचा देंगे और आंकड़े बताते हैं कि 1972-73 व 1971-72 में राजस्थान में सड़कों का जो निर्माण हुआ वह एक दिन के अंदर एक मील, सारे साल में सब मिलाकर करीब 365 या 400 मील सड़कें बनीं । अब आप कल्पना कीजिए – मंत्री महोदय ने आंकड़े बताये हैं कि आने वाले 5 वर्ष में हम सड़कें सब स्थानों पर पहुंचा देंगे जहां जनसंख्या दो या ढाई हजार है । क्या यह कल्पना नहीं है ? जिस प्रकार से हमारी गति चल रही है इस पर चिंतन व मनन करना चाहिए और रास्ते बनाने चाहिए जिससे वास्तव में विकास हो सके ।

हम यदि और किसी बात में नहीं तो कर्जों में जरूर आगे बढ़े हैं, भ्रष्टाचार में बढ़े हैं । गलत आंकड़े बताना यह हमारे लिए आत्मवंचना होगी । सारे बजट के वादविवाद में एक बात और मैं विशेष रूप से आपके सामने रखता हूं, वह यह कि राजस्थान सीमांत प्रदेश है और बंगलादेश बनने के बाद में यदि भारत-पाक संघर्ष होगा, और भुट्टो के रुख को देखते हुए इसकी संभावनायें टाली नहीं जा सकतीं, एक वर्ष में या दो वर्ष में या तीन वर्ष में कभी भी राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान का हमला हो सकता है । हमारी इस योजना के अंदर, इस बजट के अंदर सीमांत जिलों के विकास के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता थी, वह बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो या जालोर हो, ये हमारी सीमा के प्रहरी हैं, इन जिलों में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए । सिविल डिफेंस की दृष्टि से और अन्य हमारा जो बजट का संतुलन है, उसमें सिविल डिफेंस में अधिक एलाटमेंट करना चाहिए । बजट बनाते समय हमारे सिविल डिफेंस के वर्क को और बोर्डर के वर्क को, सीमा पर जितने जिलें हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया है, यह ध्यान देना आवश्यक था ।

अभी माननीय आचार्यजी ने टूरिस्ट ट्रैफिक के बारे में कहा । जोधपुर व जैसलमेर टूरिस्ट्स के लिए बहुत आकर्षण का केन्द्र है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर जैसे स्थान को हवाई नक्शे से हटाया गया क्योंकि हवाई जहाज बंद कर दिए गए, एयरलाइन्स बंद होने के बाद टूरिस्ट्स नहीं आ सकते, जैसलमेर नहीं जा सकते और जोधपुर व जैसलमेर का सारा यातायात अवरुद्ध हो गया । इस संबंध में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए कि जितने हमारे टूरिस्ट्स के स्थान हैं उनका सही विकास किया जाए, वहां पर जितने भी बाहर से पर्यटक आते हैं, उनको सुविधायें दी जायं । माऊंट आबू पर राजस्थान के

(श्री गुमानमल लोढा)

अलावा गुजरात के पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गत ग्रीष्मकाल में नक्की झील में एक बहुत भंयकर दुर्घटना हुई और एक नाव के डूबने के कारण लगभग 8-9 व्यक्ति जो उस नाव में थे वे डूब गये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह 8-9 ही व्यक्ति गुजराती थे। जब इसका गुजरात में पता चला तो वहां राजस्थान की काफी आलोचना हुई। उपाध्यक्ष महोदय, वह नाव ही डिफेक्टिव थी। उसके लिये वहां एग्जीक्यूटिव आफिसर और एस०डी०ओ० और जो नगरपालिका का एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया। गुजरात गवर्नमेंट ने इसकी मांग भी की थी लेकिन यहां पर किसी ने नहीं सुनवाही की। उपाध्यक्ष महोदय, नाव के बारे में यह कहा गया था कि वह तो दुर्घटनाग्रस्त होना जरूरी था क्योंकि उसकी मशीनें अच्छी तरह से काम नहीं करती थीं, और जो इन्सपैक्टर उसकी जांच करता था उसने उस नाव के लिये कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था। उस नाव के चलाने वाले के पास नाव चलाने का ड्राईविंग लाईसेन्स भी नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, जिस नाव में खराबी हो, मशीन जिसकी काम नहीं करे, जिसका बेलैन्स ठीक नहीं हो इसके अलावा जिस नाव का ड्राइवर ट्रेन्ड नहीं हो, उस नाव की दुर्घटना नहीं होगी तो क्या होगा? इसके अन्दर आगे यह भी पाया गया कि उस नाव के अन्दर बेल्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि अगर कभी खतरा हो तो यात्रियों को बचाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, जो नक्की झील 40-50 फुट गहरी है, उसके अन्दर आप अगर ऐसी नाव रखते हैं तो वहां पर कौन टूरिस्ट आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 8-8 व्यक्तियों की जान चली जाने के बाद भी जो एग्जीक्यूटिव आफिसर और एस०डी०ओ० वहां पर थे, नगरपालिका का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके खिलाफ में राज्य राज्य सरकार ने क्यों नहीं कार्यवाही की? इसके अलावा यह और कि उस एस०डी०ओ० को बावजूद शिकायतों के वहां ही रखा। अगर इसी तरह की व्यवस्था वहां चलती रही तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट टूरिज्म को आकर्षित करने में असफल रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक अमेरिकन टूरिस्ट ने 11 जनवरी, 1974 के दैनिक नवज्योति में यह आरोप लगाया कि माउन्ट आबू पर जो पैट्रोल पम्प है वहां का इन्तजाम वहां के एस० डी० ओ० एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है। यह अमेरिकन मिस्टर जी०पी० क्लार्क थे। उन्होंने कहा कि पैट्रोल वहां पर कम दिया जाता है क्योंकि उन्होंने दस लीटर पैट्रोल खरीदा लेकिन उसका जब पता लगाया तो मालूम पड़ा कि उसमें सिर्फ 8 लीटर पैट्रोल ही था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस सरकारी पम्प का इन्चार्ज एस० डी०ओ० था वह यह गलत कार्यवाही कर रहा था लेकिन उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह स्थिति रहेगी तो हमारे यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा कैसे मिलेगा? इसलिये मेरा आपके मारफत मंत्री महोदय को यह निवेदन है कि हमारे यहां पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये पर्यटक विभाग में ऐसे व्यक्ति को रखा जाना चाहिये जो कि वास्तव में टूरिस्टों को हमारे यहां पर ज्यादा से ज्यादा एट्रेक्ट कर सके। इसके अलावा यहां पर सदन में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार का जो बजट है उसमें रीजनल इम्बेलेन्स रखा गया है। कुछ माननीय

(श्री गुमानमल लोढा)

सदस्यों ने यह भी कहा कि पूर्वी राजस्थान की जनसंख्या अधिक है लेकिन राज्य सरकार का खर्चा पश्चिमी राजस्थान पर ज्यादा हो रहा है। यह रीजनल बेलेन्स की बात कुछ ऐसे तत्वों द्वारा उठायी गयी है जो कि राजस्थान की एकता को खंडित करना चाहते हैं तथा पूर्व और पश्चिमी राजस्थान की विभाजन की मांग को भड़काना चाहते हैं। इससे हमारे राजस्थान की एकता को खतरा है। आज जो हमारे राजस्थान की एकता, जो भौगोलिक एकता है, ऐतिहासिक एकता है, जो हमारे मनमें एकता के विचार हैं, उन्हें समाप्त करना चाहते हैं। इस तरह की बातें करके हमारे प्रदेश के वातावरण को विशाक्त बनाया जा रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसका खण्डन करना चाहता हूं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे पश्चिमी राजस्थान में, चाहे आप उसे भौगोलिक आधार मानकर, चाहे उसे पिछड़े क्षेत्र मानकर, उसका विकास करने की आवश्यकता है। इसमें किसी प्रकार भी रीजनल इम्बेलेन्स की बात करना बिलकुल गलत है। आज उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के एरिया में रेगिस्तान की मात्रा बहुत अधिक है। उसके लिये, उस रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदलने के लिये, चाहे राज्य सरकार अपने पास से और चाहे भारत सरकार से विशेष धनराशि की मदद लेकर, उसका सर्वे करावे तथा ऐसी स्कीम्स वहां के लिये बनायी जायं जिनसे कि यह सारा का सारा इलाका रेगिस्तान से नखलिस्तान बन जाये। आज जो आप अन्न की कमी की बात कर रहे हैं और उधर आप यह कह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो मैं राज्य सरकार को आप के माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से इजराईल वालों ने रेगिस्तान को नखलिस्तान में वैज्ञानिक तरीकों से बदल दिया, उसी तरह भारत सरकार और राज्य सरकार को चाहिये कि ऐसी योजना बनावें जिससे यह जो एक बहुत बड़ा भूभाग है, जहां अभी कुछ पैदा नहीं हो रहा है, अगर आप इसे वैज्ञानिक तरीकों से उपजाऊ बनादें, वहां का विकास करदें तो मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वहां पर इतना अनाज पैदा हो सकता है कि आप सारे देश को अनाज मुहैया करा सकते हैं। आज जो हमारे पास जनता को तीन किलो अनाज देने की भी समस्या हो रही है वह समस्या हमेशा के लिये समाप्त हो सकती है। इसलिए मैं आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान इस पिछड़े और रेगिस्तानी इलाके की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहूंगा कि आज पश्चिमी राजस्थान का जो भूभाग है जिसमें हमारा जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र वगैरह आता है जो कि हमारी सीमान्त की रक्षा करता है उसको हराभरा कीजिये और उस रेगिस्तान को नखलिस्तान बना कर आप ज्यादा उपजाऊ बनाकर उससे ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करावें। वह ऐसा इलाका है जो आपको अगर नखलिस्तान बन गया तो ज्यादा से ज्यादा धान उपलब्ध करा सकता है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो रीजनल इम्बेलेंस की बात इस दृष्टि से कही जाती है कि प्रदेश की एकता में, उसकी अखंडता में, किसी प्रकार का खतरा पैदा हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां प्रदेश में नेग्लेक्टेड पोर्शन्स हैं जिनमें सदियों से रेत के टीबे पड़े हुए हैं उनके डेवलपमेंट के लिये राजस्थान के ही नहीं, किन्तु देश के फाइनेन्सेज को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लगाना पड़ेगा । इसीलिये इस सम्बन्ध में नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाय यह हमने बार-बार मांग की है । राजस्थान कैनाल को लूणी नदी में मिलाकर कांडला तक ले जाने की स्कीम थी, उसको सेबोटेज कर दिया गया, गलती की गयी। इसलिये मेरी मांग है कि लूणी नदी को कांडला में ले जाने की कोशिश कीजिये और इसके लिये जितने पैसे की आवश्यकता हो या तो उसको केन्द्र से लीजिये या अन्य स्थानों से उसको लिया जाकर इसकी योजना को पूरा कीजिये ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है लेकिन हम यूटिलाइज नहीं करते । पोंग बांध समय पर नहीं बन सका, पाकिस्तान से जितना पानी हमको मिलने वाला था और जितना मिल सकता था उसको हमने लिया नहीं, समय पर हमने इस योजना को पूरा किया नहीं और हमारी अदूरदर्शिता के कारण, हमारी गलती के कारण, हमारी अकर्मण्यता के कारण, हम पोंग बांध नहीं बना सके । इंडो-पाकिस्तान एग्रीमेन्ट में पाकिस्तान को पानी देना चाहिये था और हमको उधर से आने वाले पानी को काम में लेना चाहिये था । हम अपनी धरती में उस पानी का पोंग बांध बना कर उपयोग नहीं कर सके और उसका परिणाम यह रहा कि जो हमारी धरती धान उगलती, सोना उगलती, वह धरती आज पानी के बिना प्यासी रह गयी और इसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के ऊपर है, सरकार की अकर्मण्यता के कारण हम पानी का उपयोग नहीं कर सके

कितना पानी व्यर्थ जा रहा है । नर्मदा का पानी फिजूल जा रहा है। हमारी योजना खटाई में पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि अन्य प्रदेशों के बीच में सिर फूट रहे हैं लेकिन सरप्लस पानी का युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है । यदि नर्मदा के पानी का उपयोग हो जाता, यदि समय पर पोंग बांध बन जाता, राजस्थान नहर समय पर पूरी हो जाती, तो आज राजस्थान की धरती समस्त भारतवर्ष की एक अन्न उपजाऊ केन्द्र बन जाती । इजराइल के पैटर्न पर राजस्थान की स्थिति बन जाती । राजस्थान की सरकार केन्द्र में कमजोर स्थिति में है । राजनैतिक कारणों से हो, चाहे व्यक्तिगत कारणों से हो, मैं इसमें नहीं जाता किन्तु हमारे मुख्य मंत्री कमजोर हैं, या कमजोर थे और उसी का परिणाम है कि चाहे पोंग डेम का प्रश्न हो, चाहे राजस्थान केनाल का प्रश्न हो, चाहे नर्मदा का प्रश्न हो चाहे कडाना बांध का प्रश्न हो, सब बातों में राजस्थान की सरकार केन्द्र में जाकर डिक्टेट नहीं कर सकती है, बारगेन नहीं कर सकती है बेटर टर्म्स नहीं ला सकती है और जिस प्रकार दूसरे कमजोर प्रदेश करते हैं उस प्रकार झुक कर सिर नीचा करके आ जाती है ।

बार बार विधान सभा में प्रश्न आते हैं । राजस्थान केनाल का मामला बार बार बढ़ता जा रहा है । फेज जो कम्पलीट हो जाना चाहिये था वह नहीं हुआ और उसी स्थान पर हैं जहां पहले थे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, सांभर में केन्द्र के द्वारा नमक बनाया जाता है । 1 करोड़ सालाना आमदनी होती है । राजस्थान की धरती पर नमक बने, राजस्थान के रहने वाले दिन रात काम करके, परिश्रम करके नमक का उत्पादन करें और केन्द्र उसकी आमदनी ले जाय । लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कि राजस्थान की धरती पर नमक बनता हो और राजस्थान के आदमी जहां मेहनत करते हों उसका फायदा राजस्थान के आम लोगों को न मिले और केन्द्र की सरकार उसकी आमदनी ले जाय यह कैसी विडम्बना है। राजस्थान की धरती, नमक उससे पैदा हो और एक करोड़ की आमदनी केन्द्र सरकार ले जाय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करूंगा कि सांभर के अन्दर जो हिन्दुस्तान साल्ट केन्द्र है उसको टेक ओवर किया जाय और केन्द्र से बातचीत करके राजस्थान सरकार नमक बनाये और एक करोड़ की आमदनी जो केन्द्र को जाती है वह राजस्थान सरकार अपने हाथ में ले।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, हमने बीकानेर जिप्सम को टेक ओवर तो कर लिया है और टेक ओवर करने के बाद आज तक भी, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर मि० दत्ता जो पहले मैनेजिंग डाइरेक्टर थे या डाइरेक्टर थे, वहीं पर बने हुए हैं। सदन में कई बार यह मामला आया और यह सब माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा। उन्होंने रॉक फास्फेट और अन्य मामलों में इतना लम्बा लाकर डाल दिया जिससे कि 30 लाख रुपया राजस्थान सरकार को खर्च करना पड़ा और वह आज तक लम्बा पड़ा है। जो रॉक फोस्फेट के मामले में एग्रीमेन्ट था उसका उल्लंघन किया और राजस्थान की फाइनेन्सेज के प्रतिकूल काम किया फिर भी मि० दत्ता उसी प्रकार बने हुए हैं। यह तो कर दिया। 30 लाख रुपया कन्डीशन्स के खिलाफ मलबे के रूप में डाला, क्या सरकार उनसे वसूल करेगी? जितने एग्रीमेन्ट के वायोलेशन्स हुए हैं, जिसके लिये मि० दत्ता जिम्मेदार हैं, उनसे सारा खर्चा सरकार वसूल करेगी? जितनी भी बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज होती हैं, चाहे बीकानेर जिप्सम हो, डी० सी० एम० हो, मि० जैन हों और कोटा के बड़े बड़े मिल मालिक हों, उनके साथ स्टे ग्रान्ट करके राजस्थान सरकार चाहे सेल्स टैक्स हो, चाहे डेड रेन्ट के मामले हों, कोई डिमान्ड हो उनको वसूल करने का प्रयास नहीं करती है। जब कभी प्रश्न सदन में आता है आंकड़ों के जाल में उसको डाल दिया जाता है, हाई कोर्ट में स्टे हो गया, यह एग्रीमेन्ट इस प्रकार से है, आदि, इस प्रकार की बातें कह कर उन मामलों को टाल दिया जाता है।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के बोलने के बाद माननीय वित्त मंत्रीजी एप्रोप्रियेशन बिल पर जवाब दे दें और फिर उसके बाद एक्साइज पर स्टेटमेन्ट हो जाय। उसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल पास हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विनियोग बिल के पारित होने तथा एक्साइज सम्बन्धी स्टेटमेन्ट होने के बाद हाउस को एडजोर्न किया जाय तब तक के लिये समय बढा दिया जाय?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक्साइज वाला स्टेटमेन्ट कल दे दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : आपने फरमाया था आज ही। आप चाहें तो आज दे दूं या कल दे दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल क्वेश्चन आवर के बाद ही दे दें तो अच्छा है। कल दे दीजिये ताकि पूरे फैक्ट्स भी आ जावेंगे।

श्री गुमानमल लोढा : तो मैं निवेदन कर रहा था····

श्री खेतसिंह : कल भी काफी बिजनिस है और यह फिर वक्तव्य होगा तो ज्यादा समय लगेगा । यह तो स्टेटमेन्ट देने के लिये तैयार हैं, इनकी ओर से कोई बात है नहीं । अपोजिशन के माननीय सदस्य चाहते हैं तो कल दे देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन माननीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया था वे नहीं हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया था कि वित्त मंत्री आज स्टेटमेन्ट दे देंगे और एप्रोप्रियेशन बिल पर भी जवाब देंगे । पहले तो कहा कि एप्रोप्रियेशन बिल पर जवाब देते समय ही इस पर भी जवाब दे दें । किसी ने एतराज किया तो कहा कि अलग से जवाब दे दिया जाय । मेरी कोई जिद्द नहीं है । आज चाहें तो आज स्टेटमेन्ट देने के लिये तैयार हूं । कल चाहें तो कल । कल दो बिल पास करने हैं एप्रोप्रियेशन बिल और सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स।

श्री रामानन्द : यह सब कर लेंगे वह । देर तक बैठ जावेंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : आपका कोआप-रेशन है तो मुझे क्या एतराज है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की यह अनुमति है कि यह विनियोग विधेयक पारित हो तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो उपाध्यक्ष महोदय, यह साल्ट बोर्ड भारत सरकार का एक करोड़ रुपया नमक बेच कर अपनी आमदनी प्रति वर्ष करता है । राजस्थान के वित्तीय साधनों को देखते हुए क्यों नहीं नमक का यह व्यापार भी राजस्थान सरकार अपने हाथ में ले लेती है ?

श्री दत्ता, जो जिप्सम लिमिटेड में हैं, जिसके बारे में कई प्रश्न आये हैं, यहां रॉक फास्फेट के बारे में जिसने सरकारी शर्तों को भंग किया, सारा मलबा खोद कर वहीं डाल दिया था, तीस लाख रुपया सरकार द्वारा खर्च किये जाने के बाद भी वह वहां से नहीं उठ पाया । आज भी उसका टेक ओवर होने के बाद भी वह वहां बैठा है । उसको वहां से हटाया जाना चाहिये ।

आज जिस भाव से डी० सी० एम० और जे० के० को आप बिजली दे रहे हैं उसी भाव पर अनाज पैदा करने वाले किसान को भी मिलनी चाहिये । आज आप किसान से इन चोर बाजारिये, मुनाफाखोर व्यापारियों से 15 से लेकर 20 गुना ज्यादा रेट ले रहे हैं जब कि इनको आप तीन पैसा और दो पैसा यूनिट में दे रहे हैं । यह ठीक है कि उद्योग डवलप हों । पर चोर बाजारिये तो डवलप न हों । सही माने में सही उद्योगपति को आप सहायता दीजिये । उद्योग का अर्थ होना चाहिये राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक बने, जनता को उसका लाभ मिले । सरकार के कोष में आमदनी हो । इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया का सेल्स टैक्स में सरकार को नुकसान दिया है । ये राजस्थान की जनता पर आज भार बन कर बैठे हैं । ऐसी स्थिति में इनको सहायता देने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये । किसान भी आज उतना ही सहायता का पात्र है जो हमारे लिये अन्न पैदा करता है, बिना किसी तरह की चोर बाजारी किये फिर इन में और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
किसान में सहायता देने में आप भेदभाव क्यों बरत रहे हैं। किसान के साथ भेदभाव बरतना अच्छा नहीं है।

हमारे यहां रॉक फॉस्टफेट का अच्छा भण्डार है। इसको और भी अधिक डवलप करने के लिये इसे रेलवे से जोड़ा जाना चाहिये ताकि ट्रान्सपोर्टेशन में अधिक खर्चा न हो। यह सही है कि यह केन्द्र का विषय है। पर हमारे संविधान में केन्द्र और राज्य एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं, प्रतिद्वन्द्वी के रूप में नहीं। इस ओर हम जितने जागरुक होंगे हमारी आय का यह सबसे बड़ा स्रोत उसी हिसाब से बनता जावेगा।

हमें प्रशासन में भी सुधार लाने का प्रयास करना चाहिये। स्व० बरकतुल्ला खां भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने इस ओर ध्यान दिया था। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये उस समय कदम भी उठाये गये थे। सरकारी कर्मचारियों क सीनियोरिटी और प्रमोशन इत्यादि के बारे में भी कुछ नियमानुसार काम होने लगा था। आज इन में धांधली बाजी के कारण सैंकड़ों हजारों की संख्या में कर्मचारियों के समूह राजस्थान हाई कोर्ट के रात दिन चक्कर लगाने लगे हैं। हर विभाग में डाक्टरों के प्रमोशन में, कोआपरेटिव में, राजस्व में, होम में, हर विभाग में आज कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। धांधलीबाजी हो रही है प्रमोशन में अथवा अन्य पदोन्नतियों आदि में। इनको रोका जाना चाहिये। इनकी ग्रिवान्सेज पर विचार करने के लिये एक अलग से ट्रिब्यूनल का बिल सदन में भी रखा जाने को था पर आज वह भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। पिछले साल बिल आना था। सिलेक्ट कमेटी में उस पर विचार किय जाना था। तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारी वर्तमान सरकार इस सम्बन्ध में जिस तरह से मौन साधे बैठी है इससे लगता है उसे इतनी अधिक कम्पलीसेन्सी है कि हमारी तो सरकार बननी थी वह बन गई अब कर्मचारियों का कुछ भी हो। चिन्ता नहीं अथवा यह उनकी अदूरदर्शिता है। यह प्रोग्रेसिव बिल है। इससे मुकद्दमेबाजी कम होगी।

इसी तरह से भूमिहीन किसानों का सवाल है। खातेदारी हक उनको मिलें उनका हक कब उत्पन्न होगा। वह बिल भी आप लाना चाहते थे जिसके बारे में कहा तो यह गया था कि रामचन्द्रजी चौधरी उस समय उसे पारित करना चाहते थे। इसके बाद वह भी रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : उस सिलेक्ट कमेटी में माननीय सदस्य भी मेम्बर हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसीलिये बिल के मैरिट डिमैरिट्स पर नहीं बोल रहा हूं। सिलेक्ट कमेटी ने तो हालांकि उसे पारित कर दिया। यह बजट सत्र भी लम्बा चलाना चाहते हैं पर इसे नहीं लाना चाहते। सरकार का इरादा नापाक मालूम होता है। क्यों नहीं लाया जा रहा है उस टीनेन्सी बिल को यहां। क्या इसको भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिकमण्डेशन दी है। उसे सदन में लाया जाय। फिर सदन उनका कुछ भी करे। स्वीकार करे या अस्वीकार। पर उसे पहले ही कोल्ड स्टोरेज में डालना कहां तक उचित है।

यही हाल गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट का है। पहले आप कहते थे कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
रिपोर्ट नहीं आई इसलिये उसके पहले चुनाव नहीं करा सकते । पर जब रिपोर्ट आगई, इन्टेरिम रिपोर्ट दे दी, फाइनल रिपोर्ट भी दे दी । फिर भी आप चुनाव टालते जा रहे हैं । उसे भी छः महीने से अधिक हो गया उसको भी वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कर दें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : समाप्त तो नहीं किया उपाध्यक्ष महोदय, पर कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया इसको भी ।

श्री रामकिशन : इतने कोल्ड स्टोरेज कहां हैं राजस्थान में ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम कोई बात सदन में कहें तो उसको बहुत लाइटली टाल दिया जावे गंभीरता से न लिया जाय यह बड़ी दुःखदायी स्थिति है ।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी बात बहुत भारीपन से लेता हूं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह मांग की गई कि जितने भी मन्त्री हैं वे अपने अपने असैट्स डिक्लेअर करें । कांग्रेसी सदस्यों ने भी यह मांग की है। अनापशनाप वे फिजूलखर्ची करते हैं पर जहां जनहित के काम आते हैं वहां अर्थाभाव का बहाना बनाते हैं । सड़कें हैं, अस्पताल हैं, स्कूलें हैं, सिंचाई के साधन हैं, बिजली है उनके लिये इनके पास पैसा नहीं मिलता । पर फिजूलखर्ची के लिये अनापशनाप पैसा इनके पास है । सेन्ट्रल कोड आॅफ कण्डर्क्ट के अन्तर्गत भी अपने असेंट डिक्लेअर करने की बात है । अब वित्त मन्त्री महोदय बतायें कि 52 में वे क्या थे मन्त्री बनने से पहले और अब 72 में क्या हैं। यह तो उन्होंने बता दिया कि राजस्थान 52 में क्या था और 72 में क्या हो गया । अब यह भी बतादें कि वे 52 में क्या थे और 72 में क्या हो गये ? जनता को फिर पता लगे कहां पर फार्म बन गये, कैसे बन गये, कहां पर बंगले बन गये, बंगले कहां पर हैं, फार्म कहां पर है– फार्म कहीं पर बन जाते हैं । अपने नाम पर परिवार के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर । मैंने उपाध्यक्ष महोदय, उस समय मांग की थी कि जिस प्रकार पंजाब में हर-चन्द कमेटी बनी है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसी प्रकार यहां पर भी मंत्रियों के लिये ही नहीं, विधायकों के लिये, प्रधान और जिला प्रमुखों के लिये, आई ए० एस० आॅफिसरों के लिये, आर० ए० एस० आॅफिसरों के लिये किस प्रकार जमीनों पर एनक्रोचमेन्ट हुआ है, गरीबों के नाम पर, हरिजनों के नाम पर कब्जे हो जाते हैं । नाम उनका होता है । मेरे पास आज, उपाध्यक्ष महोदय, गाडुलिया लुहार आये जिनके लिये स्व०माणक लाल-जी वर्मा ने उनको बसाने की घोषणा की थी, उनको जमीनें देने की घोषणा कराई थी..

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन उन्होंने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सारे के सारे जितने मकान थे, नीलाम कर दिये गये, हमने गाड़ियां भी बेच दीं । पहले इधर-उधर घूमते थे....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बम लहरी की तरह....

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब ये गाडुलिया लुहार किस किस को बनायेंगे । इस सारे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मामले को ओवरहॉल करना चाहिये। हरचन्द कमेटी की तरह यहां भी एक कमेटी बनानी चाहिये और उस कमेटी द्वारा जांच होनी चाहिये। जितने मंत्रियों ने जमीनें ली हैं यह तो मैं नहीं कहता सब की सब नाजायज हैं, जायज भी हो सकती हैं लेकिन जनता में उसका किस प्रकार विश्वास हो, उस स्थिति को भी आज हमें पैदा करना होगा। यदि वाजिब तरीके से अलॉटमेंट किया गया है तो उनके दिल में चिन्ता क्यों है, वे फेस क्यों नहीं करना चाहते हैं। इस मांग को बार बार सदन में उठाया गया है लेकिन स्वीकार नहीं की गई और जब जनता की आवाज, विधायकों की अवाज यहां आकर मांग करती है तो उनको टाल दिया जाता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह जनता में आस्था कम हो जाती है और फिर गुजरात की स्थिति पैदा होती है। बिहार की स्थिति पैदा होती है जहां विधान सभा के कर्मचारियों ने, विधान सभा के स्टॉफ ने मंत्रियों की खबर ली। इसलिये हम चाहते हैं माननीय मंत्रि मण्डल के लोग हर चीज को गंभीरता से लें और समस्याओं के हल करने का प्रयास करें। एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये हम कुछ चीज लाते हैं तो उसे भी टालने की कोशिश की जाती है, जो वास्तव में आदत हो गई है, उसको बदलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह कहा जाता है हमारे मुख्य मंत्रीजी कार्यकर्ता से बढ़कर मुख्य मंत्री बने हैं, वे समस्याओं को फेस करना चाहते हैं, जनता की समस्याओं को फेस करना चाहते हैं। हमारे यहां पर पेन्शन में मंहगाई वृद्धि के साथ साथ घोषणा होनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने पेन्शन में वृद्धि की घोषणा कर दी। आज जो मंहगाई वृद्धि होती है उसके अनुसार क्यों नहीं उसको जोड़ दिया जाता है, उसके साथ क्यों नहीं लिन्क कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं उसकी घोषणा की जाय लेकिन उसको भी बराबर टाला जा रहा है। जहां राज्य कर्मचारियों को मंहगाई देने का प्रश्न है तो क्यों नहीं उसको प्राइस इन्डेक्स के साथ जोड़ दिया जाता है, क्यों नहीं कर्मचारियों का डी० ए० प्राइस इन्डेक्स के साथ जोड़ दिया जाता है जो दीवारों पर लिखा हुआ है, सड़कों पर लिखा हुआ है। विधान सभा में हम चाहते हैं कि समस्या का हल करने का प्रयास किया जाय

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, इन समस्याओं के ऊपर....एक-दो मिनिट और लूंगा.....राज्य सरकार को, राज्य के मंत्रिमण्डल को गंभीरता से विचार करना चाहिये और विचार करके निर्णय लेना चाहिये और निर्णय की घोषणा करें अन्यथा औपचारिक मामला हो जाता है जिसमें जनता का विश्वास हटता जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों को टालना भी आवश्यक नहीं है। आज सब जगह चुने हुए प्रतिनिधियों के स्थानों पर नामजद आदमी बैठा दिये गये हैं, नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिये गये हैं और जनता के प्रतिनिधि मारे मारे इधर उधर घूमते फिरते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बजट के दौरान में कह चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कहने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार···

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : सारा भाषण एक बार दोहराने की इच्छा है···

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रश्न तो यह है राज्य सरकार उस पर विचार करके निर्णय ले लेकिन वे निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, टालना चाहते हैं। उनका बहुमत है और बहुमत के आधार पर टाल भी सकते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, परिणाम अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि बहुमत के आधार पर टालने का क्या परिणाम होता है। उनको इस प्रकार का व्यवहार बनाना चाहिये कि जनता में विश्वास पैदा हो इन्ही शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, अप्रोप्रियेशन बिल पर दो दिन से विधान सभा में विचार–विमर्श हो रहा है। इस सिलसिले में बहुत सी बातें उठाई गई हैं जो आम तौर पर माननीय सदस्यों का प्यारा विषय पुलिस, राजस्व, सिंचाई से लेकर कला संस्कृति, पेन्टिंग सब चीजों पर चर्चा की गई है। मैं उन माननीय सदस्यों से क्षमा चाहूंगा, मैं इन सारी बातों पर चर्चा नहीं कर सकूंगा मैं तो केवल उन्हीं विषयों में कुछ शंकाओं की चर्चा कर सकूंगा जो वित्त से या अर्थ से सम्बन्ध रखने वाली हैं। अधिकांश बातों पर मांगों के सम्बन्ध में उत्तर दिये जा चुके हैं। उनका जवाब चाहे तो माननीय मंत्रियों ने अपने भाषणों के जवाब में दे दिया है या फिर लिखित में कट मोशन के रूप में चले जायेंगे। इसलिये उनको बार बार दोहराना आवश्यक नहीं है इसलिये मैं बार बार उन माननीय सदस्यों की जो भावनायें व्यक्त की गई हैं, विचार प्रकट किये हैं उनका आभार प्रकट करते हुये केवल कुछ आर्थिक समस्याओं पर, वितीय समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा सन् 72–73 का जब मैंने इन्टरिम बजट पेश किया था तो पांच सूत्री कार्यक्रम पेश किया था और यह विचार प्रकट किया था अगर इस पांच सूत्री कार्यक्रम पर पूरा काम करने का मौका मिला तो शायद तीन–चार साल में सरप्लस बजट तो नहीं लेकिन बेलेन्स बजट पेश करने का जरूर प्रयत्न कर सकूंगा। जब कि मैंने राजस्थान का तीसरा बजट पेश किया है तो पांच सूत्री बेलेन्स बजट भी इस सदन में पेश किया जायेगा। बहुत से माननीय सदस्यों को इस बात की शंका रही, मेरे इस बात का जवाब देने के बाद भी शंका करते रहे कि आपका बजट बेलेन्स बजट नहीं है तो जैसे माननीय सदस्य पुनरावृत्ति करते हैं, मैं भी पुनरावृत्ति करूंगा और इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयत्न करूंगा यह जो बजट है बेलेन्स्ड बजट है। लेकिन मैं अभी पांच सूत्री कार्यक्रम की बात कर रहा था जो मैंने पांच बातें विधान सभा में कहीं–खर्चे में कमी करके, पहली बात जो मैंने अर्ज की थी खर्चे में कमी की जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं 72–73 में हमने 1 करोड़ 34 लाख 24 हजार की कमी की, क्योंकि इसलिये कि अप्रैल–मई में इसके आदेश जारी हुये थे इसलिये जो एक्चुअल खर्च 1 करोड़ 4 लाख

(श्री चन्दनमल बैद)

56 हजार कम हुआ और उसके बाद में अर्ज करना चहता हूं, इस साल बार बार सरक्यूलर निकालकर अपने विभागों को सचेत करते रहे हैं कि खर्चे में किसी प्रकार कमी करनी चाहिये । मैं हवाला दूं हमने 8 नवम्बर को एक बहुत डिटेल सरक्यूलर निकाला किस किस तरीके से खर्चे में कमी करनी है – टी० ए० में, कनवियेन्स चार्जेज में, फर्नीचर के खरीदने में, दूसरे दूसरे खर्चों में, पार्टी देने के बारे में–बहुत डिटेल सरक्यूलर निकाला और इस बात के लिये आगाह किया कि खर्चे में कमी करें । फिर दिसम्बर में सरक्यूलर निकाला. फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने आदेश दिये किस प्रकार खर्चे में कमी करनी चाहिये । पहला जो पाइन्ट अर्ज किया था हम खर्चे में कमी करके करेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपको यह बताते हुये खुशी है, मेरे मंत्रिमण्डल के जितने साथी हैं, उन सब साथियों का सहयोग रहा, उनके सहयोग से हमने जितना भी खर्चा नॉन-प्लान का था, कम कर सकते थे, कम करने की कोशिश की और किया ।

दूसरी बात टैक्सेज जो हम वसूल करते हैं उसमें मुस्तैदी से काम करेंगे, सजगता से काम करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं तीन साल के अन्दर 71-72, 72-73, 73-74 में हमने टैक्सेज की वसूली में कितनी सजगता और मुस्तैदी से काम किया । 71-72 में 41 करोड़ 42 लाख की टैक्सेज से आय हुई, उन्हीं टैक्सेज को शामिल किया है सेल्स टैक्स, आर० पी० जी० टी० टैक्स, एन्टरटेनमेंट टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स । अब 72-73 में 46 करोड़ 30 लाख की आमदनी की और इस साल 73-74 में 52 करोड़ से ज्यादा हो गई और अगले साल 74-75 के लिये जो आंकड़े हैं वह 56 करोड़ से ज्यादा रखे हैं, तो यह जो दूसरी बात मैंने उस समय अर्ज की थी कि हम अपने टैक्सेस को ज्यादा मुस्तैदी के साथ और सजगता के साथ वसूल करेंगे तो वह बात हमने पूरी की । तीसरी बात यह कही थी कि जो हमारे लोन्स और एडवान्सेस हैं उनको भी वसूल करने में जितनी सजगता और मुस्तैदी हम बरत सकते हैं वह बरतेंगे । उस समय मैंने यह भी बताया था कि ज्यादातर जो ऋण हैं वह किसानों में हैं चाहे वह तकावी के रूप में हो, चाहे वह जो फेमिन का समय था उस समय कुछ लोन दिये हों और ऐसे लोन को-आपरेटिव सोसाइटीज और किसानों में थे । उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस तरह के लोन को बहुत ज्यादा सख्ती के साथ वसूल नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम जितनी सजगता और मुस्तैदी बरत सकते थे वह हमने बरती है । चौथी बात यह कही थी कि हम अपने नान-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ायेंगे । माननीय सदस्यों को मालूम है कि अभी दो तीन दिन पहले माननीय यातायात मंत्री महोदय ने बताया था कि पिछली साल की बजाय इस साल रोड ट्रान्सपोर्ट से आमदनी है वह कितनी बढ़ी है और इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं कि हमने अगली साल रॉक-फॉस्फेट से जिसको नान-टैक्स रेवेन्यू कहना चाहिए, 4।। करोड़ की वसूली करने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए मुझे पूरा भरोसा है कि वह रुपया हम वसूल करेंगे । तो जो चौथी बात मैंने कही थी कि नान-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ायेंगे तो वह बात भी पूरी की है । पांचवीं बात कही थी कि छठे फाइनेन्स कमीशन के सामने हम अपने केस को मजबूती के साथ रखेंगे और जितना ज्यादा पैसा ले सकेंगे उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय

(श्री चन्दनमल बैद)

पूरी कोशिश करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं और दोहराना नहीं चाहता लेकिन फिर भी इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां पांचवें फाइनेन्स कमिशन ने हमको 221 करोड़ रुपये दिये थे वहां छठे फाइनेन्स कमिशन ने 33'3 करोड़ 39 लाख रुपया टैक्स के रूप का हिस्सा देने की सिफारिश की है और उसके अलावा 275 आर्टीकल के तहत 230 करोड़ 53 लाख रुपया देने की सिफारिश की है और 258 करोड़ 14 लाख रुपया कर्ज के अन्दर छूट देने की और टाइम लिमिट हैं उसको बढ़ाने की सिफारिश की है। इस तरीके से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने पहले 221 करोड़ की राहत थी और वह अब 822 करोड़ की राहत दी है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यही अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने एक पंचसूत्री कार्यक्रम इस सदन के समक्ष पेश किया था और आशा जाहिर की थी कि इन्द्र भगवान ने और प्रकृति ने साथ दिया तो हम निश्चित रूप से अपने बजट को बेलेन्स करेंगे। मगर मुझे खुशी है कि इन्द्र भगवान के साथ नहीं देने के बावजूद भी हमने अपने पांचसूत्री कार्यक्रम पर अमल किया और अपने बजट को मैं बेलेन्स बजट कर सका।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य न एक बात यह कही कि हमारा जो टैक्स इन्सीडेन्स है वह देश में हाइएस्ट है और उन्होंने सेल्स टैक्स के और दूसरे टैक्सेज के कुछ फिगर्स भी दिये। मैं कुछ फिगर्स अपने साथ लाया हूं और उनको आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हमारा जो टैक्स इन्सीडेन्स परकैपिटा है वह हिन्दुस्तान में हाइएस्ट नहीं है बल्कि हमारा 11वां नम्बर है। आज भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि जो इन्डस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनको छोड़कर जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में हमारा जो परकैपिटा टैक्स का इन्सीडेन्स है वह हाइएस्ट है। मैं समझता हूं कि मैं उनके लाभ के लिए और दूसरे माननीय सदस्यों के लाभ के लिए जो मौजूदा नहीं हैं शायद उनकी पार्टी के सदस्य मौजूद होंगे वह बात देंगे किस तरीके से आंकड़े हैं। आन्ध्र प्रदेश में परकैपिटा टैक्स इन्सीडेन्स 21.60 है, आसाम में 22.22, बिहार में 17.40, गुजरात में 49.73, हरियाणा में 58.14, जम्मु काश्मीर में 38.67, केरल में 37.98, मध्यप्रदेश में, 25.54, महाराष्ट्र में 63.42, कर्नाटक में 41.94, उड़ीसा में 16.84, पंजाब में 66.49 राजस्थान में 28.67, तामिलनाडु में 53.26, उत्तरप्रदेश में 28.40, वेस्ट बंगाल में 36.54 परकैपिटा टैक्स इन्सीडेन्स है। इस हिसाब से हमारा नम्बर इन सभी स्टेट्स में 11वां होता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर चार्ज जो लगाया गया कि हमारे टैक्स का इन्सीडेन्स इतना बड़ा हो गया है कि अब कोई टैक्स की गुंजाइश नहीं है और इसीलिए वित्त मंत्रीजी डरकर टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बात यह नहीं है। बात यह है कि हम टैक्स लगाने के लिए टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं। जब हम यह समझते हैं कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू से जो रिसोर्सेस मोबीलाइज करना चाहिए था, छटे फाइनेन्स कमीशन ने यह कहा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले साल के लिए 5 करोड़ के टैक्सेस मोबीलाइज करने हैं और उसमें से 4½ करोड़ तो राक फास्फेट से और 50 लाख रुपये टैक्स आन लैण्ड एण्ड बिल्डिंग्स से कर लेंगे। तो जरूरत नहीं थी कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए या एजीटेशन का मौका देने के लिए या डिमान्स-

(श्री चन्दनमल बैद)

ट्रेशन का मौका देने के लिए, हड़ताल का मौका देने के लिए मैं उनको मोबालाइज करूं और जनता पर टैक्स लगाऊं। अगर उनको निराशा हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन जो बात सही है वह सही है।

उसके बाद कुछ आंकड़े देकर बताया था कि सेल्स टैक्स का इन्सीडेन्स भी हमारे ऊपर हाइएस्ट है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं जो फिगर्स लाया हूं वह रिजर्व बैंक की पुस्तिका से लिये हैं। सेल्स टैक्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स का पर-कपिटा टैक्स है उसमें राजस्थान 9 वें नम्बर पर है। गुजरात में पर-कैपिटा सेल्स टैक्स का इन्सीडेन्स 33.82 है, हरियाणा में 27.40, केरल में 23.52, महाराष्ट्र में 40.9, करनाटक में 20.84, पंजाब में 24.13 जब कि राजस्थान में 16.72 है। तामिलनाडु में 28.65 और वैस्ट बंगाल में 20.83 है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी और पैसेंजर एण्ड गुड्स टैक्स के भी सारे आंकड़े इकट्ठे किये हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि माननीय सदस्य भी उस रोज नाराज हो रहे थे कि मैं आंकड़े बहुत दे रहा हूं और बोर कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी स्पीच से बोर हों और परेशान हों इसलिए मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं। लेकिन माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको यह आंकड़े प्रेषित कर सकता हूं और यह रिजर्व बैंक की पुस्तिका से लिये हैं, यह मेरे अपने बनाये हुए नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे यह कहने के बावजूद भी कि जो बजट 1974-75 का पेश किया गया है वह बिलकुल बेलेन्स बजट है कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की शंका प्रकट की कि यह बैलेन्स बजट नहीं है। उनकी पहली शंका यह थी कि 5 करोड़ 82 लाख का अनकवर्ड गैप प्लान में छोड़ा है उसको कैसे पूरा करेंगे। मैं उस दिन भी बता चुका था कि 5 करोड़ 82 लाख का गैप छोड़ा है वह जानबूझकर छोड़ा गया है इसलिए कि 36 करोड़ रुपया स्पेशल वेज एण्ड मीन्स के लिए हैं जिसके लिए भारत सरकार यह कहती है कि तुम 3 साल में चुकाओ। हम कह रहे थे कि जब छठे फाइनेन्स कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है कि ऐसे ऋण 15 साल में चुकाये जाने चाहिए तो चाहे हमारे जितने भी वादे हुए हों और जब छठे फाइनेन्स कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है कि 31 मार्च तक जो लोन दिये गये हैं उनको 15 साल में चुकाया जाये तो 36 लाख का लोन जो स्पेशल वेज एण्ड मीन्स के लिए लिया है वह भी 15 साल में चुकाया जाना चाहिए और तीन साल के बजाय पांच साल में हो गया है और इस तरह से 4.60 करोड़ का फायदा हो गया और तीन साल से पांच साल में करने से 4.60 करोड़ का फायदा हो गया। अभी अभी रीसेंटली मेरे पास लेटर आ गया है कि 4.60 करोड़ के बजाय 4.98 करोड़ का कर्जा चुका दो। अब 4.98 करोड़ हो जाने से केवल 84 लाख का सवाल रह गया है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं। मैं तो इस बात के लिए भी लड़ रहा हूं कि जो 36 करोड़ का लोन है वह तीन साल में नहीं, पांच साल में भी नहीं बल्कि 15 साल में चुकाने की इजाजत होनी चाहिए क्योंकि सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन ने इस प्रकार की रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने 4.98 करोड़ की बात तो मान ली है जिसमें केवल 84 लाख का सवाल है। इस सवाल को भी रखा गया कि आपने 5 करोड़ 82 लाख का इन्तजाम नहीं किया है। मैंने उस दिन भी निवेदन कर दिया था और अच्छी तरह से समझा दिया था और

(श्री चन्दनमल बैद)

आज फिर अर्ज कर देना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है । मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारत सरकार हमारे आठ सौ करोड़ के लोन का री-शिड्यूलिंग कर रही है वह 36 करोड़ के री-शिड्यूलिंग में भी ना नहीं करेगी ।

दूसरी बात यह कही गई कि 3 करोड़ और 30 लाख का रेवेन्यू और कैपिटल अकाउण्ट में गैप है उसके बारे में क्या करेंगे । वह गैप भी नहीं रहने वाला है । मैं अर्ज कर चुका हूं कि इस 3 करोड़ 30 लाख में से सवा डेढ़ करोड़ रुपये तो नये टैक्ससेज भारत सरकार ने लगाये हैं उससे हमें प्राप्त हो जायेंगे; बाकी दो करोड़ का सवाल रहता है । इसमें 293 करोड़ का हमारा रेवेन्यू है और 287 करोड़ का हमारा एक्सपेंडीचर है; इन दोनों को जोड़ करके अगर आधा आधा पर्सेन्ट भी हम रेवेन्यू बढ़ायें और आधा पर्सेन्ट खर्चा कम करें तो मैं समझता हूं कि इस दो करोड़ को पूरा कर सकते हैं । इसमें भी दिक्कत नहीं है । और जहां तक पांच करोड़ के नये रिसोर्सेज मोबीलाइज करने का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस बारे में स्थिति बिल्कुल साफ है । साढ़े चार करोड़ हमें राक फास्फेट से और पचास लाख रुपये लैंड एण्ड बिल्डिंग टैक्सेशन से वसूल हो जायेंगे । राक फास्फेट के बारे में मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर अर्ज करना चाहता हूं । यह कहा गया कि रॉक फास्फेट की कीमतें बढ़ाने से फर्टीलाईजर्स की कीमतें बढ़ जायेंगी । मैं माननीय सदस्यों को सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि राक फास्फेट जो बाहर से आ रहा है उसकी लैंडेड कास्ट 700 रुपया प्रति टन पड़ रही है जब कि हम चार सौ रुपया प्रतिटन से दे रहे हैं। जितना राक फास्फेट हमारी कण्ट्री को चाहिए उसका बीस या पच्चीस प्रतिशत ही हम सप्लाई कर रहे हैं बाकी अस्सी या पिचहत्तर प्रतिशत राक फास्फेट बाहर से आ रहा है । हमारे कीमत बढ़ा देने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि बाकी जो 70–80 प्रतिशत राक फास्फेट बाहर से आ रहा है और जिसको हमारी फैक्ट्रीज चाहे पब्लिक सैक्टर में हों या प्राईवेट सेक्टर में हों, खरीद रही हैं और बहुत ऊंची कीमत में खरीद रही हैं । जब वे ऊंचे दामों में खरीद रही हैं तो राजस्थान भी अपने राक फास्फेट का फायदा क्यों नहीं उठाये, यही सोच कर हमने इस साल दो बार प्राईसेज बढाई हैं और जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अगर जरूरत होगी और आवश्यक समझेंगे तो अपने राक फास्फेट की कीमत फिर बढ़ायेंगे और बढ़ा सकते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यहां यह कही गई कि हम जो बजट पेश करते हैं, कुछ आंकड़े पेश करते हैं और बाद में रिवाईज्ड एस्टीमेट में हमारे बजट के आंकड़े कुछ अलग हो जाते हैं । यह सम्भव है । यह वेरियेशन होना स्वाभाविक है । यह सम्भव हो सकता है कि हम जो आंकड़े आज पेश करें वे आंकड़े रिवाईज्ड एस्टीमेट में रह जाय, क्योंकि बहुत सी ऐसी आकस्मिक बातें आ जाती हैं जिसके कारण, सूखे के कारण, बाढ़ के कारण, डीयरनेस अलाउन्स के कारण, कई ऐसी बातें आती हैं कि साल भार के अन्दर वेरियेशन होना स्वाभाविक है । मैं छोटा

(श्री चन्दनमल बैद)

सा उदाहरण देना चाहता हूं। भारत सरकार के बजट में सन् 69–70 में उनकी जो आमदनी थी उसमें 2 परसेंट का वेरियेशन था। 70–71 में 1.5 का वेरियेशन था। 71–72 में 6.9 का वेरियेशन हुआ और उनके एक्सपेंडीचर में 70–71 में 1.8 का वेरियेशन हुआ और 71–72 में 14.8 का वेरियेशन हुआ। चूंकि डिबेट में इस पोइन्ट को उठाया गया, है चाहे गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को नहीं रखा हो लेकिन डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े जोरों से इस बात को यहां पर उठाया था और इस वास्ते मेरा फर्ज है कि कोई आपने जो मुद्दे उठाये हैं उनकी तरफ मैं कुछ अपनी बात अर्ज करूं वहां डूंगरपुर से आए हुए माननीय सदस्य से बात कही उस बारे में भी अर्ज करूं, तो वहां उसके अगेंस्ट में 71–72 में हमारी रेवेन्यू रिसिट का 1 परसेंट, 72–73 में 4 परसेंट, 73–74 में 5 परसेंट का वेरियेशन हुआ है। इसी तरह से हमारे एक्सपेंडीचर में 71–72 में 3 पर्सेंट का, 72–73 में 6 पर्सेंट का वेरियेशन हुआ है। उस साल फैमिन और डी० ए० के कारण यह वेरियेशन हुआ और 73-74 में 3 पर्सेन्ट का वेरियेशन हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह वेरियेशन जो है कुछ ऐसे आकस्मिक घटनाएं आ जाती हैं जिनके कारण बजट के आंकड़ों में वेरियेशन हो जाता है। इसके लिए किसी को दोष देने का सवाल नहीं है। यह इतना बड़ा बजट में तीन सौ करोड की आमदनी और तीन सौ करोड का खर्चा, जब इतना बड़ा बजट हो उसमें 2 पर्सेन्ट 3 पर्सेन्ट, 4 पर्सेन्ट का वेरियेशन आकस्मिक घटनाओं के कारण, डी० ए० के कारण, फेमिन के कारण, फ्लड के कारण, नई स्कीमों को हाथ में लेने के कारण या सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीमें आ जाती हैं जिनके कारण वेरियेशन होता है। अगर कोई सेंट्रल ने नई स्कीम हाथ में ली और हमको कहा कि हम दस करोड रुपया देंगे, कभी वाटर सप्लाई स्कीम आ गई या और कोई दूसरी स्कीमें आ गई तो उनका सारा का सारा पैसा हमें रेवेन्यू में लेना पड़ता है जिसके कारण भी वेरियेशन होता है। इसी तरह से खर्चे में फैमिन के कारण, फ्लड के कारण डी० ए० के कारण होता है। अभी माननीय सदस्य ने यहां पर पेंशन का सवाल उठाया। हम जानते हैं कि पेंशन का सवाल जनरल सवाल है लेकिन भारत सरकार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में उनकी, पे कमीशन की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया है, उनके आर्डर का इन्तजार कर रहे हैं और उसके बाद हमारा मंत्री मण्डल सहानुभूति पूर्ण तरीके से अपने आर्थिक साधनों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ करना चाहेगा, करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से यहां कहा गया कि जो हैड्स हैं, मेजर हैड्स, माइनर हैड्स हैं हमारे बजट में उनके नाम मद्रासी हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे फाइनेंस कमिश्नर या स्पेशल सेकेट्री फाइनेंस के मद्रासी होने के कारण अंग्रेजी के हैड मद्रासी नहीं हो गये हैं। ये हैड्स जो एक माननीय सदस्य...

श्री रामकिशन : जवाब बेकार है।

श्री चन्दनमल बैद : आपके लिए बेकार है, मेरे लिए साकार है। वे जो नाम हैड्स

(श्री चन्दनमल बैद)

में आये हैं उनको कण्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया ने तय किए हैं क्योंकि बजट को नये तरीके से तय किया गया है और बजट में जितने नाम आए हैं उनको जब तक कण्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया चेंज नहीं करे हम उनमें दखलन्दाजी नहीं कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, एक बात यह भी कही गई कि हम रकम तो किसी काम के लिए मंजूर करा लेते हैं और खर्चा किसी चीज में कर देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि एक मेजर हैड को दूसरे मेजर हैड में ट्रान्सफर बगैर विधान सभा की अनुमति के नहीं किया जा सकता। एक मेजर हैड के नीचे जो माइनर हैड है उसमें चेंज करने के लिए जरूर नियम बने हुए हैं। कौन तो विभाग कर सकता है, किसको वित्त विभाग कर सकता है और किसको मंत्रीमंडल कर सकता है, लेकिन एक मेजर हैड से दूसरे मेजर हैड में कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता सिवाय इस विधान सभा के।......

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक जिले की रकम को दूसरे जिले में तो कर देते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अभी नया सिस्टम शुरू हुआ है, एक मेजर हैड के अन्दर कैपिटल अकाउण्ट और रेवेन्यू अकाउण्ट के रूप में। कैपिटल अकाउण्ट का रेवेन्यू अकाउण्ट में नहीं जाएगा और रेवेन्यू अकाउण्ट का कैपिटल अकाउण्ट में नहीं जाएगा। नई पाबन्दी भी इसमें शुरू हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी लाएबिलिटि और असेटस के बारे में भी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से चर्चा की। यह ठीक है कि 31-3-73 को लाय-बिलिटि 799 करोड़ 62 लाख की होगी और 31-3-74 को हमारी लाएबिलिटि 886 करोड़ 56 लाख होगी। उसके मुकाबले में हमारे असेट्स 693 करोड़ 60 लाख के होंगे और 745 करोड़ 56 लाख के होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा पंजाब, दूसरी स्टेटों ने जो कुछ भी कर्जा लिया है, उन्होंने यह तो मान लिया कि दूसरी स्टेटों ने भी कर्जा लिया है और विकास के लिए कर्जा लेना चाहिए, तो कर्जा लेने वाली दलील तो चल नहीं सकी और उन्होंने मान लिया कि कर्जा लेना चाहिए, कर्जा लेना बुरा नहीं है, लेकिन अब उनकी शिकायत यह है कि उन स्टेटों ने कर्जा लेकर प्रोडक्शन में खर्च किया जब कि आपने कर्जा लेकर आरामतलबी की, शौक किए, इस तरह की बात उन्होंने कही। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या शौक किए हमने, क्या आराम तलबी की हमने। मैं समझता हूं कि शायद उनको मालूम है कि आधे से ज्यादा राज्यों के पास हवाई जहाज और हेलिकोप्टर हैं, जब कि राजस्थान के पास एक भी नहीं है। हमारे मंत्रीमण्डल के कोई भी सदस्य आज बड़ी गाडी में सफर नहीं करते हैं, सब छोटी गाडियों में जाते हैं। कौन सा शौक और मौज कर लिया। अगर हमने इस वास्ते कर्जा लिया कि हमारे इलाके में, हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। इस सूखे से निपटने के लिए लोगों को काम देने के लिए, काम मुहय्या करने के लिए, लोगों को मजदूरी देने के लिए, अगर कर्जा लेना पड़ता है, उनकी जान बचाने के लिए कर्जा लेने की जरूरत हो तो कर्जा लेना चाहिये। एक बार नहीं कई बार कर्जा लेना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा

(श्री चन्दनमल बैद)

करने के लिए दो दो चार चार बार कर्जा लेना पड़ेगा । सैकड़ों, करोड़ों का कर्जा लेने की आवश्यकता होती है और कर्जा लिया गया है । मैं समझता हूं कि कोई गुनाह नहीं किया है । माननीय सदस्यों ने खुद ने कई बार यहां पर कहा है, फेमीन के काम कराएं जांए, राहत कार्य खोले जांए । मुझे याद है, आज ही प्रश्नोत्तर काल में यह बात कही गयी थी शीतलहर के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं इसलिए उनको राहत देने के लिए, मजदूरी देने के लिए राहत कार्य खोले जांए । राजस्व मंत्रीजी ने कोई कमीटमेन्ट नहीं किया उन्होंने यह जरूर कहा-वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आयी है । उसके आने के बाद सोचेंगे । माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि राहत कार्य चलाये जायें, राहत कार्य चलाये जाएंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा और या तो यह पैसा राजस्व में से आयेगा या कर्जा लेकर, इस तरह से ही काम होगा ।....

श्री रामकिशन : फिर असेट्स कहां से बनेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : बहुतसी असेट्स बनती हैं और बहुतसी असेट्स नहीं बनती है । माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है । मेरे साथ चलिये, मेरे इलाके में चलिये । वहां चल कर देखिये कि सड़क बनती है और कैसे उड़ जाती है । डामर की सड़क बनती है और वह भी नजर नहीं आती है । माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं, आम तौर से कहते हैं । वहां पर अधिकतर हरियाली है सावन के गधे को हरा ही हरा दिखता है । इसलिए वे अधिकतर हरियाली की बात करते हैं परन्तु उनको हमारे यहां के टीबों का ख्याल नहीं है । मैं उनको दावत दूंगा, वे मेरे साथ चलें । वैसे भी वे आयेंगे, राजगढ़ का चुनाव होने वाला है । उसमें वे अवश्य ही आयेंगे । तब मैं उनको टीले दिखाऊंगा । वहां आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क बनती है और किस तरह से उड़ जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बंगला देश सरचार्ज के बारे में शिकायत की गयी । मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए राजस्थान के लोगों ने यह सरचार्ज दिया तो क्यों नहीं जब सवाई माधोपुर, भरतपुर में बाढ़ आती है झुंझूनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर में अकाल पड़ता है तो क्या उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते । एक साल में सरचार्ज से कितनी रकम वसूल होती है । 73-74 में कुल 73 लाख रुपया वसूल हुआ था और 74-75 में करीब यह 80 लाख रुपया वसूल होगा । क्या हम इतना ही नहीं कर सकते जहां भारत सरकार ने 10 करोड़ 19 लाख रुपया दिया है, वहां फेमीन, ड्राट से लड़ाई लड़ने के लिए हम अपनी और से 80 लाख रुपया भी कन्ट्रीब्यूट नहीं करें । एक तरफ सदस्य कहते हैं राहत कार्य हों, दूसरी तरफ थोड़ा सा टैक्स लगाना पड़ता है और उस टैक्स से हम फण्ड बनाना चाहते हैं । दस करोड़ 19 लाख भारत सरकार से और 80 लाख हमारा, इस प्रकार 20 करोड़ के पास यह फण्ड हो जाता है और पांच साल में यह एक अरब के आस पास हो जायेगा । तो जब भी अकाल होगा हम उसका मुस्तैदी से मुकाबला कर सकते हैं । जब हम बंगला देश की सहायता कर सकते हैं तो हमारे यहां पर जो पीड़ित हैं, उनकी सहायता करने से हमें गुरेज नहीं है । कम से कम मैं यह आशा करके चलता था कि हरेक माननीय सदस्यों को इसका समर्थन करना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष, एक बात हमारे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही ।

(श्री चन्दनमल वैद)

उसके बारे में भी कहना पड़ेगा वरना यह बात अधूरी रह जाएगी। एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं और न मैं उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान के विवाद में पड़ना चाहता हूं। मैं तो राजस्थान का हूं और राजस्थान का ही रहने वाला हूं। न उत्तरी राजस्थानी हूं और न दक्षिणी राजस्थानी हूं और न ही पूर्वी या पश्चिमी राजस्थान का होना चाहता हूं। मैं तो राजस्थानी ही रहना चाहता हूं। यही हमारा घर है। उन्होंने यहां यह कहा कि 71-72 के अकाउन्ट्स पेश नहीं हुए हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 71-72 के अकाउन्ट्स पेश हो चुके हैं। बंट चुके हैं परन्तु 72-73 के अकाउन्ट्स पेश नहीं हुए हैं। इसलिए पेश नहीं हो पाये हैं कि कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया की रिपोर्ट नहीं आयी है। जब तक वे रिपोर्ट नहीं भेजते तब तक हम जो ये अकाउन्ट्स हैं, आडिट रिपोर्ट है, वह पेश नहीं कर सकते हैं। उनके यहां से आते ही पेश कर देंगे।

मैं अब माननीय सदस्यों का अधिक समय नहीं लूंगा। इस साल का जो बजट है उसका माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है। कुछ सदस्यों ने उसका विरोध किया है। वे विरोधी दल में बैठते हैं अगर विरोध नहीं करेंगे तो अपने क्षेत्र में क्या कहेंगे परन्तु आम तौर पर इस सदन में 74-75 के बजट का स्वागत किया गया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने दबे मन से विरोध किया है उनको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1974 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1974 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1974 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 30 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजकर 47 मिनिट पर दिनांक 30 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(116)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 772 की सूची)

परबतसर वीर तेजाजी पशु मेले में गत तीन वर्षों में हुई आमदनी की सूची

वर्ष	आमदनी राशि
वर्ष 1970–1971	2,61,036–20 पैसे
वर्ष 1971–1972	3,32,043–50 पैसे
वर्ष 1972–1973	1,95,339–41 पैसे
वर्ष 1973–1974	1,96,488–65 पैसे

परिशिष्ट 2.

(ता० प्र० सं० 139 की सूची)

(स्थगित प्रश्न)

सूची

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्राप्त माल (1-4-73 से 26-2-74 तक)

1.	राउन्ड	244–744	मे० टन
2.	एम० एस० प्लेट	229–595	,,
3.	चेनेल	360–843	,,
4.	सी० आर० बी० पी०	1366–970	,,
5.	जी० पी० शीट	963–744	,,
6.	स्टेनलेस स्टील	28–849	,,
7.	टिन प्लेट	85–819	,,
8.	स्केर रन	846–100	,,
9.	एच० आर० बी० पी०	795–659	,,
10.	जोइस्ट	1340–228	,,
11.	वायर रोड	44–399	,,
12,	सी० आर० कायल	48–150	,,
13.	एम० एस० बी० पी०	661–355	,,
14.	जी० सी० शीट	1779–954	,,
15.	ऐंगल	907–447	,,
		9658–836	मे० टन

अन्य माल जो लघु उद्योग निगम द्वारा प्राप्त नहीं किया गया ।

1.	रीरोलिंग मेटेरीयल	3643 टन
2.	फोरजिंग मेटेरियल	663 टन
3.	एग्रीकल्चर इंपलीमेंट्स	366 टन

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये अतारांकित प्रश्नोत्तर-

कच्ची बस्तियों के निवासियों को आवंटित की जाने वाली जमीन की दरें

575. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने 21 अगस्त, 1971 तक बसे कच्ची बस्तियों के निवासियों को बेदखल न करने तथा उन्हें उन्हीं बस्तियों में बसाने की घोषणा की थी ?

(2) क्या कच्ची बस्ती में निवासियों को बसाने के नियम बनाये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो कब बना दिये जायेंगे ?

(3) क्या कच्ची बस्तियों के निवासियों को आवंटित की जाने वाली जमीन की दरें निश्चित की गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या कच्ची बस्तियों की जमीन की दरों के निश्चित आधार, भण्डारी समिति की रिपोर्ट है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या अनुसूचित जाति व जन-जाति के निवासियों को निःशुल्क जमीन देने का प्रावधान है ? यदि, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) कच्ची बस्तियों को सुव्यवस्थित रूप से बसाने व नियमन करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 23-1-72 को जयपुर नगर न्यास को और दिनांक 29-6-72 को सभी नगर न्यासों को निर्देश दिए हैं ।

(3) जी हां । कच्ची बस्तियों के निवासियों से नजराने की राशि 3½ रुपये प्रति वर्ग गज की दर से कीमत ली जानी है ।

(4) जी नहीं ।

(5) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

बारा में डी० एफ० ओ० का पद

576. **श्री रामचरण** (अटरू),

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बारां (जिला कोटा) में डी०एफ०ओ० का पद कितने समय से रिक्त चला आ रहा है और इसका क्या कारण है ? अब इस पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

डी०एफ०ओ० बारां का पदस्थापन उप वन संरक्षक, राजकीय व्यापार मण्डल, कोटा के पद पर हो जाने से मण्डल वन अधिकारी, कोटा दिनांक 4-1-1973 से अपने कार्य के साथ मण्डल वन अधिकारी, बारां का भी कार्य देख रहे थे । लेकिन अब मण्डल वन अधिकारी, बारां के पद पर दिनांक 21-2-74 द्वारा श्री आर०सी०शर्मा० का पदस्थापन किया जा चुका है तथा उन्होंने

(वन मंत्री)
11-3-74 को बांरा वन मण्डल का कार्यभार संभाल लिया है ।

पिड़ावा क्षेत्र में कपड़े का वितरण

577. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : क्या आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कपड़ा वितरण के लिये जो दुकानें खोली गई हैं उनको किस हिसाब से कपड़ा बांटने का नियम है ?

(2) क्या यह सही है कि पिड़ावा क्षेत्र में 30 व्यक्ति पर 1 मीटर कपड़ा देने का नियम है ?

(3) क्या यह सही है कि एक राशन कार्ड पर 5 मीटर कपड़ा देने का आदेश है ?

उत्तर

(1) कपड़ा वितरण के लिए जो दूकानें खोली गई हैं उन पर कुछ जिलों में एक राशन कार्ड पर 3 माह में एक बार 5 मीटर एवं कुछ जिलों में एक राशन कार्ड पर 6 माह में 10 मीटर कपड़ा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा आवंटन किया जाता है ।

(2) जी नहीं ।

(3) साधारणतया उपलब्ध मात्रा के आधार पर तीन माह में एक राशन कार्ड पर 5 मीटर कपड़ा दिया जाता है ।

जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

578. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा सन् 58 में किस किस दर पर किन किन व्यक्तियों को कितने कितने वर्ग गज का किस स्कीम में भूखण्ड आवंटित किया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उक्त आवंटित भूखण्डों का अधिकार पत्र कब 2 जारी किया गया और भूखण्डों की कीमत कब कब और कितनी जमा हुई ? इन भूखण्डों में किस किस भूखण्ड का कब कब किन किन व्यक्तियों को पट्टा दिया गया ?

(3) जिन व्यक्तियों को पट्टा दे दिया गया उनमें से किन किन ने अब तक भवन निर्माण नहीं कराया है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रश्नों में वर्णित कार्यवाही में सब ही स्तर पर अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो किन किन में क्या क्या अनियमितता हुई ?

(5) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूखण्ड दिये गये उनको भूखण्ड स्थानान्तरित करने की अनुमति भी दी गई ? यदि हां, तो किन किन को ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम पलाना (बीकानेर के काश्तकारों के सिचाई के लिए) पानी की व्यवस्था

579. श्री चुन्नी लाल इंदलिया (नोखा) : क्या भूजल मण्डल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पलाना तहसील, बीकानेर में सिचाई के लिये विभाग

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
द्वारा ट्यूब वेल्स खुदाये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्यूब वैल्स पर विद्युत् कनेक्शन व चालू हालत में होते हुए भी काश्तकारों को सिंचाई के लिए आज तक पानी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पलाना ग्राम के काश्तकारों ने अपने खेतों पर सिंचाई के लिये राजस्थान अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड में सिक्योरिटी की धन राशि भी जमा करवा रखी है ? यदि हां, तो सरकार काश्तकारों को कब तक सिंचाई के लिये पानी देने का इन्तजाम कर देगी ?

(1) ग्राम पलाना तहसील, बीकानेर में भारत सरकार के एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल आर्गनाईजेशन द्वारा सन् 1965 में 250 नल कूप योजना के अन्तर्गत नल कूप बनवाये गये थे उसमें से पलाना II व पलाना IV नल कूप भू-जल विभाग को सितम्बर 1968 में हस्तान्तरित किये गये ।

(2) जी नहीं । पलाना II को दिनांक 21-8-72 को तथा पलाना IV को दिनांक 5-11-1971 को विद्युत् कनेक्शन दिये गये थे अतः उक्त तिथियों से पूर्व उपरोक्त नल कूपों के चालू हालत में होने का प्रश्न ही नहीं उठता । सन 1972-73 में कृषक पानी लेने को इच्छुक नहीं थे अतः पानी नहीं दिये जाने का भी प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं । केवल एक कृषक के अतिरिक्त किसी ने भी अग्रिम धन राशि जमा नहीं कराई अतः सिंचाई के लिये नल कूप नहीं चलाये गये। दिनांक 9-1-1973 से उक्त दोनों नल कूप जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को पेयजल व्यवस्था हेतु हस्तान्तरित कर दिये गये हैं अतः अब सिंचाई के लिये पानी देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरचार्ज की वसूली

580. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में 75 रुपये के खाते ऊपर सरचार्ज लिया जाता है ? यदि हां, तो किस शर्त पर ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि चाही पर सरचार्ज टोटल लैंड रेवेन्यू का 1/3 लिया जाता है ?

(3) जो भूमि कमाण्ड एवं नान-कमाण्ड एरिया में आती है उससे किस रेट से सरचार्ज वसूल किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान भू-राजस्व सरचार्ज अधिनियम 1960 के अनुसार धृत भूमियों पर सरचार्ज परिशिष्ट-'क' के अनुसार वसूल किया जाता है ।

(2) यह सही नहीं है कि चाही पर सरचार्ज टोटल लैंड रेवेन्यू का 1/3 लिया जाता है । वस्तुतः चाही भूमि के भू-राजस्व की एक तिहाई राशि करने के बाद यदि उपरोक्त सीमा के अन्दर खाता आता है तो सरचार्ज नियमानुसार देय होता है ।

(3) जो भूमि कमाण्ड एवं नान-कमाण्ड ऐरिया में आती है उस पर सरचार्ज परिशिष्ट 'क' के अनुसार ही वसूल किया जाता है ।

परिशिष्ट (क)

राजस्थान भू-राजस्व सरचार्ज अधिनियम 1960 के अनुसार कुछ भूमियों पर सरचार्ज निम्न प्रकार वसूल किया जाता है :—

(क)	1. 75 रु० से कम लगान पर	कोई सरचार्ज नहीं।
	2. 75 रु० या इससे अधिक परन्तु 100 से कम पर	प्रति रुपया 50 पैसा।
	3. 100 रु० या इससे अधिक परन्तु 150 से कम	प्रति रुपया 75 पैसा।
	4. 150 रु० या इससे अधिक पर	प्रति रुपया 100 पैसा

परन्तु शर्त यह है :—

1. प्रत्येक दशा में भूमि क्षेत्र 10 एकड़ से कम नहीं हो।

2. चाही (सिंचित कुओं द्वारा) भूमि होने पर चाही सिंचित के लगान का एक तिहाई लगान करने पर देय सरचार्ज योग्य हो तो सरचार्ज देय होता है।

3. ग्राम सभाओं से कोई सरचार्ज नहीं लिया जायेगा।

(ख) 30 स्टेण्डर्ड एकड़ या इससे अधिक भूमि क्षेत्र के खाते पर लगान से ड्योढ़ा, परन्तु 1 व 3 के उपरोक्त शर्त के अधीन रहते हुये सरचार्ज लिया जायेगा।

———

नगरपालिका रायसिहनगर द्वारा व्हील बैराज की खरीद

581. श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका रायसिहनगर द्वारा कितने व्हील बैरोज कहां से कब खरीदे गये ? क्या इस खरीद के सम्बन्ध में कोई पेशगी रकम भी दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) उपरोक्त व्हील बैरोज किस भाव से खरीदे गये हैं तथा इसकी सरकारी दर प्रति व्हील बैरोज क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि यह सरकारी आदेश है कि व्हील बैरोज केवल राज्य सरकार के आदेश से ही खरीदे जायं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त खरीद में इस आज्ञा का उल्लघंन किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्हील बैरोज की खरीद में जो टेंडर्स लिये गये है वे सही नहीं हैं, और उनकी तारीखें भी बदली गई हैं ? यदि हां, तो इस खरीद में नगरपालिका को कितनी हानि हुई है ? क्या राज्य सरकार इस खरीद की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) मैमर्स पाइनियर एजेन्सी शाहपुर बाग आमेर रोड, जयपुर को 25 व्हील बैरोज सप्लाई करने का आर्डर दिनांक 20-11-73 को दिया गया था। इस खरीद के संबंध में 2,000.00 पेशगी दिया गया था।

(2) 230|— प्रति व्हील बैरोज की दर से सप्लाई करने का आर्डर दिया गया था। स्वायत्त शासन विभाग ने व्हील बैरोज की कोई दरें निर्धारित नहीं की हैं।

(3) स्वायत्त शासन विभाग ने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

(4) प्रशासक नगरपालिका द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के अनुरूप दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

राज्य का कृषि अनुसन्धान कार्य

582. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा पूरे राज्य का कृषि अनुसंधान कार्य कृषि विभाग से हटाकर उदयपुर विश्वविद्यालय को नहीं सौंपा गया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी हां। कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय को सौंप दिये गए हैं। विश्वविद्यालय पूरे राज्य का ज्वार, मक्का, तिल व चावल (उदयपुर खंड) का रिसर्च का कार्य करेगी। बाकी रिसर्च कृषि विभाग के अधीन ही रखा गया है। विभाग द्वारा रिसर्च करवाने से रिसर्च और कृषकों में अधिक समन्वय की सम्भावना है और कृषि प्रसार में सुविधा मिल सकेगी। इसका अन्तिम निर्णय अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

शराब बन्दी

583. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त एवं आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर जिलों में शराबबन्दी की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन जिलों में शराबबन्दी की गई है वहां देशी शराब का अवैध उत्पादन और विक्रय और अधिक बढ गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने अवैध उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिये जो कदम उठाया है वह अपर्याप्त हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाकर शराबबन्दी की नीति को सफल बनाने में सक्रिय कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या क्या ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) वित्तीय साधन सीमित होते हुये भी विभाग द्वारा हर सम्भव प्रयास शराबबंदी को इफैक्टिव बनाने की दिशा में किये जाते हैं ।

झालावाड़ जिले को अनाज का कोटा

584. श्री भैरूंलाल (अकलेरा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत तीन माह में झालावाड़ जिले को केन्द्र से प्राप्त किस किस किस्म का कितनी कितनी मात्रा में अनाज दिया गया ? कृपया जनवरी से मार्च सन् 74 तक हर माह के विवरण की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि गल्ले के वितरण में झालावाड़ जिले की सदैव ही उपेक्षा की जाती रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला झालावाड़ में आये हुए अनाज में से गेहूं केवल म्युनिसिपल क्षेत्र के निवासियों के लिये ही दिये जाते हैं अन्य देहाती क्षेत्रों को नहीं ?

(4) क्या यह भी सच है कि तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय वाले कस्बों के लिये भी झालावाड़ जिलास्तरीय खाद्य समिति ने म्युनिसिपल क्षेत्र के ही समान मात्रा में गेहूं दिये जाने का निर्णय लिया था ?

(5) क्या यह भी सच है कि देहाती क्षेत्रों एवं तहसील तथा पं. स. मुख्यालयों के कस्बे वालों के साथ निर्णय के उपरान्त भी गेहूं वितरण में भेदभाव बरता जाता है ?

(6) क्या यह भी सच है कि जिला झालावाड़ में अतिवृष्टि एवं शीतलहर के फलस्वरूप फसलों के बिगड़ जाने से खाद्यान्न की कमी है और इस जिले में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है ?

(7) क्या यह भी सच है कि अन्य जिलों के मुकाबले झालावाड़ जिले में बाहर (सटर) से आये अनाज की आवश्यकता अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जिले की मांग और आवश्यकता को मद्दे नजर रखते हुए जिले की मांग के अनुसार अनाज देने की व्यवस्था करेगी और कब से ? यदि नहीं तो क्यों ?

(खाद्य मंत्री)

उत्तर

(1) जनवरी 74 से मार्च 74 तक केन्द्र से प्राप्त अनाज में से झालावाड़ को दी गई मात्रा की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) केन्द्र से गेहूं का आवन्टन कम प्राप्त होने से गेहूं केवल नगरपालिका क्षेत्रों में ही वितरण कराया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) गेहूं केवल शहरी क्षेत्रों में दिया जाता है। अतः भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) अतिवृष्टि से जिले के 392 ग्रामों में खरीफ फसल की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है जिसकी रिपोर्ट सहायता विभाग को भेजी गई है। शीत लहर से रबी फसल में हुई क्षति की अभी जांच की जा रही है।

(7) झालावाड़ को ही नहीं अन्य सभी जिलों को अधिक अनाज की आवश्यकता है। झालावाड़ जिले को शहरी आबादी पर 3 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में गेहूं आवन्टित किया जा रहा है अतः इससे अधिक आवन्टन संभव नहीं है।

श्री भैरू लाल सदस्य विधान सभा राजस्थान के प्रश्न संख्या 132/ कृ० मं के० भाग (1) की सूची :—

(मात्रा क्विन्टल में)

नाम माह	गेहूं	माइलो	चना
जनवरी, 1974	2500	5000	—
फरवरी, 1974	2500	5000	840
मार्च, 1974	2500	4000	363

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का स्थायी आवंटन

585. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि के स्थाई आवंटन के समय सिक्खों से यह रिपोर्ट मांगी जाती है कि वह अपनी तहसील से यह रिपोर्ट लाये कि उनकी किसी भी स्थान पर कोई भूमि नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि भूमि के स्थाई आवंटन के समय यह रिपोर्ट ली जाती है कि उनके परिवार में कितने लड़के हैं और उन लड़कों के हिस्से में उनके पिता की

(श्री गुरुदयालसिंह संधु)

कितनी भूमि ग्राती है ? उसमें यदि किसी भूमिहीन के पिता ने ग्रपने किसी एक लड़के को तमलीख द्वारा भूमि दे दे या उसकी बहनों को हिस्से की भूमि ग्रलग ग्रलग न गिनकर बहनों को हिस्सेदार न मानकर भूमि उन भाइयों के हिस्से में गिन ली जाती है ग्रौर इस तरह किसी एक या दूसरे बहाने से सिक्खों को भूमि ग्रावंटन से वंचित रखा जा रहा है । उदाहरण के लिये तारीख 27-1-74 को सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र सरदार तीर्थ सिंह जिसे बी०एल०एम० तहसील विजयनगर से खारिज की गई ग्रादि ? क्या सरकार इस मामले में जानकारी प्राप्त करके उपनिवेशन विभाग के ग्रधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ग्रौर सिक्खों के साथ हो रहे इस ग्रन्याय को रोकेगी ग्रौर जिनकी भूमि इस तरह खारिज करदी गई है उन पर पुनः विचार करके उचित ग्रादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान उपनिवेशन (1955 के पश्चात् के ग्रस्थायी कृषि पट्टाधारकों को एवं ग्रन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का ग्रावंटन) नियम, 1971 के ग्रनुसार भूमिहीन होने की तस्दीक ग्रावंटन के लिये दरख्वास्त प्राप्त होने पर तमाम प्रार्थियान से मांगी जाती है, केवल सिक्खों से ही नहीं ।

(2) जी हां । ग्रावंटन के ग्रावेदन पत्र में उल्लेख करना ग्रनिवार्य है ।

राजस्थान उपनिवेशन (1955) के पश्चात् के ग्रस्थायी कृषि पट्टाधारकों को एवं ग्रन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राज० नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का ग्रावंटन) नियम, 1971 के नियम 13 में परिवार के सदस्यों का हिस्सा ग्रांकने का तरीका विभाजन के समान रखा गया है ।

सुरेन्द्रपालसिंह पुत्र तीर्थसिंह का स्थाई ग्रावंटन इसलिए खारिज किया गया कि ग्रस्थाई ग्रावंटन प्राप्त करते समय उसने ग्रपने पिता के नाम की 42 बीघा 13 बिस्वा कमान्ड भूमि को छिपाया तथा ग्रपने ग्रापको भूमिहीन साबित करने के लिये संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम पालछा पं० स० चित्तौडगढ़ में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान

586. श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पालछा (विजयपुर) पंचायत, समिति चितौड़गढ़ में क्या पिछले 3-4 वर्ष पंचायत के माध्यम से कभी पहाड़ी रास्ते को बनाने का कार्य चला था ? यदि हां, तो किस साल में ?

(2) यह कार्य कुल कितने दिन चला तथा इसमें कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(3) क्या यह सही है कि इस स्थान पर कार्य करने वाले कई मजदूरों को ग्रब तक मजदूरी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो भविष्य में कब तक उन गरीबों को मजदूरी का भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(पंचायत मंत्री)

(2) पंचायत द्वारा कार्य न चलाये जाने से पंचायत द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं हुई है।

(3) पंचायत द्वारा कार्य न चलाये जाने से पंचायत द्वारा अब तक मजदूरी नहीं देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

चूरू जिले में लेवी वसूली

587. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में लेवी के रूप में अनाज वसूली का क्या टारगेट था और उसमें से अब तक कितनी वसूली हुई है ?

(2) वसूली के संबंध में जिला स्तर से लेकर तहसील तक के अधिकारियों द्वारा क्या क्या प्रयास किये गये किस किस अधिकारी द्वारा कब कब और कहां कहां लेवी वसूली के लिये दौरे किये गये ?

(3) इस सम्बन्ध में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किये गये दौरों का टी०-ए०, डी०ए० जीप इत्यादि पर कुल कितना खर्च अब तक राज्य सरकार का हुआ ? सम्पूर्ण तफसील सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) चूरू जिले में लेवी के रूप में अनाज वसूली का टारगेट 98500 क्वि० रखा गया था, उसमें से अब तक 2201 क्वि० वसूल हुआ है।

(2) लेवी वसूली के सम्बन्ध में जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक के अधिकारियों द्वारा निम्नांकित प्रयास किये गये :—

(क) प्रचार परिपत्र जारी किये गये।

(ख) स्थानीय नागरिकों व जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर नियमों की जानकारी की गई व सहयोग हेतु निवेदन किया। जिला स्तर व तहसील स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिटिंग आयोजित कर उन्हें योजना की जानकारी दी गई एवं दायित्व निधारित किये गये। अधिकारियों द्वारा किये गये दौरे की तालिका संलग्न है।

(ग) समझाने के बाद भी जिन्होंने लेवी नहीं दी उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस्तगासा प्रस्तुत कर नियमानुसार लेवी वसूली की कार्यवाही की गई।

(घ) अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किये गये दौरे तथा जीप के पैट्रोल पर खर्चा निम्न प्रकार हुआ है :—

(1) यात्रा व्यय 249.50

(2) जीप पर पैट्राल व्यय 1887.90

विधान सभा प्रश्न संख्या 136/क्रम० के भाग दो की सूची

क्र.सं.	अधिकारी	तिथि	स्थान
1.	श्री वी० के० बिन्ज	5-1-74	गोरीसर, रतनगढ़, सुजानगढ़
	जिलाधीश, चूरू	6-1-74	छापर, रतनगढ़, डूंगरगढ़, सरदार शहर
		7-1-74	घंटेल
		8-1-74	कडवासर, घूंटिया, लाखाऊ, दूबारबारा
		9-1-74	ऊंटवालिया, बैलासर, रतन नगर
		10-1-74	गाजसर, घंटेल, सोभासी
		24-1-74	थालोरी, बूचावास, तारा नगर, ददरेवा, राजगढ़
		25-1-74	तम्बोर, बडी, राजगढ़
		27-1-74	मेलूसर, सरदार शहर
		29-1-74	बन्ध नाहर, सवाई बडी, मेहरासर, बरडासर, सरदार शहर
		30-1-74	रतनगढ़, लाह्यो, सुजानगढ़
		31-1-74	छापर, सुजानगढ़, डूंगरगढ़, रतनगढ़
		10-2-74	लाखाद, ढाढ़र, धोधू
		12-2-74	गोरीसर
		13-2-74	घोजासर बीघा
2.	फतेहलाल जी परगना अधिकारी, चूरू	5-1-74	कडवासर, सहजूसर, बूंबिया, भाभासी, बरडा दास, करणपुरा, लादडियां, ग्रासलू, लाखाऊ, ढाढ़र
		6-1-74	रतन नगर, भैलासर, ऊंटवालिया, खासोली, रायपुरा
		7-1-74	चूरू, सरला एरिया
		8-1-74	,,
		9-1-74	रतन नगर, केलासर
		11-1-74	सरदारशहर
		12-1-74	,,
		19-1-74	,,

रायसिंह नगर तहसील में गंग कैनाल की जमीन का अलॉटमेंट ।

588. **श्री बेगाराम** (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 1961 में रायसिंहनगर तहसील में गंग केनाल की जमीन स्थाई तौर पर अलॉट की गई थी ? यदि हां, तो किस किस को अलॉट की गई ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थाई अलॉटमेंट की राशि किसानों से एक मुश्त वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस राशि को किश्तों में वसूल करने के आदेश देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन के पटल पर रखदी गई है ।

(2) जी नहीं । अलॉटमेंट की राशि 10 किश्तों में वसूल की जानी थी । जो किश्तें बकाया रह गयीं, केवल उन्हें ही एक मुश्त वसूल किया जा रहा है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

राज्य में भूमि भवन-कर

589. **श्री केदार नाथ** (गंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में भूमि भवन कर किस तिथि से लागू किया गया ? इस कर को लागू करने के बाद राज्य में कुल कितने भवन व भूमि पर कर लगाया गया ? राज्य में इस कर से कुल कितनी आय अनुमानित की गई है और अब तक राज्य कोष में इस कर की कितनी राशि जमा हुई ?

उत्तर

राज्य में भूमि एवं भवन कर 1-4-1973 से लागू किया गया । इस कर को लागू करने के बाद कुल 9,604 भूमि एवं भवनों के रिटर्न प्राप्त हो चुके हैं । राज्य में इस कर द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 22.00 लाख रु० की आय अनुमानित की गई है और अब तक (मास फरवरी के मध्य तक) रु० 17.82 लाख की आमद राज्य कोष में जमा हो चुकी है ।

जयपुर नगर परिषद् में कर्मचारियों का प्रतिनियुक्तियां

590. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचित नगर परिषद् जयपुर के सन् 1971 से 1973 तक के कार्यकाल में अधिकारी व अधीनस्थ व लिपिकवर्गीय कर्मचारियों में कितने ही कर्मचारी प्रति नियुक्ति पर राज्य सरकार द्वारा परिषद् में भेजे गये थे ? यदि हां, तो उनकी टर्म्स एवं कन्डीशन्स तथा उनके नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त पदों पर तकनीकी उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों और ऐसी गलत प्रति नियुक्तियां करने और जारी रखने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि

(129)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
नहीं की गई, तो अब सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

जिन अधिकरियों एवं अधीनस्थ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भिजवाया गया था उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

जिन-जिन अधिकारियों एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की टर्म्स एवं कन्डीशन्स निर्धारित हो गई है, वह साधारणतया वही हैं जो प्रायः राज्य कर्मचारी के लिए नियमों में निर्धारित हैं।

(2) केवल दो कर्मचारी श्री राधेश्याम शर्मा एवं श्री सत्य कृष्ण शर्मा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये थे जो तकनीकी योग्यता नहीं रखते थे निर्वाचित पार्षद श्री राधेश्याम को प्रतिनियुक्ति पर व श्री सत्य कृष्ण शर्मा को नये तरीके से नियुक्ति करके परिषद में रखा था।

श्री राधेश्याम शर्मा अपने विभाग में चले गये हैं व श्री सत्यकृष्ण शर्मा परिषद् के ही कर्मचारी हैं।

130

परिशिष्ट 'क'

प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की सूची

1.	श्री बाल कृष्ण शर्मा	आयुक्त	जनवरी 71 से 2-8-71
2.	श्री रामनिवास माथुर	आयुक्त	23-9-71 से 7-8-72
3.	श्री रतन कुमार गुप्ता	आयुक्त	7-8-72 से 29-9-73
4.	श्री जी० डी० भारद्वाज	आयुक्त	3-10-73 से
5.	श्री विक्रम कुमार गढ़ोक	अधिशासी अभियन्ता	
6.	श्री रमन लाल प्रोहित	"	
7.	श्री भूषण स्वरूप भटनागर	"	
8.	श्री आर० आर० चौधरी	स्वास्थ्य अधिकारी	
9.	श्री महेन्द्र सिंह चौधरी	"	
10.	डॉ० डी० ए० मिश्रा	"	
11.	श्री महेन्द्र सिंह चौधरी	"	
12.	श्री नगेन्द्र पाल सिंह	वेटरनरी एसिसटेन्ट सर्जन	
13.	श्री जे० एन० माथुर	"	
14.	श्री सत्य कृष्ण शर्मा	निरीक्षक	
15.	श्री राधेश्याम शर्मा	"	
16.	श्री बृजेन्द्र माथुर	आटोमोबाईल इन्जिनियर	

शाहबाद में भू-गर्भ धातुओं का सर्वे

591. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग द्वारा जिला कोटा की पंचायत समिति शाहबाद में भू-गर्भ में छिपी धातुओं को उपलब्ध कराने के लिये सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो कब कब सर्वे कराया गया था ? किस किस प्रकार की धातु की उपलब्धि हुई ? अगर सर्वे नहीं कराया गया तो क्यों नहीं कराया ?

(2) क्या सरकार इस पंचायत समिति शाहबाद में आदिवासी क्षेत्र का खनिज विभाग के माध्यम से विकास करना चाहती है ? यदि हां, तो अब तक इस क्षेत्र के विकास हेतु खनिज विभाग के द्वारा समय समय पर क्या क्या प्रयास किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा शाहबाद तहसील में गांव खारा सरोल के निकट बाक्सेटिक क्ले की विस्तृत जांच की गई। इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक सर्वे के द्वारा क्ले, ग्लास सेन्ड और निम्न श्रेणी के आयरन ओर के चिन्ह पाये गये। ये सर्वे 1958 के पूर्व में किये गये थे।

(2) जी हां राजस्थान, सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा प्रति वर्ष ऐसे स्थानों पर खनिज सर्वेक्षण किया जाता है जहां खनिज मिलने की अधिक सम्भावनाएं रहती हैं। कोटा, बून्दी एवं झालावाड़ जिले के सर्वे कार्य में तेजी लाने के लिए झालावाड़ में वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक का कार्यालय स्थापित किया गया है।

सन् 1974–75 में शाहबाद तहसील में सर्वेक्षण कार्य की योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में जांच के लिये कार्य किया जावेगा।

तहसील सिकराय में बीज व खाद का वितरण

592. श्री रामचन्द्र (सिकराय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सिकराय में वर्तमान रबी की फसल में कितना चने व अन्य प्रकार का बीज और खाद वितरित करने को दिया गया ?

(2) क्या बीजों व खाद का वितरण पंचायत समिति सिकराय द्वारा ठीक प्रकार से किया गया ?

(3) उक्त क्षेत्र के किन किन किसानों को कब कितना खाद व बीज किन किन डीलर्स द्वारा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मानपुर थाने द्वारा खाद का ट्रक इसी दौरान पकड़ा गया था ?

(5) यदि हां, तो उसमें कितने कट्टे थे व उनका क्या हुआ ?

(स्थगित किया गया)

तहसील टोडारायसिंह में यूरिया खाद का ब्लेक

593. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की

(श्री चतुर्भुज)
कृपा करेंगे :—

(1) तहसील ठोडारायसिंह में करीबन 3, 4 माह पहिले 172 कट्टे खाद यूरिया ब्लेक से पकड़ा गया जिसकी जांच में सरकार ने क्या तथ्य पाये ?

(2) क्या अपराधी व्यक्तियों को सजा दी गई ?

(3) क्या ब्लेक करने वाली पार्टी का लाइसेन्स कैन्सिल किया या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) तहसील टोडाराय सिंह में माह नवम्बर, 73 को 172 कट्टे यूरिया श्री बालू पुत्र वर्धा माही निवासी फूटा-देवरा के यहां पकड़े गये । जांच करने पर पाया गया कि उक्त व्यक्ति बिना लाइसेन्स खाद का बेचान कर रहा था ।

(2) जी नहीं मामला अदालत में चल रहा है ।

(3) लाइसेन्स कैन्सिल करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पार्टी बगैर लाइसेन्स ही बेचान कर रही थी, मामला अदालत में चल रहा है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18-3-74)

उदयपुर जिले में भूमि का आवंटन

253. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले में भूमि आवंटन समितियों द्वारा सन् 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 तक किन किन राज्य कर्मचारियों, व्यापारियों और नेताओं को भूमि आवंटित की गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि आवंटन समितियों द्वारा कुछ भूमि के आवंटनों को भूमिहीन किसानों के हित में निरस्त करने की सिफारिश भी जिलाधीश उदयपुर को की थी ? यदि हां, तो किन किन तहसीलों की भूमि आवंटन समिति ने ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में सन् 1970–71, 1971–72 एवम् 1972–73 में संलग्न सूची के अनुसार 9 राज्य कर्मचारियों एवम् 4 व्यापारियों को भूमि आवंटित की गई । नेताओं को कोई भूमि आवंटन किया जाना प्रतीत नहीं होता ।

(2) जी नहीं ।

(133)

सूची राज्य कर्मचारी

क्र०सं० नाम कर्मचारी रकबा	ग्राम	तहसील	विभाग एवं पद
1. श्री नारायण लाल निवासी डिंप्टी	डिप्टी	राजसमन्द	सहायक अध्यापक, शिक्षा विभाग।
2. श्री उदयलाल श्रीमाली निवासी मावली	डीगरक्या	मावली	कनिष्ठ लिपिक पंचायत समिति मावली।
3. श्री गमेर सिंह राजपूत निवासी पालवास	देवाली	मावली	सिपाही पुलिस विभाग।
4. श्री मांगीलाल बड़गूजर निवासी मावली	नाहर मगरा	मावली	थानेदार पुलिस विभाग।
5. श्री भैरूसिंह राठौड़ निवासी देलवाड़ा	देवाली	मावली	सिपाही पुलिस विभाग।
6. श्री डूंगरसिंह मुरडिया निवासी उदयपुर।	डीगरक्या	मावली	एस०डी०आई० पंचायत समिति सराडा।
7. श्री मदन लाल निवासी धरियावद	रणिया	धरियावद	चपरासी सिंचाई विभाग।
8. श्री मांगीलाल निवासी धरियावद	वालीसीमा	धरियावद	चपरासी तहसील धरियावद।
9. श्री नजीर मोहम्मद निवासी धरियावद	हीरावास	धरियावद	चपरासी, पंचायत समिति धरियावद।

नोट : क्रम संख्या 7 से 9 तक के कर्मचारियों की नियमानुसार स्वीकृति नहीं होने से भूमि पर अधिपत्य देना अवशेष है।

व्यापारी

1. श्रीमती मोहनबाई नागदा निवासी कानोड़	गोपालपुरा	वल्लभनगर	..
2. श्री बाल कृष्ण व्यास निवासी कानोड़ा	कानोड़	;;	..
3. श्री शोभालाल महाजन निवासी खरड़ोदा	खारड़ोदा	;;	..
4. श्री बंशी लाल महाजन निवासी हींता	हींता	;;	..

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-74)

भूमि अवाप्ति की कार्यवाही

281. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधी नगर जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने सहकारी गृह निर्माण समितियों तथा अन्य के पास की कृषि भूमि को जो आवास के लिये सदस्यों तथा विभिन्न परिवारों को क्रय की जा चुकी है तथा अवाप्त करने के नोटिस निर्णय के अनुसार वापिस ले चुकी है ? यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखा जावे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सहकारी गृह निर्माण समितियों के पास की भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही से मुक्त करने के निर्णय के उपरान्त भी नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही करने का आशय क्या यह माना जाय कि सरकारी निर्णयों का पालन करना न करना उनके न्यास अधिकारी की बात है ? यदि नहीं, तो बताया जावे कि किन आधारों पर न्यास आज तक भी अवाप्ति की कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ऐसा निर्णय नहीं हुआ। राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि का आवंटन एवं नियमितिकरण आवासीय एवं व्यवसायिक उद्देश्य हेतु रूपान्तरण) नियम 1971 एवं संशोधित नियम 1973 के प्रावधान अवाप्ति के अन्तर्गत आ रही भूमि पर लागू नहीं होते। प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नं० 1 का उत्तर स्पष्ट है।

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 570 की सूची)

तालिका बाबत तारांकित प्रश्न संख्या 119/कृ०मं० द्वारा श्री मनोहरलाल गुप्ता, सदस्य राजस्थान विधान सभा

क०सं०	नाम आदेश व अधिसूचना	जारी एवं गजट में प्रकाशित होने का दिनांक	प्रसारित करने का कारण
1.	अधिसूचना	13-12-1972	मूल आदेश एवं अन्य अधिसूचना दिनांक 2-11-72 द्वारा खरीफ खाद्यान्न (ज्वार, बाजरा, मक्का) के 9 घोषित नोटिफाइड क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में एवं अन्तर राज्यीय निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। अतः इस आदेश से उक्त 9 नोटिफाइड क्षेत्रीय आवागमन प्रतिबन्ध को समाप्त किया गया ताकि सभी क्षेत्रों में मोटे खाद्यान्न का आवागमन हो सके एवं जनता को खास कर कमी वाले क्षेत्रों में उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके।
2.	अधिसूचना	24-11-1973	राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाज का उचित भण्डार बनाने हेतु कृषकों पर लेवी लगाई गई। लेवी द्वारा खाद्यान्न वसूली का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य को 12 क्षेत्रों में विभाजित कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ज्वार, बाजरा व मक्का के आवागमन पर रोक लगाई गई ताकि बाहुल्य जिलों से खाद्यान्नों की अधिकतम वसूली की जा सके।
3.	अधिसूचना	11-1-1974	दिनांक 24-11-73 की अधिसूचना द्वारा जालौर एवं बाड़मेर जिले का एक नोटिफाइड क्षेत्र बनाया गया था, परन्तु बाड़मेर जिले का बाजरा जालौर के रास्ते गुजरात राज्य को तस्कर होने की स्थिति में जालौर और बाड़मेर को अलग अलग नोटिफाइड क्षेत्र घोषित किए गए। इस प्रकार 12 के स्थान पर 13 नोटिफाइड क्षेत्र किए जाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में खाद्यान्न के आवागमन पर रोक लगाई गई।
4.	अधिसूचना	11-2-1974	भारत सरकार की नीति के अनुसार मोटे खाद्यान्नों के अन्तर जिला आवागमन प्रतिबन्ध समाप्त करने तथा कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने एवं जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिसूचना जारी कर सभी अन्तर जिला प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गये।

परिशिष्ट 5

(प्र० ता० प्र० सं० 402 की सूची)

जेल सुधार का विवरण

(परिशिष्ट 'अ')

1. जेल मेन्युअल का निर्माण जो दिनांक 1-1-53 से लागू किया गया।
2. जेल सुधार आयोग की स्थापना 1962 जिसने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1964 में दी।
3. जेल अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
4. 25 नये उप कारागृहों का निर्माण।
5. महिला बन्दी सुधार गृह का निर्माण।
6. खुले बन्दी शिविरों की स्थापना 1955-56।
7. बाल बन्दी सुधार गृह की स्थापना 1956-57।
8. बाल बन्दियों को शिक्षा एवं परीक्षाओं में बैठने की सुविधा 1963-64।
9. प्रौढ शिक्षा की सुविधा।
10. बन्दियों को औद्योगिक, प्रशिक्षण।
11. वाचनालय एवं पुस्तकालयों की सुविधा।
12. जेल परामर्शदात्री समितियों का गठन।
13. विभिन्न जेलों के लिये गैर सरकारी दर्शकों की नियुक्ति।
14. कारागृहों में पारिश्रमिक योजना।
15. बन्दी बैण्ड।
16. बाल बन्दियों की कार्यकारी योजना :
    अ. फर्नीचर निर्माण, कार्डबोर्ड पैंकिग, खिलौने, डिब्बे आदि का निर्माण।
    ब. साईकिल, स्कूटर की रिपेयरिंग वर्कशाप।
17. मनोरंजन की सुविधायें, चलचित्र एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम।
18. केन्टीन की सुविधायें 1953-54।
19. बन्दी कल्याण कोष की स्थापना।
20. मुक्त बन्दियों को राजकीय सेवाओं में लेने की अनुमति।
21. बन्दियों की पंचायत का निर्माण।
22. बन्दी सुधार गृह (After care home) की स्थापना।
23. बन्दी कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति।

परिशिष्ट 6

(प्र० ता० प्र०सं० 236 की सूची)

मंढा मदनी गृह निर्माण समिति लि० मंढा मदनी के सदस्यों की ऋण देने के संबंध में जातिवार सूचना ।

क्र० सं०	नाम सदस्य		राशि दी गई
1.	श्री सूरजा राम पुत्र भैरू राम	बलाई	400
2.	श्री जीदाराम पुत्र केसरा राम	,,	400
3.	श्री चूनाराम पुत्र सूंडाराम	,,	400
4.	श्री ओंकार पुत्र रुघाराम	,,	400
5.	श्री मालूराम पुत्र भैरूराम	,,	400
6.	श्री भूराराम पुत्र पन्नाराम	,,	400
7.	श्री दुलाराम पुत्र गगूराम	,,	400
8.	श्री नारायण पुत्र दीपाराम	,,	400
9.	श्री छोटूराम पुत्र दीपाराम	,,	400
10.	श्री सुवालाल पुत्र गंगूराम	,,	400
11.	श्री गिरधारीलाल पुत्र मुरली	,,	400
12.	श्री कानाराम पुत्र सूरजा राम	,,	400
13.	श्री सुवालाल पुत्र जैताराम	,,	400
14.	श्री भोलूराम पुत्र सेडूराम	,,	400
15.	श्री श्रवणकुमार पुत्र श्योनाथ	,,	400
16.	श्री गोविन्दाराम पुत्र गोपीराम	,,	400
17.	श्री कानाराम पुत्र भोमाराम	,,	400
18.	श्री हुणमान पुत्र भूराराम	,,	400
19.	श्री भागीरथ पुत्र भीकाराम	,,	400
20.	श्री नारायण पुत्र जमनाराम	,,	400
21.	श्री गोपीराम पुत्र गंगाराम	,,	400
22.	श्री गणपतराम पुत्र गांरूराम	,,	400
			8800

Page No 138

(138)

पलसाना आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लि० पलसाना के सदस्यों को ऋण देने के सम्बन्ध में जातिवार सूचना।

क्रमांक	नाम सदस्य		राशि जो दिनांक को दी गई — प्रथम किश्त	विशेष विवरण — दूसरी किश्त
1.	श्री मूलाराम पुत्र नाथूराम	बलाई	400	800
2.	श्री छोटूराम पुत्र सूताराम	,,	400	800
3.	श्री भगवाना पुत्र चेतीराम	,,	400	800
4.	श्री सुरजाराम पुत्र मूलाराम	,,	400	800
5.	श्री लादूराम पुत्र बल्लूराम	,,	400	800
6.	श्री हनुमान पुत्र बल्लूराम	,,	400	800
7.	श्री चौथूराम पुत्र दौलाराम	,,	400	800
8.	श्री नाथूराम पुत्र जोधाराम	,,	400	800
9.	श्री जीवनराम पुत्र माताराम	,,	400	800
10.	श्री भगवाना पुत्र मानाराम	,,	400	800
11.	श्री सुघ्डाराम पुत्र स्योजीराम	,,	400	800
12.	श्री छोटूराम पुत्र मानाराम	,,	400	800
13.	श्री गणेशराम पुत्र किसनाराम	,,	400	800
14.	श्री हरचन्द पुत्र बक्साराम	,,	400	800
15.	श्री मानाराम पुत्र सेडूराम	,,	400	800
16.	श्री ओंकार पुत्र जैतराम	,,	400	800
17.	श्री गोपीराम पुत्र मांगूराम	,,	400	800
		योग	6800	13400

139

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च, 1974

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
4	नीचे से 9	श्री चन्दमल	श्री चन्दनमल
9	नीचे से 6	अव इसक	अब इसकी
29	नीचे से 8	ओवर कास्ट	ओपन कास्ट
52	ऊपर से 13	अकाल वर्षों की	अकाल की
56	नीचे से 6	श्री गुरुदयाल	श्री गुरदयाल
57	ऊपर से 17	घटना इस प्रकार	घटना किस प्रकार
57	ऊपर से 18	संदर	सदन
61	ऊपर से 15	सभापति	अध्यक्ष
73	ऊपर से 13	ससोपेश	पसोपेश
80	नीचे से 14	लाठी की चींटे	लाठी की चोटें
94	नीचे से 12	महाराज कुमार के	महाराज कुमार ने
124	नीचे से 12	कारयेरेशन	कॉरपोरेशन
163	नीचे से 2	कोल्यूशन	वेल्यूयेशन
163	नीचे से 1	जमीन जो	जमीन है जो
227	नीचे से 5	गधे	धंधे
233	ऊपर से 2	अतारांकित	तारांकित